सप्तम माला खंड । अंक ।

बुधवार 23 दिसंबर 1981

2 पौष 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सातवाँ सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 23, बुधवार, 23 दिसम्बर, 1981/2 पौष, 1903 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 456, 461, 462 और 464 से 466	2—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	22—185
तारांकित प्रश्न संख्या : 457 से 460, 463 और 467 से 478	22—33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5135 से 5155, 5157 से 5328, 5330 से 5371 और 5371क	33—185
सभा पटल पर रखे गए पत्र	198
राज्य सभा में संदेश	209
लोक लेखा समिति	210
पैंसठवां और छियासठवां प्रतिवेदन	210
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	210
सत्ताईसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	210
सदस्यों की सभा से अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति छठा प्रतिवेदन	210
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	210
मध्य प्रदेश में कोटमा कोयला खान में एक बंकर के गिर जाने का समाचार	210
श्री उत्तम राठौर	210
श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी	210
डा० कृपासिन्धु भोई	213
श्री दलबीर सिंह	217
रक्षा सम्बन्धी उप-समिति के कतिपय गुप्त प्रतिवेदनों में दी गई सिफारिशों, आदि पर की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले सरकार के उत्तरों को सभापति, प्राक्कलन समिति (1978-79) द्वारा स्वीकार करने के बारे में घोषणा	219

* किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम, 377 के अधीन मामले	219
(एक) बम्बई नगर निगम द्वारा मकान बनाए जाने के लिए नमक आयुक्त द्वारा अप्रयुक्त भूमि शीघ्र दिए जाने की मांग	219
डा० सुब्रहमण्यम स्वामी	219
(दो) विकलांग लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए विधान बनाने की मांग	219
श्री राम विलास पासवान	219
(तीन) प्राचीन स्मारकों के समुचित रख-रखाव के लिए उड़ीसा के लिए पृथक् पुरातत्वीय मण्डल बनाने की मांग	220
श्रीमती जयन्ती पटनायक	220
(चार) उत्तर प्रदेश में सीमेंट कारखानों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई	220
श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी	220
(पांच) दक्षिण दिल्ली के बेगमपुर गांव में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों के कुछ परिवारों के मकानों का गिराया जाना	221
श्री चन्द्र पाल शैलानी	221
(छः) पारादीप पत्तन के लिए अधिक रेलगाड़ियों की मांग	222
श्री लक्ष्मण मलिक	222
(सात) प्रधानमंत्री के बारे में की गई कथित भविष्यवाणियों के बारे में गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री का वक्तव्य	222
श्री हरिकेश बहादुर	222
(आठ) कुमबुम टेलीफोन केन्द्र, मदुरै मण्डल में असंतोषजनक टेलीफोन सेवा	223
श्री कुमबुम एन० नटराजन	223
(नौ) केरल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक की अनुमति	224
श्री ए० के० बालन	224
(दस) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक केरलवासी नर्स की मृत्यु की जांच	225
श्री पी० के० कोडियन	225
(ग्यारह) मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में गेहूं की फसल को कीड़ा लगना	226
डा० वसन्त कुमार पंडित	226

विषय	पृष्ठ
अफ्रीकी विकास निधि विधेयक	227
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	227
श्री सुधीर गिरि	228
श्री एन० जी० रंगा	229
श्री सी० पलानीअप्पन	232
आचार्य भगवान देव	234
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा	235
श्री टी० आर० शमन्ना	236
श्री पी० के० कोडियन	238
श्री गिरधारी लाल व्यास	240
श्री जगपाल सिंह	243
श्री एडुआर्डो फैलीरो	245
खण्ड 2 से 7 और 1	
पास करने का प्रस्ताव	
श्री आर० वेंकटरामन	250
बागान श्रम (संशोधन) विधेयक	250
राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार करने का प्रस्ताव	
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा	250
श्री आनन्द पाठक	252
श्री बी० के० नायर	257
श्री ईरा मोहन	261
श्री गिरधारी लाल व्यास	263
श्री के० ए० राजन	266
अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) नियम, 1981 के निरसन के बारे में प्रस्ताव—वापस लिया गया	268
डा० वसन्त कुमार पण्डित	268
श्री पी० वेंकटसुब्बय्या	270

विषय	पृष्ठ
आधे घण्टे की चर्चा	272
दिल्ली के स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूला	272
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	272
श्री मल्लिकार्जुन	276
श्री सुधीर गिरि	277
श्री त्रिलोक चन्द्र	278
सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई	
चौधरी मुलतान सिंह	280

लोक सभा

बुधवार, 23 दिसम्बर, 1981/2 पौष, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, राजनारायण जी भूख-हड़ताल पर हैं, उनको थोड़ा.....

अध्यक्ष महोदय : मनी राम जी, आप तो बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, सारा कुछ आप जानते हैं कि इस मसले पर इस तरीके से नही हो सकता है, और आप नेता जी को बोल दें कि देहली पर कल बहस करा दी, अब झगड़ा क्या है ?

श्री सतीश अग्रवाल : भुख-हड़ताल तोड़ दें आपका मतलब ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : यह क्वैश्चन अवर है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्वैश्चन से ही संबंधित है। कल सूचना और प्रसारण मंत्री ने यह कहा कि डा० अम्बेडकर पर जो फिल्म बनेगी, उसकी मैं पूरी मदद करूंगा,.....

अध्यक्ष महोदय : यह क्वैशचन अवर है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सुन तो लें।

अध्यक्ष महोदय : बाद में बात करिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : बहुत इम्पोर्टेन्ट चीज है, सुन तो लें। सूचना और प्रसारण मंत्री ने यह कहा कि डा० अम्बेडकर पर जब कोई फिल्म बनेगी, तो मैं उसकी पूरी मदद करूंगा, उसको विदेश भेजूंगा, लेकिन वह बात रिकार्ड में नहीं आई।

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं आई ? कहां चली गई ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरे पास रिकार्ड है, सर देख लें।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इसके बारे में लिख सकते हैं। क्यों नहीं आई रिकार्ड पर, देख लेंगे क्या कारण है, रिकार्ड अपने पास है, देखने वाले अपने बैठे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अजी छोड़िये, मैं खुर्दबीन लगाकर भी ढूंढ लूंगा। छोड़िए आप।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तिहाड़ जेल में भीड़-भाड़

*456. **एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "टाइम्स आफ इंडिया" दिनांक 9 अक्तूबर, 1981 में "प्राबलम्स इन तिहाड जेल ड्यू टू ओवर-क्राउडिंग" (तिहाड़ जेल में भीड़-भाड़ के कारण समस्याएं) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत क्षमता की तुलना में तिहाड़ जेल में कितने कैदी हैं; और

(ग) अपेक्षित स्थान की कमी के कारण वहां पर व्याप्त रहने की अमानवीय स्थिति को दूर करने के लिने क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(विवरण)

सरकार को 9 अक्तूबर, 1981 के टाइम्स आफ इंडिया में "प्राबलम्स इन तिहाड़ जेल ड्यू टू ओवर क्राउडिंग" (तिहाड़ जेल में भीड़-भाड़ के कारण समस्याएं) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की जानकारी है । तिहाड़ जेल में इस समय कैदियों की संख्या लगभग 2000 है जबकि स्वीकृत संख्या 1273 है । जेल में कैदियों के रहन-सहन की दशा हालांकि आदर्श स्वरूप नहीं हैं, फिर भी अमानवीय नहीं है । सरकार इस समस्या के प्रति पूर्णतः सजग है और भीड़-भाड़ को कम करने के लिए अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) लम्बी अवधि के 158 कैदियों को हरियाणा की जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया है ।

(2) कैम्प जेल, जो तिहाड़ जेल का एक उप-भवन है, की क्षमता को 500 से बढ़ाकर 785 करने का विचार है । निर्माण कार्य, जिसके 31-3-82 तक पूरा हो जाने की आशा है, से क्षमता बढ़ाकर 710 हो जायेगी । 785 की क्षमता करने के लिए शेष कार्य 1982-83 में शुरू कर दिया जाएगा ।

(3) दिल्ली में दो और जिला जेल बनाने का विचार है शाहदरा दिल्ली के पास 78.62 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की जा चुकी है और दूसरी जेल के लिए जमीन के अधिग्रहण के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

(4) वर्तमान तिहाड़ जेल को तीन स्वतंत्र यूनिटों में विभाजित करने का विचार है । त्रिशाखन की योजना का अनुमोदन कर दिया गया है और 46.8 लाख रुपये की राशि की स्वीकृति जारी कर दी गई है । पूरा होने पर जेल में तीन स्वतः पूर्ण

यूनिटें होंगी जिनके अलग-अलग दरवाजे, रसोईघर, भंडार इत्यादि होंगे। इससे लम्बी अवधि के विचारणाधीन कैदियों, महिलाओं तथा किशोर अपराधियों को अलग-अलग रखने की सुविधा हो जायेगी।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय करते हैं कि वहां स्थिति अमानवीय नहीं है बल्कि आदर्श भी नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह वहां पर आदर्श स्थिति कब तक ला सकेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस समय जेल में बिजली, सफाई और ऐसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं क्योंकि यह बहुत पहले बनाई गई थी।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह कहना मुश्किल है कि वहां आदर्श स्थिति कब तक लाई जा सकेगी क्योंकि यह संकल्पना समयानुसार बदलती जायेंगी। जो आज आदर्श माना जाता है वह कल माना जाये। इसलिए, मेरे लिये यह कहना सम्भव नहीं है कि आदर्श स्थिति कब तक लाई जा सकेगी।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको यह भय है कि वहां आदर्श स्थिति पैदा करके आप वहां अधिक लोगों को आकर्षित नहीं कर सकेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, वहां बिजली और पानी की व्यवस्था है, वहां पंखे भी लगे हुए हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय प्रगतिशील व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं कि वह समय से आगे रहें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस समय वहां आदर्श स्थिति है और यदि नहीं तो इसमें कितना समय और लगेगा और क्या उनके दिमाग में भावी आवश्यकताओं और भावी आदर्शों का भी ध्यान रहेगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, मैं उत्तर दे चुका हूं। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, उसके बारे में मेरा यह कहना है कि इसका भी ध्यान रखा जायेगा।

श्री निरेन घोष : तिहाड़ जेल के बारे में ऐसी रिपोर्ट मिली है कि.....

अध्यक्ष महोदय : आप इतने दिन कहां रहे हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : तिहाड़ जेल में नहीं।

श्री निरेन घोष : उस जेल के बारे में ऐसी रिपोर्टें हैं कि वहां क्षमता से अधिक लोग रखे गए हैं, जेल परिसरों का दुरुपयोग किया जाता है, महिला कैदियों से बलात्कार किया जाता है। और इन सभी कांडों में जेल अधीक्षक भी शामिल हैं। जब उसका स्थानान्तरण किया गया तो उसने इन सभी कांडों को दबाने का प्रयास किया था। इसकी अच्छी तरह जांच कराई गई थी। क्या मंत्री महोदय सम्पूर्ण तथ्यों को सदन में प्रस्तुत करेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमने अपने निष्कर्ष दिल्ली प्रशासन को भेज दिये हैं और उन्होंने उस अधिकारी को दण्डित करने सहित जो कदम उठाये हैं, उनसे हमें सूचित कर दिया है क्योंकि यह बहुत व्यापक है इसलिये मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री डी० एम० पुत्ते गौडा ।

श्री के० लक्कप्पा : उन्होंने आपको एक पत्र लिखा है जिसमें प्रश्न पूछने के लिये मुझे अधिकार दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरे चक्र में पूछा जा सकेगा ।

श्री राम सिंह शाक्य : उपस्थित नहीं है ।

श्री शिव शरण वर्मा : उपस्थित नहीं है ।

श्री उत्तम भाई पटेल : अनुपस्थित । यह तीसरा दिन है जब लगातार तीन प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित हैं । तीन सदस्य अनुपस्थित है ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा—अनुपस्थित—वह चौथे अनुपस्थित सदस्य हैं ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिये 1980-81 को केरल की योजना में धन राशियों का नियतन

*461. श्री ए० ए०रहीम : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल को 1980-81 की वार्षिक योजना में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या उक्त प्रयोजन के लिए धनराशियों का पूरा-पूरा उपयोग कर लिया गया है ; और

(ग) क्या किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए इस धनराशि में से कुछ खर्च किया गया था ; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(विवरण)

1980-81 के दौरान केरल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित राशि और राज्य सरकार द्वारा कथित उपयोग निम्नलिखित सारणी में दिये गये हैं :—

(रुपये लाख में)

अनुसूचित जातियां				अनुसूचित जनजातियां			
विशेष कम्पोनेंट योजना : राज्य योजना से धन		विशेष कम्पोनेंट योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता		जनजाति उपयोजना : राज्य योजना से धन		जनजाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	
परिव्यय	खर्च	परिव्यय	खर्च	परिव्यय	खर्च	परिव्यय	खर्च
1728.42	1463.65	262.00	163.79	305.00	305.19	57.08	64.82

टिप्पणी :—खर्च के आंकड़े अस्थायी हैं ।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति उपयोजना क्षेत्रों से संबंधित प्रयोजनों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए धनराशि खर्च नहीं की गई है।

श्री ए० ए० रहीम : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिये निर्धारित की गई राशि का पूरा-पूरा उपयोग किया जायेगा ? यदि नहीं तो उन व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी जो योजना को अमल में नहीं ला रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हम राज्य सरकारों को न केवल लिखते रहते हैं बल्कि हमारे अधिकारीगण विभिन्न राज्यों में जाते भी हैं और राज्य सरकारों के अधिकारियों से विचार-विमर्श भी करते हैं। मैं लगभग सभी राज्यों में स्वयं गया हूं और विशेष संघटक योजना के अंतर्गत निर्धारित की गई राशि के उपयोग के बारे में अधिकारियों से बातचीत की है।

जहां तक केरल का सम्बन्ध है, उसने विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अंतर्गत कम से कम एक करोड़ रुपये की राशि और विशेष संघटक योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपये से अधिक-राशि का उपयोग नहीं किया है। मैंने उस समय सम्बद्ध मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया था। मैंने अधिकारियों से भी कहा था कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये दी गई राशि का उपयोग करें।

श्री ए० ए० रहीम : छात्रों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उन्हें शिक्षावृत्ति तक नहीं मिल पा रही है क्योंकि उनका कहना है कि केवल में छात्रों को शिक्षावृत्ति देने के लिये राशि उपलब्ध नहीं है। क्या मंत्री महोदय इस विषय में जांच पड़ताल करेंगे और उन्हें शिक्षावृत्ति दिलाने का निर्देश देंगे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है। यदि किसी राज्य में विशेष रूप से केरल में छात्रवृत्ति नहीं दी जाती तो मैं मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों का तथा राज्यपाल के सलाहकार का भी ध्यान इस ओर दिलाऊंगा।

श्री ईरा अनराबासु : मुझे यह कहते हुए खेद है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिये निर्धारित राशि उस वर्ग विशेष के हकदार व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कई बच्चों और यहां तक कि श्री जगजीवन राम के पोत्रों आदि को ये रियायतें और सुविधाएं दी जाती हैं। इस प्रकार इस योजना का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाता। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हकदार लोगों को यह लाभ नहीं मिल पाता। इस बात को देखते हुये क्या सरकार कोई ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करेगी जिनसे यह राशि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच सके और उन्हें ये सुविधाएं उपलब्ध कराने में प्राथमिकता बरती जा सके।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं माननीय सदस्य से इस बारे में सहमत नहीं हूं, विशेष रूप से उस समय जब कि वह यह कहते हैं कि यह राशि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विशिष्ट वर्ग को चली जाती है। गुजरात विश्वविधालय द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था और

उसे देश भर में गलत ढंग से समझ लिया गया। आरक्षण विरोधी आन्दोलन के समय, उस पुस्तक का उल्लेख डा० विमल शाह और श्रीमती तारा पटेल द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में दो सारणियां दी गई हैं। एक सारणी में अनुसूचित जातियों के उन वर्गों को दिखाया गया है, जिनके बच्चे छात्रवृत्ति ले रहे हैं। दूसरी सारणी में उनका व्यवसाय दिखाया गया है। यदि आप जातिवार सूची देखें तो स्वभावतः यह दिखाई देगा कि उस वर्ग के बच्चे जो बहुतायत में हैं, लाभ का अधिकाधिक भाग उन्हें मिल रहा है। उदाहरण के लिये, गुजरात में वकर्स जाति के लोग अधिक संख्या में हैं, उनके बच्चे छात्रवृत्ति का अधिकाधिक भाग ले रहे हैं। चमार जाति दूसरे नम्बर पर है। क्योंकि भंगी केवल 1 या 2 प्रतिशत हैं। इसलिये उनको मिलने वाली छात्रवृत्ति भी 1 या 2 प्रतिशत ही है। परन्तु इसके विपरीत यदि आप दूसरी सारणी देखें जो व्यवसाय के अनुसार है जिसे हम विशिष्ट वर्ग का नाम दे सकते हैं अर्थात्, उच्च श्रेणी लिपिक, प्रधान लिपिक, सामाजिक कार्यकर्त्ता जैसे संसद् सदस्य, विधान सभा सदस्य और मंत्री, उनके बच्चे जिन्हें यह लाभ मिलता है वे केवल 1.5 प्रतिशत हैं। इसलिये अनुसूचित जातियों में यह औसत नगण्य है.....(व्यवधान) इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में जो लोग अच्छी स्थिति में है, इस सुविधा का लाभ क्यों उठाते हैं और उनके लिये यह बंद क्यों नहीं की जानी चाहिये। यह समुद्र में बूंद के समान है। उनको इस तरह अलग वर्ग में रखना ठीक नहीं है।.....

श्री ईरा अनबारासु : मेरा यह आशय बिल्कुल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हमें इसे स्पष्ट कर लेना चाहिए। श्री अनबारासु ने यह प्रश्न पूछा है कि यदि वे लोग अच्छी स्थिति में रह रहे हैं तो उन्हें ये सुविधायें क्यों दी जायें? आप इन सुविधाओं को अन्य सभी कमजोर वर्गों को क्यों नहीं देते जिसमें जाति को आधार न माना जाये।

श्री योगेन्द्र मकवाना : छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में आय सीमा निर्धारित है। जिसकी आय इस सीमा से अधिक है वह इसका लाभ नहीं उठा सकता। इसलिये यह प्रश्न श्री जगजीवन राम के बेटे या मेरे बेटे का नहीं है जिसे छात्रवृत्ति मिल रही है, क्योंकि इस मामले में आय सीमा निर्धारित है।

अध्यक्ष महोदय : आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, लेकिन आपको आरक्षण तो मिलता है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आरक्षण के लिये कोई आय-सीमा निर्धारित नहीं है। आरक्षण के लिये यह सीमा निर्धारित करना भी कठिन है। लेकिन जहां तक आर्थिक लाभों का सम्बन्ध है, उसके बारे में आय-सीमा निर्धारित है।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आप आई० टी० डी० पी० के अन्तर्गत आप का यह कार्य चल रहा है। मध्य प्रदेश में पिछले साल उस योजना के अन्तर्गत 50 लाख से भी ज्यादा रुपये लैप्स हो गए और वर्ष भर सारे उस के एस्टीमेट्स ही बनते रहते हैं। बहुत से अधिकारियों को तो कम्पोनेन्ट प्लान के बारे में भी अभी मालूम नहीं है कि इसको किस मद में हमें खर्च करें। मध्य प्रदेश में अधिकांशतः इस के लिए

आई० ए० एम० अधिकारी ही नियुक्त किए गए हैं और एस्टैब्लिशमेंट पर इस का ज्यादा खर्च हो रहा है, फील्ड में कम । हर विभाग में केवल यही बता दिया जाता है कि ट्राइबल विभाग ही इस मद को खर्च करेगा । तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप जो केन्द्रीय सरकार से इतना ट्यूज एमाउंट स्टेट्स को देते हैं, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि सारे स्टेट्स उस का प्रापर खर्च नहीं करते हैं तो भविष्य में उन के ऊपर क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान का कांसेप्ट है यह नया कांसेप्ट है । ट्राइबल सब प्लान 1974 में शुरू हुआ । स्पेशल कम्पोनेंट प्लान इस गवर्नमेंट के आने के बाद जनवरी 1980 से सब स्टेट्स में हम ने शुरू करवाया है और इसलिए कहीं-कहीं आफिसर्स में उस के बारे में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी । तो हम ने हर स्टेट से मुलाकात की और मैंने खुद जा कर डिस्कशन किया है आफिसर्स से । हमने उन को गाइडलाइन्स प्रोवाइड की हैं । लेकिन कहीं-कहीं ऐसा होता है कि फंड का पूरा यूज नहीं होता है । इसलिए हमने हर बजट में उस का सब हेड बनाने को कहा है । फाइनेंस मिनिस्ट्री भी अभी उस सर्कुलर निकालने वाली है । डाइवर्शन आफ फंड उससे नहीं होगा ।

श्री के० मायातेवर : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में सदन को बताया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए एक आय-सीमा है । मैं जानना चाहता हूं कि वह सीमा कितनी है ?

तमिलनाडु में तमिलनाडु सरकार ने एक सरकारी आदेश पास करके अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्र-वृत्ति देने के संबंध में सीमा निर्धारित की है । जिन छात्रों के माता-पिता की आय 6,000 रु० प्रतिवर्ष है उन्हें 50 प्रतिशत छात्रवृत्ति मिलती है । जिन छात्रों के माता-पिता की आय 9,000 रु० प्रति वर्ष है उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है । मैं अधिकतम सीमा जानना चाहता हूं । तमिलनाडु सरकार ने दो सीमाएं रखी हैं । इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह प्रश्न विशेष घटक योजना से संबद्ध है । इसलिए, छात्रवृत्ति के बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है । इसके लिए मुझे अलग से नोटिस दिया जाना चाहिए । लेकिन मैं अनुमान से यह कह सकता हूं कि कुछ श्रेणियों के लिए सीमा लगभग 9,000 रु० प्रतिवर्ष है । मुझे ठीक से याद नहीं है ।

डा० सुब्रामण्यम स्वामी : अनुमान से क्यों बताते हैं । इन्हें बाद में सही-सही बताना होगा ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह प्रश्न विशेष घटक योजना से संबद्ध है । यह छात्रवृत्ति से सम्बद्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबद्ध नहीं है । इसका प्रश्न ही नहीं उठाता ।

श्री राम बिलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे उस तरफ से कांग्रेस (आई) के साथी ने जो कहा इस से मैं सहमत नहीं हूं क्योंकि आज भी इस देश में जगजीवन राम जैसे

आदमी जब सम्पूर्णानन्द की मूर्त्ति का उद्घाटन करते हैं तो जाति के नाम पर उस को धोया जाता है। इसलिए मैं उस से सहमत नहीं हूं। मैं मंत्री महोदय से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जो शेड्यूल्स कास्ट एण्ड शेड्यूल्स ट्राइब्ज के कल्याण के लिए धनराशि देते हैं वह टोटल बजट का कितने परसेंट अभी तक रहा है और क्या सरकार जितना उस का प्रोपोर्शन है, परसंटेज है उस के मुताबिक उस के लिए धन का एलाटमेंट करने जा रही है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस सवाल से उठता नहीं है।

श्री राम बिलास पासवान : यह उठता है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान उसी के लिए है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : नहीं उठता, फिर भी मैं रिप्लाई दे दूंगा।

पहले प्लान से पांचवीं पंच वर्षीय योजना तक 1 परसेंट से कम था। लेकिन हमारी प्रधान मंत्री ने सब चीफ मिनिस्टर्स को खत भी लिखा और परसनली भी कहा है कि ज्यादा एलाटमेंट करना पड़ेगा। इसलिए आज स्टेट्स का 8 से 9 प्रतिशत है स्टेट्स और मिलों के एप्रोक्सिमेटली 5 प्रतिशत है।

आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि

*462. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में आत्महत्याओं की घटनाओं में हो रही वृद्धि की जानकारी है;

(ख) आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) आत्महत्या की घटनाओं में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1978 के दौरान देश में आत्महत्या की संख्या में मामूली वृद्धि हुई थी, परन्तु 1979 में गिरावट आई। लम्बी बीमारी, मानसिक व्यथा, माता-पिता के साथ झगड़ा, सास-ससुर के साथ झगड़ा, आत्महत्या करने के कुछ मुख्य कारण है। आत्महत्या के सभी मामले दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दर्ज किए जाते हैं और जांच पड़ताल की जाती है।

श्री बालकृष्ण वासनिक : आत्महत्या करने के मुख्य कारण गरीबी और बेरोजगारी है। कितने ही युवक आत्महत्या कर रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त युवा जिन्होंने स्नातकोत्तर डिग्रियां लिखी हैं तथा पी० एच० डी० की हुई है वे भी आत्महत्या करते बताये गए हैं। क्या मानवीय मंत्री मुझे बतायेंगे कि क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई कार्यक्रम या योजना बनाई गई है ताकि लोग गरीबी और बेरोजगारी के कारण आत्महत्या न करें ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : आत्महत्या करने के कारणों में से एक गरीबी तथा बेरोजगारी है जहां तक मेरे मंत्रालय का प्रश्न है, मुझे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का ध्यान में

रखना है और इस सरकार ने पहले ही कुछ उपाय किए हैं। जहां तक आर्थिक विकास का संबंध है, विशेष घटक योजना और आदिवासी उपयोजना के द्वारा राशि निर्धारित की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में, मैं सभा में सूचना दे चुका हूं। जहां तक शेष लोगों का अन्य वर्गों का सम्बन्ध है, यह समाज कल्याण मंत्रालय का काम है कि वह उनका ध्यान रखें।

श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक : आत्महत्या का अन्य कारण देश में संयुक्त परिवार प्रणाली का टूटना हो सकता है जैसा कि समाचार-पत्रों में बताया गया है। यह समाज की बहुत भारी समस्या है। मैं मंत्री महोदय से यह नहीं जानना जाहता कि यह किसी अन्य मंत्रालय से संबद्ध है। यह सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कर रही है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक सरकार का संबंध है यह सामूहिक जिम्मेदारी है लेकिन जब मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं तो अपने मंत्रालय की ओर से दे रहा हूं। मैं दूसरे मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता। यह सम्बद्ध मत्रालय का काम है कि वह अपने मंत्रालय से संबद्ध जानकारी उपलब्ध कराए।

जहां तक मानवीय सदस्य द्वारा इंगित संयुक्त परिवार प्रणाली का संबंध है मैंने समाचार-पत्र में वह लेख पढ़ा है जिसमें वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि संयुक्त परिवार प्रणाली के छूट जाने से, जब युवा किसी प्रकार के क्षुब्ध होते हैं तो उन्हें सांत्वना देने वाला कोई नहीं होता और वे आत्महत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। यह मामला दूसरे मंत्रालय से संबद्ध है इसलिए मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मंत्री महोदय से 1974 में जनता सरकार द्वारा की गई आत्महत्या के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। सर्वप्रथम मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जहां तक मैं समझता हूं मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़े केवल 1978-79 तक के हैं। सभा को मांग करनी चाहिए कि अद्यतन अर्थात् 1980-81 तक के आंकड़े अगले बजट सत्र तक सभा में रखे जाएं। उन्हें सभा को यह आश्वासन तो देना ही चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें ज्ञात है कि अधिकतर आत्महत्याएं वास्तव में दहेज के कारण होने वाली मृत्यु तथा हत्याएं होती हैं और मामलों की जांच करने की प्रक्रिया तथा आत्महत्या का निर्धारण करने का ढंग बहुत पुराना है। यह बात बहुत से सिविल स्वतंत्रज्य संगठनों द्वारा सरकार के ध्यान में लाई गई है। इसके लिए क्या कदम उठाये जाएंगे कि मृत्यु तथा हत्याओं को 'आत्महत्याएं' न घोषित किया जाए? क्या वे इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों की सूची सभा के सामने रखेंगे?

श्री योगेन्द्र मकवाना : जहां तक आंकड़ों का संबंध है मुझे राज्य सरकरों से सूचना एकत्र करनी होगी। अब तक मुझे 1979 तक के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। मैं राज्य सरकारों से पुनः अनुरोध करूंगा कि वे 1980 के आंकड़े उपलब्ध कराएं।

उन्होंने प्रश्न के दूसरे भाग में दहेज के कारण होने वाली मृत्यु तथा हत्याओं के बारे में जानना चाहा है। हम दहेज सम्बन्धी कानून में संशोधन कर रहे हैं। इसे संयुक्त प्रवर समिति को

भेजा गया है और श्रीमती कृष्णा साही इस समिति की सभापति हैं। समिति द्वारा अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद हम इस कानून को संशोधित करके और कठोर बनायेंगे।

जहां तक हत्याओं को 'आत्महत्याओं' में बदल देने का सम्बन्ध है हमने राज्य सरकारों तथा पुलिस को अनुदेश जारी किये हैं कि वे आवश्यक सावधानी बरतें। हमने जो उपाय निहित किये हैं उनमें से कुछ पढ़कर सुनाउंगा। पहला है; ऐसे मामलों की जांच डी० एस० पी० के रैंक से नीचे के रैंक के अफसर द्वारा नहीं की जानी चाहिए और शव परीक्षण दो डाक्टरों के दल द्वारा की जानी चाहिए। पुलिस द्वारा अनापत्ति-पत्र जारी किये जाने के मामले को छोड़कर शव परीक्षा के बिना शव का अन्तिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा अनापत्ति प्रमाण-पत्र तब तक जारी नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि पुलिस ने या अभिभावकों ने या पत्नी के परिवार के अन्य नजदीकी रिश्तेदारों के शव को न देख लिया हो। ये एहतियाती उपाय हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : हमें जारी किए गए अनुदेशों की जानकारी है। लेकिन तथ्य यह है कि इन अनुदेशों के बाद भी बहुत कम संख्या में तथा कथित आत्महत्याएं वास्तव में हत्याओं के रूप में सामने आई हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की निगरानी की जा रही है कि ये अनुदेश किस प्रकार कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : आखिरकार यह सामाजिक बुराई है और समाज को ही इसे सुधारना है। सरकार हर सावधानी बरतती है। लेकिन इसके साथ-साथ यदि कुछ सामाजिक कार्यकर्त्ता या समाज के अन्य सदस्य आगे आएं और पुलिस को यह सूचित करें कि अमुक मामला हत्या का है आत्महत्या का नहीं तो पुलिस उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई कर सकती हैं।

जहां तक निगरानी रखने का उपाय है प्रत्येक वर्ष दिल्ली में राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन होता है जिसमें इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा होती है और कुछ उपाय भी सुझाए जाते हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, एक तो दहेज को लेकर महिलाएं आत्महत्या करती हैं लेकिन इसके अलावा रेप की वजह से और समाज में जो दूसरी बुराइयां हैं, उनके कारण महिलाएं आत्महत्या करती हैं और मर्दों के अनुपात में महिलाएं ज्यादा आत्महत्या करती हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या उनके पास इस तरह के आंकड़े हैं और यही हैं तो वे यहां पर उनको प्रस्तुत करें और महिलाएं जो मर्दों के अनुपात में ज्यादा आत्महत्या करती हैं, उसको रोकने के लिए वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मेरे ख्याल से आनरेबिल मेम्बर इसके बारे में मुझसे ज्यादा जानती हैं क्योंकि वे डाऊरी कमेटी की चेयरमेन हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : दहेज के अलावा मैं पूछ रही हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : वे सारे देश में फिरी हैं, तो उनको मालूम होगा। जहां तक परसेन्टेज का संबंध है, मेरे पास कुछ परसेन्टेज हैं। जो ब्यौरो आफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट है, उन लोगों ने कुछ सर्वे किया था और खास तौर से यूनियन टेरीटरी, दिल्ली का उन्होंने सर्वे किया था। उसके मुताबिक सूसाइड का जो फीगर है, वह इस तरह से है :

आत्महत्या के अधिकतर मामले लम्बी बीमारी के कारण हुए हैं जिनकी संख्या 18.37 है इसके बाद मानसिक बीमारी के कारण हुई आत्महत्याएं आती हैं : माता-पिता के साथ झगड़ों के कारण हुई आत्महत्याओं की संख्या 10.53 है....

श्रीमती कृष्णा साही : महिलाओं का क्या फीगर है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महिलाओं का सेपरेट फीगर मेरे पास नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वे तो अनुपात बराबर चाहती हैं।....(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा साही : नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : ये आंकड़े सर्वेक्षण के बाद ही दिए जा सकते हैं।

तट सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना

*464. श्री अर्जुन सेठी : क्या रक्षा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के समुद्री सीमा-क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश रोकने के लिए लम्बे समुद्री तट पर चौकसी बढ़ाने हेतु तट रक्षकों पर कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ख) इस बारे में व्यक्तियों और उपकरणों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) अभी तक 11.40 करोड़ रुपए व्यय हो चुके हैं।

(ख) तट रक्षक संगठन की वर्तमान स्वीकृत नफरी इस प्रकार है :—

वर्दीधारी		सिविलियन
अफसर	119	अफसर—14 श्रेणी-I तथा II
अधीनस्थ अफसर	106	अन्य—171
नाविक अफसर	677	

तट रक्षक संगठन के पास इस समय 2 फ्रिगेट और 7 गश्ती पोत है।

तट रक्षक संगठन में गश्ती पोतों की निगरानी विमानों और हैलिकाप्टरों की संख्या को बढ़ाकर इसे अधिक शक्तिशाली बनाने की कार्रवाई की जा रही है।

श्री अर्जुन सेठी : श्रीमान्, इन तट-रक्षकों द्वारा हमारे विस्तृत तट की रक्षा करने तथा हमारे समुद्र में तेल पाये जाने के कारण हमारे आर्थिक हित की रक्षा करने का जो कार्य किया जाता है उसे ध्यान में रखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार तट-रक्षकों की संख्या में वृद्धि करने और उन्हें आधुनिक वायुयानों से लैस करने पर विचार कर रही है ताकि हमारे देश का आर्थिक हित तथा हमारे विस्तृत समुद्र तट की रक्षा बेहतर ढंग से हो सके ?

श्री शिवराज वि० पाटिल : तट-रक्षी संगठन का गठन 1978 में हुआ था । एक योजना बनाकर 1980 में इसके लिए कुछ धन राशि निर्धारित की गई थी । इस प्रयोजन के लिए हमारी वायुयान तथा हेलीकाप्टर लेने की भी योजना है ।

श्री अर्जुन सेठी : एक समाचार-पत्र में यह हमाचार छपा है कि हमारे तट-रक्षकों के पास इतने साधन नहीं हैं कि वे समुद्र में, विशेषकर केवल आर्थिक क्षेत्र में, विदेशी जहाजों द्वारा चोरी से मछली पकड़ने को रोक सके । क्या मैं जान सकता हूं कि यह बात सत्य है या नहीं, यदि सत्य है तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

श्री शिवराज वि० पाटिल : मैंने अभी कहा है कि यह संगठन 1978 में बनाया गया था । एक योजना बन चुकी है और धन निर्धारित किया जा चुका है । हम इस संगठन को मजबूत कर रहे हैं । इस प्रयोजन के लिए वांछित उपस्कर ले रहे हैं । कार्मिकों की भर्ती कर रहे हैं । लेकिन तट-रक्षकों द्वारा जिस क्षेत्र की रक्षा करनी है । वह बहुत विस्तृत है यह 19.5 लाख वर्ग मीटर है ; इसकी रक्षा के लिए हमें बहुत बड़े संगठन की आवश्यकता है जिसके निर्माण में हम लगे हुए हैं ।

श्री मनोरंजन भक्त : अंडमान और निकोबार द्वीपों की महत्वपूर्ण अवस्थिति तथा इस बात को देखते हुए कि विदेशी जहाज प्राय: इन द्वीप समूहों के सीमावर्ती समुद्र में आते रहते हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि अंडमान और निकोबार द्वीपों में तट-रक्षक संगठन के पास पर्याप्त संख्या में पैट्रोल—नौकाएं तथा जहाज और तीव्रगामी जहाज नहीं हैं जो चोरी से मछली पकड़ने को रोक सकें और यदि नहीं हैं तो इन द्वीपों में तट-रक्षक संगठन को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

श्री शिवराज वि० पाटिल : हमारे तीन क्षेत्रीय-मुख्यालय हैं : ये बम्बई, मद्रास और पोर्टब्लेयर में हैं । पोर्टब्लेयर में हमारे दो-तीन जहाज हैं और वे हमारे समुद्री क्षेत्र, उस क्षेत्र में स्थित समुद्रवर्ती जोन की रक्षा कर रहे हैं । परन्तु जैसा कि मैंने कहा है यह संगठन अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं और हम इसका निर्माण कर रहे हैं । इस प्रकार की नौसेना का गठन करने जहाज खरीदने आदि में समय लगता है और यह प्रक्रिया जारी है ।

प्रो० मधु दंडवते : चूंकि मैं पश्चिम समुद्र तटीय क्षेत्र से हूं, इसलिए मैं पश्चिम समुद्र तटीय क्षेत्र की तुलना में तटीय गार्डों के बारे में कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहूंगा, मुझे मालूम है कि तटीय गार्डों के सामान्य दायित्व और ड्यूटी क्या हैं, परन्तु मैं मंत्री महोदय से यह जानना

चाहूंगा कि क्या वह गार्डों की ड्यूटी में एक और ड्यूटी जोड़ना पसंद करेंगे। बहुत से तटीय क्षेत्रों में यांत्रिक और अयांत्रिक दोनों तरीकों से मछली पकड़ी जाती हैं। सरकार ने एक विशेष सीमा के बाद अयांत्रिक तरीके से मछली पकड़ने की मनाही कर रखी है। अयांत्रिक तरीके से मछली पकड़ने के लिए एक विशेष क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है और बाकी का क्षेत्र यांत्रिक तरीके से मछली पकड़ने के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। चूंकि यांत्रिक नावें अयांत्रिक रूप से मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश करती हैं इसलिए छोटे मछुआरों का नुक्सान होता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या तटीय गार्ड और उनके पोत क्या गश्त लगाने के काम में लाए जा सकते हैं जिससे कि कानून के इस प्रावधान को कड़ाई से लागू किया जा सके।

श्री शिवराज वि० पाटिल : इस संगठन की मुख्य ड्यूटी है कि विदेशी जहाजों के खिलाफ हमारे समुद्रीय हितों की रक्षा करें। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न रखा है वह हमारे अपने मछुआरों की यांत्रिक और अयांत्रिक नावों से संबंधित है। इस पर विचार करना पड़ेगा। इस समस्या पर विचार किए बिना सदन में इस संबंध में 'हां' या 'ना' कहना कठिन है।

प्रो० मधु दंडवते : आप यह आश्वासन तो दे सकते हैं कि यह मामला विचाराधीन है। आश्वासन देने का तो यह कोई तरीका नहीं है। यहां तक कि आश्वासन भी देने के लिए वह तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये महाराष्ट्र के हैं। ये आपकी हेल्प नहीं करते ?

डा० वसन्त कुमार पंडित : जहां तक पश्चिमी और पूर्वी तटीय क्षेत्रों का संबंध है, अक्सर यह देखा गया है कि तस्कर उनसे अच्छे उपकरणों से युक्त और तीव्र गति के जहाजों का प्रयोग करते हैं जिनका कि हमारे तटीय गार्ड पीछा तक नहीं कर पाते हैं, सामना करना तो दूर रहा। क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि क्या यह सही है और यदि हां, तो क्या सरकार तस्करी रोकने के लिए तीव्र गति के जहाज खरीदेगी तथा क्या उनका प्रयोग प्रमुख पत्तनों पर नहीं वरन कम प्रयोग में आने वाले गोआ दीव और अन्य पत्तनों पर किया जाएगा।

श्री शिवराज वि० पाटिल : सरकार ऐसे जहाज खरीदने का प्रयत्न कर रही है जो दूसरों की किसी भी प्रकार के जहाज का मुकाबला कर सकें। तटीय गार्डों की एक ड्यूटी यह भी है कि वे तस्करों के खिलाफ भी कार्यवाही करें तथा ऐसी नावें ले रहे हैं जो हमारे लिए अधिक मजबूत और सक्षम साबित होंगी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—श्री अमर राय प्रधान कुछ माननीय सदस्य उठे.....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महोदय, इस प्रश्न को गृहीत किए जाने पर मुझे कुछ आपत्ति है।

श्री के० लक्कप्पा : महोदय, यह कर्नाटक सरकार और वहां की जनता के नाम पर धब्बा है। यह कर्नाटक की जनता के लिए निन्दात्मक है.....

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई प्रश्न नहीं है।

श्री के० लकप्पा : महोदय, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री के० लकप्पा : जिस तरह से यह प्रश्न बनाया गया है उससे कर्नाटक के नाम पर धब्बा है। आप इसको देखिए तो।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

श्री के० लकप्पा : इससे यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि एक विशेष वर्ग के व्यक्ति, अर्थात् हरिजनों का प्रयोग वेश्यालयों के लिए किया जा रहा है। क्या यह हरिजनों के नाम पर धब्बा नहीं है ? माननीय सदस्य को यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिए अथवा आपको यह देखना चाहिए कि प्रश्न ठीक से बनाया गया है अथवा नहीं।

महोदय अध्यक्ष : मैं इस विषय में कोई निर्णय नहीं दूंगा। इस बारे में कोई प्रश्न उठता। मैं निर्णय ले चुका हूं। मंत्री महोदय चाहें तो उत्तर दे सकते हैं।

श्री अमर राय प्रधान : प्रश्न सं० 465.

श्री के० लकप्पा : नियम में यह कहा गया है कि प्रश्न में तर्क, निष्कर्ष, व्यंग्यात्मक भाव, आरोपण, विशेषण अथवा निन्दात्मक (व्यक्तव) नहीं होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : निन्दात्मक वक्तव्य का तो कोई प्रश्न नहीं है।

श्री के० लकप्पा : जो प्रश्न बनाया गया है उससे निष्कर्ष तो निकाले जा सकते है। और आप क्या निकालेंगे ?.....

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री के० लकप्पा : संसद् में इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : क्यों विचार नहीं किया जा सकता ?...नहीं

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बिना बात अड़ रहे हैं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

कर्नाटक की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों का बम्बई के वेश्यालयों में ले जाया जाना।

***465. श्री अमर राय प्रधान** :

श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक राज्य से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों की 400-500 लड़कियां (14 से 20 वर्ष तक आयु की) प्रतिवर्ष वेश्यालयों के लिए बम्बई ले जाई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट अथवा सूचना नहीं है जिससे इस निश्चय पर पहुंचा जा सके कि कर्नाटक राज्य से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों की 400-500 लड़कियां (14 से 20 वर्ष तक आयु की) प्रतिवर्ष वेश्यालयों के लिए बम्बई ले जाई जाती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अमर राय प्रधान : मेरा नाम अन्य सदस्य के साथ जोड़ा जा रहा है। मेरे प्रश्न की भाषा बदल दी गई है। माननीय सदस्य ने उस ओर से आपत्ति उठाई है।

महोदय, माननीय सदस्य ने भ्रामक और चालाकी से परिपूर्ण जवाब दिया है। मेरे पास बहुत से दस्तावेज हैं और मैं सीधे नहीं कहना**

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा। कोई प्रश्न नहीं···किसी की भी आलोचना न करें। कृपया अपना प्रश्न कहें। अगर आप को करना है तो ठोस प्रश्न करें।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, मुझे आशा है आपने समाचार पत्रों में विशेष रूप से 19, 20 और 21, नवम्बर के इंडियन एक्सप्रेस में देख लिया होगा कि दक्षिण कनारा जिले के उदिपी, कुंजपुरा और पड़ौसी तालुकों में अनैतिक व्यापार बहुत ही द्रुत गति से बढ़ रहा है। व्यापार का जाल इतना गहरा है कि कोई भी गरीब लड़की विशेषतया विलावस्थ और मूत्रविरोध समुदाय की, उनके चंगुल से बच नहीं सकती "यह आवाज पूरे जिले·····"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न करिए ? पढ़िए नहीं।

श्री अमर राय प्रधान : मैं प्रश्न कर रहा हूं।

"समस्त जिले की यह पुकार है कि हमारी बहन बेटियां वेश्याएं बन रही हैं और हम असहाय हैं"।

इस संगठित रैकेट ग्रुप का सामना हम किस प्रकार कर सकते हैं, जिसे पैसे और राजनीतिक शक्ति का समर्थन प्राप्त है।

** अध्यक्ष पीठ के कहने पर सभा की कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना प्रश्न रखिए ।

श्री अमर राय प्रधान : मैं अपना प्रश्न रख रहा हूं । मैं यह जानना चाहता हूं क्या इस रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है तथा देश में विशेष रूप से दक्षिण कनारा जिले में हो रहे इस अनैतिक व्यापार के प्रति सरकार की क्या प्रक्रिया है ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सबसे पहले, मैं यह बता दूं कि मैंने सही-सही उत्तर दिया है । वास्तव में प्रश्न की भाषा यह है :

क्या यह सच है कि कर्नाटक राज्य से अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों और कमजोर वर्गों की 400-500 लड़कियां (14 से 20 वर्ष तक अ यु की) प्रतिवर्ष वेश्यालय के लिए बम्बई ले जाई जाती हैं ।

अब, महोदय, कर्नाटक सरकार ने यह बताया है कि इस प्रकार के केवल 3 मामले हुए हैं। माननीय सदस्य 400 से 500 की बात कर रहे हैं । मैंने यह कहा है कि इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है । मैंने समाचार पत्रों में खबर देखी थी और फौरन बाद ही हमने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी और उन्होंने मुझे यह सूचना दी कि ऐसी लड़कियों के केवल तीन ही मामले हैं और उनका पता मिल गया है और उन्हें वापिस उनके अभिभावकों के पास भेज दिया गया है ।

श्री अमर राय प्रधान : मेरा दूसरा अनुपूरक यह है । जी हां, मैं मानता हूं कि आंकड़े सही नहीं भी हो सकते हैं । यह अधिक भी हो सकते हैं कम भी । परन्तु यह सूचना दी गई थी.....

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री अमर राय प्रधान : यह सूचना दी गई थी कि कम से कम एक दर्जन एजेन्ट पुलिस उच्चाधिकारी** इस में शामिल हैं ।

श्री के० लकप्पा : इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप उनकी बात मुझे सुनने नहीं दे रहे हैं । कृपया उनसे बात न करें । पीठाध्यक्ष से सम्बोधित हों । (व्यवधान)

श्री के० लकप्पा : कृपया उन्हें मना करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी बात सुनना चाहता हूं । कृपया बैठ जाएं । मैं निर्णय कर सकता हूं । पहले मुझे इनकी बात सुनने दें ।

श्री अमर राय प्रधान : अध्यक्ष महोदय**(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

श्री के० लकप्पा : आपको इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए ।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : श्री लकप्पा आप बिना बात ही मेरे लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। (व्यवधान) आप क्या कहना चाह रहे हैं ? मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। आप क्या कर सकते हैं ? मैं ऐसे आरोपों की अनुमति नहीं दे सकता। कोई भी प्रश्न की अनुमति नहीं है। श्री प्रधान अपनी बात कहें।

श्री अमर राय प्रधान : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई संसदीय दल वहां जा सकता है और रिपोर्ट ला सकता है।

अध्यक्ष महोदय : किसी के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं लगाया जाएगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, मैंने राज्य सरकार से रिपोर्ट मंगवाई है तथा इस मामले के तथ्य भी सदन के सामने रख दिए हैं कि ऐसे केवल तीन ही मामले हैं जिसमें लड़कियों को ले जाया गया था परन्तु उन्हें वापस ला कर उनके अभिभावकों के पास भेज दिया गया था।

महोदय, माननीय सदस्य ने संसदीय प्रतिनिधिमण्डल के बारे में पूछा है ? मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बिना बात क्यों बिगड़ रहे हैं ? यह सबसे संबंधित प्रश्न है। इसमें किसी दल का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। श्री हाल्दर।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : वस्तुतः यह सामाजिक समस्या है कि कर्नाटक के कमजोर वर्गों की लड़कियां बम्बई के वेश्यालयों में भेजी गई। महोदय, यह भी सच है कि विभिन्न समाचार पत्रों में कई बार आया है कि कर्नाटक में देवदासी प्रथा, जो कि एक सामन्तवादी प्रथा है, अभी भी चालू है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देवदासियों का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह एक अलग मुद्दा है। मैंने इस प्रश्न की पूरी देखभाल के बाद ही स्वीकृत दी है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सरकार हमारे समाज के कमजोर वर्गों को इस गैर-कानूनी व्यवसाय से बचाने के लिए क्या उपाय कर रही है और क्या उनका मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ इस प्रश्न को उठाएगा भी या नहीं ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस गैर-कानूनी व्यवसाय को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, यह मामला राज्य सरकार से संबंधित हैं। परन्तु जब ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं तो केन्द्र सरकार राज्यों को अनुदेश और मार्गनिदेश देती है। महोदय, जहां तक समाज के कमजोर वर्गों का संबंध है तो इन वर्गों के लिए विशेष संघटक योजनाएं और आदिवासी उप-योजनाएं हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे पूरी तौर पर सहमत हैं कि देश के किसी भी भाग में यदि ऐसी बुराई व्याप्त है तो उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अब

महोदय, यह मेरे जिले से संबंधित है। मेरा निवेदन है कि जहां तक 'इंडियन एक्सप्रैस' में छपे इस समाचार का संबंध है, जो विलाग समुदाय जोकि उस क्षेत्र की जनसंख्या का एक तिहाई प्रतिशत है, की निन्दा करती है यह समाचार निन्दात्मक और उसकी बुराई करने वाली है तथा राजनैतिक रूप से प्रेरित है। इस समुदाय ने, जो कि कमजोर वर्गों का है, पिछले चुनावों में हमारे दल का समर्थन किया था और श्री ओस्कर फर्नान्डीज इस निर्वाचन क्षेत्र से स्वर्गीय श्री पाई को हरा कर निर्वाचित हुए थे। श्री गोइन्का, जोकि स्वर्गीय श्री पाई के मित्र थे, उन्होंने यह समाचार प्रकाशित करवाया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, चूंकि इससे एक समुदाय की बदनामी हुई है इसलिए इस समुदाय के सामाजिक संगठन ने इस समाचार का विरोध किया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री जनार्दन पुजारी : उनके अनुसार यह समाचार झूठा है। क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि क्या सरकार इस स्थिति में है कि वह एक समुदाय के खिलाफ झूठी रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले संवाददाता और समाचार पत्र के खिलाफ कार्यवाही कर सके ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, मैं माननीय मंत्री के सुझाव पर विचार करूंगा।

श्री झारखंडे राय : मान्यवर, मैं आपकी भावनाओं से कि यह विषय बलगत राजनीति से ऊपर है, अपनी सहमति प्रकट करते हुए यह जानना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान क्या इस विषय की ओर गया है कि केवल कर्नाटक नहीं, देश के दूसरे भी ऐसे प्रखंड और क्षेत्र हैं जहां इस तरह का व्यवसाय करने वालों ने अपने विशेष स्थान बना रखे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में **और उत्तर प्रदेश में.....

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : गलत बोल रहे हैं।.....

(व्यवधान)

श्री झारखंडे राय : इस तरह का ट्रेड बड़े पैमाने पर किया जाता है। क्या सरकार उन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये कोई कदम उठाने जा रही है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी क्षेत्र का नाम न लें, जनरल क्वैश्चन करना चाहें तो करें, किसी को ठेस पहुंचाने का कष्ट न करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी को तकलीफ होगी तो आपको कहेंगे तो आपको तकलीफ होगी।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री झारखंडे राय : अगर ऐसा है, मैं मान लेता हूं कि नेम मत कीजिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां इस तरह का व्यवसाय करने वाले वहां जाते आते हैं। क्या उनकी सुरक्षा का कोई उपाय सरकार करने जा रही है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सुनाई नहीं पड़ा गड़बड़ी में, रिपीट करें तो ठीक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह जानना चाहते हैं कि देश में जहां कहीं भी यह बुराई व्याप्त है, क्या उसके निवारण के लिए आप कोई कदम उठा रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : उसके लिए हमने स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के अधीन कार्यवाही करने की सिफारिश की है और अब 1978 में इस अधिनियम में किया गया संशोधन हमारे सामने है। अब, इस अधिनियम के उपबंध के संशोधित संशोधन के अनुसार यदि वेश्यालय में अनैतिक व्यापार होता है, तो वेश्यालय की परिभाषा में 'वाहन' भी जोड़ा गया है तथा 'वेश्यावृत्ति' शब्द को फिर से परिभाषित किया गया है जिसे में स्त्री द्वारा अपना शरीर बेचना कहा गया है और इसमें काफी कुछ आ जाता है। इस प्रकार, अधिनियम में ऐसे बहुत से उपबंध हैं, जिनके द्वारा इसे रोका जा सकता है। लेकिन, महोदय, अन्तिम रूप से केवल सरकार ही नहीं अपितु समाज को भी इसमें प्रमुख भूमिका निभानी है क्योंकि अन्ततः यह एक सामाजिक बुराई है। अतः समाज को, एक हो कर इसके खिलाफ बीड़ा उठाना है। जब तक यह नहीं किया जाता, सरकार के लिए यह पूरी तरह संभव नहीं है कि वह इस बुराई को समूल नष्ट कर सके।

श्रमिकों के लिए न्यनतम मजूरी

*466. श्री चित्त महाटा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा अन्य खर्चों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) जुलाई, 1980 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि न्यूनतम मजदूरी-दरों का पुनरीक्षण पांच वर्ष की अपेक्षा, जैसा अधिनियम में व्यवस्था है, दो वर्ष में कम से कम एक बार या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में पचास प्वाइंट की वृद्धि होने पर, जो भी पहले हो, किया जाना चाहिए। अगस्त, 1981 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन ने यह सिफारिश की कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ न्यूनतम मजदूरी-दरों को जोड़ने के लिए प्रक्रिया तैयार की जाए ताकि जब कभी आवश्यक हो, बिना विलम्ब के उनमें संशोधन किया जा सके। इन सिफारिशों को राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा गया है।

इस समय अधिनियम की अनुसूची में ऐसे उप-रोजगार हैं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार संबंधित सरकार है। अनुसूची में शामिल सभी रोजगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी-दरें निर्धारित की गई हैं, लेकिन वोल्फाम खानों में रोजगारों को छोड़ दिया गया है क्योंकि इनके लिए प्रस्तावों को अधिसूचित किया गया है। 25 खनन रोजगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी-दरों को पहली और आठ दिसम्बर, 1981 के बीच संशोधित किया गया था। कृषि में रोजगार के बारे में न्यूनतम मजदूरी-दरों में संशोधन के प्रस्तावों को अधिसूचित किया गया है। उन सभी रोजगारों के बारे में, जिनके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, अक्तूबर, 1981 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण न्यूनतम मजदूरी-दरों में और संशोधन के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चित्त महाटा : महोदय, यद्यपि एक सिफारिश यह की गई है कि कम से कम हर दूसरे वर्ष न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षा की जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। हमारे देश में, कुल जनसंख्या की लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषि अथवा कृषि संबंधी कार्यों में लगी है। मंत्री महोदय ने कहा है कि इस बारे में न्यूनतम मजदूरी लागू करने के संबंध में एक प्रस्ताव है। लेकिन, यह जवाब अनिश्चित सा है। यदि कृषि कामगारों के लिए, यह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है लेकिन यह इस देश में और विशेष रूप से बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। महोदय, अब मैं जानना चाहता हूं कि कृषि कामगारों के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के संबंध में तथा थोक भाव सूचकांक के अनुसार न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करने के बारे में कार्यवाही करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : जुलाई, 1980 में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में कुछ सिफारिशें की गई थीं जो कि कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किए जाने से संबंधित थीं। ये सिफारिशें विशेष रूप से जिला और तालुक स्तर पर समुचित कार्यान्वियन व्यवस्था के गठन के लिए थी जो प्रत्येक राज्य की स्थिति के अनुसार राजस्व, पंचायत और अन्य विभागों से सहायता प्राप्त करने के लिए थीं। बिहार राज्य द्वारा किए गए संस्थागत प्रबन्धों को उचित ठहराया गया। यह सिफारिश भी की गई कि कृषि में न्यूनतम मजदुरी लागू किए जाने के संबंध में निगरानी रखने हेतु राज्य के अन्दर ,विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय समितियां गठित की जाएं, ग्रामीण इलाकों में मजदूर शिक्षा कार्यक्रम तेज किया जाए; ग्रामीण इलाकों में श्रमिक संगठनों का संवर्द्धन करने के लिए कदम उठाए जाएं जिससे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उचित क्रियान्वयन में सहायता मिल सके। अतः, यह राज्य का विषय है तथा इस सम्मेलन में की गई सिफारिशें सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। हमें आशा है कि इन्हें या तो क्रियान्वित किया जा रहा है अथवा किया जाएगा।

श्री चित्त महाटा : क्या मंत्री महोदय यह बता सकते हैं न्यूनतम मजदूरी के बारे में कोई और कार्यवाही करने से पहले सरकार विपक्षी नेताओं और मजदूर संघों से विचार-विमर्श करेंगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी : हमें विपक्षी नेताओं, जो कि सेंट्रल ट्रेड यूनियनों में हैं, के साथ परामर्श करने का अवसर मिला। उस समय हमने उन्हें विपक्षी नेताओं के रूप में न लेकर प्रमुख

सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के नेताओं के रूप में लिया और समय-समय पर हम उन की सलाह से लाभान्वित होते रहते हैं।

श्री बीजू पटनायक : मंत्री महोदय ने अभी कहा है, अगर मैंने उन्हें सही सुना है, कि कृषि कामगारों का मामला राज्य का विषय है तथा इसे लागू किए जाने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण राज्य सरकारें हैं और क्योंकि यह राज्य का विषय है, इसलिए इस बारे में कोई केन्द्रीय विधान नहीं है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अगर औद्योगिक मजदूर के रूप में काम कर रहे जनसंख्या के तीन प्रतिशत लोगों के लिए केन्द्रीय विधान हो सकता है, तो जनसंख्या के 30 प्रतिशत जो कि भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं, के लिए इस समय विधान क्यों नहीं ? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वे इस बारे में व्यापक केन्द्रीय विधान लाए जाने के विषय में विचार करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी : माननीय सदस्य को मालूम ही है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में सभी श्रेणियां आ जाती हैं तथा इस में कृषि कामगारों की श्रेणी भी शामिल है। लेकिन, कृषि कामगारों के लिए एक अलग विधान बनाने के प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं तथा राज्य सरकारों से सलाह ली जा रही है।

श्री चित्तामणि पाणिग्रही : मैं केन्द्रीय मंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम, श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में न्यूनतम मजदूरी विधान को लागू किए जाने के उपायों की सिफारिश की तथा राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें यह मालूम है कि सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में समझौता होने के पश्चात्, 22 राज्यों में से यहां तक कि नौ या दस राज्यों ने 1975 वर्ष के बाद भी, कृषि कामगारों के लिए इस तथ्य के बावजूद कि सभी राज्यों में जीवन ज्ञापन सूचकांक 50 प्वाइंट से अधिक बढ़ गया है, न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं की है। किसी भी राज्य द्वारा अब तक श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए इस निर्णय को लागू क्यों नहीं किया गया।

मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस सभा के समक्ष तथा स्थायी श्रम समिति को यह वचन दिया था कि कृषि कामगारों के लिए एक विधयक लाया जाए तथा देश में सभी कृषि कामगारों के लिए 'आल इंडिया माडल बिल' लाया जाएगा ? वह बिल, जिसका प्रारूप तैयार किया किया गया था में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ? क्या हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि इसे आगामी बजट सत्र में सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों में से एक सिफारिश यह भी है कि परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया जाए। जहां तक केन्द्रीय क्षेत्र का संबंध है, यह सुझाव दिया गया है कि इस परिवर्तनीय महंगाई भत्ते, जिस का न्यूनतम मजदूरी से संबंध है, को हर साल अप्रैल और अक्तुबर में संशोधित किया जाए। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे इस पहलू पर विचार करें।

जहां तक प्रस्तावित विधेयक का संबंध है मैंने अपने पहले के उत्तर में पहले ही बता दिया है कि हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं और इस बारे में हमें राज्य सरकारों की राय जाननी है।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, अक्तूबर के महीने में कोई पुनरीक्षा नहीं की गई।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, मुख्य प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने बतलाया है कि मंहगाई को देखते हुए 5 वर्ष के बजाय 2 वर्ष में मिनिमम वैज का रिव्यू होगा। मैं जानना चाहता हूं—क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि एक साल में ही बहुत बार मंहगाई बढ़ती हैं? यदि बढ़ती है तो उस सन्दर्भ में क्या वह देखेंगे कि बजाए 2 साल के साल-के-साल रिव्यू हो?

दूसरी बात—जो इन की नेशनल वेज पालिसी है—बहुत दिनों से ऐसी चर्चा चली आ रही है कि सरकार उस दिशा में भी कुछ करने जा रही है—मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है?

श्री नारायण दत्त तिवारी : जी हां, दो साल से पहले ही रिव्यू के प्रश्न पर भी सुझाव विचाराधीन है। जैनरल मिनिमम वेज के सम्बन्ध में हम विचार कर रहे हैं, जिसके लिए लेबर मिनिस्टर्ज कान्फरेंस ने भी संस्तुति की है। जैनरल मिनिमम वेज पावर्टी लाइन से नीचे न हो, यह संस्तुति भी श्रम सम्मेलन ने की है।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कर्मचारी भविष्य निधि के कर्मचारियों के लिए समिति

*457. **श्री डी० एम० पुत्ते गोडा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए कर्मचारी फेडरेशन, नई दिल्ली के अनुरोध पर एक वेतन समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम एवं पदनाम क्या हैं;

(ग) मांगों को अन्तिम रूप देने से कितना समय लगा;

(घ) इस समिति के कार्य पर कितना व्यय हुआ; और

(ङ) समिति की सिफारिशें क्या हैं और उन को अभी तक स्वीकार क्यों नहीं किया गया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) केन्द्रीय भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने (न कि श्रम मंत्रालय ने) आल इंडिया एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड स्टाफ फेडरेशन की कुछ मांगों के प्रत्युत्तर में संगठन के ढांचे तथा इसके कर्मचारियों की सेवा शर्तों की जांच करने तथा इस संबंध में बोर्ड को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए फरवरी, 1979 में एक समिति का गठन किया।

(ख) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) समिति ने अक्तूबर, 1979 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और पहली अप्रैल, 1980 को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

(घ) इस समिति पर व्यय मुख्य रूप से यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के रूप में किया गया। इसे पृथक रूप से दर्ज नहीं किया गया।

(ङ) पहली अप्रैल, 1981 को सदन की मेज पर एक विवरण रखा गया था जिस में समिति की सिफारिशें दी गई थी। अधिकांश सिफारिशों के बारे में निर्णय पहले ही लिए जा चुके हैं और अन्यों पर विचार किया जा रहा है।

(विवरण)

संगठन के ढांचे और कर्मचारियों की सेवाओं की जांच करने के लिए केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा गठित समिति का गठन निम्न प्रकार था :—

1.	श्री फकीर चन्द, श्रम सचिव, मध्य प्रदेश और सदस्य, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड	—	अध्यक्ष
2.	श्री एन० के० पांडा, वित्तीय सलाहकार, श्रम मंत्रालय और सदस्य, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड	—	सदस्य
3.	श्री एस० घोष, बोर्ड में नियोजकों के प्रतिनिधि	—	सदस्य
4.	श्री वी० वेंकटेश राव (बाद में उनका स्थान श्री बी० एस० सेठी ने ले लिया) बोर्ड में नियोजकों के प्रतिनिधि	—	सदस्य
5.	श्री बी० आर० हीमिल, बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि	—	सदस्य
6.	श्री प्रद्युम्न सिंह, बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधि	—	सदस्य

माचिस उद्योग पर बिक्री कर

*458. श्री राम सिंह शास्त्र :

श्री शिव शरण वर्मा : क्या गृह मंत्री माचिस उद्योग पर बिक्री कर के बारे में 16 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4519 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित मंत्रालयों से यह स्थिति सुनिश्चित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सरकार संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके मामले पर अभी विचार कर रही है ।

जेल सुधार समिति की रिपोर्ट

*459. श्री उत्तमभाई एच० पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जेल सुधार समिति की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समिति के सदस्यों के नाम तथा पदनाम क्या हैं और समिति को सौंपे गए निदेश-पद क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान् । समिति अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में लगी हुई है और उसके 31 मार्च, 1982 तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ।

(ग) समिति का गठन और उसके विचारार्थ विषय सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये हैं ।

(विवरण)

जेल सुधार समिति गठन

1. श्री न्यायमूर्ति आनन्द नारायण मुल्ला, सेवा निवृत्त न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय	अध्यक्ष
2. श्री योगेन्द्र शर्मा, संसद् सदस्य,	सदस्य
3. कुमारी सरोज खापर्डे, संसद् सदस्य	सदस्य
4. डा० (श्रीमती) एम० शारदा मेनन, भूतपूर्व निदेशक; मानसिक अस्पताल, मद्रास	सदस्य

5. श्री सी० एस० मल्लिहा, जेल महानिरीक्षक, कर्नाटक, बंगलौर	सदस्य
6. श्री के० एस० रस्तोगी, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य-सचिव
7. प्रो० रशीदुद्दीन खां, संसद् सदस्य	सहयोजित-सदस्य
9. श्री डी० के० जाधव, सेवानिवृत्त, सदस्य, लोक सेवा आयोग, महाराष्ट्र, भूतपूर्व जेल महानिरीक्षक और निदेशक, समाज कल्याण महाराष्ट्र	सहयोजित-सदस्य
9 श्री एच० सी० सक्सेना, सेवा-निवृत्त जेल महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश	सहयोजित-सदस्य
10. डा० हीरा सिंह, निदेशक, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, समाज कल्याण मंत्रालय	सहयोजित-सदस्य
11. श्री के० एल० एन० रेड्डी, निदेशक, क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्था, वेल्लौर ।	सहयोजित-सदस्य

श्री प्रकाश महरोत्रा (भूतपूर्व संसद् सदस्य) समिति के सहयोजित समस्य थे, परन्तु असम और मेघालय के उनके राज्यपाल नियुक्त किये जाने पर उन्होंने समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया ।

विचारार्थ विषय

(1) समाज के संरक्षण और अपराधियों के पुनर्वास के सम्पूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रख कर जेलों के प्रबंध और अपराधियों के व्यवहार को नियमित करने वाले कानूनों, नियमों, तथा विनियमों को पुनरीक्षण करना और सिफारिशें करना ।

(2) कैदियों को मूल आवश्यकताओं के संदर्भ में उनके रहन-सहन की दशाओं की जांच करना और मानव जीवन की मानमर्यादा के अनुरूप सुविधाओं की व्यवस्था करना और आवश्यक समझे गये सुधारों का सुझाव देना ।

(3) हिरासत और सुधार के उद्देश्य के संबंध में जेल कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, तथा जेल के विकास को नियमित करने वाली नीतियों का पुर्नमूल्यांकन करना और यह सुनिश्चित करने के तरीकों का पता लगाना कि अपेक्षित प्रतिभा, अभिरूचि तथा योग्यता वाले व्यक्ति जेल सेवा में हों ।

(4) जेल सुरक्षा और संस्थागत अनुशासन के वर्तमान स्तर को ऊंचा करने की दृष्टि से जेलों की आन्तरिक प्रबंध से संबंधित प्रक्रिया की जांच करना और उपयुक्त परिवर्तन सुझाना ।

(5) संस्थागत व्यवहार, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्योग, कृषि और ऐसे अन्य व्यावसायिक कार्यों के कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करना और सुधारात्मक केन्द्रों के रूप में विकास की दृष्टि से उपायों का सुझाव देना ।

(6) महिलाओं किशोरों, बच्चों और मानसिक पीड़ित व्यक्तियों के विशिष्ट व्यवहार के लिए उपायों का सुझाव देना।

(7) खुली जेलों के कार्यों का पुनरीक्षण करना और सुधार करने के लिए उपाय सुझाना।

(8) जेल सजा में छूट, पैरोल तथा प्रोवेशन प्रणाली की संवीक्षा करना और इस नीति में एकरूपता तथा मानकीकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करना।

(9) जेल प्रशासन से संबंधित अन्य मामला जिस पर समिति विचार करना चाहे।

परियोजनायें जिन पर योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त किये बिना कार्य आरम्भ हुआ

*460. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन परियोजनाओं पर योजना आयोग से निर्धारित रूप में अनुमोदन प्राप्त किए बिना कार्य आरम्भ किया गया था क्या उनकी संख्या राज्यों में बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो अनुमोदित परियोजनाओं पर उनका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) उन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है जो अनुमोदन के बिना परियोजनाएं आरम्भ कर रहे हैं।

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) वर्तमान कार्यविधियों के अंतर्गत, 1 करोड़ रु० से अधिक और इससे ऊपर लागत वाली विद्युत परियोजनाओं, सभी बड़ी और मझोली परियोजनाओं, और 60 लाख रु० से अधिक लागत वाली बाढ़ नियंत्रण स्कीमों पर केन्द्रीय जल आयोग/केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण/गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा कार्रवाई की जाती है और निवेश के लिए अनुमोदन योजना आयोग द्वारा दिया जाता है। अनुमोदन के बिना काम शुरू करने की प्रवृत्ति कुछ बढ़ती जा रही है। इस प्रवृत्ति का अनुमोदित परियोजाओं/स्कीमों को पूरा करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) योजना आयोग विद्युत उत्पन्न करने वाली सभी परियोजनाओं और कुछ बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को निर्धारित करता है। उस सीमा तक, अनुमोदन प्राप्त होने तक धन राशियों के दूसरी परियोजनाओं में लगाए जाने की संभावना पर नियंत्रण रखा जाता है। योजना आयोग ने समय-समय पर राज्य सरकारों को इस आशय के पत्र जारी किए हैं कि आवश्यक स्वीकृति के बिना बड़ी और मझोली सिंचाई/विद्युत परियोजनाओं में व्यय नहीं किया जाना चाहिए। पंचवर्षीय/वार्षिक योजना के लिए विचार-विमर्श के समय योजना आयोग द्वारा स्कीमें स्वीकृत कराने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह किया जाता है। योजना आयोग ने इस विचार को दोहराते हुए 9 नवम्बर, 1981 को सभी राज्य सरकारों को फिर पत्र लिखा है।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

*463. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या बिजली चले जाने अथवा यातायात संकेतों के काम न करने और यातायात संकेतों के निकट यातायात पुलिस कर्मचारियों को नियुक्त न करने के कारण दुर्घटनाओं के कुछ मामले हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) दिल्ली में वर्ष 1979 में घातक सड़कको दुर्घटनाओं के बारे में दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा एक अध्ययन किया गया था। अध्ययन में अन्य बातों के साथ सड़कों की स्थिति सुधारने, यातायात पर अच्छा नियंत्रण रखने; सड़क सुरक्षा शिक्षा देने और साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों को सुविधा दिए जाने के बारे में सिफारिश की गई थी जिनकी कमी सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है।

2. सिफारिशों को देखते हुए दिल्ली में यातायात की स्थिति सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) अधिक भीड़ के समय यातायात को ठीक तरह से चलते रहने के लिए यातायात पुलिस अधिकारियों द्वारा चलती-फिरती गश्त प्रारम्भ की गई है।

(2) यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड देने के लिए चलते-फिरते न्यायालयों के कार्य को तेज कर दिया गया है।

(3) सड़कों पर चलने वालों के लिए अधिक स्थान उपलब्ध कराने हेतु सड़कों से अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं।

(4) भारी वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य किया गया है।

(5) रात्रि के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए रात को विशेष जांच की जाती है।

(6) "वाहन ठहराना मना है" क्षेत्रों में वाहन ठहराने और सड़कों पर वाहन खड़ा करके रोकने के विरुद्ध कार्रवाई तेज की गई है।

(7) विभिन्न सड़कों पर विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा निर्धारित की गई है। तेज गति, जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन चलाने को रोकने के लिए रडारों की सहायता से जांच की जाती है।

(8) ड्राइवरों/स्कूल के बच्चों तथा पैदल चलने वालों आदि को सड़क सुरक्षा शिक्षा दी जाती है।

3. विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप कुल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हुई हैं।

4. चालू वर्ष के दौरान पूसा रोड तथा अब्दुल रहमान मार्ग के चौराहे पर यातायात सिगनल में यंत्र की खराबी के कारण एक घातक सड़क दुर्घटना हुई थी।

राज्यों की वार्षिक योजनाओं की प्रगति

*467. **श्री के० प्रधानी** : क्या योजना मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों के साथ उनकी चालू योजनाओं की प्रगति के बारे में और आगामी वर्ष के लिए योजनाएं बनाए जाने के बारे में विचार-विमर्श किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने चालू वर्ष में अतिरिक्त संसाधन जुटाने में हुई कमियों जितनी कटौती करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उन योजनाओं पर विचार किया गया है, जिन्हें इस वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों द्वारा कार्यान्वित नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों द्वारा, विशेष रूप से उड़ीसा राज्य द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में शुरू की जाने वाली योजनाओं से संबंधित ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां। चालू वर्ष की योजनाओं की समीक्षा करने और 1982-83 के लिए वार्षिक योजनाएं बनाने के बारे में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श चल रहे हैं।

(ख) राज्य सरकारों को समय-समय पर यह सलाह दी गई है कि वे वर्ष 1981-82 के लिए योजना व्यय को उपलब्ध संसाधनों के भीतर बनाए रखें।

(ग) हमेशा की तरह, विभिन्न राज्यों की अगले वर्ष की वार्षिक योजना को अंतिम रूप देते समय चालू वर्ष में विभिन्न योजनागत स्कीमों/परियोजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति को ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) उड़ीसा सहित राज्यों की 1982-83 की वार्षिक योजना के ब्यौरों के बारे में उनके साथ विचार-विमर्श करने के बाद उन्हें अंतिम रूप देने के कुछ समय बाद वे ब्यौरे मालूम होंगे।

रोथमाग और डनहिल के साथ गोयनका समूह का सहयोग

468 : **श्री राम स्वरूप राम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोयनका ग्रुप ने रोथमान और डनहिल नामक एक विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के साथ सहयोग में सिगरेट बनाने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंगलादेश से लोगों का गैर-कानूनी तौर पर आना।

469 श्री सूरज भान :

श्री विजय विश्वास : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार के विभिन्न जिलों के उन तालुकों के नाम क्या है जहां बंगला देश से गैर-कानूनी तौर पर लोग आए हैं;

(ख) तालुका-वार उनकी संख्या क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) उपर्युक्त तालुकों में ही पिछले तीन सालों में तालुका-वार उनकी संख्या कितनी थी;

(घ) अब तक उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) क्या वे स्वदेश लौटने के लिए इच्छुक नहीं हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समुद्रतटीय रक्षक (गार्ड) हेतु भर्ती संबंधी नियम

*470. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या रक्षा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्र-तटीय रक्षक मुख्यालय (कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स) ने अभी तक अपने भर्ती नियम नहीं बनाए हैं जिससे लोगों को प्रतिनियुक्ति पर बुलाना जारी है; और

(ख) यदि हां, तो निगम कब तक बनाए जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दरा गांधी) : (क) और (ख) तट रक्षक संगठन में कई वर्गों के पदों के लिए भर्ती नियम पहले ही जारी किए जा चुके हैं। शेष वर्गों के पदों के लिए भर्ती नियम संबंधित मंत्रालयों और विभागों के परामर्श से निर्णीत किए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। शेष भर्ती नियमों को शीघ्र निर्णीत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यह कार्य अगले साल में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

स्वदेशी अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन

*471. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी एजेंसियों पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए स्वदेशी अनुसंधान और विकास संस्थाओं का समुचित रूप से शामिल किया जाना, सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान नीति संबंधी संकल्प में उचित उपबन्ध नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्वदेशी अनुसंधान की भूमिका में अस्पष्टता को दूर करने के लिए एक नई प्रौद्योगिकी नीति तैयार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) 1958 के विज्ञान नीति संकल्प का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में आत्मनिर्भरता के महत्व पर और उनके विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देना था। इस संकल्प में उन विशिष्ट उपायों का विवेचन नहीं किया गया था जिन्हें स्वदेशी अनुसंधान और विकास संस्थाओं के सहयोग और सम्बन्ध को सुनिश्चित करने के लिए किया जाना था ताकि विदेशी एजेंसियों पर आश्रितता को समाप्त किया जा सके। बहरहाल, सरकार स्वदेशी अनुसंधान और विकास संस्थाओं के उपयुक्त सम्बन्ध को प्रोत्साहित करती रही है ताकि विदेशी एजेंसियों पर आश्रितता को समाप्त किया जा सके। साथ ही उन्हें प्रोद्योगिकी नीति वक्तव्य के अन्तर्गत किया जाना अपेक्षित है। जिसके प्रारूप को मंत्रिमंडल की विज्ञान सलाहकार समिति द्वारा नियुक्त किये गए कार्यबल द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

काजू प्रोसेसिंग प्लांटों की स्थापना

*472. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ काजू प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने का है;

(ख) क्या ऐसे कोई काज प्रोसेसिंग प्लांट उड़ीसा में भी स्थापित करने का विचार है,

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा के किन स्थानों में काजू प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने का विचार है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

उद्योग तथा श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) ऐसे एकक स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना

*473. श्री जगदीश टाईटलर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चुने गए विकास केन्द्रों में एक पर्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्ति प्राप्त औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी शक्तियां क्या होंगी तथा इसके अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आयेंगे ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति ने औद्योगिक प्रकीर्णन संबंधी अपनी रिपोर्ट में जो विभिन्न सिफारिशें

की हैं उनमें से एक सिफारिश हरेक चुने हुए संवृद्धि केन्द्र में औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना करना है। इस रिपोर्ट में निहित औद्योगिक विकास प्राधिकरण की संगठनात्मक संरचना तथा उसके कार्यों और अधिकारों के ब्यौरे इस रिपोर्ट के अध्याय 7 में कृपया देखे जाएं; इस रिपोर्ट की प्रति सभा पटल पर 2 दिसम्बर, 1981 को रखी गई थी। इस रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रोत्साहन

*474. **श्री चित्त बसु :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहनों को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

आदिवासी कल्याण के बारे में सम्मेलन

*475. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री के० पी० सिंह देव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1981 में भुवनेश्वर में देश के आदिवासियों के कल्याण के लिए सिफारिशें करने के लिए एक अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सम्मेलन में ने सरकार का ध्यान इस तथ्य की तरफ भी आकर्षित किया गया है कि बिना सोचे समझे दृष्टिकोण के कारण आदिवासियों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती और सरकारी धन का अपव्यय होता है;

(घ) यदि हां, तो इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने दिये गये सुझाओं के बारे में कोई निर्णय लिया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में जनजातीय कल्याण के संबंध में अक्तूबर, 1980 को भुवनेश्वर में आयोजित किए गए अखिल भारतीय सम्मेलन के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को सीमेंट का विवरण

*476. श्री गुलाम रसूल कोचक :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को सीमेंट का वितरण उनकी मांग से बहुत कम है ;

(ख) यहि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने सीमेंट के आबंटन में उपयुक्य परिवर्तन किए हैं ;

(घ) यदि हां, तो किए जाने वाले मुख्य परिवर्तन क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने सर्वत्र उपभोक्ताओं को सीमेंट का उचित वितरण करने के लिए राज्यों को पर्याप्त अधिकार दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो उपभोक्ता इन परिवर्तनों से कितने लाभन्वित हुए हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (च) देश में सीमेंट की सामान्यतः कमी रही है तथा इससे देश में सीमेंट की समग्र मांग को पूरा कर पाना सम्भव नहीं हो पाया है। उत्पादन में गिरावट आने का प्रमुख कारण अवस्थापना सम्बन्धी निविष्टियों की कमी होना रहा है। वर्ष 1981 की चौथी तिमाही (अक्तूबर-दिसम्बर, 1981) से सरकार ने सीमेंट के वितरण के बारे के ग्रामीण क्षेत्रों की जनता, तथा योजना स्कीमों एवं गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिए आवास योजनाओं व हरिजनों, आदिवासियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों पर अधिक बल देने का निर्णय लिया है। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सीमेंट के वितरण को प्रभावी बनाने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं। आशा है कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सीमेंट का समान वितरण किया जाएगा।

अखबारी कागज की मांग

*477 : श्री मुकुन्द मण्डल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष के लिए अखबारी कागज की अनुमानित मांग कितनी है ;

(ख) चालू वर्ष के लिए कितने अखबारी कागज का आयात किया जायेगा ; और

(ग) चालू वर्ष में अखबारी कागज का देश में कितना उत्पादन होने की अनुमान था और अद्यतन वास्तविक उत्पादन कितना है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) चालू वर्ष 1980-81 के लिए 4.20 लाख मी०टन अखबारी कागज की आवश्यकता का मूलरूप से अनुमान लगाया गया था। किन्तु अनुमान की इस समय संवीक्षा की जा रही है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष (30 नवम्बर, 1981 तक) के दौरान 2,43,000 मी० टन अखबारी कागज का आयात किया गया।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में अखबारी कागज के अनुमानित 55,000 मी० टन देशी उत्पादन की तुलना में अप्रैल से नवम्बर, 1981 के दौरान 38,329 मी० टन उत्पादन हुआ।

सरकारी उपक्रमों के साथ गुड-इयर का सहयोग

*478. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने किसी ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति दी है जिसके अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम द्वारा निर्मित उत्पादकों के विपणन के प्रबन्ध के लिए गुड-इयर को तकनीकी सहयोग देने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दी गई स्वीकृति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इस प्रकार की व्यवस्था करना एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करना है ;

(घ) क्या सरकार क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन के लिये सरकार अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के इस प्रकार के प्रस्तावों की स्वीकृति देगी ; और

(ङ) क्या इस प्रकार के प्रस्तावों को स्वीकृति देने से लघु और अन्य स्वदेशी निर्माताओं के उत्पादकों के विपणन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकार मैं, एण्ड्यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता नाम एक सरकारी कम्पनी द्वारा पंखे और वी० पट्टे बनाने के लिए गुड-इयर (इण्डिया) लि० के साथ बिक्री एजेंसी-सह-तकनीकी जानकारी सम्बन्धी करार करने पर सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई है। कम्पनी को करार के शर्तों पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया गया है और करार के अन्तिम रूप को सरकार की स्वीकृति के लिए पेश करने को कहा गया है। इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) प्रस्ताविक व्यवस्था पर एकाधिकार और अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्ध लागू नहीं होते।

(घ) प्रस्तावों पर उत्पाद और उनके विपणन सम्बन्धी व्यवस्था के संदर्भ में विचार किया जाना है।

(ङ) जी, नहीं। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए इस प्रकार के विपणन संपर्क के प्रस्तावों पर सरकार द्वारा गुणा-गुण के आधार पर विचार किया जायेगा। सरकार विपणन सम्बन्धी स्थितियों में इसे एक एकाधिकार विरोधी प्रभावशाली उपाय समझती है।

दिल्ली में हरिजन परिवार को उजाड़ा जाना

5135. **श्री के० ए० राजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऊंची जाति के लोगों द्वारा 1ए/डी सावन पार्क (रेलवे चौक सं० 3) दिल्ली-110052 से एक हरिजन परिवार को उजाड़े जाने के बारे में दिनांक 30 अक्तूबर, 1981 को एक याचिका प्राप्त हुई थी;

(ख) क्या यह सच है कि 3 जून, 1979 को 8 बजे सुबह हरिजन निवासी तथा उसके परिवार के सदस्यों पर आक्रमण किया गया था और उनका सामान बाहर फैंक दिया गया था।

(ग) क्या पीडित परिवार स्थानीय पुलिस थाना, अशोक विहार गया था परन्तु उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई और उसके बजाए शिकायत करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया।

(घ) क्या सरकार ने इस मामले को जांच की है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार सावन पार्क में 3 जून, 1979 की घटना के सम्बन्ध में बहुत थोड़ी शिकायतें प्राप्त हुई थी। श्रीमती संतरा देवी पत्नी श्री सीताराम, निवासी 1 ए सावन पार्क के बयान दर्ज किये गए थे जिसमें आरोप था कि सावन पार्क में स्थित उसके घर को तोड़ा गया और सामान बाहर फेंक दिया। इस रिपोर्ट पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147/149/448 के अधीन पुलिस थाना अशोक विहार दिल्ली में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 288 दिनांक 3 जून, 1979 के तहज एक मामला दर्ज किया गया और वह न्यायाधीन है।

(ग) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 7 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया और इस मामले में श्री सीताराम को गिरफ्तार किया गया था। यह मामया भी न्यायाधीन है ।

(घ) और (ङ) सम्पूर्ण मामला न्यायाधीन है। जांच का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी को दिल्ली में छुरा मारा जाना

5136. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पूछताछ कार्यालय-विद्युत, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में काम करने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक कर्मचारी को 2 सितंबर, 1981 को शाम को ड्यूटी पर होते हुए छुरा मारा गया था और पुलिस थाना मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली के पास प्रथम सूचना प्रतिवेदन संख्या 306, दिनांक 2 सितम्बर 1981 दर्ज किया गया था ;

(ख) उनका नाम क्या है और इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या पुलिस अधिकारियों द्वारा मामले को दबाया जा रहा है हालांकि उस सहायक वायरमैन द्वारा जिसके साथ यह घटना हुई थी; इस षड्यंत्र में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों के नामों का भी उल्लेख किया गया था;

(घ) सहायक वायरमैन द्वारा किन अधिकारियों के नामों का उल्लेख किया गया था और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ; और

(ङ) क्या इस संबंध में भेजे गये दिनांक 31 अगस्त, 1981 के अभ्यावेदन पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आयुक्त के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) पीड़ित व्यक्ति का नाम श्री सन्तराम है और मामले की अभी जांच चल रही है ।

(ग) और (घ) : अपने व्यान में श्री सन्तराम ने बताया कि तीन लड़के मन्दिर मार्ग, सैक्टर "डी" के विद्युत पूछताछ कार्यालय में घुस गए जहां वह उस दिन ड्यूटी पर था और उस पर चाकू तथा कुज तेज धार वाले हथियारों से हमला कर दिया । उसको उन लड़कों की पहचान नहीं है । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324/34/353/332 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 306 दिनांक 2-9-81 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है जांच की जा रही है । पीडित को मेडिकल जांच से ज्ञात होता है कि उसके घाव साधारण किस्म के हैं । साथ ही श्री सन्तराम को श्री आर० एस० श्रीवास्तव, सब-डिविजनल अधिकारी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पर सन्देह है कि इस आक्रमण में उनका हाथ है क्योंकि समयोपरि भत्ते के मामले में उसको उनसे कहा सुनी हो गई थी । श्री श्रीवास्तव को जांच में शामिल किया गया था और पर्याप्त रूप से उनसे पूछताछ की गई थी परन्तु कोई उपयोगी सूचना नहीं मिल सकी । इस बात से इनकार किया गया है कि पुलिस प्राधिकारी इस मामले को दवा रहे हैं ।

(ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के कार्यालय ने सूचित गया है कि इस मामले में कार्रवाई करने के लिए यदि कोई हो तो आवेदक का नाम तथा आवेदन में लिखी गई बातें आयुक्त को भेजी जाएं ।

मूल्य अधिमान नीतियां

5137 : श्री एन० ई० होरो : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अपनी खरीददारी में सरकारी क्षेत्र के पक्ष में अपनाई गई मूल्य अधिमान नीतियों से लघु क्षेत्र को चोट पहुंची है,

(ख) यदि हां, तो क्या अखिल भारतीय निर्माता संगठनों द्वारा इस संबंध में सरकार को कोई ज्ञापन दिया गया है, और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और श्रम मंत्रालय (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं । सरकार की वर्तमान नीति यह है कि जहां पर भी सरकारी क्षेत्र के एकक तथा लघु क्षेत्र के एकक में कुछ वस्तुओं के लिए प्रतियोगिता होती है वहां लघु एकक को सरकारी क्षेत्र के एकक की तुलना में 5 प्रतिशत मूल्य अधिमान दिया जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निजी औद्योगिक संस्थाओं में उप सचिव और उससे ऊंचे अधिकारियों के बच्चों तथा रिश्तेदारों द्वारा नौकरी ग्रहण करने के लिए उनके द्वारा अनुमति लिया जाना

5138. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित दिनांक 16 नवम्बर, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "मन्डे डायरी" स्तम्भ के अन्तर्गत छपी खबर "एटहोम" की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार वर्गीकरण (नियंत्रण) और अपील नियम सरकारी कर्मचारी आचरण नियम में संशोधन करके वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य बनाने की वांछनीयता पर विचार करेगी कि वे निजी औद्योगिक संस्थाओं में अपने बच्चों तथा नजदीकी रिश्तेदारों को नौकरी दिलवाते समय सरकार की अनुमति प्राप्त करें;

(घ) उन उप सचिव के और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिसके बच्चे पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक संस्थाओं में नियुक्त किए गए हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) दिनांक 16-11-81 के इंडियन एक्सप्रेस में "मंडे डायरी" स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित "एट होम" शीर्षक से एक समाचार सरकार की जानकारी में आया है ।

(ग) आचरण नियमों में पहले ही से व्यवस्था है कि प्रथम श्रेणी का कोई अधिकारी अपने पुत्र, पुत्री या आश्रित को किसी ऐसी कंपनी या फर्म जिसके साथ उनका शासकीय व्यौहार हो अथवा किसी ऐसी कम्पनी या फर्म में, जिसका सरकार से शासरीय व्यौहार हो, नियोजन स्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं देगा । परन्तु जहां ऐसे नियोजन की स्वीकृति अत्यावश्यक समझी जाए तो वहां नियोजन सरकार की मंजूरी प्राप्त करने की शर्त पर केवल अन्तिम रूप में स्वीकार किया जा सकेगा ।

(घ) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वह ऐसी किसी सूचना का केन्द्रीय रूप में मानिटर नहीं करता है । आचरण नियमों के अधीन अनुमति देना या उसे अस्वीकार करना उस मंत्रालय या विभाग विशेष का कार्य है जिसके अधीन अधिकारी कार्य कर रहा है ।

(ङ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता है ।

दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के विरुद्ध याचिकादाताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिका ।

5139. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ग्रेड-1 अधिकारी (कार्यकारी) के याचिकादाता (ओ) के नाम क्या हैं जिन्होंने दिनांक 12 सितम्बर, 1973 के आदेश के विरुद्ध जिसके तहत दिल्ली, अण्डमान निकोबार सिविल सेवा के 19 अधिकारियों को नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है जैसा कि दिनांक 29 सितम्बर, 1973 के सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, रिट याचिका (ए) दायर की गई है (है);

(ख) उस सी० डब्ल्यू०/कार्यालय ज्ञापन की संख्या और तारीख क्या है जिसके तहत दिल्ली उच्च न्यायालय ने किसी अधिष्ठाई नियुक्ति करने से सरकार को रोकने का अन्तरिम आदेश पारित किया था;

(ग) क्या उच्च न्यायालय ने अपने अन्तरिम आदेश में दिनांक 29 सितम्बर, 1973 के सरकारी राजपत्र में पहले से अधिसूचित नियुक्ति को मसूख करने का कोई आदेश कभी पारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो; सी० डब्ल्यू०/कार्यालय ज्ञापन संख्या, याचिकादाता (ओ) के नाम और आदेश पारित करने की तारीख क्या है और क्या दिनांक 29 सितम्बर, 1973 के, भारत के राजपत्र में दिनांक 12 सितम्बर, 1973 के आदेश के प्रकाशन के बाद कोई राजपत्र अधिसूचना जारी की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली प्रशासन के ग्रेड-1 (कार्यकारी) अधिकारियों, सर्वश्री चन्द्रगुप्त और सुलतान सिंह-2 ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की थी, जिनमें अधिकारियों को दिल्ली, अण्डमान व निकोबार सिविल सेवा में पदोन्नति के लिए, चयन समिति को 24 अगस्त और 25 अगस्त को हुई बैठकों में उसके द्वारा किए गए सलैक्शन को इस आधार पर चुनौती दी है कि ग्रेड-1 (इ) में दिल्ली प्रशासन द्वारा उनकी वरीयता गलत निर्धारित की गई थी।

(ख) दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्री चन्द्रगुप्त द्वारा भारत संघ के खिलाफ सी० डब्ल्यू० सं० 1215/73 में दायर किए गए मामला संख्या 1877-डब्ल्यू०/73 में 11-10-73 के लिए नोटिस जारी करने तथा इस बीच स्थागन मंजूर करने के लिए 13-9-73 को एक आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच ने सी० डब्ल्यू० सं० 1215/73 में सी० एम० सं० 1877 डब्ल्यू/73 में 5-12 73 को आगे एक आदेश पारित किया, जिसमें यह निदेश दिया गया कि इस अर्थ में स्थायी तौर पर कोई नियुक्तियां न की जाए कि प्रत्येक ऐसी नियुक्ति की समीक्षा की जाएगी और यह न्यायालय के अंतिम आदेशों के तहत होगी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। परन्तु 13-9-73 को पारित स्थगन आदेश को देखते हुए, दिल्ली तथा अंडमान प्रशासनों को कहा गया कि पैनल को कार्यान्वित न किया जाए।

(घ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को वेखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा मस्जिदों के जीर्णोद्धार के लिए नई दिल्ली नगर पालिका से अनुमति प्राप्त करना

5140. **श्री अशफाक हुसैन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मस्जिदों के नाम क्या हैं। जिनकी मरम्मत जीर्णोद्धार के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने नई दिल्ली नगर पालिका से अनुमति मांगी थी और अब तक उनको अनुमति न देने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या जनपथ की मस्जिद की मरम्मत के लिए भी अनुमति मांगी गई थी: और

(ग) यदि हां, यह अनुरोध नई दिल्ली नगर पालिका कार्यालय में कब से लंबित है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने केवल एक मस्जिद अर्थात जो जनपथ होटल के सामने जनपथ पर स्थित हैं, की मरम्मत करने के लिए उसकी अनुमति मांगी थी। दिल्ली वक्फ बोर्ड से आवेदन पत्र जून, 1979 में प्राप्त हुआ था। नई दिल्ली नगर पालिका ने मामला आवास और निर्माण मंत्रालय को भेज दिया था, जिसने अब मस्जिद में आवश्यक मरम्मत करने की अनुमति देने का निर्णय कर लिया है। तदनुसार नई दिल्ली नगरपालिका ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से पहले वर्तमान मस्जिद की भवन योजना को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है जिसमें प्रस्तावित मरम्मत कार्य का वास्तविक विवरण दिखाया गया हो।

असम राइफल्स के केन्द्रीय पुलिस संगठन में कमाडेंट और उप-पुलिस महानिरीक्षक के पद

5141. **श्री विश्वनाथ शर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पुलिस संगठन, असम राइफल्स में कमाडेंट और उप-पुलिस महानिरीक्षक के कुल कितने पद हैं;

(ख) इनमें से इस समय कितने पदों पर असम राइफल्स के अधिकारी और कितने पदों पर सेना के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त है; और

(ग) यदि असम राइफल्स में उप-पुलिस महानिरीक्षक और कमाडेंट के पद पर असम राइफल्स का कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है; तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) असम राइफल्स में 26 पद कामडेंट के और 6 पद उप-पुलिस महानिरीक्षक के हैं। इस स्तर के पदों पर पारम्परिक रूप से प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेना के अधिकारी नियुक्त होते रहे हैं। केवल 1960 के अन्त में 100 से अधिक रिलीजड इमर्जेंसी कमीशण्ड अधिकारियों की बल में सहायक कमाडेन्ट के रूप में सीधी भर्ती की गई थी। ये अधिकारी कुछ को छोड़कर जो ग्रेड प्राप्त करने में असफल रहे इस समय उप कमाडेंट के अगले उच्च पद पर नियुक्त है। बल में कमाडेंट के पद पर नियुक्त किसी संवर्ग अधिकारी के अभाव में इस समय उप-पुलिस महानिरीक्षक के पद पर संवर्ग अधिकारियों की पदोन्नति का प्रश्न नहीं उठता।

अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन के प्रयास

5142. श्री आर० एन० राकेश : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन के अब तक क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने जैव रसायन में अनुसंधान के प्रोत्साहन देने की कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) कृषि अवशेषों, प्राणी अवशेषों मल आदि से ऊर्जा उत्पन्न करने के बहुत से कार्यक्रमों को हाथ में लिया गया है। सी० ए० एस० ई० जैव गैस प्रौद्योगिकी पर एक अखिल भारतीय परियोजना का समन्वय कर रहा है और साथ ही कई प्रायोगिक-व-प्रदर्शन सामुदायिक आकार के जैव गैस संयंत्रों की स्थापना कर रहा है। कचरा गैस संयंत्र के विकास पर एक परियोजना को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में कार्यान्वित किया जा रहा है। "अवशेष" से ऊर्जा उत्पादन सम्बन्धित अधिकांश स्कीमें किसी ने किसी तरह से जैव रासायनिक अध्ययनों और जैव रूपांतरण प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। एन० ई० ई० आर० आई०, नागपुर; महाराष्ट्र विज्ञान सम्वर्द्धन संघ, पुणे जैसी संस्थाओं में गोबर, मल, जल, कुमुदिनी, कृषि अपशिष्ट आदि से मीथेन के उत्पादन को सूक्ष्म जीव-वैज्ञानिक अध्ययनों पर विशेष बल दिया जा रहा है। आई० आई० टी०, दिल्ली के जीव-रासायनिक इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र से मीथेन से मीथानोल के और कृषि अपशिष्टों से इथानोल के सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक उत्पादन के लिए परियोजनाएं चलाई जा रही है। लिग्नो सैल्यूलोज़ी अपशिष्टों को इथानोल और अन्य रसायनों में परिवर्तित करने के लिए एकीकृत प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना करने के लिए प्रांशिक अध्ययन भी किये जा रहे हैं।

क्लोराइड इंडिया लि० नई दिल्ली की ओर कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि

5143. श्री निहाल सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्लोराइड इंडिया लि०, नई दिल्ली की कुल कितनी शाखाएं हैं और मासिक और दैनिक मजूरी आधार पर वहां कितने कर्मचारी कार्य करते हैं; और

(ख) उक्त कम्पनी की ओर पिछले तीन वर्षों से कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि की कितनी राशि बकाया है और इस राशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मैसर्स क्लोराइड इंडिया लिमिटेड का कलकत्ता में मुख्यालय है और केवल दिल्ली में

शाखा कार्यालय है । यह सूचित किया गया है कि दिल्ली के शाखा कार्यालय में 24 कर्मचारी काम कर रहे हैं । मासिक और दैनिक मजदूरी के आधार पर नियोजित कर्मचारियों का रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है ।

(ख) स्थिति निम्न प्रकार है :

कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि

नियोजक ने सितम्बर, 1981 तक देय अंशदानों को जमा करा दिया है और कोई राशि बकाया नहीं है ।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

टिस्कों द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन

5144. **श्री ए० के० राय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के राज्य श्रम विभाग से 1981 के प्रथम छः माही में टिस्कों द्वारा ठेका श्रम कानूनों की ओर उपेक्षा के विषय में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि इस वर्ष लगभग 8000 ठेका मजदूर बेकार हो गए हैं जिनमें से अधिकांश मजदूर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं जबकि इन्हें अन्यत्र खपाने के लिए 1979 का एक समझौता मौजूद था; और

(ग) यदि हां, तो क्या श्रम मंत्रालय सरकार के माध्यम से इस मामले को उठाएगा और वह सुनिश्चित करेगा कि आदिवासी मजदूरों की इस भारी संख्या को काम पर वापस लिया जाए?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जमशेदपुर के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजित ठेका श्रमिकों की समस्याओं पर 7-8-1979 को श्रमायुक्त, बिहार के समक्ष एक त्रिपक्षीय बैठक में विभिन्न प्रबन्धतंत्रों और मजदूर संघों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया था, जहां अन्य बातों के साथ-साथ यह भी तय हुआ कि जहां ठेका श्रमिक स्थायी तथा बारहमासी स्वरूप के कार्य कर रहे हैं, वहां इस प्रकार के श्रमिकों को उन नौकरियों पर पक्का कर दिया जाना चाहिए । बिहार सरकार ने सूचना दी थी कि बाद में "टिस्को" के प्रबन्धतंत्र ने नीचे दिए गए कारणों से इन निर्णयों को लागू कर सकने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी :—

(i) स्थायी और बारहमासी स्वरूप के कार्यों में ठेका श्रम का उन्मूलन करने के बारे में इस्पात उद्योग संबंधी राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार समिति विचार-विमर्श कर रही है।

(ii) कम्पनी के वर्क्स स्टैंडिंग आर्डर्स में अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के रोजगारों के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की हुई हैं और यदि उनका पालन नहीं किया जाता,

तो यह उन स्थायी आदेशों (स्टैंडिंग आर्डर्स) का उल्लंघन होगा तथा इससे उन श्रमिकों के हितों पर भी कुप्रभाव पड़ेगा जो भर्ती के मामले में प्राथमिकता प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

राज्य सरकार ने सूचित किया था कि टिस्को में जो हड़ताल 11 फरवरी, 1981 को शुरू हुई थी, उसका लगभग पांच हजार ठेका श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (टिस्को), जमशेदपुर के संबंध में ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम की धारा 2(1)(क) और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(क) के अधीन संबंधित सरकार, बिहार सरकार है। इसलिए, उक्त एकक के ठेका श्रम प्रणाली के विनियमन / उन्मूलन की जिम्मेदारी तथा उससे पैदा होने वाले औद्योगिक विवाद की रोकथाम। हल करने की जिम्मेदारी उक्त सरकार की हैं। चूंकि यह मामला स्पष्टत: राज्य क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए केन्द्रीय सरकार ज्यादा से ज्यादा इस एकक के प्रबन्धतंत्र और श्रमिकों के बीच औद्योगिक शान्ति और सांमजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के विचार से सलाहकार की भूमिका अदा कर सकती है।

इस समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार ने 27-2-81 को अपने राज्य सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड की एक बैठक बुलाई भी ताकि इन समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जा सके और उस बोर्ड की सलाह के आधार पर आगे कार्यवाही की जा सके। उक्त बोर्ड ने अपनी बैठक में यह सिफारिश की कि 7-8-79 की त्रिपक्षीय बैठक में जो निर्णय लिए गए थे तथा जिनका जिक्र इससे पूर्व किया जा चुका है, उन्हें लागू किया जाए। बोर्ड ने सरकार को यह सलाह दी कि वह टिस्को के प्रबन्धतंत्र तथा मान्यता प्राप्त मजदूर संघ के प्रतिनिधियों को विचार-विमर्श के लिए बुलाए। बोर्ड ने यह भी सलाह दी कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अधीन स्थायी और बारहमासी स्वरूप की कतिपय नौकरियों में ठेका श्रमिकों को नियोजित न किया जाए। संबंधित मजदूर संघों को भी बोर्ड ने यह सलाह दी कि वे अपनी हड़ताल वापस ले लें।

इस मंत्रालय में उपलब्ध नवीनतम सूचना के अनुसार, ठेका श्रमिकों द्वारा 11-2-1981 को तथा 11-2-81 से शुरू की गई हड़ताल तथा आन्दोलन समाप्त हो चुके हैं और टिस्को के संयत्र का काम अब सामान्य रूपेण चल रहा है। अपनी मान्यता प्राप्त मजदूर यूनियन अर्थात् टाटा वर्क्स यूनियन (इन्टक) के साथ मशविरा करते हुए बारहमासी कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के क्रमिक उन्मूलन के लिए प्रबन्धतंत्र कार्यवाही कर रहा है।

पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में कर योग्य मूल्य पर आपत्तियों से संबंधित मामलों का दिल्ली नगर निगम द्वारा निपटारा

5145. श्री दिगम्बर सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ने कर निर्धारण वर्ष 1982-83 के लिए निर्धारित कर योग्य मूल्य पर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जो कि 25 नवम्बर, 1981 के "टाइम्स आफ इंडिया", नई दिल्ली में प्रकाशित हुई थी;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम के पश्चिम तथा दक्षिण क्षेत्रों के अभी ऐसे सैकड़ों मामलों को निपटाना है जिन पर चालू वर्ष के कर निर्धारण में आपत्तियां उठाई गई थी; यदि हां, तो इन दोनों क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे कितने मामले हैं;

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं तथा क्या इन मामलों में कर निर्धारण संबंधी आदेशों के पारित होने के अभाव में करदाता वर्ष 1982-83 के लिए निर्धारित तक आपत्ति उठाने में असमर्थ नहीं होगा;

(घ) क्या इन विचाराधीन मामलों को निपटाने के लिए कोई तारीख निर्धारित करने का प्रस्ताव है, और करदाताओं को 31 दिसम्बर, 1981 तक अपनी आपत्तियां दर्ज कराने को कहा गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि यद्यपि सभी आपत्तियों को निपटा दिया गया है, तथापि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 124(4) के अधीन वर्ष 1981-82 को कुछ आपत्तियों को इस टिप्पणी के साथ निपटाया गया है कि कथित अधिनियम की धारा 126 के अधीन लम्बित प्रस्तावों के साथ इन पर विचार किया जाएगा । किन्तु निगम द्वारा ऐसे मामलों का ब्यौरा नहीं रखा जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) नगर निगम के अनुसार कोई अन्य कदम उठाने की आवश्यकता नहीं होती है ।

स्कूटरों की चोरी

5146. **श्री कमल नाथ :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, और 31 दिसम्बर, 1980 की अवधि के बीच दिल्ली के विभिन्न थानों में थानावार दर्ज किए गए स्कूटरों की चोरी के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) चोरी गई गाड़ियों के मालिकों का ब्यौरा, इन गाड़ियों के चैसिस की रजिस्ट्रेशन संख्या तथा इन गाड़ियों का इंजन नम्बर क्या हैं ?

(ग) कितनी गाड़ियों का पता लगाया जा चुका है तथा उन्हें उनके मालिकों को सौंप दिया गया है तथा इनका किस तारीख को पता लगाया गया और किस तारीख को इन्हें मालिकों को सौंपा गया; और

(घ) इस समय विभिन्न थानों में, थानावर पड़े स्कूटरों का ब्यौरा क्या है, तथा इनका किस तारीख को पता लगाया गया और उन्हें उनके मालिकों को सौंपने के लिए क्या प्रयत्न किए गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मवकाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएंगी।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर द्वारा विम की बिक्री

5147. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में प्रक्षालक सामग्री (स्कोरर्स) उद्योग ने बड़ी शीघ्रता से प्रगति की है;

(ख) क्या प्रक्षालकों (स्कारर्स) के उत्पादन के लिए कच्चा माल और रसायन आमतौर पर उपलब्ध है;

(ग) क्या बड़े पैमाने के उद्योग विशेष रूप से विदेशी सहायक कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का, अपनी अन्तर्राष्ट्रीय शाखा—विम के माध्यम से प्रक्षालक (स्कोरर्स) के उत्पादन और बिक्री पर प्रभुत्व है;

(घ) क्या कुछ समय पहले संसद् सदस्य को यह आश्वासन दिया गया था कि यदि आवश्यक हुआ तो सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में संशोधन करके हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा किए जा रहे प्रक्षालक (स्कोरर्स) के उत्पादन को विनियमित किया जायेगा;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सफाई पाउडर (स्कोरर्स) के उत्पादन आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) चूंकि सफाई पाउडर की गणना एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के वस्तुओं संबंधी वर्गीकरण के अन्तर्गत एक वस्तु के रूप में अलग से नहीं की जाती है अतः इस बारे में हिन्दुस्तान लीवर लि० की प्रमुख स्थिति का निर्धारण कर पाना संभव नहीं है।

(घ) से (च) चूंकि सफाई पाउडर (स्कोरर्स) का उत्पादन उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की सीमा से बाहर आता है, अतः इस अधिनियम के उपबंध के अन्तर्गत क्षमता को विनियमित करना संभव नहीं है।

उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना करना

5148. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किस प्रकार के उद्योगों को शुरू किये जाने का विचार है और उड़ीसा में नये लघु उद्योगों शुरू करने के लिए आदिवासियों, हरिजनों और समाज के कमजोर वर्गों को आकर्षित करने के लिए जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : उड़ीसा में सभी 13 जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा बनाई गई कार्रवाई योजना में कृषि उत्पादों, वन उत्पादों, पशु पालन, रसायनों, अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) वस्त्र, कांच, चीनी, मिट्टी और निर्माण सामग्री पर आधारित उद्योगों के विकास की परिकल्पना की गई है।

जनजातियों हरिजनों और समाज के कमजोर वर्गों को लघु उद्योगों को शुरू करने के लिए आकर्षित करने हेतु उन्हें जानकारी देने शिक्षित करने और प्रोत्साहित करने के लिये लघु उद्योग सेवा संस्थानों तथा जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा सम्मिलित रूप से गहन अभियान चलाए गए है। परियोजना रूपरेखा और संभाव्यता रिपोर्ट आदि तैयार करने के अतिरिक्त सामूहिक चर्चाओं, संगोष्ठियों का आयोजन व पुस्तिकाओं और वितरणियों (प्रोशर) का वितरण भी किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश राजसहायता

5149. श्री संतोष मोहन देव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोतर क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश राजसहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य द्वारा पृथक-पृथक मांगी गई तथा दी गई केन्द्रीय निवेश राजसहायता की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस क्षेत्र की कई राज्य सरकारों ने केन्द्रीय निवेश राज सहायता का उपयोग नहीं किया; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अंतर्गत, चुने हुए पिछडे क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक एकक कुल अचल पूंजीगत निवेश के 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम 15 लाख रुपये की राजसहायता पाने के पात्र हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के संबंध में राज सहायता 1-3-1981 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई जिसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होगी। अधिसूचित औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों/ जिलों की सूची संसद् भवन के पुस्तकालय में रखी जा चुकी है।

पिछले तीन वर्ष और 1981-81 (नवम्बर 81) में पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य सरकारों/ संघशासित प्रदेशों को प्रतिपूर्ति की गई केन्द्रीय निवेश राज सहायता तथा परिवहन सहायता की राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) माल ले जाने का लम्बा मार्ग होने के कारण।

विवरण

राज्य/संघशासित प्रदेश	1978-79		1979-80		1980-81		1981-82	(नवम्बर, 1981)
	केन्द्रीय निवेश राजसहायता	परिवहन राज-सहायता	केन्द्रीय निवेश	परिवहन राज-सहायता	केन्द्रीय निवेश	परिवहन राज-सहायता	केन्द्रीय निवेश राजसहायता	परिवहन राजसहायता
असम	56.1	0.14	13.63	—	2.10	17.54	15.91	2.92
मणिपुर	—	—	5.99	—	—	—	16.19	—
मेघालय	—	—	0.19	—	—	—	—	—
नागालैण्ड	—	—	14.96	—	—	—	—	—
त्रिपुरा	14.05	—	5.20	—	—	—	1.72	—
अरुणाचल प्रदेश	—	—	0.25	—	3.33	—	0.48	6.36
मिजोरम	—	—	—	—	—	—	15.27	—

हिमालय कार रैली पर पत्थर फैंका जाना

5150. आचार्य भगवान देव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर हिमालय कार रैली में भाग लेने वाली कारों पर नवम्बर, 1981 में पत्थर फैंके गये थे और पत्थर फैंकने वाले व्यक्ति कौन थे;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है;

(ग) पत्थर फैंके जाने के फलस्वरूप कितना नुकसान हुआ; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अमृतसर हवाई अड्डे पर अफगान नागरिकों का संकटग्रस्त होना

5151. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या गृह मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के लिए बैंघ बीसा धारी कितने अफगान नागरिकों को जो इस समय अमृतसर हवाई अड्डे पर संकटग्रस्त हैं उस सरकार ने उतरने की आज्ञा प्रदान नहीं की; और

(ख) सरकार का विचार इस स्थिति को किस प्रकार निपटाने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ऐसे कोई अफगान नागरिक अमृतसर हवाई अड्डे पर संकटग्रस्त नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

त्रीनगर, दिल्ली की पुलिस में भ्रष्टाचार

5152. श्री कृष्ण चन्द पाण्डे :

श्री हीरालाल आर० परमार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान त्रीनगर, दिल्ली की पुलिस को शिकायत के बारे में दिनांक 21 नवम्बर, 1981 के "सांध्य टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) चूंकि पुलिस द्वारा गंभीर किस्म की रिपटों को दर्ज नहीं किया गया था, क्या इसके लिये इस क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा प्रदर्शन तथा हड़ताल की गई थी;

(ग) क्या इस क्षेत्र की पुलिस ने ऐसे कुछ लोगों के विरुद्ध जिन्हें "जीत होटल" के मालिक और उसके साथियों के हाथों गम्भीर चोटें आई थी। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 208 के अन्तर्गत एक मामला भी दर्ज किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में न्याय सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) व्यापारियों का एक शिष्टमंडल स्थानीय पुलिस अधिकारियों से मिला और थाना लारेंस रोड़ में भारतीय दंड संहिता की धारा 457/380 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 291 दिनांक 21-11-1981 के तहत दर्ज किये गये एक मामले में कार्रवाई करने की मांग की । उन्होंने यह भी मांग की कि उस क्षेत्र में गश्त तेज की जाए । पुलिस अधिकारियों ने उन्हें तुरन्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया । क्षेत्र में पुलिस गश्त तेज कर दी गई है और उल्लिखित मामले का पता लगाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) 4-11-1981 को दो व्यक्ति सुरेश और जीत सिंह जीत होटल के मालिक को घायल अवस्था में पाया गया था । उनको जयप्रकाश नारायण अस्पताल पहुंचाया गया जहां उन्हें बयान देने के लिए असमर्थ घोषित किया गया । भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 274 दिनांक 5-11-1981 को लारेंस रोड़ पुलिस थाने में श्री लेख राज के बयान पर सुरेश तथा अन्य के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है । श्री सुरेश द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325/374 के अधीन जीत सिंह तथा उसके नौकर के विरुद्ध एक अन्य मामला दर्ज किया गया है । दोनों मामलों की जांच की जा रही है और जांच का कार्य उत्तरी जिला पुलिस के सतर्कता शाखा को स्थानान्तरित किया गया है ।

शांति पूर्ण प्रयोजनों के लिये परमाणु ऊर्जा का प्रयोग

5153. श्री के० मालन्ना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिये परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में हमारे प्रयासों की नवीनतम स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस बारे में नवीनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के बारे में किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक, इलैक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) वाणिज्यिक स्तर पर तथा शान्तिमय प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली पैदा करने के अलावा फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टरों, कृषि, आयुर्विज्ञान तथा उद्योगों में करने की दशा में काफ़ी प्रगति की गई है । प्रगति के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं :—

I. विद्युत

देश में परमाणु ऊर्जा को बिजली पैदा करने के काम में लाया गया है और परमाणु बिजलीघरों की वर्तमान स्थापित क्षमता 860 मेगावाट है ।

II. कृषि

(i) विभिन्न प्रकार की रेशे वाली फसलों, अनाजों, दालों आदि के नए उत्परिवर्ती तैयार करना ।

(ii) विकिरण की विधियों से कुछ जातियों के नाशक जीवों का बंध्यीकरण ।

III. आयुर्विज्ञान

(i) निदान और चिकित्सा की ऐसी विशेष विधियां, जिनमें रेडियोआइसोटोप काम में आते हैं ।

(ii) डाक्टरी कामकाज में काम आने वाले सामान को विकिरण की सहायता से रोगाणुरहित बनाना ।

IV. उद्योग

(i) उद्योगों में रेडियोआइसोटोपों का उपयोग ।

(ii) निरीक्षण की विधियां तथा विकिरण पर आधारित अन्य प्रक्रियाएं ।

सरकार के पास उपलब्ध साधनों की सीमा में रहते हुए, इस बात का भरसक प्रयास किया जाता है कि परमाणु ऊर्जा के शान्तिमय उपयोग के प्रत्येक पक्ष पर अनुसंधान और विकास-कार्य किए जाएं और देश को आधुनिकतम प्रगति अवगत रखा जाए ।

दिल्ली की किराया नियंत्रण अदालतों में लम्बित मामले

5154. श्री आर० आर० भोले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की किराया नियंत्रण अदालतों में भारी संख्या में मामले लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पृथक-पृथक रूप से इन अदालतों में कितने मामले लम्बित हैं;

(ग) दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1981 की अवधि के दौरान पृथक-पृथक रूप से इन अदालतों के मामलों में किसी वृद्धि और हो गई है और इस अवधि के दौरान कितने मामलों की अन्तिम रूप से निपटारा हो गया है;

(घ) दिनांक 1 जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1981 तक की अवधि के दौरान इन अदालतों में कितनी बार जजों का स्थानान्तरण हुआ है;

(ङ) क्या यह सच है कि जजों का बार-बार स्थानान्तरण किया जाना भी भारी संख्या में लम्बित पड़े मामलों के लिये आंशिक रूप से जिम्मेदार है; और

(च) जजों के इस बार-बार स्थानान्तरण को रोकने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में सहायक नाले का निर्माण

5155. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक सहायक नाले के निर्माण का प्रस्ताव योजना आयोग के पास स्वीकृति के लिए पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) नवीनतम अनुमान के अनुसार कितनी धनराशि खर्च होगी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग की स्वीकृति 2507 लाख रु० की अनुमानित लागत के लिए दिनांक 23 नवम्बर, 1981 के पत्र द्वारा जारी की गई है।

मजदूर नेताओं की विदेश यात्रा

5157. श्री दयाराम शाक्य : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1981 से 30 सितम्बर, 1981 तक किसी सम्मेलन, गोष्ठी, अभिसमय बैठक/अध्ययन दौरा आदि से भाग लेने/देश का प्रतिनिधित्व करने/अपने संबंधित मजदूर संगठन का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुल कितने मजदूर नेताओं के प्रतिनिधि विदेश गए; और

(ख) उनका किस केन्द्रीय श्रम संगठन से संबंध है अर्थात् संगठन वार उनकी कुल संख्या क्या है और इस विदेश यात्राओं और दौरों के कारण भारत सरकार को कुल कितना खर्च करना पड़ा है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए विचाराधीन आवेदन पत्र

5158. श्री दोलत सिंह जी जदेजा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का अनुमोदन किये जाने हेतु सरकार के पास कोई आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उसके क्या कारण हैं और वे कब से विचाराधीन पड़े हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अग्रिम प्रतिलिपि के रूप में गृह मंत्रालय में प्राप्त कोई आवेदन प्रारम्भिक जांच के लिए विचाराधीन नहीं पड़ा है। संबंधित राज्य सरकारों से, जो प्राप्त आवेदनों के आधार पर दावों की संवीक्षा करते हैं, सत्यापन और पेंशन के लिए पात्रता की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही पेंशन स्वीकृत की जाती हैं।

(ख) 1,41,126 आवेदन पत्र राज्य सत्यापन रिपोर्ट/या आवेदक से अपेक्षित सूचना के अभाव में अंतिम तिर्णय लिये जाने के लिए पड़े हैं। पूर्ण सत्यापित सूचना उपलब्ध होने पर इन मामलों में अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है।

बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा नये क्षेत्रों में प्रवेश

5159. श्री पीयूषा तिरकी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े औद्योगिक गृहों को वृद्ध नये क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति देने की दृष्टि से 173वें संकल्प के अनुलग्नक (एपेंडिक्स) एक की परिभाषा को विस्तृत करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो परिभाषा को विस्तृत बनाने के प्रस्ताव के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ग) बड़े औद्योगिक गृहों को कौन-कौन से नये क्षेत्र दिये जाने की संभावना है;

(घ) बड़े औद्योगिक गृहों के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछड़े क्षेत्रों की ओर बड़े ओर बड़े औद्योगिक गृहों को आकर्षित करने के लिये नई समग्र नीति का ब्यौरा क्या है; और

(च) उत्तरी बंगाल के पांच पिछड़े जिलों में उद्योगों के विकास की क्या योजना है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) सरकार दिनांक 2 फरवरी, 1973 के प्रेस नोट के अनुबंध-I की प्रविष्टियों की जांच कर रही है और ज्यों ही अंतिम निर्णय लिया जायेगा। जांच के परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी।

(ङ) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीति है। कार्यक्रम के अंतर्गत दिये जाने वाले प्रोत्साहनों के विषय में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(च) पिछड़े क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल में निम्नलिखित 13 जिलों को विकास के लिये चुना गया है :—

बांकुरा, बीरभूम, बर्दवान, कूच बिहार, दार्जिलिंग, हुगली, जलपाईगुड़ी, मार्दा, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, नादिया, पुरूलिया और पश्चिम दीनाजपुर सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये 30 रियायतों और सुविधाओं की भी घोषणा की है जैसे केन्द्रीय निवेश राजसहायता, रियायती वित्त, कम ब्याज दरों पर बीज/सीमांत धन, अचल पूंजी निवेश पर सीधी राजसहायता, आयकर में राहतें, लघु उद्योग एककों द्वारा मशीनों की किराया खरीद के लिये अधिमान देना, परामर्श व्यवस्था और ब्याज राजसहायता आदि आदि। जलपाईगुड़ी और बांकुरा जिले कन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के लिये भी चुने गए हैं।

विम के अत्यधिक मूल्य

5160. **श्री अजीत बाग** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफाई करने वाले पाउडरों के निर्माण को "लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित" मदों में सम्मिलित न किए जाने के क्या कारण है;

(ख) यूनी लीवर, ब्रिटेन की एक सहयोगी कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर को विम का, जो संगमरमर पाऊडर, सोडा एश और सामान्य डिटरजेण्ड कम्पाउण्डों पर आधारित है और जिसमें किसी विशेष प्राद्योगिकी का प्रयोग नहीं होता है, असीमित उत्पादन करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या "विम" की बिक्री से प्राप्त की जा रही अत्याधिक राशि में से अधिकांश विदेशी मुद्रा में लाभांश के रूप में यूनी लीवर ब्रिटेन को भेज दी जाती है, जिससे बचा जा सकता है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सफाई करने वाले पाउडरों का उत्पादन उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतएव इस कानून के प्रावधानों के अधीन क्षमताओं का विनियमन संभव नहीं है। "विम" की बिक्री पर भी कोई कीमत नियंत्रण नहीं है। विदेश मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन एक विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम कंपनी अपने वे सभी क्रियाकलाप जारी रखने की हकदार है जो कि वह विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रभावी होने के समय पर अर्थात् 1-1-1974 को कर रही थी और भारतीय कंपनी में लगाई हुई अपनी ईक्विटी के लाभ भेजने का हकदार है।

शिशु कल्याण कार्यक्रम

5161. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिशु कल्याण कार्यक्रम के संबंध में योजना आयोग ने कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य बाते क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी चव्हाण) : (क) से (ग) योजना आयोग ने बाल कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना के संबंध में एक मूल्यांकन अध्ययन किया है। अंतिम रिपोर्ट पर विचार हो रहा है।

जलपाईगुड़ी में भविष्य निधि उप-क्षेत्रीय कार्यालय का खोला जाना

5162. **श्री सुबोध सेन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलपाईगुड़ी (पश्चिमी बंगाल) में उप-क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय खोलने का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है; और

(ख) इसके बारे में निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नई इकाइयां लगाने के लिए गुजरात से प्राप्त आवेदन

5163. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने पिछले एक वर्ष गुजरात से आशय-पत्रों या लाइसेंसों के लिए प्राप्त कितने आवेदन-पत्र अस्वीकार किए और वे किन-किन वस्तुओं के निर्माण से सम्बद्ध थे;

(ख) गुजरात से आशय-पत्रों/लाइसेंसों के लिए प्राप्त कितने आवेदन-पत्र भारत सरकार के पास लम्बित है;

(ग) ये आवेदन-पत्र कब से लम्बित हैं; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) गुजरात में उद्योग स्थापित करने के लिए दिसम्बर, 1980 से नवम्बर, 1981 की अवधि में औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति हेतु प्राप्त 218 आवेदनों में से 76 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं । उत्पादन की वस्तुओं में सीमेन्ट और सीमेन्ट उत्पाद, कागज और कागज उत्पाद, विभिन्न लौह व अलौह उत्पाद विद्युत उपकरण; वाणिज्यिक वाहन, सल्फुरिक एसिड, कास्टिक सोडा व क्लोरिन, सोडा एश तथा विभिन्न कार्बनिक/अकार्बनिक रसायन आदि शामिल हैं ।

(ख) और (ग) गुजरात में उद्योग स्थापित करने सम्बन्धी 101 आवेदन विचार-विमर्श की विभिन्न अवस्थाओं में है । इनमें से, वर्ष 1979 में 1 आवेदन, वर्ष 1980 में 15 आवेदन तथा वर्ष 1981 (30-11-1981 तक) में 85 आवेदन प्राप्त हुए थे ।

(घ) निलम्बित पड़े आवेदनों में से 15 आवेदन वनस्पति के उत्पादन के लिए हैं । चूंकि वनस्पति के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने सम्बन्धी प्रश्न निर्णयाधीन था, अतः इन आवेदनों को निपटाया नहीं जा सका । इसके अलावा, 34 आवेदन अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं । निलम्बित आवेदनों को यथाशीघ्र निपटाने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं ।

छठी योजना की परियोजनाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों का जुटाया जाना

5164. **श्री भीकू राम जैन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न क्षेत्रों के लिए निर्धारित परियोजनाओं हेतु प्रत्येक क्षेत्र (केन्द्रीय राज्य, सरकारी क्षेत्र आदि) किस सीमा तक संसाधन जुटाने/उत्पन्न करने में समर्थ है; और

(ख) यदि कोई कमी रह गई है, तो उसके क्या कारण हैं और क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) 1980-81 और 1981-82 की वार्षिक योजनाओं की वित्त-व्यवस्था करने के लिए विभिन्न क्षेत्रकों (केन्द्रीय, राज्य, सरकारी क्षेत्रक आदि), का वर्ष 1980-81 में वास्तविक अंशदान और वर्ष 1981-82 में संभावित अंशदान अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि संसाधनों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारें, जिनमें उनके उद्यम भी शामिल हैं, संगत उपादानों को ध्यान में रखते हुए योजना के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपाय करते हैं।

पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों की वृद्धि

5165 : श्री चिग्वांग कोनयक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी क्षेत्र में उद्यमों की वृद्धि के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा सरकारी क्षेत्र की अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा कितनी सहायता दी गई; और

(ख) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने क्रमशः 60, 224 और 50 उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए (1) सेवियर इन्स्टीयूट आफ सोशल सर्विस, रांची, (2) सैल्फ —एम्पलायमेंट आरिऐंटेड मल्टीपरपज ट्रेनिंग सेंटर, कलकत्ता, तथा (3) भारतीय निवेश केन्द्र, कलकत्ता द्वारा चलाए गए उद्यमीयता विकास कार्यक्रम (ई० टी० पी०) की (2.33 लाख रु०) लागत का 50 प्रतिशत भाग राजसहायता के रूप में दिया है।

उड़ीसा में भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इसी प्रकार से राज्य सरकार के सहयोग से उद्यमीयता विकास कार्यक्रम को जिसमें 986 उद्यमी शामिल किए गए हैं, चलाने हेतु उड़ीसा इण्डस्ट्रियल एण्ड टैक्नीकल कन्सलटेंसी आर्गेनाइजेशन को 55,000 रु० की राशि स्वीकृत की है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पूर्वी क्षेत्र में 5 उद्यमीयता मार्गदर्शन ब्यूरों का अभिग्रहण करने पर सहमत हो गया है। इसने बिहार चैम्बर्स आफ कॉमर्स, राज्य सरकार और राज्य स्तर से संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित बिहार उद्यमीयता विकास संस्थान को 50,000 रु० के वार्षिक अनुदान की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इसके अलावा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आई० सी० आई० सी० आई० और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) असम बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में एक-एक औद्योगिक और तकनीकी परामर्शदायी संगठन की स्थापना करने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं।

तकनीकी परामर्शदायी संगठन लघु उद्यमियों के लाभ के लिए परियोजना आयोजन, तथा उद्यमीयता विकास कार्यक्रम चलाने से संबन्धित सभी मामलों में परामर्शदायी सेवाऐं करती प्रदान हैं। जब भी आवश्यकता होगी, परामर्श और उद्यमीयता विकास के लिए इन प्रयासों को समय-समय पर सुदृढ़ बनाया जाएगा।

बिहार में कुछ जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना

5166. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार राज्य सरकार को भेजे गये अपने अ० शा० पत्र सं० 12016/17/81 एस० सी० ए०ड० बी० सी० डी० 4 तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य सरकारों को भेजे गये अन्य पत्रों में बनफर, बारी, केवट, मल्लाह, मुरयारी, चाई, विण्ड, बमपार, निषाद, कहार आदि जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सूची में शामिल करने के बारे में उन राज्यों को राय मांगी गई है, और क्या सरकार को इस संबंध में कोई उत्तर प्राप्त हुए है;

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये जातियां भी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समान ही पिछड़ी हुई है, सरकार का विचार उपरोक्त जातियों को भी उक्त सूची में शामिल करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क)बिहार में, बनफर, बारी, केवट, मल्लाह, मुरयारी, चाई, बिग्ड, बमपर इत्यादि जैसे कुछ समुदायों को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं/संघों आदि द्वारा दिए गए सुझाओं पर बिहार सरकार से टिप्पणी देने का अनुरोध किया गया था। इसी तरह अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सम्बन्धित सुझावों और सिफारिशों पर उनके विचार मागें गए थे। कुछ राज्यों से उत्तर प्राप्त हो गए हैं।

(ख) और (ग) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को वर्तमान सूचियों में संशोधन करने के लिए संसद् में विधायन लाना आवश्यक है। बिहार सहित संबन्धित राज्य सरकारों और भारत के महापंजीकार के परामर्श से और निम्नलिखित संबंधित मानदण्डों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियों में प्रस्तावित विस्तृत पुनरीक्षण के संदर्भ में उपयुक्त सुझायों और सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में अन्य सुझावों और सिफारिशों पर उचित विचार किया जा रहा है :—

अनुसूचित जाति

छुआछूत की परम्परागत प्रथा से उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन।

अनुसूचित जनजाति

विशेष आदिम-जनजाति, विशेष संस्कृति, भौगोलिक अलगावों, विस्तृत रूप से अनुदाय के सम्पर्क में उदासीनता के लक्षण और पिछड़ापन ।

रेलवे पुलिस बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल और दिल्ली पुलिस को राशन राशि का भुगतान

5167. श्री राम जेठमलानी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (i) रेलवे पुलिस बल, (ii) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, तथा (iii) सीमा सुरक्षा बल को प्रति माह किस दर से राशन राशि का भुगतान किया जाता है ;

(ख) दिल्ली पुलिस को किस रूप में इस राशन, राजसहायता का भुगतान किया जाता है, और उसकी दर क्या है; और

(ग) पुलिसमैन से कितने घंटे ड्यूटी पर तैनात रहने की अपेक्षा की जाती है तथा कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में यदि समयोपरि पर काम करना पड़े तो उसके लिए किस दर से उन्हें भुगतान किया जाता है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल के अराजपत्रिक कर्मचारी अर्हकारी क्षेत्रों में 100 रुपये प्रतिमाह और गैर-अर्हकारी क्षेत्रों में 78 रुपये प्रतिमाह को राशन सम्बन्धी सहायता के हकदार है । सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारी राशन सम्बन्धी सहायता के हकदार नहीं हैं । रेलवे सुरक्षा बल के अराजपत्रित कर्मचारी अक्तूबर, 1981 से 50 रुपये माहवार राशन भत्ते के हकदार हैं ।

(ख) दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को राशन सम्बन्धी सहायता स्वीकार्य नहीं है ।

(ग) पुलिस के एक कर्मचारी से उतने ही घंटे कार्य करने की आशा की जाती है जितनी अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों से की जाती है । समयोपरि कार्य के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए दिल्ली पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों को प्रतिवर्ष एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाता है । सहायक सब-इंसपैक्टर के पद तक के दिल्ली पुलिस के कर्मचारी प्रति नियुक्ति 4 रुपये भोजन भत्ता पाने के हकदार हैं जब उनको 9 घंटे से अधिक ड्यूटी पर रखा जाता है । किन्तु इस भत्ते का भुगतान प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष 25 दिन तक सीमित है । कलकत्ता में पश्चिम बंगाल सरकार सब-इंसपैक्टर/सार्जेंट के पद तथा उससे निम्न पदों के पुलिस कर्मचारियों को पकाए हुए भोजन के बदले लगातार 8 घंटे से अधिक ड्यूटी करने पर 5 रुपये प्रतिदिन देती है । इस समय महाराष्ट्र सरकार के अन्तर्गत बम्बई में ऐसी कोई प्रणाली नहीं हैं ।

"प्रताप" में इस्लाम के पैगम्बर के विरुद्ध छपे लेख

5168. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दैनिक "प्रताप" में विशेषकर दिनांक 9 नवम्बर, 1981 के सम्पादकीय में इस्लाम के पैगम्बर के विरुद्ध छपे बहुत ही धर्म-विरोधी लेखों की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को उक्त लेखों के विरुद्ध समाओं, जलूसों आदि के माध्यम से व्यक्त किए गए बढ़ते हुए आन्दोलन, विरोधों की भी जानकारी हैं; और

(ग) इन धर्मविरोधी लेखों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार ने सम्पादकीय लेख देखा है ।

(ख) जी हां, श्रीमन् ।

(ग) दैनिक "प्रताप" के सम्पादक के विरुद्ध दरियागंज पुलिस स्टेशन में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क के साथ पठित धारा 295-क के अधीन एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1065 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और उसे गिरफ्तार किया गया था । जांच पड़ताल चल रही है ।

महानिदेशालय खान सुरक्षा, धनबाद द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम

5169. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशालय खान सुरक्षा, धनवाद (बिहार) द्वारा खान प्रबन्धक के श्रेणी I और श्रेणी II पदों के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में अंग्रेजी अनिवार्य रूप से परीक्षा का माध्यम है जबकि उक्त परीक्षाओं में हिन्दी की परीक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग करने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राष्ट्र भाषा का अनादर नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हिन्दी की परीक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग करने की अनुमति देनु का है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) खनन परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रथम और द्वितीय श्रेणी खान प्रबन्धक प्रमाण-पत्रों के लिए परीक्षा अंग्रेजी में आयोजित की जाती है । ये बोर्ड कोयला खान विनियम, 1957 और धातु-उत्पादन खान विनियम, 1961 के अन्तर्गत गठित सांविधिक निकाय है ।

(ख) और (ग) इन परीक्षाओं को हिन्दी में आयोजित करने के प्रश्न को बोर्डों द्वारा निरन्तर पुनरीक्षा की गई है, परीक्षाओं के अन्तर्गत आने वाले विषयों के सम्बन्ध में मानक पाठ्य पुस्तकों के कमी होने के कारण, बोर्डों के लिए हिन्दी में परीक्षा लेना संभव नहीं है । तथापि, बोर्डों ने द्वितीय श्रेणी प्रबन्धक प्रमाण-पत्रों के लिए मौखिक परीक्षा या क्षेत्रीय भाषाओं में लेना प्रारम्भ कर दिया है । इस समय बोर्ड उन प्रशासनिक और तकनीकी समस्याओं की पुनरीक्षा कर रहा है, जिनकी हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में द्वितीय श्रेणी प्रबन्धकों के लिए लिखित परीक्षाएं आयोजित करने में उत्पन्न होने की संभावना है ।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कमरों की सफाई के संबंध में अनुदेश

5170. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना के मुख्यालयों सहित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के कमरों को खोलने, बन्द करने, धूल झाड़ने, झाड़ू लगाने और सफाई करने तथा "लंच" के दौरान सुरक्षा संबंधी क्या अनुदेश हैं; और

(ख) उन में सफाई की क्या स्थिति है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री० पी०वेंकटसुब्बय्या) : (क) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में कार्यालय के कमरों को खोलने, बन्द करने, धूल झाड़ने, झाड़ू देने, और सफाई करने के लिए केयरटेकर की सेवाओं की व्यवस्था कर दी गई है। ये कार्य वर्ग "घ" के कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं।

वर्गीकृत दस्तावेजों की सुरक्षा और अभिरक्षा के लिए अलग से अनुदेश जारी किए गए हैं। इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था भी की गई है कि वर्गीकृत दस्तावेजों से संबंधित अनुभाग में लंच के दौरान और कार्यालय समय के बाद कमरों की सफाई करने और ताला लगाने के कार्य पर निगरानी रखने के लिए उस अनुभाग का एक सहायक अथवा लिपिक उपस्थित रहे। सम्बन्धित कर्मचारी को अनुभाग की चाबियां लेने और यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अनधिकृत फेरबदल तो नहीं किया गया है, अगले दिन प्रातः अन्य कर्मचारियों से पहले कार्यालय में पहुंचना होता है

जहां तक सशस्त्र सेना के मुख्यालयों का संबंध है, वहां स्थिति निम्न प्रकार से है :—

कार्यालय के कमरों को खोलने, बन्द करने, धूल झाड़ने, झाड़ लगाने और सफाई करने के कार्य "घ" के कर्मचारियों द्वारा, कमरों में बैठने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की देखरेख में किए जाते हैं। विद्यमान अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि कोई भी कमरा किसी भी समय खुला अथवा प्रभारी के बिना न छोड़ा जाए।

(ख) जारी किए गए अनुदेशों में मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की गई है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को साफ-सुथरा रखा जाए।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के राज्यपाल, उप राज्यपाल, न्यायाधीश, भारतीय पुलिस सेवाओं और भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी

5171. **श्री थाझाई एस० करुणानिधि** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यपालों, उप-राज्यपालों, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारतीय पुलिस सेवाओं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ख) उपर्युक्त में राज्यवार अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कितने लोग हैं; और

(ग) क्या सरकार अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए निर्धारित प्रतिशत का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगी ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) :

(क) और (ख) इस समय कुल मिलाकर 19 राज्यपाल हैं। इनमें से केरल और हरियाणा के राज्यपाल अनुसूचित जातियों के हैं। पांच संघ राज्यक्षेत्रों में पांच ही उप-राज्यपाल हैं और इनमें से कोई भी अनुसूचित जातियों अथवा जनजातियों का नहीं है।

उच्चतम न्यायालय में 16 न्यायालय कार्य कर रहे हैं। इनमें से एक अनुसूचित जाति के हैं। 1-12-81 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में प्रत्येक में कार्य कर रहे न्यायाधीशों की संख्या और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के न्यायाधीशों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है

1-1-81 को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में कार्य कर रहे अधिकारियों की संवर्गवार संख्या और उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-II भी संलग्न है।

(ग) राज्यपालों, उप-राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई प्रतिशतता अलग से निर्धारित नहीं की गई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में आदेशों का पालन किया जा रहा है।

विवरण-I

(1-12-81 के अनुसार)

क्रम संख्या	उच्च न्यायालय का नाम	कार्य कर रहे न्यायाधीशों की संख्या	अनुसूचित जातियों के न्यायाधीशों की संख्या	अनुसूचित जनजातियों के न्यायाधीशों की संख्या
1.	इलाहाबाद	50	—	—
2.	आन्ध्र प्रदेश	18	1	—
3.	बम्बई	39	—	—
4.	कलकत्ता	33	1	—
5.	दिल्ली	21	—	—
6.	गोहाटी	7	—	—
7.	गुजरात	14	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	4	—	—
9.	जम्मू-कश्मीर	4	—	—
10.	कर्नाटक	23	1	—
11.	केरल	15	—	—
12.	मध्य प्रदेश	21	—	—
13.	मद्रास	20	1	—
14.	उड़ीसा	7	—	—
15.	पटना	25	—	—
16.	पंजाब एवं हरियाणा	19	—	—
17.	राजस्थान	12	—	—
18.	सिक्किम	2	—	—
	योग	334	4	—

विवरण-II

(1-1-1981 के अनुसार)

क्रम सं०	संवर्ग का नाम	भारतीय प्रशासनिक सेवा			भारतीय पुलिस सेवा		
		कार्य कर रहे अधिकारियों की संख्या	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां	कार्य कर रहे अधिकारियों की संख्या	अनु० जा०	अनु० जनजातियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	263	28	8	131	11	4
2.	असम-मेघालय	148	5	27	85	4	15
3.	बिहार	297	20	11	159	19	7
4.	गुजरात	175	17	6	87	7	3
5.	हरियाणा	143	24	1	67	10	—
6.	हिमाचल प्रदेश	89	7	9	47	6	3
7.	जम्मू-कश्मीर	86	6	3	43	2	2
8.	कर्नाटक	203	24	6	100	9	3
9.	केरल	129	12	2	76	4	2
10.	मध्य प्रदेश	311	26	16	209	22	6
11.	महाराष्ट्र	287	28	9	148	11	2
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	84	2	17	45	2	5
13.	नागालैण्ड	42	—	26			
14.	उड़ीसा	182	13	4	100	4	3
15.	पंजाब	154	26	1	87	17	—
16.	राजस्थान	189	14	9	97	4	4
17.	सिक्किम	26	1	14	9	—	5
18.	तमिलनाडु	248	33	4	108	19	1
19.	संघ राज्य क्षेत्र	158	15	19	83	9	3
20.	उत्तर प्रदेश	428	54	6	316	46	3
21.	पश्चिमी बंगाल	241	23	8	182	12	11
	योग	3883*	378	206	2179	218	82

*इसमें 126 उम्मीदवार शामिल नहीं हैं जिनमें से 19 अनुसूचित जातियों के और 9 अनुसूचित जनजातियों के हैं, जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा, 1979 के परिणामों के आधार पर 1-1-81 से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया गया था और जिन्हें 1-1-1981 को संवर्गों/संयुक्त संवर्गों को आबंटित नहीं किया गया था।

सेना अधिकारियों को अर्हता वेतन का भुगतान न किया जाना

5172. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर एण्ड डी संगठन में अधिकतर पात्र अधिकारियों को सेना अनुदेश सं० 5/एस/76 के अन्तर्गत मंजूर किया गया अर्हता वेतन का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठन में ऐसे पात्र अधिकारियों की संख्या कितनी है, जिनको अभी तक अर्हता वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त अनुदेश के प्रावधान को कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि० (सेन्ट्रल गवर्नमेंट कनज्यूमर कोपरेटिव सोसायटी लिमिटेड) में गबन-घोखे के मामले

5173. **श्री हरीश कुमार गंगावर :**

डा० ए० यू० आजमी :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड में गबन के मामलों के बारे में 26 अगस्त, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1568 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस को सौंपे गये मामलों में क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : पुलिस को सौंपे गए पांच मामलों में हुई प्रगति संलग्न विवरण में निर्दिष्ट है ।

(विवरण)

पुलिस को सौंपे गए पांच मामलों की प्रगति को निर्दिष्ट करने वाला विवरण

1. वर्ष 1974-75 तथा 1977-78 के दौरान, एक वरिष्ट सेल्समैन द्वारा विभिन्न स्टोरों में कार्य करते समय, नकदी तथा स्टाक के गबन के लिए ए० आई० पी० सी० की धारा 408/477 के अधीन पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित पुलिस स्टेशन में दिनांक 14-6-1980 को एक पुलिस मामला दर्ज किया गया था । यह मामला बाद में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को हस्तांतरित किया गया था , जहां यह मामला न्यायालय में चालान दायर करने के लिए लम्बित है । किन्तु, संबंधित कर्मचारी ने कमी-चोरी आदि की सारी राशि जो समिति के रिकार्ड में उनके नाम दिखाई गई थी, जमा कर दी है और मेनेजमैंट ने इसके सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव को तदनुसार सूचित कर दिया है । इसी बीच, पुलिस मामले में बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले, उसका नाम समिति के रोल से हटा दिया गया है ।

2. 1975-77 के दौरान समिति के एक कनिष्ठ सैल्समैन द्वारा, समिति को नकदी तथा स्टाक की करीब रु० 52,000 की धनराशि का दुर्विनियोजन के लिए, पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित पुलिस स्टेशन में ए० आई० पी० सी० की धारा 408/77 के अधीन एक पुलिस मामला दर्ज किया गया था, जिसे बाद में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को हस्तांतरित कर दिया गया था। संबंधित अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था और उस जमानत पर छोड़ दिया गया। जांच-पड़ताल का कार्य अपराध शाखा के पास न्यायालय में चालान दायर किए जाने हेतु अन्तिम चरणों में है।

3. 1975-76 और 1977-78 के दौरान समिति के एक कनिष्ठ सेल्समैन द्वारा समिति की नकदी तथा स्टाक की करीब एक लाख रुपए की धन राशि का दुर्विनियोजन करने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित पुलिस स्टेशन में धारा 408 आई० पी० सी० के अधीन दिनांक 30-5-1980 को एक पुलिस मामला दर्ज किया गया था और जिसे बाद में दिल्ली पुलिस अपराध शाखा को हस्तांतरित कर दिया गया था। अभियुक्त ने पूर्वानुमान जमानत करा ली थी। न्यायालय में शीघ्र ही चालान दायर किए जाने के लिए, जांच कार्य चल रहा है।

4. 1977-79 के दौरान, समिति के एक कनिष्ठ सेल्समैन द्वारा समिति की नकदी तथा स्टाक की लगभग रु० 35,000 तक की धनराशि के दुर्विनियोजन हेतु, दिनांक 2-8-1980 की धारा 408 आई० पी० सी० के अधीन पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित पुलिस स्टेशन में एक पुलिस मामला दर्ज किया गया था। यह मामला बाद में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को हस्तांतरित कर दिया गया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस ने उससे कई बार पूछताछ की थी। इस मामले को न्यायालय में दायर करने के लिए चालान तैयार किया जा रहा है।

5. 1977-79 के दौरान सोसाइटी के एक वरिष्ठ सेल्समैन द्वारा जाली लेखे तैयार करने और सोसाइटी के पैसे और स्टाक में से लगभग रु० 11,000 दुर्विनियोजन करने पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने में आई० पी० सी० की धारा 409 के अन्तर्गत 7-7-1981 को एक मामला दर्ज किया गया था जिसे बाद में दिल्ली पुलिस के वाइट कालर सेल को हस्तांतरित कर दिया गया। अपराधी कर्मचारी को पूर्वानुमान जमानत मिल गई। न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए पुलिस द्वारा चालान अभी दायर किया जाना है। इसी बीच उक्त कर्मचारी को पुलिस मामले में बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले उपयुक्त घरेलू जांच करके सेवा से बरखास्त कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश में वन आधारित उद्योग

5174. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति वनों के निकट वन आधारित उद्योग लगाने की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश तथा अन्य वन बहुल राज्यों में वन आधारित और उद्योग लगाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) क्या मध्य प्रदेश तथा अन्य वन क्षेत्रों में वन पर आधारित और उद्योग एकक लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वन-सम्पत्ति की दृष्टि से समृद्ध जिलों क्षेत्रों में संभाव्यता के अधीन वनों पर आधारित उद्योगों को विकसित करने को दरीयता दी जाती है।

(ख) मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में अनेक औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण किए गए हैं, इन इन सर्वेक्षणों में वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना सम्बन्धी सिफारिश भी है।

(ग) सर्वेक्षणों की रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित राज्यों को वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना के संवर्धन के लिए उपाय करने होंगे।

सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरी आरक्षण नीति का पुनर्मूल्यांकन और परिवर्तन

5175. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़ा वर्ग आयोग के एक भूतपूर्व सदस्य ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण सम्बन्धी नीति का पुनर्मूल्यांकन करने और उसमें उचित परिवर्तन करने की दलील दी है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान नीति के परिणामस्वरूप सरकारी सेवा के स्तर में ध्यान देने लायक गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोचीन नौसैनिक अड्डे में सुविधाएं

5176. श्री वी० के नायर : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन नौसैनिक अड्डे में उपलब्ध सुविधाओं का और विकास तथा विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोचीन हवाई अड्डे का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) और (ख) नौसैनिक पोतों के लिए कोचीन नौसैनिक अड्डे में अतिरिक्त सहायक सुविधाएं जुटाई जा रही है।

(ग) और (घ) कोचीन हवाई अड्डे में हवाई पट्टी (रनवे) का हाल ही में विस्तार किया गया है। टैक्सी मार्ग और प्रांगण (एप्रोन) भी मजबूत बनाए जा रहे हैं। टर्मिनल भवन का भी विस्तार किया जा रहा है और उसमें सुधार किया जा रहा है।

मैथिली भाषा में दिये गये पत्रों अथवा याचिकाओं के उत्तर

5177. श्री भोगेन्द्र झा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को सरकार अथवा इसके किसी अधिकारी को अपनी भाषा में याचिका आदि देने का अधिकार है;

(ख) क्या रेल मंत्रालय तथा भारत सरकार के बहुत से अधिकारी अखिल भारतीय मैथिल संघ और अन्य द्वारा मैथिली भाषा में उन्हें लिखे गये पत्रों या याचिकाओं का उत्तर नहीं देते; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेना में कार्यरत भूतपूर्व असैनिक स्कूल अध्यापक

5178. श्री रामेश्वर नीखरा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अन्तर्गत आयुद्ध, एम० ई० एस० गेरीसन इंजीनियर आदि विभिन्न विभागों में भूतपूर्व असैनिक स्कूल अध्यापकों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उन्हें 1950 के सेना निर्देश संख्या 241 के अनुसार वरीयता दी जाती है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या यह अध्यापक अधिशेष होने पर तथा तत्पश्चात् मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों में पुनर्नियोजित होने पर गृह मंत्रालय के दिनांक 4-12-1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 01-10-68-सी० एस० (III) जिसे 15-6-1981 के सेना आदेश संख्या 65 के अनुसार आपके मंत्रालय में लागू किया गया था, के अनुसार अपने पहले वाले मूल-वेतन संरक्षण के हकदार होते हैं; और

(ङ) क्या उनके मंत्रालय में एक विभाग से दूसरे विभाग में तैनात कर्मचारियों की वरीयता निर्धारित करते समय सी० पी० आर० ओ० 73/73 के उपबन्धों का कार्यान्वयन करते हुए रक्षा मंत्रालय को एक विभाग नहीं माना जाता है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) 499.

(ख) और (ग) ऐसे सिविलियन स्कूल अध्यापकों जो 1 जुलाई, 1973 से पहले अन्य

पदों पर समायोजित किए गए थे, की वरीयता 1950 के थल सेना अनुदेश संख्या 241 के अनुसार, उनके बाद के पदों पर नियमित की गई थी। किन्तु 1 जुलाई, 1973 के बाद समायोजित किए गए अध्यापकों की वरीयता, वरीयता निर्धारण के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विहित सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार निश्चित की गई है जैसा कि अन्य समूह 'ग' और समूह 'घ' कर्मचारियों के मामलों में किया जाता है।

(घ) जी नहीं। 15 जून, 1981 के थल सेना आदेश सं० 65/1981 के उपबंध केवल उसके जारी होने की तारीख अर्थात् 15 जून 1981 से लागू हैं।

(ङ) जी, नहीं। एक विभाग के रूप में नहीं माना जाता।

अर्ध-चिकित्सा पदों के लिए सफाई निरीक्षक डिप्लोमा की मान्यता

5179. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका के अन्तर्गत अर्ध-चिकित्सा पदों के लिए दिल्ली प्रशासन ने अखिल भारतीय स्थानीय स्वायत्त संस्थान बम्बई/नई दिल्ली द्वारा दिये जाने वाले सफाई निरीक्षक डिप्लोमा को मान्यता प्रदान कर दी है;

(ख) क्या सरकार तथा दिल्ली प्रशासन को दिल्ली के केन्द्र शासित प्रदेश में सफाई निरीक्षक डिप्लोमा को मान्यता देने के लिए "जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान" से आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) दिल्ली में अन्य अर्ध-चिकित्सा संस्थानों को बढ़ावा देने तथा जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान तथा देश की अन्य संस्थाओं द्वारा सफाई निरीक्षक डिप्लोमा को मान्यता देन के सम्बन्ध में सरकार तथा दिल्ली प्रशासन की क्या नीति है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-सरकारी कार्यालयों में काम कर रही महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश सुविधाएं

5180. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी कार्यालयों में कार्य कर रही महिला कर्मचारी सरकारी कार्यालयों की महिला कर्मचारियों के समान प्रसूति अवकाश सुविधाएं प्राप्त कर सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कितने दिन के लिए और किन नियमों के अंतर्गत यह सुविधा प्राप्त कर सकती है तथा यदि नहीं, तो सरकारी और गैर-सरकारी (पजी०) कार्यालयों में इस भेदभाव के क्या कारण हैं;

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर साकारात्मक है तो क्या वे उस अवधि के वेतन आदि की अधिकारी हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उद्योग निदेशालय को यह निदेश देने का है कि महिला कर्मचारियों को इस कारण आर्थिक हानि न हो ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) प्रसूति लाभ अधिनियम के अधीन कारखाना, खान, बागान या सर्कस उद्योग से नियोजित प्रत्येक महिला प्रसूति की तारीख सहित प्रसूति से तत्काल पूर्व अपनी वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि तथा बच्चा पैदा होने ग अगले दिन से छः सप्ताह की अवधि के लिए औसत दैनिक मजदूरी की दर से प्रसूति लाभ की हकदार होती है। राज्य सरकारों को इस अधिनियम की परिधि से किसी भी अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की श्रेणी पर, उचित नोटिस देने के बाद, विस्तारित करने का प्राधिकार है। तदनुसार, कुछ राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के उपबन्धों को स्थानीय निकायों, दुकानों एवं वाणिज्यक प्रतिष्ठानों, भवनों के निर्माण और रख-रखाव के कार्य में लगे प्रतिष्ठानों आदि पर विस्तारित किया है। ऐसे मामलों में जिनमें प्रतिष्ठान, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत आता है, महिला कर्मचारी उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रसूति लाभ की हकदार होती है।

बिहार में भट्टा मालिकों द्वारा कदाचार

5181. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में बिहार के सिंहभूम जिले के वींबाड़ा, चक्रधरपुर के महिला समाज की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें बिहार तथा अन्य राज्यों में भट्टा मालिकों द्वारा किए जा रहे कदाचार का उल्लेख किया गया है और जिसके परिणामस्वरूप चिवाबाड़ा और निकटवर्ती क्षेत्रों की आदिवासी महिलाओं को सताया जा रहा है और उनकी बेइज्जती की जाती है, लड़कियों का शीलभंग किया जाता है, उन्हें होटलों और वेश्यालयों में बेचा जाता है, उनका अनैतिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है और उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में रखा जाता है;

(ख) क्या सरकार को सिंहभूम जिले की आदिवासी महिला प्रवासी श्रमिकों का देश के अन्य भागों में इस प्रकार दुरुपयोग करने के बारे में भारत के समाचार-पत्रों में प्रकाशित विभिन्न रिपोर्टों की जानकारी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन आदिवासी महिला प्रवासी श्रमिकों की हालत की जांच के लिए संसद् सदस्यों की एक जांच समिति नियुक्त करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। बिहार सरकार से ज्ञापन के बारे में मांगी गई रिपोर्ट की अभी भी प्रतीक्षा है। ज्ञापन, खान विभाग, इस्पात और खान मंत्रालय के भी विचाराधी है।

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, द्वारा विदेशी धन के दुरुपयोग के संबंध में जांच आयोग की स्थापना

5182. **श्री केयूर भूषण :**

श्री कुंवर राम :

आचार्य भगवान देव :

श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी शान्ति प्रतिष्ठान द्वारा विदेशी धन के दुरुपयोग की जांच करने के लिए एक जांच आयोग की स्थापना किए जाने का एक संकल्प लोक सभा के पिछले सत्र में पास किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस आयोग की स्थापना न किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) आयोग स्थापित करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है । आयोग शीघ्र गठित किए जाने की आशा है ।

समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने के लिये कार्यवाही करना

5183. **श्री जमीलुर्रहमान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सामाजिक संगठनों के नाम पर भारत में विदेशी धन आ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार मामले में अत्यधिक सतर्कता बरत रही है और कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा देश की अखण्डता और सुरक्षा को संरक्षण प्रदान करने के लिए, कानून के तहत निवारक तथा दंडात्मक कार्रवाई करने समेत, आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं ।

(ख) और (ग) धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यक्रमों वाले लगभग 5000 संगठन/एसोसिएशनें, विदेशी अंशदान प्राप्त कर रहे हैं । विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम 1976 की धारा 6(1) के अधीन, ऐसे प्रत्येक संगठन/एसोसिएशन को

विदेशी अभिदान (विनियमन) नियमावली 1976 के नियम 8(2) के तहत प्राप्त राशियों के संबंध में एक अर्द्ध-वार्षिक रिटर्न भेजनी होती है, उसे उपयोग में लाई गई राशियों के बारे में आडिट रिपोर्ट भी भेजनी होती है, जिसे किसी चार्टेड अकाउटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा विज्ञापन पर व्यय

5184. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने वाणिज्यिक विज्ञापनों पर लाखों रुपये व्यय किए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, परमाणु ऊर्जा आयोग, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वाणिज्यिक विज्ञापनों पर वर्षवार क्रमश: कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) क्या इस संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति उठाई गई है और यदि हां, तो ब्यौरा क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी नहीं। सी० एस० आई० आर० ने 1981-82 वर्ष के दौरान वाणिज्यिक विज्ञापन पर 1,68,776.40 रुपये खर्च किए हैं।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) इस सम्बन्ध में सी० एस० आई० आर० से संबंधित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। "पिलले दो वर्षों में सी० एस० आई० आर० द्वारा विज्ञान में विकास" (डिवेल्पमेन्ट इन साइंस बाई सी० एस० आई० आर० ड्यूरिंग दि लास्ट टू यिअर्स" शीर्षक प्रैस विज्ञप्ति स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जारी की गई थी ताकि विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में की गई उपलब्धियों को लोगों के ध्यान में लाया जा सके। शीर्षक में पिछले दो वर्षों अर्थात् अगस्त, 1979 से अगस्त, 1981 के दौरान सी० एस० आई० आर० में विज्ञान की प्रगति की ओर निर्देश किया गया है और इसे सत्तारूढ़ दल या इसके किसी भी सदस्यों के लिए विज्ञापन नहीं समझा जा सकता है। इसका उद्देश्य विज्ञान में हालिया विकास पर ध्यान केन्द्रित करना था।

"इनचेक" टायर एण्ड एन० आर० एम० लिमिटेड का बन्द होना

5185. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि इनचेक टायर एण्ड एन० आर० एम० लिमिटेड के अध्यक्ष ने 22 अक्तूबर, 1980 को उद्योग मंत्रालय को एक पत्र में कम्पनी को इस के मूल प्रवर्त्तकों या

सम्भावित खरीदारों को देने की सिफारिश सहित कम्पनी को बन्द करने की राष्ट्रीयकरण के समय सभी कर्मचारियों की व्यापक बर्खास्तगी की सिफारिश की थी;

(ख) क्या सरकार उनकी सिफारिश के अनुसार कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को सम्बोधित दिनांक 22 अक्तूबर, 1980 के पत्र में, जिसकी प्रति इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की गई थी, अध्यक्ष ने एककों की पुनःस्थापना के लिए निम्नलिखित संभावनाओं का उल्लेख किया था—

1—भविष्य में आर्थिक जीव्यता की कोई आशा किए बिना विद्यमान व्यवस्था बरकरार रखना।

2—कम्पनी को इसके मूल स्वामी या किसी भावी क्रेता को सौंप देना।

3—इसे बन्द कर देना।

4—कम्पनी का राष्ट्रीवकरण करके उसमें सरकार अथवा वित्तीय संस्थानों से पर्याप्त वित्तीय निवेश कराना।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा 6 अक्तूबर, 1981 को घोषित रूग्ण एकक सम्बन्धी नीति की परिसीमा के अन्तर्गत सरकार उपक्रमों की परिसम्पत्तियों का अन्तिम रूप से निपटारा करने के लिए विभिन्न संभावनाओं पर विचार कर रही है।

मैसर्स इन्चक टायर्स और नैशनल रबर मैन्युफेक्चरर्स लिमिटेड की बिगड़ती हालत

5186. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या उद्योग मंत्री यह गताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि पिछले दो सालों में मैसर्स इन्चक टायर्स और नैशनल रबर मैन्युफेक्चर्स लिमिटेड की हालत में बड़ी तेजी से गिरावट आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) उन एककों के उत्पारन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारणों में से कुछ मुख्य कारण ये हैं जैसे मध्यस्तर के सम्बन्ध से सम्बन्धित प्रशिक्षित कार्मिकों का बाहर चला जाना, कार्यकारी पूंजी की रूकावटें, जरूरी मशीनों की खराब स्थिति जिनके परिणामस्वरूप अधिक परिभाषा में माल रद्द कर दिया गया और कार्य-कुशलता का अभाव तथा बिजली की कटौती आदि।

इन दोनों उपक्रमों की परिसम्पत्तियों को अन्तिम रूप से बेचने सम्बन्धी प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

केरल और तमिलनाडु में अरक के कारण हुई मौतें

5187. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने केरल सरकार और तमिलनाडु सरकार ने इस वर्ष के शुरू में केरल के अकबरी लाइसेंस द्वारा बेचे गए अरक के लेने से शीघ्र हुई मौतों की संख्या का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां तो उस उस घातक पेय में जहरीले तत्व क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान, बंगलादेश राष्ट्रिकों का समय से अधिक अवधि तक रहना

5188. **डा० बसन्त कुमार पण्डित :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान और बंगला देश राष्ट्रिकों का भारत में समय से अधिक अवधि तक रहने के बढ़ते मामलों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान तथा बंगला देश के ऐसे राष्ट्रिकों की कुल संख्या क्या है जो भारत में क्रमश: वर्ष 1980 और 1981 में (अक्तूबर के अन्त तक) आए थे तथा ऐसे राष्ट्रिकों की कुल संख्या क्या है जो उन की वीसा की अवधि से अधिक समय से रहे हैं अथवा लापता हो गए हैं;

(ग) पाकिस्तानियों तथा बंगलादेश के ऐसे लोगों की संख्या क्या है जिन्हें किसी अपराध में गिरफ्तार किया गया है अथवा जमानत पर है और ऐसे मामलों की संख्या क्या है जिन में वे जमानत तोड़ कर भाग गए हैं; और

(घ) पाकिस्तान और बंगला देश सीमाओं से अवैध घुसपैठ रोकने तथा उनके भारत में समय से अधिक ठहरने को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पाकिस्तान/बंगलादेश के नागरिकों का आना-जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है और किसी दिए गए समय में ऐसा ही रहेगा। उनमें बहुत लोग मानवीय या अन्य बाध्य आधारों पर अपने वीजा की अवधि बढ़ाते हैं और इसलिए अपने वीजा की मूल अवधि समाप्त होने के बाद उनका यहां ठहरना अनधिकृत नहीं कहा जा सकता है।

(ख) और (ग) राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

(घ) यदि कोई पाकिस्तान/बंगलादेश का नागरिक अनधिकृत रूप से भारत के ठहरा हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विदेशी अधिनियम, 1946 के अधीन मुकदमा चलाने, निष्कासित

करने समेत कार्रवाई की जाती है। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि अवैध रूप से कोई पाकिस्तानी/बंगलादेशी नागरिक हमारी सीमा का उल्लंघन न करे, सीमा चौकियां सुदृढ़ की गई है और समस्त सीमा क्षेत्र में गश्त तेज की गई है।

दरियागंज, दिल्ली के अनाथालय से कमला का गायब होना

5189. **श्री राम बिलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक प्रैस रिपोर्टर द्वारा महिलाओं के अनैतिक व्यापार का भंडाफोड़ करने के लिए खरीदी गई और दरियागंज, दिल्ली के अनाथालय में रखी हुई कमला नामक एक महिला जिस के बारे में एक रिट याचिका उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन थी, इस रहस्यमय परिस्थितियों में अनाथालय से गायब हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके अनाथालय से गायब होने के बारे में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 23 नवम्बर, 1981 को रात्रि के 11.40 बजे वनितम विभाग आश्रम, पदोदी हाउस, जहां श्रीमती कमला को रखा गया था, के सुपरवाइजर ने दरियागंज पुलिस थाने में सूचना दी कि श्रीमता कमला जो सायंकाल लगभग 8.30 बजे तक अन्य महिला के साथ बीड़ी खरीदने बाहर गई थी, गुम है।

(ख) से (घ) उसको ढूंढने के लिए रेलवे स्टेशन तथा अन्तर्राज्यीय बस अड्डा समेत विभिन्न स्थानों में तत्काल पुलिस पार्टियां भेजी गई। स्थानीय लोगों से पूछताछ के लिए जांच अधिकारी घटनास्थल पर गए। दिल्ली के सभी पुलिस थानों तथा देश के पुलिस अधीक्षकों को वायरलैस संदेश भेजे गए। केन्द्रीय कंट्रोल रूम तथा खोए हुए व्यक्तियों के दल को भी खोई हुई महिला को ढूंढने के लिए सचेत किया गया है। श्रीमती कमला के फोटो को टेलीविजन में दिखाया और रेडियो से उसके बारे में प्रसारण किया गया। श्रीमती कमला को ढूंढने के लिए विशेष रूप से मध्यप्रदेश पुलिस से अनुरोध किया गया है।

दक्षिणी राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा

5190. **श्री एन० डेनिस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ दक्षिणी राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध अपर्याप्त सुविधाओं के कारण भाषायी अल्पसंख्यकों को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ख) इस संबंध में उन के हितों और अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कार्यालय से इस बात का पता लगाया गया है कि दक्षिणी भारत के सभी शैक्षिक संस्थानों में यथोचित शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 350 (ख) की शर्तों के अनुरूप गठित भाषाई अल्प संख्यकों के विशेष अधिकारी का संगठन और सरकार द्वारा अपने संकल्प दिनांक 12-1-78 द्वारा गठित अल्पसंख्यक आयोग को भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण एवं बचाव के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

योजना बजट का लद्दाख के जिलों में वितरण

5191. श्री पी० नामग्याल : क्या योजना मंत्री दिनांक 6 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6968 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना राशि को भारत में विभिन्न राज्यों में अलग-अलग वितरण के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और जम्मू तथा कश्मीर राज्य के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के सम्बन्ध में मांगी गई जानकारी को सभा पटल पर रखा जाएगा;

(ग) क्या लेह और कारगिल के लिए मद (घ) के अन्तर्गत आवंटन में विद्युत परियोजनाओं सम्बन्धी व्यय भी शामिल है, और यदि हां, तो जिला योजना से व्यय किए जाने के क्या कारण हैं; जबकि जम्मू तथा कश्मीर के अन्य जिलों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं किया जाता; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के लिए लेह और कारगिल जिलों के लिए वर्षवार बजट आवंटन का ब्यौरा तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए किए गए आबंटन को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 1980—85 की छठी योजना की अवधि के लिए राज्यों को दी जाने वाली कुल केन्द्रीय सहायता 15,350 करोड़ रु० है। इसमें से 3,245 करोड़ रु० विशेष श्रेणी के राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए निर्धारित किए गए हैं जिनमें असम, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम तथा जम्मू और कश्मीर शामिल हैं। विशेष श्रेणी के राज्यों में पारस्परिक संवितरण का किसी निर्धारित फार्मूले के अनुसार विनियमन नहीं किया जाता है। जिन उपादानों को ध्यान में रखा जाता है वे हैं विभिन्न क्षेत्रकों में विकास की स्थिति के अनुसार उचित आवश्यकताएं, प्रत्येक राज्य की प्राथमिकताएं, संसाधन जुटाने के संबंध में प्रयत्न और राज्य के अपने संसाधनों की उपलब्धता तथा केन्द्रीय सहायता। जो राज्य विशेष श्रेणी के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं वे आशोधित गाडगिल फार्मूले के द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिशासित होते हैं—

(1) जनसंख्या के आधार पर 60 प्रतिशत;

(2) प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 20 प्रतिशत—केवल उन राज्यों के लिए जिनके प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है;

(3) कर प्रयत्न के आधार पर 10 प्रतिशत;

(4) राज्यों की विशेष समस्याओं के आधार पर 10 प्रतिशत ।

यह भी उल्लेखनीय है कि 1600 करोड़ रु० की विशेष केन्द्रीय सहायता विशेष श्रेणी से इतर राज्यों को आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूले के आधार पर आबंटित की गई है । इसके अतिरिक्त पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी परिषद् की योजनाओं के लिए 1355 करोड़ रु० और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 1450 करोड़ रु० आबंटित किए गए हैं ।

(ख) दिनांक 6-8-80 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 6968 के लिए दिए गए आश्वासन की पूर्ति करने के लिए दिनांक 24-11-80 को सभा पटल पर सूचना रखी गई थी ।

(ग) जी, हां ; लेह और कार्गिल में किए गए व्यय के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में और 10 प्रतिशत ऋणों के रूप में सहायता दी जाती है । इस बात को ध्यान में रखते हुए एकमात्र लेह और कारगिल जिलों के लाभ के लिए सभी व्यय जिला योजना में दिखाना होता है ।

(घ) विद्युत परियोजनाओं के लिये किए गए आबंटनों को अलग से बताते हुए लेह और कार्गिल जिलों के लिए वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के लिए बजट आवंटन के वर्षवार विवरण देने के लिए राज्य सरकार से कहा गया है ।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र योजना का स्वीकृत सिद्धान्त

5192. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के संयुक्त सलाहकार तंत्र योजना के स्वीकृत सिद्धान्त और उद्देश्य के अनुसार यह व्यवस्था है कि जिस मुख्य कार्यालय में सरकार की ओर से चेयरमैन बैठता है उस में कर्मचारियों का नेता भी उपस्थित होना चाहिए;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में संयुक्त सलाहकार तंत्र की योजना के अनुसार सही स्थिति क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) संयुक्त परामर्श तंत्र की योजना कर्मचारियों की समस्याओं पर परामर्श करने और उन पर बातचीत करने के लिए बनाई गई है। संयुक्त परिषद् के अध्यक्ष के मुख्य कार्यालय में कर्मचारी पक्ष के नेता की उपस्थिति से इसका कोई विशेष संबंध नहीं है।

मैसर्स अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लि० दिल्ली द्वारा कदाचार

5193. **श्री एन० सुन्द्रराजन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लि०, दिल्ली ईरान में कार्यरत अपने कर्नचारियों को चैक के रूप में भारतीय मुद्रा दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को रोकने के लिए भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) उस कम्पनी के विरुद्ध भारत सरकार क्या दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही यह उपलब्ध हो जाएगी, सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

श्री आर० जे० हैमिल्टन द्वारा रोरो एसबसटस खानों का निरीक्षण

5194. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन के धूलि (डस्ट) नियंत्रण विशेषज्ञ श्री आर० जे० हैमिल्टन द्वारा 28 नवम्बर, 1978 को बिहार में सिंहभूमि जिले में चाइबासा के पास रोरो एसबसटस का निरीक्षक किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने एक घातक व्यावसायिक रोरो "एसबसटोसिस" के व्यापक रूप से फैलने के संबंध में पुष्टि की थी जिससे फेफड़े प्रभावित होते हैं;

(ग) क्या स्वास्थ्य सुरक्षा और बचाव के कोई उपाय आरम्भ किए गए हैं; यदि हां तो क्या;

(घ) क्या खानों के बिरला प्रबन्धकों पर कर्मचारियों की, जिनमें से बहुत से कर्मचारी एसबसटोसिस के छूत से मर गए हैं रक्षा के पर्याप्त उपाय करने के लिए दबाव डालने हेतु कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) कार्यदशाओं और पर्यावरण के सुधार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (पी० आई० ए० सी० टी०) के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रतिनियुक्त मिस्टर राबर्ट जे० हैमिल्टन ने, जो धूल मूल्यांकन और नियंत्रण में सलाहकार हैं, रोरो खानों का दौरा किया ताकि खानों में धूल मूल्यांकन और नियंत्रण की समस्या का अध्ययन किया जा सके।

(ख) जी, नहीं। उन्होंने एसबसटोसिस की समस्या का अध्ययन नहीं किया।

(ग) से (ङ) घूल मूल्यांकन और नियंत्रण संबंधी सलाहकार की सिफारिशों को खान प्रबन्धकों को, जिनमें रोरो एसबसटस खानों के प्रबन्धक शामिल हैं, अनुपालन के लिए भेजा गया है ।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह का पुनः नामकरण

5195. **श्री झारखण्डे राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की भावनाओं की मूर्त रूप देने की दृष्टि से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदल कर "स्वराज" और शहीद रखने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह का नाम "शहीद और स्वतंत्र द्वीप" रखने के लिए श्री समर गुह द्वारा 24 फरवरी, 1978 को एक गैर-सरकारी विधयक रखा गया था। सदन को अपने आश्वासन दिए जाने पर कि अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए गृह मंत्री की सलाहकार समिति के समक्ष यह प्रस्ताव रखा जायेगा, जिसमें श्री गुह को भी उस समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा, विधेयक वापस ले लिया गया। परन्तु श्री गुह 20 जनवरी, 1979 को हुई इस सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थित न हो सके। अतः यह प्रस्ताव 20 दिसम्बर, 1980 को सलाहकार समिति की बैठकमें रखा गया और समिति द्वीप समूह का नाम बदलने के पक्ष में नहीं थी ।

अतिरिक्त क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रण कार्यालय, हैदराबाद के लिए मांग

5196. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में एक अतिरिक्त क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रण कार्यालय खोलने के बारे में अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने उस राज्य में सीमेंट नियंत्रण संगठन के एक कार्यालय की स्थापना के लिए अनुरोध किया था। हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में सीमेंट नियंत्रण संगठन के उप-क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

जेल सुधार समिति द्वारा अपनी स्थापना के समय से अब तक किया गया व्यय

5197. **श्री उत्तमभाई एच० पटेल** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि ।

(क) जेल सुधार समिति ने कितने स्थानों का दौरा किया और उसके दौरों के क्या परिणाम निकले;

(ख) इस समिति की स्थापना से इसकी संस्थापना, प्रशासन, भत्तों, मानदेय तथा प्रत्येक सदस्य एवं कर्मचारी पर यात्रा भत्तों के रूप में कितना व्यय हुआ;

(ग) उक्त समिति को प्राप्त अभ्यावेदनों और ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 25 जुलाई, 1980 को स्थापित जेल सुधार समिति ने अब तक आन्ध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा दमण और दीव तथा पांडिचेरी में 46 स्थानों का दौरा किया है । इन दौरों से समिति के सदस्यों को जेल प्रशासन संबंधी समस्याओं को नजदीक से देखने का मौका मिला है और इससे उन्हें अपनी रिपोर्ट में उपर्युक्त सिफारिशें करने में सहायता मिलेगी ।

(ख) समिति के काम के संबंध में किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

(ग) समिति के अपने 600 से अधिक मतों के अतिरिक्त, इसे कैदियों/जेल स्टाफ तथा अन्यों से 63 अभ्यावेदन/ज्ञापन प्राप्त हुए है ।

विवरण

1.	कर्मचारियों पर व्यय (सदस्य-सचिव समेत)	
	(I) वेतन तथा भत्ते	4,91,343.73 रुपये
	(II) यात्रा भत्ता	51,376.22 रुपये
2.	कार्यालय व्यय	3,96,298.31 रुपये
3.	सदस्यों पर व्यय (यात्रा-भत्ता).	1,15,615.60 रुपये

सदस्यों पर व्यय का ब्यौरा

क्रम संख्या	सदस्य का नाम	खर्च की गई राशि
1.	न्यायमूर्ति श्री ए० ए० मुल्ला (सेवा निवृत),अध्यक्ष	6,628.50 रुपये
2.	श्री योगेन्द्र शर्मा, संसद् सदस्य, सदस्य	10,803.75 रुपये
2.	कुमारी सरोज खापरड़े, संसद् सदस्य, सदस्य	5,674.00 रुपये
3.	डा० (श्रीमती) एस० शारदा मेनन, सदस्य	24,517.50 रुपये
5.	श्री जी० एस० मुलैय्या, सदस्य	3,382.00 रुपये
6.	प्रो० रशीद्दुदीन खां, संसद् सदस्य, सहयोजित सदस्य	5,306.50 रुपये
7.	श्री प्रकाश महरोत्रा, संसद् सदस्य, सहयोजित सदस्य (अब त्यागपत्र दे चुके हैं)	8,015.20 रुपये
8.	श्री डी० जे० जाधव, सहयोजित सदस्य	17,542.25 रुरये
9.	श्री एच० सी० सक्सेना, सहयोजित सदस्य	11,747.90 रुपये
10.	श्री के० एल० एन० रेड्डी, सहयोजित सदस्य	18,588.00 रुपये
11.	डा० हीरा सिंह, सहयोजित सदस्य	3,410.00 रुपये
		1,15,615.60 रुपये

समिति ने, समिति के सदस्यों या, कर्मचारियों का कोई मानदेय नहीं दिया है ।

राज्यों में स्वतन्त्रता सेनानियों को राजनीतिक पेंशन

5198. **श्री जेनुल बशर** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दशाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र में कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को राजनीतिक पेंशन मिल रही है;

(ख) राजनीतिक पेंशन दिए जाने के लिए अभी भी कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं; और

(ग) स्वतन्त्रता सेनानियों के पक्ष में मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) संलग्न विवरण के अनुसार ।

(ग) पात्र स्वतंत्रता सेनानियों को शीघ्रता से सम्मान पेंशन के लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की गहरी चिन्ता को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय के स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, जिसमें स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्मान पेंशन के दावों पर कार्यवाही की जाती है, सुदृढ़ बनाया गया है। गृह मंत्रालय के अनुरोध पर अधिकांश राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में केवल स्वतंत्रता सेनानियों के मामलों से निपटने के लिए विशेष कक्ष स्थापित किए गए हैं और स्वतन्त्रता सेनानियों के मामलों की जांच में सहायता करने के लिए राज्य सलाहकर समितियां भी पुनर्गठित की गई है। उनको उनके पास लम्बित पड़े सभी मामलों को निपटाने के लिए अभियान शुरू करने के लिए सलाह दी गई है। केन्द्रीय स्तर पर भी विशिष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों में गृह मंत्रालय को सलाह देने के लिए एक गैर-सरकारी सलाहकार समिति गठित की गई है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्वीकृत मामलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें राज्यों में रिपोर्टें आनी है
उत्तर प्रदेश	15,704	5,783
पंजाब	5,264	1,482
हरियाणा	1,334	419
जम्मू और कश्मीर	808	724
राजस्थान	611	189
हिमाचल प्रदेश	374	189

पश्चिमी बंगाल	14,927	34,621
असम	3,944	12,805
उड़ीसा	3,586	6,016
त्रिपुरा	702	891
मेंघालय	67	14
मिजोरम	—	—
मणिपुर	16	88
अरूणाचल प्रदेश	—	38
नागालैंड	10	6
बिहार	19,665	32,650
मध्य प्रदेश	2,704	706
केरल	2,004	17,807
आन्ध्र प्रदेश	5,407	10,883
तमिलनाडु	3,631	1,709
गुजरात	2,895	72
कनाटक	7,655	5,754
महाराष्ट्र	10,247	10,194
संघ शासित क्षेत्र		
अ० और निकोबार द्वीपसमूह	20	20
चण्डीगढ़	72	6
दिल्ली	1,620	57
गोवा	597	877
पांडिचेरी	242	368
आजाद हिन्द फोज-I	13,756	1,078
आजाद हिन्द फोज-II	3,081	2,694
	1,20,923	1,41,120

लाख उद्योग में गतिरोध

5199. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और बहु प्रयोजनीय सहकारी समितियों के उत्साह की कमी के कारण लाख उद्योग गतिरोध की स्थिति में पहुंच गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि गैर-सरकारी व्यापारी दूर-दराज के क्षेत्रों तक स्वयं पहुंचते हैं; आदिवासियों से लाख खरीदने के लिए पहुंचते हैं; और

(ग) आदिवासी कबीलों पर से जो इस उद्योग की रीढ़ की हड्डी हैं, गैर-सरकारी व्यापारियों की गहरी पकड़ समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) कृषि और वाणिज्य मंत्रालय से संगत जानकारी प्रतीक्षित है ।

बेरोजगार व्यक्ति

5200. **श्री सुन्दर शर्मा :**

श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 जनवरी, 1981 से 1 नवम्बर, 1981 की अवधि में विभिन्न रोजगार केन्द्रों के माध्यम से कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : 1 जनवरी से 31 अक्तूबर, 1981 तक की अवधि के दौरान देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों द्वारा 4,11,404 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया था ।

विभिन्न अन्तरिक्षयानों/उपग्रहों के प्रक्षेपण में किया गया व्यय

5201. **श्री राम अवध** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तरिक्ष में प्रक्षेपित विभिन्न अन्तरिक्ष यानों अथवा उपग्रहों पर गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) उन पर कितनी राशि की विदेशी मुद्रा खर्च की गई है; और

(ग) इन प्रयोगों से सरकार को प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के लाभ क्या हैं ?

विज्ञान और प्रद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विविध अन्तरिक्ष यानों पर खर्च की गई धनराशि तथा इसमें अन्तर्निहित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा निम्न प्रकार है—

(करोड़ रुपये)

	कुल व्यय	विदेश मुद्रा
(i) आर० एस०-I शृंखलाएं (दो उपग्रह)	2.20	1.18
(ii) भास्कर-I	6.86	2.60
(iii) एप्पल	17.72	10.47
(iv) भास्कर-II	1.59	0.86
	28.37	15.11

(ग) इन प्रयोगों से प्राप्त होने वाले लाभ मोटे तौर पर निम्न प्रकार है—

उपग्रहों और इसकी विविध उप-प्रणालियों के डिजाइन, विकास, निर्माण तथा अनुवर्तन और कक्षीय कार्यनिष्पादन के संदर्भ में उपग्रह प्रौद्योगिकी में अनुभव प्राप्त करना; विविध प्रयोजनों अर्थात् भू-संसाधनों के सर्वेक्षण सम्बन्धी परीक्षण, संचार, दूरदर्शन संचार-जाल-सम्बन्धी परीक्षणों इत्यादि के लिए उपग्रह पर किए जाने वाले परीक्षणों से उपयोगी आंकड़े एकत्र करना। इसके अलावा, रोहिणी उपग्रहों के प्रमोचन ने भी उपग्रह प्रमोचक राकेट (एस० एल० वी० 3) के चतुर्थ खण्ड के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में सहायता प्रदान की है।

भारतीय चर्म प्रतिनिधि मंडल द्वारा पश्चिमी जर्मनी का दौरा

5202. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चर्म प्रतिनिधि जिसने पक्षों के चर्मशोधकों के बीच संयुक्त सहयोगी परियोजनाएं की संभावनाओं का पता करने के लिए हाल ही में पश्चिमी जर्मनी का दौरा किया था, खाली हाथ लौटा है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन की जिन 16 पार्टियों के विभिन्न प्रतिनिधियों से ये प्रतिनिधि मंडल मिला था, उनमें से किसी ने भी संयुक्त उपक्रम परियोजनाओं में रूचि नहीं दिखाई; और

(ग) यदि हां, तो चर्म उद्योग के संवर्द्धन के सम्बन्ध में सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है और क्या कुछ अन्य देशों के साथ भी इसके लिए बात-चीत की गई है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) एक भारतीय चमड़ा उद्योग शिष्टमंडल ने भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय व्यापार संवर्द्धन कार्यक्रम के अंतर्गत अक्तूबर-नवम्बर, 1981 में पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, इटली और इंगलैण्ड के कुछ चुने हुए स्थानों का दौरा किया था। शिष्टमंडल में शामिल व्यापार/उद्योग के सदस्यों ने उपर्युक्त देशों में कई भावी क्रेताओं के साथ विस्तृत बातचीत की और विपणन सहयोग, अनुबंध करने की संभावनाओं का पता लगाया। शिष्टमंडल के सदस्यों द्वारा इसके लिए आगे कार्यवाही की जायेगी। वे विभिन्न चमड़ा उत्पादों के लिए परीक्षण/नमूना क्रयादेशों सहित क्रयादेश प्राप्त करने में भी सफल हुए हैं

(ग) बढ़िया किस्म की निविष्टियां उपलब्ध कराकर चमड़े के भारतीय उत्पादों की किस्म सुधारने के लिए हर सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय राज्य व्यापार निगम और चमड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषदें बाजार का सर्वेक्षण करके उत्पाद और डिजाइन के विकास के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं।

1981 में सीमेंट का उत्पादन

5203. **श्री बी० बी० देसाई** :

श्री टी० आर० शमन्ना : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या अक्तूबर, 1981 में सीमेंट का उत्पादन गत कुछ वर्षों के दौरान हुए मासिक उत्पादन का रिकार्ड उत्पादन रहा है;

(ख) यदि हां, तो अक्तूबर तथा नवम्बर में कुल कितना सीमेंट का उत्पादन हुआ;

(ग) वृद्धि के कारण क्या हैं; और

(घ) 1980-81 के दौरान सीमेंट का कुल कितना उत्पादन हुआ और 1981-82 के दौरान कितना उत्पादन होने की आशा है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) अक्तूबर, 81 और नवम्बर, 1981 के महीनों में क्रमशः 18.38 लाख मी० टन और 18.25 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन हुआ।

(ग) अवस्थापना संबंधी निविष्टयों की उपलब्धता में सुधार आ जाने के कारण वर्ष के पिछले महीने की अपेक्षा उत्पादन में वृद्धि को योगदान मिला है।

(घ) वर्ष 1980-81 में 185.60 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन हुआ। वर्ष 1981-82 में 210 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन होने का अनुमान है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को हुई हानि

5204. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने लगभग एक वर्ष पूर्व सरकार को एक प्रतिवेदन भेजा था जिसमें आई० बी० एम० के निवेश को, जो कि पहले छूट प्राप्त संगठन था, संगठन द्वारा अपने अधिकार में लिए जाने के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को लगभग 32.00 लाख रुपये जो कि निवेश के प्रवृत्त ढांचे के आधार पर निवेश तथा अदा की गई कीमत के बीच अन्तर है, की हानि हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अगस्त, 1980 में श्रम मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें यह बताया गया था कि आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन द्वारा प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के कारण कर्मचारी भविष्य निधि को 22.16 लाख रुपये की हानि हुई। इस मामले की जांच की जा रही है।

खेतिहर मजदूरों के लिए विधान

5205. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेतिहार मजदूरों के लिए विधान लाने के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और संगठित खेतिहर मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस प्रस्ताव पर संगठित कृषि श्रमिकों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। कुछ राज्य सरकारों के साथ अभी विचार-विमर्श चल रहा है।

"अखिल भारतीय सिविलियन स्कूल अध्यापक और सेवारत भूतपूर्व सिविलियन स्कूल अध्यापक संघ" की मान्यता

5206. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय के अधीन आयुध डिपुओं तथा विभिन्न ट्रेडों में काम कर रहे सेवारत भूतपूर्व सिविलियन स्कूल अध्यापकों पर ए० ओ० 65/81 के लागू होने से उन्हें मिलने वाली बकाया राशि की अदायगी में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने "अखिल भारतीय सिविलियन [स्कूल अध्यापक और सेवारत भूतपूर्व सिविलियन स्कूल अध्यापक संघ, नई दिल्ली," को मान्यता दे दी है अथवा देने का विचार कर रही है ;

(ग) उनके द्वारा 11 जुलाई, 1977 को प्रस्तुत सात मांगों से में प्रत्येक के प्रति सरकार का क्या रवैया है;

(घ) क्या उनके साथ 31 जुलाई, 1981 को सरकारी स्तर पर हुई चर्चा के समय उन्होंने कोई मांग-पत्र पेश किया था; और

(ङ) उनकी मांगों को स्वीकार करने में कहां तक प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) बकाया राशि के भुगतान का प्रश्न इसलिए नहीं उठता है क्योंकि थलसेना आदेश इसके जारी होने की तारीख अर्थात् 15-6-1981 से प्रभावी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) कोई नया मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ङ) ऊपर (ग) के अनुसार।

विवरण

मांग संख्या	विषय	सरकार का निश्चय.
1.	सिविलियन स्कूल मास्टरों के व्यवसाय को अध्यापक के रूप में मान्यता देना	सहमति नहीं हुई
2.	योधी (कम्बेटेंट) स्तर के एवजी हटाना और शान्ति स्थापना/युद्ध स्थापना में प्राधिकृत करना	सहमति नहीं हुई
3.	ऐसे सभी सिविलियन स्कूल मास्टरों को स्थायी करना जिन्होंने तीन साल से अधिक सेवा कर ली है	153 सिविलियन स्कूल मास्टरों, जो 31 दिसम्बर, 1977 को सेवा में थे को पहले ही स्थायी किया जा चुका है।
4.	केन्द्रीय सरकार के सभी सिविलियनों को दी जाने वाली पेंशन की स्वीकार्यता	स्वीकृत की गई
5.	वेतन का संरक्षण	ऐसे भूतपूर्व सिविलियन स्कूल मास्टरों, जो स्थायीवत् थे, का वेतन उनके उन नए पदों पर संरक्षित किया गया था, जिनमें वे उनके पहले के पदों पर फालतू घोषित होने पर खपाए गए थे। अस्थायी सिविलियन स्कूल मास्टरों को फालतू घोषित होने के बाद अन्य पदों पर नियुक्त किए जाने पर उनके पहले के पदों पर उनकी सेवा के पूरे किए वर्षों की संख्या के बराबर की संख्या में वेतन वृद्धियां दी गई थीं।
6.	वरिष्ठता का संरक्षण	भूतपूर्व सिविलियन स्कूल मास्टरों पर वरिष्ठता के लिए वही सामान्य सिद्धान्त लागू होते हैं जो समूह "ग" और समूह "घ" कर्मचारियों पर लागू होते हैं। उनके लिए इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती है।
7.	5; 10, 15 और 20 वर्षों की सेवा के बाद समय मान पदोन्नति	स्वीकृत नहीं किया गया है, फिर भी, चयन ग्रेड मंजूर किए गए हैं।

पहाड़गंज, नई दिल्ली में छुरेबाजी और लूटपाट की घटनाएं

5207. **श्री तारिक अनवर :**

श्री भीकू राम जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1981 में पहाड़गंज, नई दिल्ली के मुख्य बाजार में छुरेबाजी और लूटपाट की एक घटना हुई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुलिस थाना और पुलिस नियंत्रण कक्ष को इसकी सूचना दिए जाने पर भी पुलिस विलम्ब से पहुंची और क्या पुलिस के इस रवैये के विरोध में दुकानदारों ने कुछ समय के लिए अपनी दुकानें बन्द कर दी थी;

(ग) यदि हां, तो दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) क्या सरकार का विचार पुलिस को ऐसे निदेश जारी करने का है कि उसे सूचना मिलने पर 10 मिनट के अन्दर मौके पर पहुंच कर कार्रवाई करनी चाहिए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 28-10-1981 की शाम को पहाड़गंज के मुख्य बाजार में झगड़े की एक घटना हुई । घटना में अन्तर्ग्रस्त एक व्यक्ति के पास छुरा था और उसने 2-3 व्यक्तियों को मामूली रूप से घायल चोटें पहुँचाई । एक आटो दुकान का शोकेस और कुछ बिजली की वस्तुओं को भी नुकसान पहुंचा । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/427/323 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 1364 के तहत एक मामला दर्ज किया गया और 7 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए ।

(ख) और (ग) पुलिस स्टेशन को घटना की सूचना सायं 7 बजे मिली और पुलिस सायं 7.15 बजे घटनास्थल पर पहुंच गई । दुकानदारों के प्रतिनिधिमंडल को जो पुलिस अधिकारियों से मिला था, विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी उपाय करने का आश्वासन दिया गया । इस आश्वासन पर दुकानदार संतुष्ट हो गए और बाजार का सामान्य कार्य फिर शुरू हो गया ।

(घ) इस बात के निदेश पहले से ही विद्यमान है कि पुलिस को घटनास्थल पर तुरन्त पहुंचना चाहिए ।

केरल में प्रति व्यक्ति योजना शेयर

5208. **श्री बी० एस० विजयराघवन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि छठी योजना के दौरान केरल का प्रति व्यक्ति योजन शेयर राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम हो गया है;

(ख) पिछली पांच पंचवर्षीय योजनाओं में केरल में प्रति व्यक्ति योजना शेयर कितना था तथा उसका योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्य की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं। केरल राज्य की पांचवीं योजना (1974—79) में 267 रु० प्रति व्यक्ति परिव्यय की तुलना में छठी योजना के लिए प्रति व्यक्ति परिव्यय 726 रु० है जिससे 172 प्रतिशत की वृद्धि प्रकट होती है। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय क्षेत्रक के कार्यक्रमों के लिए परिव्ययों सहित राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति छठी योजना परिव्यय 1779 रु० है जबकि पांचवी योजना में यह 717 रु० था। यह वृद्धि केवल 148 प्रतिशत है।

(ख) पिछली पंच वर्षीय योजनाओं में केरल के प्रति व्यक्ति योजना व्यय निम्नलिखित है—

	(रुपये)
पहली योजना	31
दूसरी योजना	49
तीसरी योजना	101
तीन वार्षिक योजनाएं (1966—69)	73
चौथी योजना	156
पांचवीं योजना	267

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और भाग (ख) के उत्तर की दृष्टि से किन्हीं विशेष उपायों की परिकल्पना नहीं है।

सीमेन्स के साथ सहयोग

5209. **श्री एन० के० शेजवलकर :**

श्री सूरजभान :

श्री अटलबिहारी बाजपेयी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारी विद्युत इंजीनियरी वस्तुओं का निर्माण करने के लिए सीमेन्स कम्पनी के साथ सहयोग करने के लिए समझौता करने की योजना को पुनः लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की प्रस्तावित शर्तें क्या हैं और यह योजना कब तक परिपक्व हो जायेगी ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सम्भवतः यह बी० एच० ई० एल० और सीमेंस के बीच व्यापक सहयोग के लिए पहले के एक प्रस्ताव से संबंधित है। उस प्रस्ताव को फिर से चालू करने के लिए सरकार के सामने कोई सुझाव नहीं है जो पहले ही समाप्त हो चुका है।

जासूसी के मामले

5210. श्री जितेन्द्र प्रसाद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान पता लगने वाले जासूसी के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) सरकार द्वारा अब तक जासूसी के कैसे मामलों का पता लगाया गया है;

(ग) जासूसी की गतिविधि में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(घ) ऐसे मामलों की संख्या क्या है, जिनमें न्यायालयों ने हस्तक्षेप किया है और सन्देहास्पद लोगों को छोड़ दिया है;

(ङ) क्या यह सच है कि इस कार्य में बड़े पैमाने पर राजनयिक सेना कार्मिक और असैनिक कर्मचारी शामिल होते हैं, यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया जो जासूसी से सम्बद्ध जाए गए थे तथा उनमें से प्रत्येक को किस प्रकार का दण्ड दिया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली नगर निगम द्वारा सम्पत्ति-कर के मामलों का निपटाया जाना

5211. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या गृह मंत्री दिल्ली नगर निगम के दक्षिण जोन में मकान-मालिकों के सम्पत्ति-कर में की गई वृद्धि के मामले के बारे में 2-9-1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2513 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धारिती द्वारा निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित प्रलेखों और जानकारी के प्रस्तुत किये जाने के बाद दिल्ली नगर निगम को दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 126 के अन्तर्गत सम्पत्ति-कर के किसी मामले के बारे में निर्णय देने में आमतौर से कितना समय लगता है;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम के दक्षिण जोन और नई दिल्ली जोन के 17,000 निलम्बित पड़े निर्धारण मामलों में से कितने मामले अगस्त से अक्तूबर, 1981 के महीनों के दौरान अन्तिम रूप से निपटाए गए;

(ग) क्या उक्त अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए माननीय गृह मंत्री, और दिल्ली नगर निगम के निर्धारणकर्ता और समहर्ता को बड़ी संख्या में अभ्यादेन दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि सम्पत्ति-कर का मूल्यांकन एक अर्ध-न्यायिक कार्य है जिसका निर्वहन अलग-अलग

मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रख कर किया जाता है। इसलिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 126 के अधीन मामलों के निपटान के बारे में कोई समय सीमा बताई नहीं जा सकती है।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि निगम के दक्षिण जोन तथा नई दिल्ली जोन में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 126 के अधीन अनिर्णीत मूल्यांकन के लगभग 17,000 मामलों में से बताया जाता है कि अगस्त, 1981 के पश्चात 337 मामले निपटाये जा चुके हैं।

(ग) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि सामान्य प्रणाली के अनुसार इन अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है।

ट्रेड यूनियनों की अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की शिकायतें

5212. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ ट्रेड यूनियनों द्वारा यूनियनों को संगठित करने के अधिकार तथा औद्योगिक सम्बन्धों से सम्बन्धित अन्य मामलों के उल्लंघन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय से सरकार के विरुद्ध की गई शिकायतों का अंतिम रूप से उत्तर दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के विचार क्या हैं; और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय ने इन शिकायतों पर अंतिम कार्यवाही कर ली है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) प्राप्त हुई छः शिकायतों में से सरकार ने चार मामलों में अंतिम उत्तर भेज दिया है, एक मामले में आंशिक टिप्पणियां भेजी है और बाकी एक शिकायत हाल ही में 30 नवम्बर, 1981 को प्राप्त हुई थी। इस शिकायत के बारे में भी अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को उत्तर शीघ्र भेज दिया जाएगा।

(ख) और (ग) संघ बनाने की स्वतन्त्रता सम्बन्धी आई० एल० ओ० समिति की नवम्बर, 1981 में हुई बैठक के समक्ष भारत से सम्बन्धित पांच मामले थे। इसने एक मामले की जांच स्थगित कर दी, यह प्रक्रिया के मामले पर दो मामलों के सम्बन्ध में निश्चित निष्कर्ष पर पहुँची और शेष दो मामलों में अंतिरम निष्कर्षों पर पहुँची जिसमें अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी। सरकार ने अब तक वांछित सूचना भेज दी है।

आदिवासी विकास के लिये छठी योजना के दौरान धन का नियतन

5213. **श्री भीखा सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी विकास के लिए पांचवीं योजना के दौरान नियत की गई राशि को अन्य क्षेत्रों में लगाया गया था; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आदिवासी विकास के लिए आबंटित की गई राशि का ठीक प्रकार से उपयोग हो, क्या सरकार विभिन्न राज्यों के आदिवासी संसद् सदस्यों को शामिल कर एक केन्द्रीय निरंक्षण सेल की नियुक्ति करने पर विचार करेगी और उनकी रिपोर्ट पर प्रति वर्ष संसद् में चर्चा होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जनजातीय उप-योजनाओं के अन्तर्गत जनजातीय विकास के लिए रखी गई धनराशियां अन्य क्षेत्रों को नहीं की जाती हैं। क्योंकि ये राज्यों के सामान्य विकास कार्यक्रमों में से निर्धारित की जाती हैं। जनजातीय उप-योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को केन्द्र द्वारा दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता केवल जनजातीय विकास स्कीमों पर ही खर्च की जाती है।

(ख) और (ग) देश में जनजातीय विकास के लिए निर्धारित की गई धनराशियों के उपयोग को देखने के लिए संसद् के जनजातीय सदस्यों का केन्द्रीय प्रबोधन एकक नियुक्त करने के किसी प्रस्ताव पर इस समय विचार नहीं किया जा रहा है तथापि गृह मंत्रालय और योजना आयोग का पिछड़ा वर्ग प्रभाग सूचना एकत्र करते हैं तथा जनजातीय विकास योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रबोधन और समीक्षा करते हैं।

विभिन्न राज्यों को लाइसेंस

5214. **श्री नीरेन घोष** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल राज्यों की ओर से कितने लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र दिए गए थे;

(ख) प्रत्येक राज्य में अब तक कितने लाइसेंस क्लीयर किए गए हैं;

(ग) उनमें से प्रत्येक राज्यों में कितने लाइसेंस मंजूर किए गए हैं;

(घ) उनमें से प्रत्येक राज्य के लिए कितने लाइसेंस रद्द किए गए; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में कितने अनिर्णीत पड़े हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) 1980 के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल में उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किए जाने हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या सम्बन्धी सूचना तथा उनकी वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है—

राज्य का नाम	औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	स्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की कुल संख्या और जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्रों की संख्या		अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्र	अन्यथा निपटाए गए आवेदन पत्र	अभी तक विचाराधीन आवेदन पत्र
		औद्योगिक लाइसेंस	आशय पत्र			
1	2	3	4	5	6	7
महाराष्ट्र	344	—	98	180	41	25
गुजरात	249	1	97	101	35	15
तमिलनाडु	130	—	49	52	16	13
पश्चिमी बंगाल	98	1	30	54	9	4

जैसलमेर जिले में सैनिक अभ्यास

5215. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैसलमेर जिले में रेंज के समक्ष मैदानों में समय-समय पर सैनिक अभ्यास होते रहते हैं;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में आधुनिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके फलस्वरूप लोहा, जिंक, सीसा तथा अन्य सामग्रियां इस क्षेत्र में व्यर्थ सामग्री के रूप में फैल जाती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि आस-पास के क्षेत्रों के लोग इस रेंज में अनाधिकृत रूप से घुस जाते हैं और इन महंगी धातुओं की चोरी करके ले जाते हैं और इन्हें बेच डालते हैं;

(घ) क्या यह चोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इन अपराधों की रोकथाम के लिए विभाग कोई विशेष रूचि नहीं ले रहा; और

(ङ) क्या विभाग का विचार इस रेंज में तार लगाने अथवा इस क्षेत्र में गैर-कानूनी ढंग से किसी व्यक्ति को प्रवेश से रोकने हेतु विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। कुछ सिविलियन चोरी छिपे चांदमारी क्षेत्र में घुस आते हैं और वे अनधिकृत रूप से धातु की कतरने जमा करते हैं जिन्हें वे बाद में बेच देते हैं।

(घ) और (ङ) इतने बड़े चांदमारी क्षेत्र में बाड़ लगाना और इसके चारों ओर प्रवेश के सभी रास्तों पर संतरी लगाकर इसमें प्रवेश पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है। फिर भी इस क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश के प्रयासों को रोकने के लिए सेना कार्मिकों और स्थानीय पुलिस द्वारा नियमित रूप से गश्त लगाई जाती है। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सन्तरी तैनात किए गए हैं और इस क्षेत्र में लोगों के "प्रवेश वर्जित" सम्बन्धी चेतावनी हिदायते भी लगाई गई हैं।

पटाखों पर प्रतिबंध लगाना

5216. **श्री त्रिलोक चन्द :**

श्री शिवशरण वर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अक्तूबर, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "प्रोब रिपोर्ट सजेस्ट्स कर्बज आन क्रेसर्स" (जांच प्रतिवेदन में पटाखों पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संदर्भाधीन रिपोर्ट पर सरकार द्वारा दिल्ली प्रशासन से विशेष सिफारिशें अभी भी प्राप्त की जानी हैं।

पश्चिम बंगाल के कुटीर तथा लघु उद्योग मंत्री द्वारा दिए गए सुझाव

5217. **प्रो० रूपचन्द पाल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार के कुटीर तथा लघु उद्योग मंत्री द्वारा 9 जुलाई, 1981 को नई दिल्ली में लघु उद्योग बोर्ड की 35वीं बैठक में दिए गए सुझावों पर सरकार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) लघु उद्योग बोर्ड ने अपनी 9 जुलाई, 1981 की पिछली बैठक में स्थायी समिति का गठन किया है जो दिए गए सुझावों की जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न सदस्यों द्वारा पश्चिम बंगाल के कुटीर तथा लघु उद्योग मंत्री के सुझाव भी हैं जांच करेंगी और इन विचार-विमर्श के निष्कर्षों पर विशिष्ट कार्यवाही रूपरेखा का पता लगायेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संघों का सत्यापित किया जाना

5218. **श्री के० लकप्पा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में आल इंडिया इम्पलाइज प्रोविडेट फण्ड स्टाफ फैडरेशन, नई दिल्ली की एकमात्र मान्यता प्राप्त फैडरेशन है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले दो वर्षों से सभी संघों के सत्यापन का कार्य जारी है तथा कुछ संघों, जैसे बंगलौर संघ के पुनः सत्यापन के आदेश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो पुनः सत्यापन किए जाने के क्या कारण हैं तथा इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ताकि प्रतिस्पर्धा ग्रुपों की स्थिति का पता चल सके और इस बारे में कोई मान्यता न दी जा सके ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में यूनियनों का सत्यापन अप्रैल, 1981 में प्रारम्भ किया। यह सत्यापन तीन से चार मास के भीतर पूरा किए जाने की सम्भावना है।

सरकार ने किसी यूनियन का पुनः सत्यापन करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है।

रायपुर, मध्य प्रदेश के सिंचाई विभाग में जब्त की गई नकली सीमेंट

5219. **श्री केयूर भूषण :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के अनेक भागों में सीमेंट की बजाए नकली सीमेंट का प्रयोग किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि रायपुर जिले के सिंचाई विभाग में नकली सीमेंट की भारी मात्रा जब्त की गई है और यदि हां तो कितनी मात्रा;

(ग) क्या सरकार का विचार सागोल संयंत्र पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायन दत्त तिवारी) : (क) और (ख) देश में सीमेंट की सामान्यतः कमी के कारण इस प्रकार के कदाचार की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के कदाचारों से निपटने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के अधीन राज्य सरकारों को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं।

(ग) और (घ) सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

सशस्त्र सेना मुख्यालय में वरिष्ठ निजी सहायकों के पदों की मंजूरी

5220. **श्री बी० डी० सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र सेना मुख्यालय में वरिष्ठ निजी सहायकों के पदों की स्वीकृति, वित्तीय कठिनाइयों तथा उन्हें पदोन्नति के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर विचार करने के बाद दी गई थी लेकिन अब असोसिएटिड फाइनेंस के परामर्श से मामले की जांच करने के उपरान्त प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) और (ख) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। फिर भी स्थिति यह है कि सशस्त्र सेना मुख्यालय में आशुलिपिक ग्रेड "ग" में पदोन्नति के अवसरों में सुधार करने के लिए 6-8-1977 से ग्रेड "ग" के 45 पदों का दर्जा बढ़ा कर ग्रेड "ख" कर दिया गया था। सशस्त्र सेना मुख्यालय में आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" से ग्रेड "ग" और "घ" के आशुलिपिकों का अनुपात केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के समान करने के लिए 18 और पदों का दर्जा 10-12-1979 से बढ़ा दिया गया है।

दार्जिलिंग में उद्योगों की स्थापना

5221. **श्री आनन्द पाठक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय लोगों में बेरोजगारी का प्रतिशत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र को विकसित करने और वहां रोजगार की सम्भावनाएं बढ़ाने के उद्देश्य से वहां पर वन, कृषि तथा अन्य उपलब्ध संसाधनों पर आधारित अनेक कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करेगी ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) दार्जिलिंग औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में से एक है तथा उत्पादन कार्यों में लगे हुए लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

(ख) कुटीर और लघु उद्योगों सहित अपने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों तथा स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करके औद्योगिक विकास का आयोजन करने का प्रमुख उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। इस प्रकार के प्रयासों में सहायता करने के लिए केन्द्रीय प्रोत्साहन जैसे रियायती वित्त, करों में छूट आदि उपलब्ध हैं। केन्द्रीय रूप से प्रायोजित जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अंतर्गत संसाधनों और आवश्यकताओं पर आधारित दोनों प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है।

विभागीय कैन्टीन कर्मचारी यूनियनों को मान्यता दिया जाना

5222. **श्री आनन्द पाठक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका के अनुसार सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक संस्थानों के विभागीय केण्टीनों को मान्यता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक विभागवार कितने विभागीय केण्टीन कर्मचारी यूनियनों को मान्यता दी गई है और उनका ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) ऐसी मान्यता उन संबंधित कार्यालयों/विभागों द्वारा दी जानी है, जिनमें कैंटीनें चल रही हैं न कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा ।

छोटे सीमेंट संयंत्र

5223. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिनी सीमेंट संयंत्र भारी पूंजी निदेश के कारण अब आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है;

(ग) क्या हमने सफल मिनी सीमेंट संयंत्रों के लिए एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) मिनी सीमेंट के संयंत्रों के लिए प्रोत्साहन देने सम्बन्धी कार्य दल के निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष यह था कि मिनी सीमेंट संयंत्र के मामले में उत्पादन लागत एक नए बड़े सीमेंट संयंत्र के लिए स्वीकृत प्रति मी० टन मूल्य की तुलना में लगभग 50 रुपये से 60 रुपये प्रति मी० टन अधिक आती है । उत्पादन की अतिरिक्त लागत सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के अन्तर्गत वितरण नियंत्रण को लागू करके मिनी सीमेंट संयंत्रों को छूट देकर तथा उत्पादन शुरू हो जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन करके भुगतान में 50 प्रतिशत तक छूट प्रदान करके पूरी की जाती है ।

(ग) और (घ) वर्टिकल शाफ्ट किल्न प्रौद्योगिकी पर आधारित तीन मिनी सीमेंट संयंत्रों ने उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है । उनका ब्योरा निम्न प्रकार है—

मैसर्स बेदा सीमेंट इण्डस्ट्रीज होशादुर्गा (कर्नाटक)	30 मी० टन प्रति दिन
मैसर्स लोकापुर सीमेंट, लोकापुर (कर्नाटक)	30 मी० टन प्रति दिन
मैसर्स कच्छ सीमेंट, भुज (गुजरात)	30 मी० टन प्रति दिन

राज्यों में जनगणना कर्मचारियों की नियुक्ति

5224. श्री ए० के० बालन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 की जनगणना के सम्बन्ध में राज्यवार कितने अस्थाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी; और

(ख) क्या सरकार ने उनकी नियुक्ति को स्थाई बनाने के बारे में कोई निर्णय लिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अपेक्षित सूचना सहज उपलब्ध नहीं है और एकत्र की जा रही है ।

(ख) उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त करने का इरादा नहीं है ।

सरकारी विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अर्जित हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान

5225. श्री नरसिंह मकवाना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों से तीन वर्ष की अवधि में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान अर्जित करने को कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकारी विभागों में कितने अधिकारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान अर्जित कर लिया है;

(ग) अधिकारियों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान अर्जित करना सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई और क्या इस व्यवस्था के अन्तर्गत कोई कार्यक्रम बनाया गया तथा यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन सरकारी विभागों के नाम क्या हैं जहां राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों को पूरी तरह लागू किया जा रहा है तथा जहां उन्हें लागू नहीं किया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ग) जी हां । केन्द्रीय हिन्दी समिति की 15वीं बैठक के एक निर्णय के अनुसार जुलाई, 1978 में मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने उप सचिव तथा उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान कराने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वित करें, ताकि तीन वर्ष की अवधि में यह कार्य हो जाए ।

राजभाषा विभाग केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देने के लिए हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत देश के सभी बड़े शहरों में लगभग 138 पूर्णकालिक तथा अंशकालिक प्रशिक्षण केन्द्र चला रहा है । इसके अतिरिक्त अनेक केन्द्रीय संस्थानों ने अपने कर्मचारियों/अधिकारियों को हिन्दी प्रशिक्षण के लिए अपनी विभागीय व्यवस्था भी कर रखी है । इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत वे सभी अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी जो हिंदी सिखाने के लिए नामित किये जाते हैं उनको हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कराया जाता है ।

(ख) उपरोक्त हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत अब तक 4/1/4 लाख से अधिक केन्द्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारी विभिन्न स्तर की शिक्षा पा चुके हैं, जिन्हें पहले हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं था। उनमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल है, परन्तु इनके लिए कोई अलग से आंकड़े नहीं रखे गए क्योंकि प्रशिक्षण का प्रबन्ध अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों का एक साथ है। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अलग से आंकड़े देना संभव नहीं है।

(घ) राजभाषा अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार जिन कामों में हिन्दी का प्रयोग आवश्यक है उन्हें हिन्दी में करने के लिए बराबर आदेश जारी किये जाते रहे हैं और साधारण रूप से विभिन्न क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन के कामों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष एक वार्षिक प्रोग्राम बनाकर भी सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजा जाता है। राजभाषा अधिनियम तथा उसके नियमों के इन आवश्यक प्रावधानों का कार्यान्वयन भारत सरकार के सभी विभागों और कार्यालयों द्वारा उत्तरोत्तर प्रगामी रूप से किए जा रहे हैं। परन्तु इस संबंध में यह इंगित कर देना भी उचित होगा कि वर्तमान भाषा नीति तथा राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भविष्य में कुछ समय तक द्विभाषिता की परिस्थिति रहने वाली है और इसलिए साधारणतया सरकारी काम में अंग्रेजी का प्रयोग करने की भी छूट है।

बिजली के कनेक्शन के बारे में 'एम० ई० एस० मैनुअल में उपबन्ध

5226. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री हरीशकुमार गंगवार : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एम० ई० एस०' मैनुअल में ऐसा कोई उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत यह व्यवस्था हो, कि बिजली का कनेक्शन किसी एक व्यक्ति के नाम में हो सकता है और पता किसी दूसरे व्यक्ति का हो सकता है;

(ख) क्या सदर बजार दिल्ली छावनी में अनियमितताओं के किन्हीं ऐसे उदाहरणों की जानकारी प्राप्त हुई है, या प्राधिकारियों का ध्यान ऐसे मामलों की ओर दिलाया गया है, जहां बिजली का कनेक्शन किसी एक व्यक्ति के नाम में है, लेकिन पता किसी दूसरे व्यक्ति का दिया हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में केन्द्र प्रायोजित उद्योग

5227. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्यों में कितना औद्योगिक निवेश किया गया है;

(ख) राज्यों में कौन से नए केन्द्र प्रायोजित उद्योगों की स्थापना की जानी है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में औद्योगिक निवेश के स्तर को एक समान बनाने के लिए क्या कदम उठाये जाने हैं;

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय निवेश मुख्यत: मूलभूत किस्म की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में किया जाता है तथा ऐसे एकत्रों के स्थापना स्थल का निर्णय निशद तकनीकी आर्थिक बातों पर विचार करने के उपरांत लिया जाता है। सरकार की यह नीति रही है कि केन्द्रीय परियोजनाओं के स्थापना स्थल के बारे में तकनीकी आर्थिक बातों को ध्यान में रखते हुए अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को अधिमानता दी जाए।

योजना प्रलेख में निर्दिष्ट संसाधनों के समग्र अवरोधों और अन्तर्क्षेत्रीय अधिमान्यताओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी आर्थिक बातों के आधार पर नई योजनाओं का पता लगाया गया है और उन्हें चलाया है। छठी योजना 1980—85 में, कोयला और पैट्रोल सहित केन्द्रीय औद्योगिक एवं खनिज परियोजनाओं के लिए 19,018 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। अब तक स्थापना-स्थल के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों के आधार पर इस निवेश का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघशासित प्रदेश	परिव्यय 1980-85 (करोड़ रु०)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1809.31
2.	असम	610.67
3.	बिहार	1158.28
4.	गुजरात	541.75
5.	हरियाणा	71.07
6.	हिमाचल प्रदेश	2.35
7.	जम्मू और कश्मीर	5.10
8.	कर्नाटक	255.06
9.	केरल	321.09
10.	मध्य प्रदेश	1341.03
11.	महाराष्ट्र	961.00
12.	नागालैण्ड	15.90

1	2	3
13.	उड़ीसा	1485.35
14.	पंजाब	37.06
15.	राजस्थान	163.06
16.	तमिलनाडु	571.81
17.	उत्तर प्रदेश	219.28
18.	पश्चिमी बंगाल	578.17
19.	दिल्ली	39.49
20.	गोवा	0.43
	योग :	10,187.26
21.	अनावंटित	8,830.81
	योग :	19,018.07

गोरपोरे कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स पश्चिमी बंगाल का राष्ट्रीयकरण

5228. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोरपोरे कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स, पश्चिमी बंगाल के राष्ट्रीयकरण के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) दिनांक 30 अक्तूबर, 1981 का एक अभ्यावेदन गोरपोरे कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स, पश्चिमी बंगाल के कर्मचारी संघ से एकक के राष्ट्रीयकरण हेतु प्राप्त हुआ था।

(ग) इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड जो सविवरण पुनर्जीवन सह-आधुनिकीकरण योजना को बनाने के लिए "प्राधिकृत व्यक्ति" है, यह अन्तिम निर्णय लेने के लिए एकक एक जीव्य एकक हो सकता है या नहीं योजना बना सके। एक वर्ष की अग्रेतर अवधि के लिए अर्थात् 28-11-1982 तक अधिग्रहण अवधि को बढ़ा दिया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम केन्टीन कर्मचारी ऐसोसिएशन, कलकत्ता को मान्यता दिया जाना

5229. **श्री रेणु पद दास :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम केन्टीन कर्मचारी ऐसोसिएशन कलकता ने सरकार

से गृह मंत्रालय के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की पुस्तिका के पैरा 8.3 के अन्तर्गत अपनी यूनियन को मान्यता देने के बारे में लिखा है;

(ख) यदि हां, तो यह मान्यता किस तिथि से देने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो मान्यता न देने के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

सेना के रसोइयों की दयनीय दशा

5230. श्री एस० मुरुगैयन :

श्री थाजाई एम० करूणानिधि :

श्री के० बी० एस० मणि :

डा० बी० कुलनदई वेलु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में सेवारत रसोइयों के वेतन, पदोन्नति संबंधी सेवा की शर्तें दयनीय हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई हैं;

(ग) चूंकि सेवारत रसोइये पाक-शास्त्र में डिप्लोमा लिए हुए हैं, क्या उन्हें तकनीकी कर्मचारी के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा; और

(घ) क्या इस सेवा की शर्तों जिसके कारण समय से पूर्व अनेक मौतें होती हैं, सरकार उन्हें 20 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर पूरी पेंशन देने पर विचार करेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। रसोइयों के लिए कुकिंग में डिप्लोमा होना आवश्यक नहीं हैं।

(घ) रसोइयों की अकाल मृत्यु की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसके बावजूद योधी सिपाही रसोइयों को 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होने पर पूरी पेंशन दी जाती है।

कोस्टल गार्डों की भर्ती

5231. श्री ओस्कर फर्नान्डीज : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में "कोस्टल गार्डों" की भर्ती की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें भर्ती किए गए तटवर्ती लोगों की प्रतिशतता क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) तट रक्षक संगठन में सीधी भर्ती जनवरी, 1980 से शुरू की गई है।

(ख) अब तक भर्ती किए गए उम्मीदवारों में से 57% उम्मीदवार समुद्र तटीय राज्यों से भर्ती किए गए हैं।

पंजाब में एक व्यापार गृह का औद्योगिक लाइनों पर एकाधिकार

5232. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में केवल एक ही व्यापार गृह के करोड़ों रुपयों के औद्योगिक लाइसेंस/अनिवार्यता प्रमाणपत्र मिले हुए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उस गृह के बहुत से उद्योगों को केवल कागजों में दिखाया हुआ है;

(ग) क्या पंजाब और दिल्ली के समाचारपत्रों ने बहुत सी रिपोर्टें प्रकाशित की हैं जिनमें इस घोटाले का समाचार दिया है; और

(घ) ठगी के इन मामलों में सरकार ने कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है तथा इन व्यक्तियों के विरुद्ध अन्य क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1980 से 1981 (अक्तूबर, 1981 तक) के दौरान उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन पंजाब में किसी को दो से अधिक आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिए गए हैं।

(ख) से (घ) यदि सरकार के ध्यान में किसी भी विशेष मामले को लाया जाएगा, तो उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

स्थापनाओं के लिए कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 19 52 को लागू करना

5233. **श्री सतीश प्रताप सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम को उन स्थापनाओं पर लागू करने की क्या स्थिति है जिनमें 10 या इससे अधिक श्रमिक काम करते हैं विशेषकर उस हालत में जबकि सरकार ने उच्च शक्ति प्राप्त समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है;

(ख) क्या सरकार निर्धन औद्योगिक श्रमिकों के हित में इस संबंध में संसद् के वर्तमान सत्र में एक विधेयक प्रस्तुत करेगी या अध्यादेश के जरिए संशोधन करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार अधिनियम में संशोधन करने के लिए कितना समय लगाएगी और असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 में संशोधन करने के प्रस्ताव पर कुछ शर्तों के अधीन, अधिनियम के कुछ अन्य उपबन्धों में संशोधनों के साथ विचार किया जा रहा है ताकि इसे उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू किया जा सके, जिसमें दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। चूंकि कई उपबन्धों में संशोधन की परिकल्पना की गई है, इसलिए इन प्रस्तावों की विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा सावधानी पूर्वक जांच की जाएगी। अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधेयक यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।

न्यूनतम मजूरी

5234. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की वर्तमान निर्धारित न्यूनतम मजूरी, 1981 के जीवन-निर्वाह लागत सूचकांक के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) ऐसे रोजगारों के, जिनके लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण/पुनरीक्षक के लिए केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है—

खनन रोजगारों से संबंधित न्यूनतम मजदूरी दरें हाल ही में निर्धारित/संशोधित की गई हैं और वे सितम्बर, 1980 के अन्त में 12 महीने के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 380 से संबंधित हैं।

कृषि में रोजगारों से सम्बन्धित न्यूनतम मजदूरियां 12 महीने के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 329 से संबंधित है, औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बढ़कर 380 हो जाने के फलस्वरूप इन मजदूरियों को बढ़ाने का प्रस्ताव अधिसूचित कर दिया गया है।

भवन और निर्माण उद्योग के रोजगारों से संबंधित न्यूनतम मजदूरियां भी औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 329 से सम्बन्धित हैं, औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 380 तक बढ़ जाने के फलस्वरूप मजदूरी के पुनरीक्षण का प्रस्ताव अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेजा गया है, उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है।

अक्तूबर, 1981 के अन्त तक औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 432 तक बढ़ जाने के फलस्वरूप, इन सभी रोजगारों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी में और आगे संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ करने का प्रशिक्षण देने वाला स्कूल

5235. **श्री रशीद मसूद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 नवम्बर, 1981 के "ट्रिब्यून" में इस आशय के प्रकाशित

समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में पुलिस चौकी के साये में महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ की "कला और तकनीक" सिखाने वाला एक स्कूल चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की गई थी किन्तु समाचार में लगाए गए आरोपों में कोई सार नहीं पाया गया ।

सचिवालीय सेवाओं के पुनः केन्द्रीयकरण की मांग

5236. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय अराजपत्रित कर्मचारी संघ तीन सचिवालय सेवाओं केन्द्रीय सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवाएं; (के० स० लि० से०) केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं (के० स० से०); तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवाएं के० स० आ० से०) के पुनः केन्द्रीयकरण की मांग कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर इन सेवाओं को वर्तमान विकेन्द्रीत आधार पर प्रशासित होने दिया जा रहा है विशेष रूप से जबकि अनेक विसंगतियां पैदा हो गई हैं और इससे कर्मचारियों में व्यापक असन्तोष व्याप्त है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) केन्द्रीय सचिवालय अराजपत्रित कर्मचारी संघ से, जो एक मान्यता प्राप्त निकाय नहीं है, वर्ष 1978 में ऐसी मांग प्राप्त हुई थी ।

(ख) बेहतर कार्मिक प्रबन्ध के हित में इन तीन सेवाओं को विकेन्द्रीकृत किया गया था। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में इसी प्रकार के वर्गों के कर्मचारियों की उन्नति के अवसरों में असन्तुलन को न्यूनतम सीमा तक घटा कर कम से कम करने के लिए, जोनिंग योजना पहले ही लागू तथा कार्यान्वित कर दी गई है ।

राज्यों में अननुमोदित प्राप्त सिंचाई परियोजनाएं

5237. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त किए बिना सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा इन अननुमोदित सिंचाई परियोजनाओं पर अनुमानतः कितनी राशि व्यय की गई है और क्या राज्य सरकारों द्वारा ये राशि परियोजनाओं के लिए आबंटित राशि से दी गई है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां,

(ख) और (ग) राज्यवार स्कीमों की संख्या, उनकी अनुमानित लागत और वर्ष 1980-81 के अंत तक उन स्कीमों पर व्यय के आंकड़े संलग्न हैं। सिंचाई की स्कीमें उनके औपचारिक अनुमोदन से पहले ही योजनाओं में नाम से शामिल की जाती हैं तथा उन स्कीमों के अनुमोदन के अधीन योजना में परिव्ययों की व्यवस्था की जाती है।

(घ) योजना आयोग ने राज्य सरकारों को परिपत्र जारी किए हैं कि उन्हें योजना आयोग का पहले से अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई बड़ी और मझौली नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू नहीं करनी चाहिए। वार्षिक योजना के विचार-विमर्श के समय भी इस बात पर जोर दिया जाता है कि इन स्कीमों की स्वीकृति जल्दी दी जानी चाहिए। कई मझौली स्कीमों की परियोजना रिपोर्टें या प्रपत्र प्राप्त हुए हैं और केन्द्रीय जल आयोग में उनकी जांच की जा रही है। राज्य सरकारों और केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों के बीच वैयक्तिक विचार-विमर्श करके उनकी स्वीकृति जल्दी कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

अननुमोदित सिंचाई स्कीमें

(करोड़ रुपये)

क्र० सं०	राज्य	स्कीमों की संख्या	अनुमानित लागत	वर्ष 1980-81 के अंत में व्यय
1.	आंध्र प्रदेश	7	311.72	35.76
2.	बिहार	10	628.75	99.79
3.	गुजरात	33	3034.45	110.07
4.	हरियाणा	12	274.81	116.61
5.	कर्नाटक	9	159.47	28.10
6.	केरल	9	202.37	18.03
7.	मध्य प्रदेश	23	1216.33	146.97
8.	महाराष्ट्र	70	764.38	63.73
9.	उड़ीसा	4	104.61	0.54
10.	पंजाब	6	106.23	48.26
11.	राजस्थान	1	313.96	0.97
12.	तमिलनाडु	8	46.98	21.17
13.	उत्तर प्रदेश	15	356.16	49.59
14.	पश्चिमी बंगाल	3	112.42	0.57
	उप जोड़ (राज्य)	210	7632.74	740.16
	संघ राज्य क्षेत्र			
	गोवा, दमण और दीव	*	36.16	2.39
	कुल जोड़	210	7668.90	742.53

* महाराष्ट्र के साथ संयुक्त स्कीम

एयर इण्डिया तथा भारत पर्यटन विकास निगम में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कार्योत्तर मंजूरी

5238. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या गृह मंत्री सरकारी विभागों/मंत्रालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों को तैनात करने के बारे में दिनांक 9 सितम्बर, 1981 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3445 के भाग (ख) और (ग) के उत्तरों के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय द्वारा एयर इण्डिया तथा भारत पर्यटन विकास निगम में मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग से मांगी गई कार्योत्तर मंजूरी दे दी गई है;

(ख) क्या यह भी सुनिश्चित कर लिया गया है कि नियुक्तियों को अंतिम रूप से स्वीकृति देने से पहले सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाता है; और

(ग) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर नकारात्मक है तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करने के विचार से सभी संबंधितों को उपयुक्त अनुदेश जारी करें कि मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग से पूर्व-परामर्श करने और उसकी स्वीकृति लेना संबंधी आवश्यकता का पूर्णतः पालन किया जाता है ।

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय से मांगे गए कतिपय स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है ।

राज्यों में पेयजल सप्लाई योजनाएं, सिंचाई योजनाएं और ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

5239. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में पेय जल सप्लाई योजनाओं, सिंचाई योजनाओं और ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन राज्यों में इस प्रकार का मूल्यांकन कार्य चालू वर्ष के दौरान किया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में स्थिति निम्नलिखित है :—

(क) (1) पीने के पानी की पूर्ति करने से संबंधित स्कीमें ... जी, नहीं

	(2)	सिंचाई स्कीमें	...	जी, नहीं
	(3)	ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमें	...	जी, हां
(ख)	(1)	पीने के पानी की पूर्ति करने से संबंधित स्कीमें	...	प्रश्न उपस्थित नहीं होता
	(2)	सिंचाई स्कीमें	...	प्रश्न उपस्थित नहीं होता
	(3)	ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमें	...	अखिल भारतीय अध्ययन की रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब शामिल हैं।
(ग)	(1)	पीने के पानी की पूर्ति करने से संबंधित स्कीमें	...	गरीबों के लिए ग्रामीण जल पूर्ति की व्यवस्था—इसका एक त्वरिक मूल्यांकन अध्ययन वर्ष 1978-79 में किया गया था, जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के राज्य शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष में कोई नया अध्ययन करने का विचार नहीं है
	(2)	सिंचाई स्कीमें	...	चालू वित्त वर्ष में इस प्रकार के अध्ययन का कोई विचार नहीं है।
	(3)	ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमें	....	जी नहीं

अवर सचिव का स्तर बढ़ाकर उप सचिव किया जाना

5240. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवा तथा अन्य ग्रुप "ए" सेवाओं के अधिकारियों की जो केन्द्रीय सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर उप सचिव के पद पर कार्य कर रहे हैं; उनके लिए स्तर वृद्धि नीची होने के कारण उनके संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा उनकी सेवाओं को सिलेक्शन ग्रेड में शामिल किए जाने पर स्वतः निदेशकों के पदों पर पदोन्नत कर दिया जाता है;

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय अधिकारियों के लिए उप सचिव का पद एक सिलेक्शन ग्रेड पद है;

(ग) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की, जो उप सचिवों के पदों पर नियुक्ति के लिए सूची में शामिल कर लिए जाते हैं उसी प्रक्रिया से सूची में शामिल करने पर अवर सचिव के स्तर से उप सचिव के स्तर पर पदोन्नत करने के लिए भी पात्र होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस भेद-भाव के कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या): (क) जी नहीं, श्रीमान्। अखिल भारतीय सेवा-केन्द्रीय सेवाएं समूह "क" के जो अधिकारी केन्द्र में उप सचिव के पद पर कार्यकाल प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य कर रहे हैं तथा जिन्हें अपने-अपने संवर्गों में 2000-2250 रुपये का ग्रेड मंजूर किया गया है, उन पर, उप सचिवों के पदों का पदनाम बदलकर उनके लिए वैयक्तिक रूप में निदेशक का पद बनाकर निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि सम्बन्धित अधिकारियों ने चौदह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। ऐसी नियुक्तियां मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन से की जाती है।

(ख) जी हां, श्रीमान्। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों का चयन ग्रेड 1500-2000 है।

(ग) पैनल में शामिल किए गए अधिकारियों की अवर सचिव के स्तर से उप सचिव के स्तर पर स्वतः पदोन्नति किए जाने की नियमों में कोई व्यवस्था नहीं है।

(घ) ऐसा कोई भेदभाव नहीं है क्योंकि किसी भी सेवा के अधिकारियों के लिए अवर सचिव स्तर के पद से उप सचिव स्तर के पद में स्वतः ही अपग्रेडेशन नहीं होता।

आर० के० पुरम, नई दिल्ली में सूअरों का खतरा

5241. श्री टी० एस० नेगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सैक्टर-4, आर० के० पुरम के निवासी सूअरों के खतरे से तंग आ चुके हैं क्योंकि उनके किचन गार्डन इन आवारा सूअरों द्वारा नष्ट किए जा रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार इस संकट को शीघ्र दूर करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचना दी है कि उनको सेक्टर-4 रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के निवासियों से कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु उन्होंने अपने पशु पकड़ने वाले कर्मचारियों को अनुदेश दिए हैं कि वे जब कभी आवश्यक हो सेक्टर-4 रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली से सूअर पकड़ लें।

भूतपूर्व असैनिक स्कूल मास्टरों का वेतन-संरक्षण

5242. श्री जगपाल सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से ऐसे असैनिक स्कूल मास्टरों जिन्हें अतिरिक्त (सरपलस) घोषित किया गया था और जिन्हें वैकल्पिक रोजगार देने हेतु रक्षा मंत्रालय के अधीन विभिन्न कार्यों पर लगाया गया था के उनके द्वारा स्कूल मास्टरों के रूप में लिए गए मूल वेतन को गृह मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 1968 में जारी किए गए अनुदेशों के बावजूद संरक्षित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे असैनिक स्कूल मास्टरों का वेतन संरक्षित करने तथा उनको हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या जिन व्यक्तियों का स्थानांतरण किया जाता है उनकी वरिष्टता में हिसाब लगाने के प्रयोजनों के लिए रक्षा मंत्रालय के विभिन्न 'विंगों' को एक विभाग के रूप में समझा जाता है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) गृह मंत्रालय द्वारा 1968 में जारी किए गए अनुदेश रक्षा मंत्रालय पर जून, 1981 तक लागू नहीं थे। इसलिए उक्त अनुदेशों के संदर्भ में वेतन संरक्षण पहले के मामलों पर लागू नहीं होता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। क्योंकि नीति विषयक मामले के अनुसार इस मंत्रालय की निम्न विरचनाओं में वरिष्ठता कोरसर्विस के आधार पर गिनी जाती है।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में आंकड़े एकत्रित करने की समस्याओं पर दिल्ली में समीनार

5243. श्री सी० टी० दण्डपाणि : योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सांख्यिकी विभाग ने नई दिल्ली में 27-29 सितम्बर, 1981 को उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण में आंकड़े एकत्र करने की समस्याओं पर एक सेमीनार आयोजित किया था; और

(ख) यदि हां, तो आंकड़े एकत्र करने की तकनीकों और इसके विस्तार में सुधार करने के लिए इसकी विस्तृत सिफारिशें क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां। यह विचार गोष्ठी केवल राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अधिकारियों तक ही सीमित थी।

(ख) सिफारिशों की एक प्रति संलग्न है।

विवरण

1—सहायक अधीक्षकों और अधीक्षकों को उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के सम्बन्ध में दिए गए प्रशिक्षण के लिए पाठ्यचर्या की समीक्षा की गई और व्यावहारिक प्रशिक्षण पर अधिक जोर देते हुए समुचित परिवर्तन की सलाह दी गई।

2—क्षेत्र कार्य में लगे हुए क्षेत्र कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए एक विस्तृत "अनुदेश सम्बन्धी नियम पुस्तिका" तैयार की जानी चाहिए। निर्धारित वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण सम्बन्धी अनुसूचियों को भरने के लिए कारखाना प्रतिष्ठानों के मार्गदर्शन के लिए एक सरल और संक्षिप्त नियम पुस्तिका तैयार की जानी चाहिए।

3—आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्षेत्र संवीक्षा की एक विकेन्द्रीकृत प्रणाली प्रारम्भ की जानी चाहिए।

4—आंकड़ा संग्रहण अधिनियम, 1953 के अधीन वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण सम्बन्धी विवरणियों को भरने के सम्बन्ध में उद्देश्यों तथा सांविधिक आवश्यकताओं के बारे में पर्याप्त प्रचार होना चाहिए। कारखाना प्रतिष्ठानों द्वारा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण सम्बन्धी विवरणियों को समय पर प्रस्तुत करने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए और विलम्ब को कम करने के लिए अभियोजन प्रणाली को सरल बनाया जाए और अधिनियम के प्रावधानों को अधिक भयोत्पादक बनाया जाए।

मैसर्स महाराष्ट्र स्कूटर्स द्वारा शेयरधारियों को स्कूटरों का आवंटन

5244. **श्री रामनाथ दुबे** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स महाराष्ट्र स्कूटर्स के शेयरधारियों को लाट्री निकालकर प्राथमिकता के आधार पर स्कूटरों का आवंटन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने शेयरधारियों की लाट्री नहीं निकली; और

(ग) जून, 1981 तक कितने असफल शेयरधारियों ने अपने शेयर बेच दिए थे ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) मैसर्स महाराष्ट्र स्कूटर्स ने बताया है कि एक योजना थी जिसके अधीन प्रारम्भिक शेयरधारियों को प्राथमिकता के आधार पर स्कूटर्स आवंटित किए गए थे।

(ख) 318.

(ग) 73.

तमिलनाडु राज्य में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अंतर्गत मुकदमें

5245. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम्** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य में कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14(2ए) के अन्तर्गत कोई मुकदमें शुरू किए गए है, यदि हां, तो कितने; और

(ख) यदि हां, तो नियोकताओं के नाम और ब्यौरा क्या है और मुकदमें के क्या परिणाम रहे ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 14(2क) के अधीन तमिलनाडु राज्य में कोई अभियोजन मामला चलाया नहीं गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बालचंद ग्रुप को लाइसेंस जारी करना

5246. **श्री चतुर्भुज :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालचंद ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज की किसी फर्म को या उसमें अत्यधिक हित रखने वाली किसी फर्म को कोई औद्योगिक लाइसेंस और या आशयपत्र जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी ने औद्योगिक लाइसेंस अथवा आशयपत्र के लिए कोई आवेदन पत्र दिया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जनवरी—अक्तूबर, 1981 के दौरान एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार-अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी भी उपक्रम को तथा बालचन्द समूह के किसी भी उद्योग को आशयपत्र अथवा औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जनवरी—अक्तूबर, 1981 की अवधि में बालचन्द उद्योग समूह के किसी भी उपक्रम से औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए सेना का उपयोग करने के लिए प्रस्ताव

5247. **श्री ईरा अनबारासु :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शांति काल के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भारतीय सेना की सेवाओं का उपयोग करने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार विभिन्न विकास परियोजनाओं में भारतीय सेना की सेवाओं का उपयोग करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम बनाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) सेना का मुख्य कार्य देश की सीमाओं और राज्य क्षेत्र की अखंडता की रक्षा करना है। इसके लिए शांति काल में भी सतत प्रशिक्षण जरूरी है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को जोखिम में डाले बिना, सेना को उसके मुख्य कार्य से, अन्य कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। किन्तु कानून और व्यवस्था बनाए रखने या दैवी प्रकोपों के समय उससे प्रभावित जनता को राहत पहुंचाने जैसे अन्य कार्यों में सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए सेना का उपयोग किया जाता है।

देश में सीमेंट की अत्यधिक कमी

5248. श्री एस० टी० सिंदनाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट की अत्यधिक कमी से सड़क निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सीमेंट की कमी से गम्भीर स्थिति बन गई थी;

(ग) क्या सीमेंट के उपयुक्त विकल्पों का विकास करने का विचार है; और

(घ) इस समस्या को हल करने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) देश में सीमेंट का सामान्यतः अभाव है । इस सीमा तक सड़क निर्माण कार्य पर पड़ रहे इसके प्रतिकूल प्रभाव की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता ।

(ग) प्रतिस्थापित अन्य निर्माण सामग्री द्वारा आदि सीमेंट की बचत के लिए किए जाने वाले विभिन्न अभ्युपायों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

(घ) विद्यमान क्षमता का बेहतर प्रयोग करके, नई क्षमताओं और आयात की स्वीकृति देकर सरकार देश में सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हर प्रयास कर रही है ।

आटोमोबाइल ट्रैक्टर तथा ए० डी० बी० टायरों और ट्यूबों के मूल्यों में वृद्धि

5249. श्री मूलचन्द डागा :

श्री पी० एम० सुब्बा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टायर उत्पादकों द्वारा आटोमोबाइल ट्रैक्टर तथा ए० डी० वी० टायरों और ट्यूबों के मूल्यों में बार-बार मनमाने ढंग से और अन्धाधुंध वृद्धि करने की जानकारी है;

(ख) क्या उद्योग मंत्रालय को दिल्ली टायर ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से टायर उत्पादकों के एकाधिकारपूर्ण रवैये तथा उनकी मनमानी कार्यवाही से उत्पन्न शिकायतों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या सरकार अनिवार्य रूप से मूल्यों को वर्तमान स्तर पर स्थिर करने के बारे में विचार कर रही है, जैसा कि एसोसिएशन ने मांग की है; और

(घ) यदि इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार को टायर उत्पादकों द्वारा आटोमोबाइल, ट्रैक्टर तथा ए० डी० वी०, टायर और ट्यूबों की हाल ही में की गई मूल्य वृद्धि की जानकारी है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) : आटोमोबाइल टायर/ट्यूबों के मूल्य तथा वितरण पर कोई भी औपचारिक तथा अनौपचारिक नियंत्रण नहीं है । फिर भी, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरों से उत्पादकों के इस दावे की कि मूल्यों में बढ़ोतरी कच्चे माल तथा दूसरे अपरिहार्य लागत तत्वों की मूल्य वृद्धि के कारण की गई है की जांच करने का तथा सरकार को भविष्य में उचित उपायों की सलाह देने का अनुरोध दिया गया है ।

जी० आई० पाइपों का निर्माण

5250. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जी० आई० पाइपों के निर्माण पर रोक लगा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि जी० आई० पाइपों का निर्यात किया जा रहा हैं;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन सालों में निर्यात किए गए जी० आई० पाइपों के अनुमानित मूल्य क्या थे; और

(ङ) क्या सरकार देश में और देश से बाहर जी० आई० पाइपों की बहुत अधिक मांग को ध्यान में रखते हुए जी० आई० पाइपों के निर्माण पर लगी रोक में ढील देने पर विचार करेगी ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ)

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1978-79	43.79
1979-80	29.65
1980-81	36.00

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत में कम्प्यूटर के प्रयोग के बारे में नीति

5251. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी और अर्धसरकारी संस्थानों और सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों में कम्प्यूटर के प्रयोग के बारे में सरकार की नीति क्या है; और

(ख) उपर्युक्त कार्यालयों में कम्प्यूटरों के निर्माण और उनकी लगाने के सम्बन्ध में सरकार किस प्रकार सहायक होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) कम्प्यूटरों के प्रयोग के सम्बन्ध में सरकार की नीति सम्पूर्णतः उनके अनुप्रयोग की आवश्यकता पर आधारित है और सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्थाओं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र भी शामिल है, के लिए अलग से कोई नीति नहीं है।

(ख) सरकार उन सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो ऐसी परियोजनाओं में संलग्न हैं, जिनके फलस्वरूप कम्प्यूटर-निर्माण, उनके प्रतिष्ठापन और उनके अनुरक्षण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल होती है।

विकास को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन

5252. श्री राजेश पाइलट : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले साल विकास को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के बारे में सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो समिति की कितनी बैठकें हुई और समिति ने क्या सुझाव दिए; और

(ग) सरकार इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है और अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां,।

(ख) इस कार्यकारी दल की दिनांक 22 अक्तूबर, 1980 तथा 10 से 12 नवम्बर, 1980 को दो बैठकें हुई थी और इसने कुछ अंतरिम सिफारिशें की थीं जो छठी पंचवर्षीय योजना के शिक्षा के अध्याय में शामिल की गई थीं।

(ग) इस कार्यकारी दल को अभी अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है जिसके बाद उस पर विभिन्न अभिकरणों द्वारा विचार किया जाएगा तथा उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली पुलिस द्वारा अशोक बिहार में मकान पर छापा मारना

5253. श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने 26 सितम्बर, 1981 को अशोक बिहार के एक मकान में छापा मारा;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस छापे में अनेक कारतूस और अफीम पकड़ी गई; और

(ग) यदि हां, तो घटना का पूरा ब्यौरा क्या है और महिलाओं सहित कुल कितने लोग पकड़े गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) छापे के दौरान 22 बोर के 19 कारतूस और 10 ग्राम अफीम पकड़ी गई।

(ग) यह समाचार मिलते ही कि अशोक विहार में एक मकान विशेष का जुए के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, 26-9-1981 को तलाशी लिए जाने का वारंट प्राप्त किया गया और मकान पर छापा मारा गया। सात महिलाएं जुआ खेलते पकड़ी गयी। उन्हें गिरफ्तार किया गया और दांव पर लगी (1340 रुपए) जब्त कर ली गयी। जुआ अधिनियम की धारा 3/4/9/55 के अधीन 26-9-1981 को एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 416 दर्ज किया गया अपराधी व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और उन्हें 500-500 रुपये का जुर्माना देने या जुर्माना न दिए जाने पर 5 दिन की साधारण कैद की सजा दी गई। कारतूस और अफीम पकड़े जाने के संबंध में, आयुध अधिनियम और अफीम अधिनियम के संगत उपबन्धों के अधीन दो और मामले दर्ज किए गए। जबकि आयुध अधिनियम के अधीन मामला विचारणाधीन है, अफीम अधिनियम के अधीन मामले की जांच पड़ताल होनी है।

रोजगार कार्यालय में कम्प्यूटरों के प्रयोग के बारे में मैथ्यू समिति की रिपोर्ट

5254. **श्री रणजीत सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैथ्यू आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि रोजगार कार्यालयों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कम्प्यूटरों का जरूर प्रयोग करना चाहिए;

(ख) क्या यह सुझाव मान लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो रोजगार कार्यालय में कम्प्यूटर कब से शुरू किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) मैथ्यू समिति ने सिफारिश की है कि ऐसे सभी राज्य निदेशालयों में आधुनिक आंकड़ा प्रक्रिया सुविधाओं की व्यवस्था करने पर विचार किया जाए जिनके चालू रजिस्टर पर एक लाख से अधिक उम्मीदवार हों।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार का निर्णय सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को कार्यान्वयन के लिए सूचित किया गया है क्योंकि रोजगार कार्यालय उनके पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे हैं।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा विज्ञान प्रगति के मुख्य सम्पादक के विरुद्ध दायर की गई याचिका

5255. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान प्रगति के मुख्य सम्पादक के विरुद्ध सीएसआईआर द्वारा उच्च न्यायालय में दायर की गई रिवीजन पिटीशन की सुनवाई आरम्भ हो गई है और यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय हुआ है;

(ख) विज्ञान प्रगति के मुख्य सम्पादक द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् तथा अन्यों के विरुद्ध दायर किए गए मुख्य मुकदमों की क्या स्थिति है;

(ग) क्या यह सच है कि उस अधिकारी ने अपनी इस मांग के समर्थन में कि उसकी पदोन्नति के मामले पर विचार किया जाना चाहिए, मई, 1981 में भूख हड़ताल की थी; और

(घ) क्या यह सच है कि उसे यह आश्वासन दिया गया था कि उसकी पदोन्नति के मामलों पर विचार किया जाएगा, और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) दिल्ली उच्च न्यायालय में सीएसआईआर द्वारा फाइल की गई पुनर्विचार प्रार्थना अभी विचाराधीन है;

(ख) इस मुकदमे के वादी डॉ० ओ० पी० शर्मा (संपादक, विज्ञान-प्रगति) ने अपनी साक्षियां पूरी कर दी हैं, इस मुकदमें के प्रतिवादी सीएसआईआर की साक्षियों के लिए दिनांक 3-2-1982 निश्चित की गई है;

(ग) और (घ) डॉ० ओ० पी० शर्मा दो दिन 26 और 27 मई, 1981 को भूख हड़ताल पर थे जो उन्होंने विज्ञान-प्रगति के कार्यकलापों की जांच हेतु समिति के गठन के विरोध में की थी न कि अपनी पदोन्नति के लिए। भूख-हड़ताल की सूचना प्राप्त होने पर महानिदेशक महोदय डॉ० शर्मा से मिलने गए। डॉ० शर्मा ने महानिदेशक महोदय की बात मानकर भूख-हड़ताल समाप्त कर दी। महानिदेशक ने प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय के प्रधान संपादक को उक्त समिति का विघटन करने की सलाह दी क्योंकि सीएसआईआर के समस्त प्रकाशनों की वे (महानिदेशक) स्वयं ही समीक्षा करने वाले थे।

अल्प संख्यक आयोग के सदस्यों की संख्या में कमी करना

5256. **श्री आर० के० महालगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्प संख्यक आयोग के सदस्यों की संख्या कम करके एक चेयरमैन और एक सदस्य कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति किए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार आयोग को सांविधिक दर्जा देने के लिए संसद् के समक्ष एक विधेयक लाने का है;

(घ) आयोग का 1980-81 का प्रतिवेदन संसद् के पटल पर कब रखा जायेगा; और

(ङ) क्या आयोग ने 1 अप्रैल, 1981 से अपने वार्षिक प्रतिवेदन के अलावा कोई अन्य प्रतिवेदन अथवा सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत की है, यदि हां, तो सिफारिशों का संक्षिप्त ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चालू सत्र में संसद् के समक्ष ऐसा कोई विधेयक लाए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) रिपोर्ट की छपी हुई प्रतियां अभी तक अल्प संख्यक आयोग से प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ङ) 1980 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अतिरिक्त, अल्प संख्यक आयोग ने अपने ध्यान में लाये गए कुछ मामलों के संबंध में सिफारिशें की हैं :—

(1) शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त एक संदर्भ पर, शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर टिप्पणियां;

(2) सिद्धपुर, जिला महसाना (गुजरात) की जामा मस्जिद के न्यासियों से प्राप्त एक शिकायत;

(3) समाचार पत्र में एक लेख जिसमें आयोग का ध्यान उस घटना की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें एक कृपाणधारी सिख को इंडियन एयर फ्लाइट के जाने की अनुमति नहीं दी गई;

(4) एक ऐसे स्कूल में उर्दू अध्यापक की नियुक्ति न किए जाने के बारे में शिकायत, जिसमें उर्दू माध्यम से पढ़ने के इच्छुक छात्र हैं;

(5) बेतिया, बिहार में एक शरणार्थी शिविर से शरणार्थियों को तितर-बितर किए जाने के खिलाफ शिकायत।

अन्य देशों में मजदूरों को भेजने के लिए एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन

5257. श्री पीयूष तिरकी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से कुशल और अकुशल मजदूरों को बाहर भेजने के लिए किसी एजेंसी का रजिस्टर्ड होना आवश्यक है;

(ख) भारत में ऐसी कितनी एजेंसियां हैं;

(ग) किसी एजेंसी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवश्यक शर्तें और अपेक्षाएं क्या हैं;

(घ) क्या ये एजेंसियां बाहर जाने वाले लागों से हजारों रुपये लेने की अधिकृत है;

(ङ) क्या सरकार को मालूम है कि काम के लिए बाहर जाने वाले लोगों को स्टाम्प पेपर में एजेंट को कोई धन नहीं दिया गया लिखने के लिए बाध्य किया जाता है भले ही उन्होंने बहुत बड़ी धनराशि का पहले ही भुगतान कर दिया हो;

(च) क्या विदेश मंत्री लोगों को बाहर भेजने वाली किसी एजेंसी से सम्बद्ध हैं; और

(छ) क्या सरकार अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त एजेंटों के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही करेगी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) इस प्रकार की शिकायतें समय-समय पर सूचित की जाती हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) एजेंटों द्वारा किसी प्रकार के गैरकानूनी कार्यकलापों को उपयुक्त पुलिस प्राधिकरणों के पास भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, उत्प्रवास अधिनियम, 1922 के स्थान पर सरकार नया कानून ला रही है ताकि श्रमिकों के शोषण को रोका जा सके।

आयुध कारखाना, अम्बाझारी के भूतपूर्व सुपरवाइजरों-ए के वेतन का गलत निर्धारण

5258. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आयुध कारखाना, अम्बाझारी के भूतपूर्व सुपरवाइजरों-ए के वेतनमानों के गलत निर्धारण के बारे में आकर्षित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इन कर्मचारियों की भारी हानि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों का वेतन समुचित रूप से निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस पर विचार किया जा रहा है।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए छठी योजना में कुल परिव्यय

5259. **श्री के० बी० चौधरी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए छठी योजना में कुल कितना परिव्यय रखा गया है; और

(ख) क्या बीजापुर जिले के प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है और कोई आबंटन किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों के लिए कुल परिव्यय 175 करोड़ रू० है। विभिन्न राज्यों द्वारा भी इतना ही अंशदान किया जाना है।

(ख) कर्नाटक का बीजापुर जिला सूखा-प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गम आता है। इस जिले के ग्यारह खंड इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। राज्य सरकार के अनुरूपयोजी अंशदान सहित इस जिले को आबंटित की गई कुल धनराशि 165 लाख रु० प्रतिवर्ष होती है।

छावनी के सिविल क्षेत्र में दूसरी अतिरिक्त मंजिल का निर्माण

5260. **श्री सूरज भान :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के कोई आम अनुदेश हैं जो छावनियों के सिविल क्षेत्रों में दो अतिरिक्त मंजिल के निर्माण और खाली पड़ी भूमि पर निर्माण किए जाने पर प्रतिबंध लगाते हैं;

(ख) क्या ये अनुदेश छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं और इनसे भेदभाव उत्पन्न होता है; और

(ग) सरकार का विचार इस विसंगति और भेदभाव को किस तरह और कब दूर करने का है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) और (ख) रक्षा भूमियों पर स्थित पुर्नग्रहणाधिकार अवधियों की इमारतों के वर्तमान कुर्सी क्षेत्र को बढ़ाने पर सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं। ये अनुदेश भूमि पर सरकार के स्वामित्व के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं और ये छावनी अधिनियम, 1924 के अधीन छावनी बोर्डों द्वारा बनाई गई नगर पालिका उपविधि से अलग हैं। वर्तमान नीति के अनुसार यदि सिविल क्षेत्रों में पुर्नग्रहणाधिकार को फ्री होल्ड के रूप में बदल दिया जाता है तो उनपर ये प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे लेकिन छावनी क्षेत्रों में किए गए सभी निर्माण कार्यों पर छावनी अधिनियम, 1924 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत छावनी बोर्ड द्वारा बनाई गई उपविधियां लागू होती हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अधीक्षकों और सहायकों के वेतनमानों में संशोधन

5261. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासधारियों के केन्द्रीय बोर्ड ने भारत सरकार, श्रम मंत्रालय से अधीक्षकों तथा सहायकों के पदों के वेतनमानों में संशोधन करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

बिहार में गया में एक और सैनिक प्रशिक्षण शिविर की स्थापना का प्रस्ताव

5262. **श्री रुद्र प्रताप पाडंगी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया बिहार में एक सैनिक प्रशिक्षण शिविर है ;

(ख) क्या उक्त शिविर के निकट मगध मैडिकल कालेज अस्पताल स्थित है;

(ग) क्या सैनिक प्रशिक्षण शिविर तथा मगध मैडिकल कालेज अस्पताल एक दूसरे के पुरक हैं;

(घ) क्या उक्त संस्थान पर एक और सैनिक प्रशिक्षण शिविर स्थापित करने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या मगध मैडिकल कालेज का मंत्रालय द्वारा अधिकरण किए जाने का विचार है और यदि हां, तो कब तक ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) गया, बिहार में एक सेना सेवा कोर प्रशिक्षण केन्द्र है ।

(ख) जी हां ।

(ग) से (ङ) जी नहीं ।

जगुआर की मिग-23 से तुलना

5263. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन के जगुआर और सोवियत रूप के मिग-23 में कौन-सा अधिक शक्तिशाली तथा अधिक दूरी तक मार करने वाला है;

(ख) क्या मिराज 2000 को अधिक दूरी तक मार करने की शक्ति को देखते हुए वह अधिक उपयोगी होगा;

(ग) क्या सरकार का विचार अपनी रक्षा पंक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए जगुआर और मिग-23 भी खरीदने का है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) और (ख) युद्धक विमान विशिष्ट प्रकार की भूमिका निभाते है और उन्हें शक्ति या दूर तक मार करने की क्षमता के रूप में देखना ठीक नहीं । जगुआर विमान दूर तक सीमा के अन्दर घुसकर मार करने के लिए तैयार किया गया है और समान रूप का काम करने वाले मिग-23 की तुलना में इसकी दूर तक मार करने की अच्छी क्षमता है । मिराज 2000 बहु-प्रयोजनीय कार्यों को करने के लिए बनाया गया है । यह आकाश से आकाश तथा आकाश से भूमि पर मार करने की क्षमता रखता है।

(ग) सरकार ने पहले ही कुछ जगुआर और मिग-23 विमान प्राप्त कर लिए हैं ।

(घ) अधिक विस्तार से बताना लोक हित में नहीं होगा ।

उप-आयुक्त, असम की हत्या की जांच

5264. **श्री के० राममूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में श्री पार्थसारथी, उप-आयुक्त की हत्या के बारे में की गई जांच रिपोर्ट पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) श्री पार्थसारथी, आयुक्त, अपर असम डिविजन, जोरहाट की हत्या के मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में वितरित की गई मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

5265. श्री अनादि चरण दास : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 1980-81 और 1981-82 के दौरान कुल कितनी राशि की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां वितरित की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कितने छात्रों को लाभ मिला;

(ग) क्या सरकार को उड़ीसा के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति छात्र संघ से उनकी छात्रवृत्तियां बढ़ाने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है; और

(ङ) उनकी छात्रवृत्तियां बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1980-81 के दौरान उड़ीसा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भारत सरकार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों पर खर्च की गई राशि 81.16 लाख रुपए थी। 1981-82 के दौरान इस योजना पर 113.41 लाख रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है।

(ख) 1980-81 के दौरान लाभान्वित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या 9527 थी। 1981-82 के दौरान 10580 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लाभान्वित होने की आशा है।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की दरों में पहले ही वृद्धि कर दी है। छात्रवृत्ति देने की पात्रता के लिए अधिकतम आय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। ये दोनों संशोधन 1-7-1981 से लाग है। संशोधन का विवरण संलग्न है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों और छात्राओं के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की संशोधित दरें और माता/पिता/अभिभावक/संरक्षकों की आय सीमा नीचे दी गई है : (वर्तमान दरें कोष्ठकों में दिखाई गई है)

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

	दिन में स्कूल जाने वाले		छात्रावासों में रहने वाले	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
	(रुपए)		(रुपए)	
ग्रुप-क				
1. मेडीकल और इंजीनियरिंग				
प्रथम वर्ष	100(75)	110(85)	185(185)	195(195)
द्वितीय वर्ष	100(75)	115(90)	185(185)	200(200)
2. बी० वी० एस० सी० बी० एस० सी० (कृषि)				
प्रथम वर्ष	100(75)	110(85)	185(125)	195(135)
द्वितीय वर्ष और आगे	100(75)	115(90)	185(125)	200(140)
ग्रुप-ख				
इंजीनियरिंग मेडिकल तकनीकी में डिप्लोमा पाठक्रम और विज्ञान में निष्णात पाठ्यक्रम				
प्रथम वर्ष	100(60)	110(70)	125(90)	135(100)
द्वितीय वर्ष और आगे	105(65)	120(80)	130(95)	145(110)
ग्रुप-ग				
इंजीनियरिंग, मैडीसन तकनीकी आदि में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम और कला और वाणिज्य में निष्णात पाठ्यक्रम				
प्रथम वर्ष	150(50)	110(60)	125(80)	135(90)
द्वितीय वर्ष और आगे	105(55)	115(70)	130(85)	145(100)

ग्रुप-घ स्नातक स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रम दूसरे वर्ष से आगे	70(45)	85(60)	115(75)	130(90)
ग्रुप-डी 10+2 प्रणाली में 11वीं और 12वीं कक्षाएं इंटर-मीडिएट पाठ्यक्रम और स्नातक स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रमों का प्रथम वर्ष				
प्रथम वर्ष (11वीं कक्षा)	50(40)	60(50)	75(70)	85(80)
द्वितीय वर्ष (12वीं कक्षा) सामान्य पाठ्यक्रमों का प्रथम वर्ष	55(45)	70(60)	80(75)	95(90)

2. नेत्रहीन छात्रों को रीडर व्यय के रूप में प्रथम वर्ष में 25 रु० प्रतिमास और द्वितीय वर्ष में और उसके बाद के वर्षों में 35 रु० की दर से अतिरिक्त राशि दी जाती है।

3. इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि बी० एस० सी० (कृषि) और बी० वी० एस० सी० पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की दरों को बढ़ाकर मैडीकल और इंजीनियरिंग छात्रों के लिए लागू दरों के समान किया जाय। यह भी निर्णय किया गया है कि 10+2 प्रणाली में 11वीं और 12वीं कक्षाओं, इन्टरमीडिएट पाठ्यक्रमों और स्नातक स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष का वर्गीकरण ग्रुप "ड" के रूप में किया जाए।

4. छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए आय की अधिकतम सीमा के संशोधन के सम्बन्ध में पूर्ण छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए वर्तमान आय सीमा, सभी स्रोतों से 500 रु० प्रतिमाह तक है। यदि किसी छात्र के माता-पिता की आय 500 रु० प्रतिमाह से अधिक हो लेकिन 750 रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं है तो ग्रुप "क" पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पूरी छात्रवृत्ति और ग्रुप "ख" और "ग" और "घ" पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत आधी छात्रवृत्ति स्वीकार्य है। इन सीमाओं को क्रमशः 500 रु० प्रतिमाह से बढ़कर 750 रु० प्रतिमाह और 750 रु० प्रतिमाह से बढ़कर 1000 रु० प्रतिमाह करने का निर्णय किया गया है जो नए ग्रुप "ड" के लिए भी लागू होगा।

5. ऊपर उल्लिखित संशोधन छात्रवृत्ति की दरें और संशोधित आय सीमा 1 जुलाई, 1981 से लागू होगी।

मदुरै में सीमेंट कारखाने की स्थापना

5266. **श्री सी० चिन्नास्वामी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने मदुरै जिले में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना करने के लिए लाइसेंस हेतु केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन्हें शीघ्र से शीघ्र लाइसेंस जारी करने के लिए केन्द्र द्वारा क्या कदम उठाए गए है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) तमिलनाडु सीमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मद्रास से तमिलनाडु में पलायम (मदुरै जिला) के पास 4 लाख मी० टन का सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन प्राप्त आवेदन, प्रस्तावित परियोजना को सिंगरेनी कोयला खान से निरन्तर आधार पर कोयला उपलब्ध कराने सम्बन्धी कठिनाई के कारण रद्द कर दिया गया है।

धर्म-परिवर्तन के मामलों में विदेशी धन का उपयोग

5267. श्री डूमर लाल बैठा :
श्री चिरंजी लाल शर्मा
श्री सुनील मैत्रा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ऐसे वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है कि "हरिजनों का इस्लाम धर्म में परिवर्तन करने के पीछे विदेशी धन है";

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच-पड़ताल की गई है और यदि हां, तो परिणाम क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा यदि कोई उपाय किए गए हैं; तो वे क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) धर्म परिवर्तन में विदेशी धन के सम्भव प्रयोग के बारे में समाचार पत्रों में कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं किन्तु इस प्रकार का कोई विशिष्ट मामला सरकार के ध्यान में नहीं लगाया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मिर्जापुर के आदिवासियों का सर्वेक्षण

5268. श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए सर्वेक्षण का अध्ययन किया है जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में 1.50 लाख से भी अधिक आदिवासी अभी भी बन्धुआ खेतिहार मजदूरों के रूप में काम करते हैं और बांस की शाखाओं तथा पत्तों पर निर्वाह कर रहे हैं;

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ग) इन आदिवासियों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए परम्परागत दस्तकारी को बढ़ावा देने तथा उन्हें अन्य साधारण व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

मै० प्रोमेन केबल इण्डस्ट्रीज, दिल्ली के पास कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धनराशि

5269. श्री निहाल सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मै० प्रोमैन केबल इण्डस्ट्रीज, दिल्ली में मासिक और दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कुल कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) इस कम्पनी ने पिछले तीन सालों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि जमा की और कितनी धनराशि अभी कम्पनी की ओर बकाया है और बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रतिष्ठान में मासिक मजदूरी के आधार पर 20 कर्मचारी नियोजित हैं।

(ख) स्थिति निम्न प्रकार है—

(i) कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि

नियोजक ने सितम्बर, 1981 तक 5338.40 रुपए की राशि जमा करा दी है और कोई राशि बकाया नहीं है।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

इस प्रतिष्ठान को पहली दिसम्बर, 1981 से अन्तिम रूप से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन लाया गया है और बकाया राशि की वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स ओरिएन्ट विजन लिमिटेड, मद्रास की ओर कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धनराशि

5270. श्री निहाल सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मै० ओरिएन्ट विजन लिमिटेड, मद्रास मेंमासिक और दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कुल कितने कर्मचारी हैं;

(ख) इस फर्म ने पिछले सालों में कुल कितना लाभ कमाया और इस अवधि में इस फर्म ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना और भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि जमा की और बोनस के तौर पर कितनी धनराशि का भुगतान किया; और

(ग) क्या सरकार को इस कम्पनी द्वारा की जा रही अनियमितताओं के बारे में शिकायतें मिली हैं, यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रतिष्ठान में 143 कर्मचारी मासिक मजदूरी के आधार पर और 20 दैनिक मजदूरी के आधार पर नियोजित हैं।

(ख) यह प्रतिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत नहीं आता, क्योंकि उसने 1981 के केवल मध्य से ही उत्पादन कार्य शुरू किया था। यह प्रतिष्ठान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत भी नहीं आता क्योंकि यह एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां कर्मचारी राज्य बीमा योजना अभी लागू नहीं की गई। बोनस की अदायगी तथा अर्जित किए गए लाभ का प्रश्न राज्य क्षेत्राधिकार में आता है। इस सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना मांगी गई है और प्राप्त होते ही वह सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

मै० इलैक्ट्रोनिक ट्रेड एण्ड टेक्नोलोजी डिवलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के पास कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया धनराशि

5271. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मै० इलैक्ट्रोनिक ट्रेड एण्ड टैकनोलोजी डिवलपमैंट कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली में मासिक और दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कुल कितने कर्मचारी हैं ? और

(ख) पिछले तीन सालों में वर्ष वार बोनस की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और इसी अवधि में कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि जमा की गई और इस लेखे में कितनी धनराशि बकाया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रतिष्ठान में 191 कर्मचारी मासिक मजदूरी के आधार पर और 7 दैनिक मजदूरी के आधार पर नियोजित है।

(ख) इस सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है—

(i) **कर्मचारी भविष्य निधि की बाबत बकाया राशियां**

पिछले तीन वर्षों के दौरान नियोजक ने भविष्य निधि के अंशदानों की बाबत 8,92,043.73 रुपए की राशि जमा कराई थी और इस सम्बन्ध में उनकी ओर कोई राशि बकाया नहीं है।

(ii) **कर्मचारी राज्य बीमा की बाबत बकाया राशियां**

यह प्रतिष्ठान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता, क्योंकि इस अधिनियम के उपबन्ध अभी तक दिल्ली की दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं किए गए है। इसलिए कर्मचारी राज्य बीमे की बाबत देय राशियां जमा कराने का प्रश्न नहीं उठता।

(iii) बोनस

यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। अपेक्षित सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर वह सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

मैसर्स स्वातिका बैटरिज लिमिटेड, नई दिल्ली की ओर कर्मचारी राज्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशियां

5272. श्री निहाल सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स स्वातिका बैटरीज लिमिटेड, नई दिल्ली में कुल कितने कर्मचारी मासिक तथा दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं, और इसकी शाखाएं कहां-कहां पर हैं;

(ख) स्वातिका बैटरीज लिमिटेड द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा की कितनी राशियां जमा कराई हैं और कम्पनी की ओर कितनी राशियां बकाया हैं और बकाया राशियों की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसर्स स्वातिका बैटरीज लिमिटेड, नई दिल्ली के नाम व स्टाइलवाला कोई प्रतिष्ठान नहीं है। तथापि, मैसर्स स्वातिका बैटरीज नाम व स्टाइल का एक प्रतिष्ठान आर्य समाज रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली में मौजूद है, जो न तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत और न ही कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाए जाने योग्य है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

'बायोमास' के सम्बन्ध में अनुसंधान और विकास

5273. श्री ए० के० राय : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 2 नवम्बर, 1981 के स्टेट्समैन, कलकत्ता में चीन में ऊर्जा संबंधी समस्या को सुलझाने हेतु 'बायोमास' के सम्बन्ध में अनुसंधान और विकास के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, तो तत्संबंधी विस्तृत तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या इस प्रकार का कोई अनुसंधान भारत में किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत तथ्य क्या हैं और उपलब्धियां क्या हैं; और

(ग) क्या ऐसी कोई प्रक्रिया वाणिज्यिक उपयोग में भी है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत तथ्य क्या है और भारत में 'बायोमास' के विकास से सम्बन्धित आगामी कार्यक्रम क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : जी हां। इस लेख का सम्बन्ध विशेषकर जैव गैस संयंत्रों के सन्दर्भ में चीन में ऊर्जा

नीति के विकास से है। वहां जैव गैस निर्माण पर स्टेट लीडिंग ग्रुप है और शैव गैस उपयोगीकरण और लोकप्रियकरण के लिए राज्य कार्यालय की स्थापना की गई है ताकि इस ग्रुप को इसके रोजमर्रा के कार्य को निष्पादित करने के लिए सहायता प्रदान की जा सके। डायजेस्टरों के निर्माण के लिए विशेष व्यक्तियों और छात्र तकनीशियनों के प्रशिक्षण के कार्य को भी हाथ में लिया जा रहा है। लोकप्रिय साहित्य और दूर-दर्शन कार्यक्रमों के माध्यम से इस कार्यक्रम को व्यापक पैमाने पर प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। सारा जैव गैस कार्यक्रम अब चीन के राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की अभिन्न बन गया है।

(ख) और (ग) भारत में इस कार्यक्रम को भी विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा विस्तृत रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। जैव गैस का पहले से ही व्यापारिक पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है और लगभग एक लाख पारिवारिक आकार के जैव गैस संयंत्रों की देश भर में स्थापना की जा चुकी है। छठी योजना अवधि के लिए लक्ष्य 400,000 संयंत्रों का है। डिजाइन में सुधार, विभिन्न आहार सामग्री के उपयोग का सम्बर्द्धन करने, संक्षारण रोधी रोगनों का विकास करने के लिए और निम्न तापमान पर गैस उत्पन्न करने के लिए और संयंत्रों की निर्माण लागत को कम करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्य चल रहा है। इन क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति हो रही है। सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण भी किये जा रहे हैं। जैव गैस प्रौद्योगिकी के विकास के अतिरिक्त, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के लिए कृषि अवशेषों के उपयोगीकरण के लिए भारत सरकार कई कार्यक्रमों को हाथ में ले रही है ताकि विभिन्न रूपों में जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके यथा जीव भार से तरल ईंधन, ऊर्जा रोपण, उत्पादक गैस, सीवेज गैस आदि।

केन्द्रीय कोयला खान सुरक्षा समिति, धनबाद के चेयरमैन के विरुद्ध शिकायतें

5274. **श्री मनीराम बागड़ी :**

श्री रामबिलास पासवान : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खान सुरक्षा समिति, धनबाद के चेयरमैन के विरुद्ध कदाचारों तथा पद के दुरुपयोग के 69 आरोपों की की एक सूची उन्हें प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन आरोपों को जांच कराई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : एक सूची प्राप्त हुई है जिसमें अध्यक्ष, केन्द्रीय कोयला खान बचाव स्टेशन समिति, धनबाद, के विरुद्ध आपोप दिए गए हैं। ऐसी जांच-पड़तालों के, जो आवश्यक समझी जाएं, पूरा होने के पश्चात संगत नियमों के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

दिल्ली नगर निगम द्वारा कर योग्य मूल्य निश्चित करना

5275. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली नगर निगम द्वारा 25 नवम्बर, 1981 के स्थानीय

"टाइम्स आफ इंडिया" में "एसेसमेंट लिस्ट 1982-83" शीर्षक से प्रकाशित सार्वजनिक सूचना की मद संख्या 5 के उप-पैरा 4 की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सूची दिसम्बर, 1979 के अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मानक किराया फार्मूले के बारे में तथा किराये पर दी गई और पहली बार किराए पर दिये जाने के समय से 5 वर्ष की अवधि में पूरी न की गई सम्पदाओं के सम्बन्ध में कहां तक समुचित है;

(ग) क्या निगम कर-योग्य मूल्य को निश्चित करते समय, विशेष कर जबकि मानक किराये का निर्धारण दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 6 के अंतर्गत किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन कर रहा है; और

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जी हां, श्रीमान।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि ब्यौरे दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 6(2)(ख)/9(4) के अधीन मानक किराया के निर्धारण के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के उपबन्धों को लागू करने के सम्बन्ध में हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। निगम ने सूचित किया है कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

चोरी के स्कूटरों के लिए स्कूटर-स्टैण्डों की जांच

5276. **श्री कमल नाथ :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने विभिन्न स्कूटर-स्टैण्डों पर इस बात की पता लगाने के लिए कोई जांच की है कि वहां एक सप्ताह या इससे अधिक समय से कुछ ऐसे स्कूटर भी पड़े हैं; जिनका कोई दावा नहीं किया गया है तथा इनमें से कोई चोरी का स्कूटर तो नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो दिनांक 1 मई, 1980 से 31 मई, 1980 तक की अवधि के दौरान चांदनी चौक, पहाड़गंज, रीडिंग रोड, कनाट प्लेस और संसद मार्ग के पुलिस स्टेशनों के क्षेत्राधिकार में स्कूटर-स्टैण्डों पर ऐसी जांच कौन-कौन सी तारीख को की गई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) स्कूटर स्टैण्डों का यह पता लगाने के लिए जांच की जाती है कि क्या वहां कोई चोरी के वाहन खड़े हैं। फिर भी इस प्रयोजन के लिए कोई विशिष्ट तारीखें निर्धारित नहीं हैं। 1 मई, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 की अवधि के दौरान दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर मिली 222 कारें और 367 स्कूटरों को दिल्ली पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया था। चांदनी चौक, पहाड़गंज, रीडिंग रोड़, कनाट प्लेस और संसद् मार्ग के पुलिस स्टेशनों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्कूल स्कूटर-स्टैंडों की जांच

की तारीख के ब्यौरे और ऐसी जांचों के परिणाम एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जाएंगे ।

श्रेणी II के अधिकारियों द्वारा औद्योगिक गृहों में नौकरी करने की अनुमति मांगा जाना

5277. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा की श्रेणी II के अधिकारियों द्वारा सेवा निवृत्ति के बाद उन औद्योगिक गृहों में, जिनके साथ उनके सरकारी सम्पर्क थे, निजी नौकरी करने के लिए सरकार की पूर्वानुमति लेना आवश्यक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या के० स० से० के श्रेणी II के कुछ अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने या सेवा निवृत्ति के बाद उन औद्योगिक गृहों में लाभप्रद नौकरी कर लीं है;

(घ) पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय तकनीकी विभाग महानिदेशालय सहित उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के उन उन अधिकारियों का विवरण दीजिए जिन्होंने पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1978-79 से आगे सेवा-निवृत्ति ले ली है या सेवा-अवधि पूरी होने पर सेवा निवृत्त हो गए हैं और सम्पर्क अधिकारी में रूप में या किसी अन्य पद पर नौकरी कर ली है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क)जी हां, श्रीमान । सरकार के सेवा निवृत्त श्रेणी-II (समूह "ख") कर्मचारियों को जिनमें केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी भी शामिल है ऐसी अनुमति लेना आवश्यक नहीं है ।

(ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 10 के अनुसार केवल सेवा निवृत्ति श्रेणी-I (समूह "क") अधिकारियों से ही यह अपेक्षित होता है कि वे अपनी सेवा निवृत्ति के 2 वर्षों के भीतर कोई वाणिज्यिक रोजगार प्राप्त करने से पहले अनुमति लें ।

(ग) और (घ) चूंकि केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारियों, जोकि श्रेणी-II (समूह "ख") में आते हैं, के स्तर तक विकेन्द्रीकृत है इसलिए अपेक्षित सूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) सरकार इस सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करती है तो उसे उन सभी अधिकारियों पर भी लागू करना पड़ेगा जो समूह "ख" सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं । केन्द्रीय शिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के नियम 8 के अनुसार पेंशन की मंजूरी भावी अच्छे आचरण के अध्यधीन की जाती है और यदि पेंशन नियमों में यथा परिभाषित दुराचरण का कोई गंभीर मामला सरकार के ध्यान में आता है तो आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है ।

बंगलादेश द्वारा भारत से वित्तीय सहयोग

5278. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश उद्योग ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत से तकनीकी सहयोग और साम्यपूंजी में साझेदारी सहित वित्तीय सहयोग की इच्छा प्रकट की है;

(ख) यदि हाँ, तो वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं;

(ग) क्या इन प्रस्तावित सहयोगों का कोई प्रारम्भिक अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष रहे ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) मैट्रोपोलिटन चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ढ़ाका के एक शिष्टमंडल ने हाल ही में फैडरेशन ऑफ इन्डियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के साथ विचारविमर्श किया था बंगलादेश के शिष्टमंडल ने वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में इक्विटी सहभागिता सहित भारतीय तकनीकी सहयोग की मांग की है। भारतीय उद्यमियों से अन्य बातों के साथ साथ पैट्रोरसायन, कृषि पर आधारित उद्योग, मोटरगाड़ी उद्योग, परिवहन उपस्कर और हल्के इंजीनियरी उद्योग के क्षेत्र में भी औद्योगिक सहयोग मांगा गया। किन्तु इस बारे में कोई ठोस प्रस्ताव सरकार द्वारा प्राप्त नहीं किया गया हैं।

पश्चिमी बंगाल में औद्योगिक गृहों/कम्पनियों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशियां

5279. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के उन औद्योगिक गृहों और कम्पनियों के नाम क्या है जिनकी ओर कर्मचारी भविष्य निधि की एक लाख रु० तथा उससे अधिक राशियां बकाया है; और

(ख) इनकी वसूली के लिये क्या कार्रवाई की गई है।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) विवरण अनुबन्ध 'क' और 'ख' में दिया गया है [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये—संख्या एल० टी० 3265/81.**] जिसमें पश्चिमी बंगाल में उन प्रतिष्ठानों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने 30-9-1981 को 1 लाख रुपये और उससे अधिक की भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया।

(ख) **छूट न प्राप्त प्रतिष्ठान :** राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किए गए और भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन शिकायतों को दायर करने के अतिरिक्त अभियोजन भी चलाए गए।

छूट प्राप्त प्रतिष्ठान : न्यासी बोर्डों में कर्मचारियों के अंशदान को हस्तांतरित न करने के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन अभियोजन चलाए गए और शिकायतें दायर की गई। भविष्य निधि के विलम्बित हस्तांतरण के लिए ग्रेडिड दरों पर दांडिक ब्याज लगाया गया।

राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठानों के बारे में दावे दायर किए गए।

मैसूर पेपर मिल्स परियोजना

5280. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर पेपर मिल्स परियोजना का निर्माण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या इस वर्ष जुलाई में इस संयंत्र का कुल उत्पादन शुरू हो गया था;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) संयंत्र के पूरा होने पर इसका कुल उत्पादन क्या होगा; और

(च) कागज के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई के स्रोत क्या हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) मैसूर पेपर मिल्स की अखबारी परियोजना को समय सूची के अनुसार जुलाई, 1981 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देना चाहिए था किन्तु जुलाई, 1981 में केवल परीक्षण के तौर पर ही उत्पादन किया गया था समग्र संयंत्र के शुरू किए जाने की प्रक्रिया, 1981 के अंत तक पूरी हो जाने की आशा है।

(ग) और (घ) जुलाई, 1981 में परीक्षण के तौर पर उत्पादन शुरू किया गया था तथा 18 दिसम्बर, 1981 तक लगभग 1,000 मी० टन अखबारी कागज का उत्पादन हो चुका है।

(ङ) संयंत्र की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 75,000 मी० टन प्रतिवर्ष है तथा यह दो तीन वर्ष में 90 प्रतिशत क्षमता का उपयोग कर लेगा।

(च) वनों पर आधारित कच्चे माल अर्थात् बांस तथा लकड़ी संबंधी आवश्यकता आरम्भ में कर्नाटक राज्यों के वनों से पूरी की जायेगी तथा एक वनरोपण कार्यक्रम चलाया गया है जिससे लगभग 8 वर्ष में बांस और लकड़ी मिलने लगेगी। मिल का एक चीनी मिल स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ताकि कच्चे माल के रूप में खोई का उपयोग किया जा सके।

कोरापुट में उद्योग का आशय-पत्र

5281. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पार्टियों और उद्योगों के नाम क्या हैं जिनको उनके मंत्रालय द्वारा उड़ीसा के कोरापुट जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए 1978 से 1981 के बीच आशय-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं तथा वे किस प्रकार के उद्योगों के लिए दिए गए तथा आशय-पत्र प्राप्त होने के पश्चात् कितने उद्योगों ने अपने कार्य का पहला चरण आरम्भ कर दिया है;

(ग) जिन पार्टियों के नाम आशय-पत्र जारी किए गए हैं उनके द्वारा परियोजनाओं को शीघ्र निष्पादित कराने के लिए उड़ीसा सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) उड़ीसा राज्य के पिछड़े हुए और आदिवासी जिलों में औद्योगिक परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में पार्टियों और उड़ीसा सरकार को क्या कठिनाइयों हो रही हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1978 से 1981 (अक्तूबर, 81 तक) में दिए गए 7 आशय पत्रों में 3 पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में परिवर्तित किया जा चुका है।

(ग) यह राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित है।

(घ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए; केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं :—

1. भारतीय औद्योगिक बैंक की रियायती पुनर्वित्त योजना।
2. केन्द्रीय निवेश राज सहायता।
3. आयकर में छूट।
4. तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श।
5. ब्याज राज सहायता।
6. कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधाएं।
7. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा रियायती शर्तों पर मशीनों की आपूर्ति।
8. परिवहन राज सहायता आदि।

विवरण

उड़ीसा के कोरापुट जिले में उद्योगों की स्थापना के लिए 1973 से 1981 (अक्तूबर, 81 तक) में दिए गए आशय पत्रों का ब्यौरा देने वाला विवरण

क्र० सं०	पार्टी का नाम और स्थापना स्थल	निर्मित की जाने वाली वस्तु और किस्म	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	मै० स्ट्रा प्रोडक्ट्स लिमिटेड, नेहरु हाऊस, नई दिल्ली (कोरापुट)	लिखने और छपाई करने के कागज (पर्याप्त विस्तार)	औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित

1	2	3	4
2.	मै० इण्डियन मेटल्स एण्ड फेरो अलोयज लिमिटेड, भुवनेश्वर (कोरापुट)	सिलिकोन धातु (पर्याप्त विस्तार)	औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित
3.	श्री के० सी० सेठी, 225, नारीमन पोइन्ट, बम्बई (कोरापुट)	कोर वेनीर बोर्ड (वेनीर पार्टिकल बोर्ड) (नया उपक्रम)	—वही—
4.	मै० सेवा इन्टरनेशनल फैशन्स, नई दिल्ली (कोरापुट)	लुगदी, लिखाई, छपाई, रेपिंग का कागज (नया उपक्रम)	
5.	हिन्दुस्तान इलैक्ट्रोग्रेफाइट्स लिमिटेड, नई दिल्ली (जयपुर, कोरापुट)	लुगदी, कागज और कागज उत्पाद (नया उपक्रम)	
6.	इण्डियन मेटल एण्ड फेरो अलोयज लिमिटेड, भुवनेश्वर (रायगोडा, कोटापुर)	सिलिकोन धातु (नया उपक्रम)	
7.	एम० पी० आयल एक्सट्रैक्शन प्रा० लि०, भानुपुरी, रायपुर (कोरापुट, उड़ीसा)	सालसीड वसा और सालसीड तेल रहित खाद्य (नया उपक्रम)	

उड़ीसा में खनिजों तथा वनों पर आधारित उद्योग

5282. **श्री के० प्रधानी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में वन और खनिज सम्पदा की प्रचुरता के कारण वहां खनिजों तथा वनों पर आधारित उद्योग स्थापित करने तथा प्राइवेट उद्यमियों को भी उस राज्य में ऐसे उद्योगों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो वनों तथा खनिजों पर आधारित उन उद्योगों की संख्या कितनी हैं जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष में उड़ीसा में स्थापित किए जाने का विचार है और उन्हें कहां-कहां स्थापित किया जाएगा; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन के बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किए गए केन्द्रीय औद्योगिक और खनिज परियोजनाओं के विवरण छठी पंचवर्षीय

योजना (1980—85) प्रलेख के अनुबंध 16.3 में दिए गए हैं जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इन परियोजनाओं में उड़ीसा राज्य में स्थापना हेतु खनिजों पर आधारित उद्योग भी सम्मिलित हैं।

मयूर भंज जिला और संभलपुर में कागज एककों की स्थापना के लिए हाल ही में आशय-पत्र मंजूर कर दिए गए हैं। मयूर भंज जिले में कागज एककों की स्थापना करने के लिए इन एककों को तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीयित किया गया है।

आपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त अभियुक्तों पर पुलिस द्वारा अमानवीय तरीकों के प्रयोग के बारे में राज्यों को मार्गदर्शी सिद्धांत

5283. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त अभियुक्तों से पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उन्हें पुलिस हिरासत में सभी प्रकार के अमानवीय तरीकों का प्रयोग करके परेशान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को यदि कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त, जारी किए गए हैं; तो वे क्या हैं; और

(ग) क्या इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कार्यान्वयन पर निगाह रखने के लिए केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत तंत्र है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) पुलिस और अन्य सम्बन्धित आपराधिक मामले मूलतः राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। भारत सरकार राज्य सरकारों को समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देती रही है कि पुलिस बल को हमेशा मानवीय ढंग से व्यवहार करना चाहिए और तथाकथित पुलिस की ज्यादतियों के मामलों पर, जब कभी वे होते हैं, गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए और दृढ़ता से निपटना चाहिए। आपराधिक मामलों में पुलिस के विरुद्ध अभियुक्त की विशिष्ट शिकायतों की छानबीन न्यायालयों और राज्य सरकारों द्वारा उचित रूप से की जाती है।

दिल्ली के लिए जेल नियम पुस्तिका

5284. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की अपनी कोई जेल नियम पुस्तिका नहीं है और यह पंजाब सरकार की पुरानी नियम पुस्तिका पर ही चल रहा है;

(ख) क्या सम्पूर्ण देश के लिए एक समान नियम पुस्तिका तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और यदि हो, तो वह किस अवस्था में है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने दिल्ली प्रशासन के लिए एक अलग नियम पुस्तिका बनाने के लिए क्या कार्रवाई की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में इस समय पंजाब जेल मैनुअल का अनुसरण किया जा रहा है। दिल्ली प्रशासन ने पंजाब जेल मैनुअल में परिवर्तन सुझाने के लिए दिसम्बर, 1977 में एक समिति गठित की थी। समिति ने फरवरी, 1980 में संशोधित मैनुअल का एक प्रारूप प्रस्तुत किया परन्तु इसकी परीक्षा करने के बाद उसे न अपनाने का निर्णय किया गया। जेल की वर्तमान सम्पूर्ण प्रक्रिया का पुनरीक्षण करने और जेल के कार्य में सुधार लाने के तरीकों का सुझाव देने प्रयोजन के लिए जेल मैनुअल के संशोधन का कार्य दिल्ली प्रशासन द्वारा गठित एक समिति को सौंप दिया गया है।

भारत सरकार के विचाराधीन सम्पूर्ण देश के लिए एक समान मैनुअल तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह किया गया है कि वे अखिल भारतीय जेल मैनुअल समिति द्वारा 1957 में प्रकाशित आदर्श जेल मैनुअल के उपबन्धों को ध्यान में रखकर अपने जेल मैनुअलों में संशोधन करें।

सौर ऊर्जा को बिजली में बदलना

5285. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौर ऊर्जा को उपयोग में लाने तथा अर्द्ध चालक प्रणाली द्वारा इसे बिजली में परिवर्तित करने की दिशा में आज तक क्या उपलब्धि हुई है; और

(ख) कश्मीर हिमालय में लद्दाख के दूर-दराज गांवों में प्रायोगिक आधार पर स्थापित किए गए और चूल्हा (सोलर कुकर) का क्या परिणाम निकला है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) सौर सेलों, जो कि धूप को सीधे ही बिजली में परिवर्तित कर देते हैं, के विनिर्माण के लिए बुनियादी प्रौद्योगिकी का देश में विकास कर लिया गया है। 1985 तक प्रति-वर्ष 1 मैगावाट के सौर सेलों और पनलों के उत्पादन के लिए एक पूर्व-वाणिज्यिक प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना के लिए एक पंच वर्षीय परियोजना का ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग द्वारा सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड में प्रायोजन किया गया है। ऐसे रूपांतरण के माध्यम से सौर ऊर्जा पर चलने वाली सौर युक्तियों और प्रणालियों का विकास किया गया है और उन्हें प्रदर्शन और क्षेत्रीय परीक्षणों के लिए देश के विभिन्न स्थानों में प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। इनमें जल पम्प, सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था, समुद्र तल में स्थित प्लेटफार्मों के लिए पावरपैक आदि शामिल हैं। प्रौद्योगिकी में विकासों, अधिक उत्पादनों आदि के माध्यम से ऐसी प्रणालियों की लागतें कम करने के लिए प्रयास जारी हैं।

(ख) लद्दाख में चोगलमनर गांव में प्रतिष्ठापित सौर कुकर के बारे में कहा गया है कि यह अच्छी प्रकार से कार्य कर रहा है। ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों का आयोग देश भर में सौर कुकरों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक अलग कार्य आरम्भ कर रहा है।

चर्म प्रतिनिधिमंडल का यूरोप के देशों का दौरा

5286. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय चर्म प्रतिनिधिमंडल, जिसने भारतीय तथा यूरोपिएन देशों के चर्म शोधकों के बीच संयुक्त सहयोग परियोजनाओं की संभावनाओं का पता लगाने के लिए हाल में महत्वपूर्ण यूरोप के देशों का दौरा किया था, खाली हाथ घर लोटा है;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय चर्म उत्पादों में क्या त्रुटि है और उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) एक भारतीय चमड़ा उद्योग शिष्टमंडल ने भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय व्यापार संवर्द्धन कार्यक्रम के अंतर्गत अक्तूबर-नवम्बर, 1981 में पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, इटली और इंगलैण्ड के कुछ चुने हुए स्थानों का दौरा किया था। शिष्टमंडल में शामिल व्यापार/उद्योग के सदस्यों ने उपर्युक्त देशों में कई भावी क्रेताओं के साथ विस्तृत बातचीत की और विपणन सहयोग, अनुबंध करने की संभावनाओं का पता लगाया। शिष्टमण्डल के सदस्यों द्वारा इसके लिए आगे कार्यवाही की जायेगी। वे विभिन्न चमड़ा उत्पादकों के लिए परीक्षण/नमूना क्रयादेशों सहित क्रयादेश प्राप्त करने में भी सफल हुए हैं।

(ग) बढ़िया किस्म की निविष्टियां उपलब्ध कराकर चमड़े के भारतीय उत्पादों की किस्म सुधारने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय राज्य व्यापार निगम और चमड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषदें बाजार का सर्वेक्षण करके उत्पाद और डिजाइन के विकास के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं।

सोवियत रूस के साथ संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ान में भारतीय अन्तरिक्ष यात्री

5287. **श्री के० मालन्ना** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे वैज्ञानिक सोवियत रूस के अन्तरिक्ष पायलटों के साथ संयुक्त अन्तरिक्ष उड़ान के सम्बन्ध में सोवियत रूस में प्रशिक्षण के अपने उद्देश्य को किस सीमा तक पूरा करने में सफल हुए हैं;

(ख) क्या कुछ भारतीय अन्तरिक्ष यात्रियों ने भी अन्तरिक्ष यात्रा करने का प्रशिक्षण लिया हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और रूसी अन्तरिक्ष पायलटों के साथ भावी अन्तरिक्ष उड़ान के लिए जहां तक चिकित्सा और स्वस्थता का प्रश्न है प्राथमिक प्रशिक्षण परीक्षणों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) सोवियत संघ की सरकार के साथ भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण दिए जाने के प्रश्न पर बातचीत चल रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) ऊपर (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

किराया नियंत्रण न्यायालय दिल्ली में दिए गए आवेदन पत्र

5288. श्री आर० आर० भोले : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली किराया नियंत्रण संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 25ख के साथ पठित धारा 14(1)(ङ) के अधीन किराया नियंत्रण न्यायालय, दिल्ली में 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 के बीच कितने आवेदन पत्र दिए गए; और

(ख) कितने मामलों में आवेदन-पत्र का विरोध करने की अनुमति दी गई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समूह बीमा योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी

5289. श्रीमती जयंती पटनायक : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विभागों के किन श्रेणियों के कर्मचारियों को नई समूह बीमा योजना के अन्तर्गत लिया जाएगा; और

(ख) क्या रेलवे, डाक-तार तथा रक्षा मंत्रालयों के कर्मचारियों को भी इस योजना के अन्तर्गत लिया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय ने राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना, 1980 केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को जिनमें रेलों, डाक व तारघर और रक्षा कर्मचारी शामिल हैं, लागू होती है परन्तु यह सशस्त्र और पैरा-मिलिटरी सेवाओं के सदस्यों, जिनकी पहले ही स्वयं की अलग योजना है, ठेका कर्मचारियों, राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य स्वायत संगठनों के प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों, विदेशों में भारतीय मिशनों में स्थानीय रूप से भर्ती किए गए व्यक्तियों, नैमित्तिक श्रमिकों, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों पर लागू नहीं होती।

चांदनी चौक दिल्ली में यातायात की भीड़-भाड़

5290. **श्रीमती जयंती पटनायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चांदनी चौक, दिल्ली में यातायात की भीड़-भाड़ के बारे में जानकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों को साफ किए जाने का विचार है; और

(घ) इस मामले में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) से (घ) स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ।

(1) फुटपाथों और सड़कों को अतिक्रमण से बचने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

(2) कारों, तांगों और साइकिल-रिक्शाओं को खड़ा करने के लिए चांदनी चौक के निकट खुले मैदान में स्थान उपलब्ध कराया गया है ।

(3) जनता से फुटपाथों पर कब्जा न करने और निषिद्ध स्थानों पर वाहन खड़े न करने के लिए अनुरोध किया गया है । गलत स्थानों पर खड़े किए वाहनों को उठाया और हटाया जाता है ।

(4) यातायात विनियमों को लागू करने के लिए यातायात स्टाफ को तैनात किया गया है । मोटर वाहन अधिनियम अथवा यातायात विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने वालों से नकद प्रतिभूति वसूल की जाती है । चलते-फिरते न्यायालयों के कार्य को भी तेज कर दिया गया है ।

विदेशी धन प्राप्त करने वाले श्रम संगठन

5291. **श्री दया राम शाक्य :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रीय श्रम संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें जनवरी, 1981 से 30 सितम्बर, 1981 की अवधि के दौरान किसी अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा राजनैतिक संगठन अथवा विदेशी सरकार की ओर से दान, अंशदान, चन्दा, अनुदान, ऋण अथवा सहायता के रूप में विदेशी धन प्राप्त हुआ है;

(ख) प्रत्येक श्रम संगठन को कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई; और

(ग) क्या भारत सरकार ने भी दान, ऋण, अथवा प्रोत्साहन आदि के रूप में आर्थिक सहायता देकर किसी श्रम संगठन की सहायता की है, यदि हां, तो उन संगठनों के नाम क्या हैं तथा उन्हें जनवरी 1981 से आज तक कितनी धनराशि दी गई ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के पारिस्थितिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए गठित समिति

5292. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री के निर्देश पर अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए पारिस्थितिक पहले का अध्ययन करने के लिए, विशेष रूप से वर्ष 1980 में वन संसोधन उपयोग के संदर्भ में एक समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन है और प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने के लिए क्या कार्यवाई की गई है; और

(ग) चूंकि भविष्य में वनों का विदोहन उक्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा, अतएव सरकार द्वारा यह रिपोर्ट कब तक दिए जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) से (ग) गृह मंत्रालय के अनुरोध पर, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने वन एवं समुद्री संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पर्यावरणीय प्रबन्ध योजनाओं की सिफारिश करने के लिए अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पारितन्त्र के अध्ययन के लिए मई, 1980 में, संलग्न सूची के अनुसार, 14 सदस्यों का एक कार्य दल अधिसूचित किया था । चूंकि प्रकृति तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघ (आई० यू० सी० एन०) के सलाहकार डा० डी० एन० मेकवन ने अपनी 1976 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि उच्च गुणवत्ता की हवाई फोटोग्राफी पर एक भूमि संसाधन एवं क्षमता सर्वेक्षण किया जाना चाहिए । इसलिए उत्तराधिकारी पर्यावरण विभाग द्वारा यह फैसला किया गया कि आई० यू० सी० एन० के माध्यम से उचित बहु विषयक-सुविज्ञता का पता लगाया जाए । इसलिए उस कार्यदल ने वह कार्य शुरू नहीं किया जो इसे सौंपा गया था । हाल ही में यह फैसला किया गया है कि आई० यू० सी० एन० से कोई सहायता न मांगी जाए बल्कि एक और समिति का गठन किया जाए जो 1982 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी ।

विवरण

1. डा० पी० एम० गणपति, निदेशक, केरल राज्य वन अनुसंधान संस्थान पीची—680653, त्रिचूर-केरल ।	अध्यक्ष
2. डा० वाई० एम० डी० शर्मा, अन्तर्राष्ट्रीय वन सलाहकार, 171, छठी क्रास रोड़, गांधीनगर, बंगलौर—560009	सदस्य
3. डा० पी० नटराजन, निदेशक, समुद्री जीवविज्ञान उच्च अध्ययन केन्द्र, परंगीपेटाईड़ तमिलनाडु—608502	सदस्य

4. प्रो० जेसवाल राय, योजना तथा वस्तुकला स्कूल, नई दिल्ली। सदस्य
5. डा० एन० पी० बालाकृष्णन, प्रतिनिधि, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, पोर्ट ब्लेयर। सदस्य
5. डा० ए० के० दास, (प्रतिनिधि) भारतीय प्राणि सर्वेक्ष, पोर्ट ब्लेयर। सदस्य
6. श्री जे० सी० वर्मा, अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान, देहादून। सदस्य
7. निदेशक, राष्ट्रीय समुद्री विकास संस्थान, गोवा (अथवा प्रतिनिधि) सदस्य
8. श्री लालथनजामा, मुख्य वन संरक्षक, अण्डमान और निकोबार प्रशासन। सदस्य
9. डा० अमलेश चौधरी, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता। सदस्य
10. श्री एस० पी० शाही, सेवानिवृत्त मुख्यक वन संरक्षक, हेलाल; रॉची-834005 सदस्य
11. प्रतिनिधि, कृषि मंत्रालय, (श्री एम० एस० सालंकी, डी० आई० जी० वन, कमरा सं० 110, बी विंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली)। सदस्य
12. गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि सदस्य
13. डा० के० के० महाजन, वरिष्ठ पर्यावरणीय अधिकारी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली। सदस्य-आयोजक

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में 20-सूत्री कार्यक्रम

5293. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ क्षेत्र का प्रशासन अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में 20-सूत्री कार्यक्रम लागू कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और कौन से सूत्र किस सीमा तक लागू किए गए;

(ग) क्या राज्य स्तर पर किसी क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) योजना आयोग में उपलब्ध सूचना के अनुसार यह संघ राज्य क्षेत्र अपने क्षेत्र के लिए लागू होने वाले कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) उक्त संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ग) इस विषय में अभी तक कोई अंतिम विचार नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त के पद का दर्जा बढ़ा कर उसे उपराज्यपाल का दर्जा दिया जाना

5294. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संघ क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य आयुक्त के पद का दर्जा बढ़ा कर उसे उपराज्यपाल का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई पत्र/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद् सदस्य ने अक्तूबर, 1981 में प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें अनुरोध किया गया था कि मुख्य आयुक्त के पद को उपराज्यपाल के पद के रूप में पदोन्नत करने के उनके सुझाव पर विचार किया जाए। अंडमान और निकोबार प्रदेश परिषद् के एक पार्षद् ने भी यह मानकर कि संघ शासित क्षेत्र के लिए उपराज्यपाल की नियुक्ति करने का निर्णय ले लिया जा चुका है, नवम्बर, 1981 में गृह मंत्री को पत्र लिखा था।

स्कूटरों तथा कारों की चोरी

5295. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या गृह मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्कूटरों और कारों को चोरियों में दिन प्रति-दिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979-80 में तथा नवम्बर, 1981 तक चोरी किए गए स्कूटरों तथा कारों की संख्या क्या है;

(ग) चोरी किए गए स्कूटरों और कारों में से कितने हासिल कर लिए गए हैं और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या क्या है; और

(घ) स्कूटरों और कारों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) नीचे दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि स्कूटर और कारों की चोरी के मामलों की संख्या में 1979 और

1980 के मामलों की संख्या की तुलना में कमी आयी है :—

	1979	1980	1981 (नवम्बर तक)
कार			
सूचित किए गए चोरी के मामले	1427	1121	871
बरामद किए गए वाहनों की संख्या	1169	839	535
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	157	154	94
स्कूटर			
सूचित किए गए चोरी के मामले	1416	1293	970
बरामद किए गए वाहनों की संख्या	787	614	493
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	210	208	151

(घ) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) आटोमोबाइल चोरी में अन्तर्ग्रस्त संदिग्ध व्यक्तियों की एक सूची रखी जाती है।

(2) आटो उठाइगीरों का पता लगाने और उनको पकड़ने के लिए चुने हुए स्थानों पर सादे वस्त्रों में कर्मचारी तैनात किए जाते हैं।

(3) चुराए गए वाहनों के पुर्जों को खोलने और निपटान में अन्तर्ग्रस्त कार्यशालाओं पर भी निगरानी रखी जाती है।

(4) बड़े होटलों को सलाह दी गई है कि वे अपने गाड़ी खड़ी करने के स्थानों पर चौकी दार रखें। रिहायशी कालोनियों में भी वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि अपने वाहनों को गाड़ी खड़ी करने के लिए निर्धारित स्थानों पर खड़े करें।

(5) चुने गए स्थानों पर पुलिस अवरोधक लगाए गए हैं और आटो उठाइगीरों को पकड़ने के लिए मोटर साइकिलों सहित वायरलैस युक्त वाहनों को तैनात किया गया हैं।

शान्तिनिकेतन कालोनी नई दिल्ली में सम्पत्ति-कर के लिए सम्पत्ति, का कर योग्य मूल्य

5296. श्री अर्जुन सेठी :

श्री चिन्तामणि जैना : क्या गृह मंत्री दिल्ली नगर निगम के दक्षिणी क्षेत्र द्वारा भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के बारे में 25 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 488 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कर्मचारी सहकारी आवास निर्माण समिति लिमिटेड, बसन्त बिहार, नई दिल्ली द्वारा शान्तिनिकेतन कालोनी में 1967 और 1968 में अलाटियों को बेची गई भूमि पट्टे पर दी गई थी और उस का प्रति वर्ग गज मूल्य भी लगभग वहीं था;

(ख) क्या दक्षिणी दिल्ली में मूल्यांकन अधिकारियों ने उक्त समिति द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के अनुसार करदाताओं द्वारा दी गई भूमि की लागत और विकास व्यय को नहीं माना है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कालोनी में 1968, 1969 और 1970 में बनाए गए मकानों के मामले में सम्पत्ति-कर के प्रयोजन के लिए सम्पत्ति का कर योग्य मूल्य निर्धारित करने के लिए इन अधिकारियों ने भूमि की क्या लागत ली है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया कि सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी लिमिटेड, बसन्त विहार नई दिल्ली द्वारा शांतिनिकेतन के अलाटियों को बेची गई जमीन लीज होल्ड आधार पर बेची गई थी और इस संबंध में एग्रीमेंट 27 जून, 1966 को किया गया था। आबंटित भूमि अविकसित भूमि थी और यह वास्तव में मुआवजे के तौर पर 5 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से दी गई थी। इसके अतिरिक्त, सरकारी आदेशों के अनुसार अतिरिक्त प्रभार तथा जमीन के कीमत के अतिरिक्त जोनल सड़कों के लिए अंशदान भी लिया गया था।

(ख) निगम के अनुसार, समिति का मूल्यांकन एक अर्द्ध न्यायिक कार्य है जिसमें हर मामले का निर्णय उसके गुणदोषों के आधार पर किया जाना होता है, जिसके लिए मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों का सहारा लेना पड़ता है। मूल्यांकन करने वाले प्राधिकारियों के आदेशों के खिलाफ न्यायालयों में अपील की जा सकती है।

(ग) निगम के अनुसार, जमीन की कीमत का पता निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख से लगाया जाना होता है, न कि वर्ष-वार।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए धनराशि

5297. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में हरिजनों और आदिवासियों के कल्याण के लिए पिछले तीन वर्षों में पृथक-पृथक कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ख) राज्य सरकार ने इस अवधि में मंजूर की गई धनराशि में से कितनी धनराशि कल्याण कार्यों के लिए खर्च नहीं की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों का अभ्यावेदन

5298. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आदेशों के अनुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग की सभी पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के एक प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए;

(ख) क्या यह सच है कि ग्रेड पदोन्नति समिति (ग्रेड प्रामोशन कमेटी) में अब तक उनका कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप शोषित वर्गों के लोग पदोन्नतियों से वंचित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो आदेशों का पालन न करने के क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) भारतीय सर्वेक्षण में ग्रेड पदोन्नति समितियां नहीं हैं । वहरहाल, ट्रेड टैस्टिंग बोर्ड है । भारतीय सर्वेक्षण में तकनीकी ट्रेडों की स्थिति में सभी उम्मीदवारों को प्रारंभिक रूप से प्रशिक्षार्थियों के रूप में भर्ती किया जाता है और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयुक्त आरक्षण की व्यवस्था की गई है । प्रशिक्षण के पूरा होने के पश्चात् सभी उम्मीदवारों को विहित ट्रेड परीक्षाएं देनी पड़ती हैं ताकि उन्हें विभिन्न ट्रेडों में वर्गीकृत किया जा सके । बाद में, उनके एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों को और ट्रेड परीक्षाएं देनी पड़ती हैं । ट्रेड परीक्षा एक व्यावसायिक/तकनीकी परीक्षा है जिसमें अनुसूचित जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों सहित सभी उम्मीदवारों को न्यूनतम विहित मानक के आधार पर योग्य होना पड़ता है । ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसके आधार पर ट्रैड टैस्टिंग बोर्डों के साथ अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्य को सम्बन्धित किया जाए ।

प्रमुख पतन प्राधिकारियों को सांविधिक दायित्वों से छूट

5299. श्री समर मुखर्जी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रमुख बन्दरगाहों के प्राधिकारियों को औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 3 के अन्तर्गत सांविधिक दायित्वों से छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त छूट अन्तिम अथवा बिना किसी शर्त के है; और

(ग) भारत सरकार द्वारा इस बारे में अधिसूचनाएं किस तारीख को जारी की गई थी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) बम्बई, मद्रास, कोचीन, मुर्मुगोवा, काण्डला, विशाखापत्तनम, पारादीप, टूटिकोरिन के मुख्य पत्तनों को अधिनियम की धारा 14 के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के सभी उपबन्धों से छूट दी गई है :—

(1) पत्तन प्राधिकरण अंग्रेजी भाषा और श्रमिकों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा या भाषाओं में पुस्तिका में उक्त अधिनियम से संबंधित अनुसूची में निर्धारित मामलों से सम्बन्धित समेकित नियमों को प्रकाशित करेगा या प्रकाशित करने के लिए प्रेरित करेगा;

(2) उक्त नियमों में कोई संशोधन करने से पहले पत्तन प्राधिकरण प्रस्तावित संशोधन को नोटिस बोर्ड पर लगाकर सम्बन्धित श्रमिकों को सूचित करेगा और ऐसे नोटिस के इक्कीस दिनों के भीतर उससे सम्बन्धित किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार करेगा;

(3) उपर्युक्त धारा (1) में निर्दिष्ट पुस्तिका की एक प्रति और उसके प्रत्येक संशोधन की प्रति सम्बन्धित प्रत्येक कर्मकार को दी जाएगी।

(ग) सूचना इस प्रकार है :—

बम्बई, कलकत्ता और मद्रास	7 जनवरी, 1949
कोचीन	8 मई, 1952
कान्डला	13 मार्च, 1959
विशाखापत्तनम	13 मार्च, 1959
मुर्मुगोवा	27 सितम्बर, 1972
पारादीप	22 जुलाई, 1977
ट्रटिकोरिन	14 अप्रैल, 1980

संसद् सदस्य को वाहनों की बिक्री

5300. श्री एन० ई० होरो : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न वाहनों की पिछले तीन वर्षों में औसतन कितनी बिक्री हुई है;

(ख) संसद् सदस्यों को प्रतिवर्ष कितने वाहन बेचे गए;

(ग) आवेदन करने वाले कितने आवेदक (संसद् सदस्य) प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि बेचे जाने वाले वाहनों के पुर्जे चुरा लिए जाते हैं और चुपके से बेच दिए जाते हैं या अधिकारियों द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग में प्रयुक्त किए जाते हैं और इस प्रकार ग्राहकों के साथ धोखा किया जाता है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) पिछले तीन वर्षों की बिक्री के आधार पर संसद् सदस्यों और राज्य विधायकों को बेचे गये वाहनों की औसत संख्या प्रतिवर्ष 349 है।

(ख)	(i) 1978-79	—	78
	(ii) 1979-80	—	223
	(iii) 1980-81	—	76

(ग) संसद् सदस्यों को वाहन उपलब्ध कराने की कोई समस्या नहीं रही है इसलिए उनकी कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

(घ) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

बिहार में जनगणना विभाग में टेबुलेटरों और केडरों की नियुक्तियां

5301. श्री रामावतार शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में उनके मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग के कार्यालयों में लिखित परीक्षा के आधार पर टेबुलेटरों और केडरों की नियुक्तियां की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इन कार्यालयों में कार्य को निपटाने के लिए नियमित कर्मचारियों की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की छटनी करने का क्या औचित्य है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सेवा निवृत्त कार्मिकों को छोड़ कर जिन्हें किसी लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार के बिना भर्ती किया गया था जनगणना कार्य निदेशक, बिहार के कार्यालय में टेबुलेटरों, कोडरों, चैकरों तथा सुपरवाइजरों के पदों पर अन्य नियुक्तियां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर की गई थी। परन्तु कुछ मामलों में रिक्तियों को शीघ्र भरने के कारण नियुक्तियां केवल साक्षात्कार के आधार पर की गई थी।

(ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित कार्य जिस के लिए कर्मचारी भर्ती किए गए ये का संबंध साधारण जनगणना आंकड़ों के सारणीकरण और कोड़िग से हैं। इस कार्य के लिए नियमित कर्मचारी रखना आवश्यक नहीं समझा गया है। वास्तव में जनगणना सारणीकरण का यह कार्य सदैव समेकित वेतन पर रखे गए कर्मचारियों द्वारा किया जाता है और नियमित कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जाता है।

(ग) ये कर्मचारी जिस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं वह कार्य अल्प अवधि का है। जब कार्य पूरा हो जाता है तो समेकित वेतन वाले कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ती है क्योंकि उसके बाद उनको रखने का कोई औचित्य नहीं होता।

दानापुर छावनी में सेना भर्ती कार्यालय

5302. श्री रामवतार शास्त्री : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर छावनी में कोई सेना भर्ती कार्यालय है;

(ख) यदि हां, तो वहां भर्ती का कार्य नियमित रूप से चलता रहता है;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें भर्ती के मामले में वहां होने वाले कदाचारों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उन कदाचारों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) इस भर्ती कार्यालय में विगत में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी। यद्यपि उनमें से अधिकांश शिकायतें निराधार पाई गई थी, फिर भी दानापुर छावनी के भर्ती अफसर को एक एजेंट के जरिए भर्ती करवाने के लिए धन दिए जाने की एक शिकायत पिछले साल प्राप्त हुई थी, जिसकी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच कर रहा है जब और जैसे ही केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त होगी, यदि आवश्यक हुआ तो, दोषी पाए गये व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

गुजरात राज्य के लिए विश्व बैंक की धनराशि

5303. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने गुजरात राज्य के औद्योगिक विकास के अध्ययन के खर्च के लिए धनराशि मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा चलाई जा रही तकनीकी सहायता धनराशि योजना के माध्यम से 7 परियोजनाओं को वित्त प्रदान किया जा रहा है, इसने ऋण देने में विश्व बैंक की प्रक्रिया अपनाई है।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी जा रही वित्तीय धनराशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1. सौराष्ट्र में उद्योगों का विकास, व्यापक कार्रवाई योजना तैयार करना।
2. एक ग्रामीण एक्लिक उद्योग बस्ती की स्थापना करने संबंधी संभाव्यता।
3. दक्षिण गुजरात के छोटे कस्बों में अत्यधिक कम लागत वाले आवासों के लिए भवन सामग्री का उत्पादन करने की बस्ती की स्थापना करना।
4. एक इलैक्ट्रोनिक उद्योग बस्ती के लिए संभाव्यता अध्ययन।
5. गुजरात में प्लास्टिक उद्योग का आधुनिकीकरण करने और उसका विकास करने हेतु कार्यवाही योजना।
6. विकास केन्द्र नीति का मूल्यांकन करने सहित औद्योगिक छितराव का अध्ययन तथा विकास केन्द्र का पता लगाने हेतु नए मानदण्डों का विकास, तथा
7. गुजरात में फाउण्ड्री उद्योग का आधुनिकीकरण।

नई दिल्ली में एक संसद् सदस्य के निवास स्थान पर बम विस्फोट

5304. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री के० मालन्ना :

श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

श्री जनार्दन पुजारी :

श्री भीकू राम जैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 अक्बतूर, 1981 को नई दिल्ली में एक संसद् सदस्य के निवास स्थान पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने दो देशी बमों का विस्फोट किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 6 अक्तूबर, 1981 की रात को लगभग 10.30 बजे कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने मकान नं० 12-बी गंगा राम अस्पताल मार्ग के लान में 3 कच्चे (क्रूड) बम फैंके थे । इस मकान के प्रथम तल में श्री जगदीश टाईटलर, सांसद, रहते हैं। एक के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और इसके टुकड़े लान में बिखर गए। भू-तल में रहने वाला एक व्यक्ति बम के टुकड़ों से जख्मी हो गया।

(ग) पुलिस स्टेशन राजेन्द्र नगर में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत 7 अक्तूबर, 1981 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 406 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया और जांच पड़ताल अपराध शाखा को स्थानान्तरित कर दी गयी है । क्षेत्र में स्थानीय पुलिस द्वारा गश्त गहन कर दी गयी है और एहतियाती उपायों के रूप में उस स्थान पर पुलिस टुकड़ी तैनात कर दी गयी है । ऐसी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को पकड़ने के लिए आसूचना तंत्र को मजबूत बनाया गया है ।

विभाग में संकटपूर्ण स्थिति के विरुद्ध अभ्यावेदन

5305. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या वर्ष 1976 से योग्यता प्राप्त तकनीकी लोग इलैक्ट्रानिकी विभाग को बड़े पैमाने पर छोड़कर जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्य और नागरिक सम्भरण कार्यालय, शकरपुर, दिल्ली के पुलिस कांस्टेबलों द्वारा अर्जित अवैध धन

5306. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि खाद्य और नागरिक संभरण कार्यालय, शकरपुर, दिल्ली (पूर्वी) के नजदीक और कार्यालय में तैनात पुलिस कान्सटेबलों ने कार्यालय में आतंक मचा रखा है और वे लोगों को व्यक्ति विशेष से फार्म भरवाने के लिए मजबूर करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सारे मामले में जांच के आदेश जारी करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) शकरपुर में, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यालय के नजदीक तैनात कांस्टेबल के आचरण के विषय में प्राप्त शिकायत पर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा जांच की गयी थी और शिकायत को बेबुनियाद पाया गया ।

सी० बी० आई० अधिकारियों द्वारा निजी क्षेत्र में मांगा गया रोजगार

5307. **श्री ए० के० राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के अन्तर्गत सी० बी० आई० तथा सतर्कता और सुरक्षा संगठनों में शीर्षस्थ अधिकारियों द्वारा सेवा निवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के प्रतिबन्ध हैं; तत्संबंधी विस्तृत तथ्य क्या है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य सतर्कता-सह-सुरक्षा संगठनों के उच्चाधिकारी अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं) नियत, 1958 के नियम 26 अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 10 द्वारा शासित होते हैं (इन नियमों के अधीन प्रतिबंधों और उनके तहत जारी किए गए अनुदेशों के संगत उद्धरण संलग्न हैं) —[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए एल० टी० 3266/81]

पीपुल्स रिहैबिलिटेशन एण्ड वैलफेयर सोसायटी के विरुद्ध शिकायतें

5308. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या गृह मंत्री पीपुल्स रिहैबिलीटेशन एण्ड वैलफेयर सोसायटी के विरुद्ध शिकायत के बारे में 16 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4481 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमला मार्केट पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में श्री आर० एस० सिंघल और श्री एच० आर० मित्तल के विरुद्ध दर्ज कराए गए ठगी के मामलों की जांच पूरी होने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) अभियुक्तों का कब तक चालान किये जाने की संभावना है; और

(ग) जांच कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अभियुक्त अर्थात् सर्व श्री आर० एस० सिघल और एच० आर० मित्तल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 201 तारीख 23-3-81 के तहत दर्ज कराए गए ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

(ख) और (ग) मामले से सम्बद्ध कुछ दस्तावेजों को अभी एकत्र करना है। दस्तावेजों को एकत्र करने और औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद न्यायालयों में चालान प्रस्तुत किए जाएंगे ।

"जंकेटिंग इन फ्लेश ट्रेड" शीर्षक समाचार

5309. श्री मोहम्मद असवार अहमद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर, 1981 के अंग्रेजी दैनिक "नेशनल हैरल्ड" (लेट सिटी एडीशन) में "जंकेटिंग इन फ्लेश ट्रेड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) देश में फ्लेश व्यापार, जो बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति तक पहुंच गया है, का उन्मूलन करने अथवा उसे समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाये गए हैं; और

(ग) उपर्युक्त मामलों में क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) अनैतिक व्यापार के अभिशाप को रोकने का उत्तरदायित्व अलग-अलग राज्य सरकारों को सौंपा गया है। जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, बेसहारा महिलाओं के पुनर्वास के कार्य में लगे स्वयंसेवी संगठनों को आर्थिक सहायता दी जाती है। 1977 से मार्च, 1981 तक की अवधि के दौरान देश में 77 प्रशिक्षण तथा पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए थे, जिनसे लगभग 2580 महिलाओं को लाभ हुआ।

(ग) समाचार में दिए गए सुरागों की दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की गई थी और उल्लिखित व्यक्तियों पर निगरानी कड़ी कर दी गई। दिल्ली पुलिस स्थिति के बारे में सतर्क है और चालू वर्ष के दौरान 31 अक्तूबर, 1981 तक अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के अधीन 99 मामले दर्ज किए गए थे। इन मामलों में 220 महिलाएं और 21 पुरुष गिरफ्तार किए गए थे।

"शापकीपर रोब्ड" और अटैक आन पोस्टल स्टाफ" शीर्षक समाचार

5310. श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अक्तूबर, 1981 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "शापकीपर

रोल्ड" और इनक्रीजिंग अटैक ऑन पोस्टल स्टाफ" शीर्षक समाचार की ओर दिलाता गया है; और

(ख) यदि हां, तो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) दिल्ली में विधि और व्यवस्था की स्थिति में कोई बिगाड़ नहीं आया है । इसके विपरीत वर्ष 1979 के दौरान व्याप्त स्थिति की तुलना में स्थिति में काफी सुधार हुआ है । चालू वर्ष के प्रथम 11 महीनों के दौरान 1980 की समकालीन अवधि की तुलना में दिल्ली की स्थिति में ओर अधिक सुधार हुआ है ।

(ग) निम्नलिखित उपायों द्वारा दिल्ली में विधि और व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया है :—

(i) पुलिस सतर्कता में वृद्धि ।

(iii) सशक्त बाकी टाकी सैटों और वायरलैस युक्त मोटर साइकिलों की गश्त सहित गहन पैदल और चलती-फिरती गश्त ।

(iii) दण्ड प्रक्रिया संहिता की सामान्य निवारक धाराओं के अन्तर्गत बदमाशों और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई ।

(iv) आसूचना में वृद्धि करके डाकुओं, लुटेरों और अन्य बदमाशों का पता लगाने के लिए जिले के विशेष दस्तों द्वारा निरन्तर अभियान चलाना ।

(v) अपराध करने में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों का पता लगाने के लिए वाहनों की आकस्मिक जांच ।

(vi) ज्ञात अपराधियों पर निगरानी कड़ी करना ।

(vii) पुलिस गश्त टुकड़ियों के समन्वय से स्थानीय निवासियों औरनिजी चौकीदारों द्वारा "टिकरी पहरा" और गश्त लगाना ।

(viii) रिहा किए गए अपराधियों पर विशेष निगरानी ।

(ix) संवेदनशील स्थानों पर पुलिस टुकड़ियों की तैनाती ।

(x) चुने गए और सामरिक महत्व के स्थानों पर अवरोधक लगाना ।

(xi) पड़ौसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ अन्तर जिला बैठकें करना ।

निजी तथा सरकारी क्षेत्र में टी० वी० निर्माण एकक

5311. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में टी० वी० सेटों का निर्माण करने वाली यूनिटों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की जानकारी में अनियमितता और उनके कार्यकरण के बारे में कोई मामला लाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

नागालैण्ड का औद्योगिक विकास

5312. **श्री चिंगवांग कोन्यक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का नागालैण्ड के औद्योगिक विकास के रास्ते में रूकावटों को दूर करने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए, जिसमें उद्योग के विकास की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, या विशेष कदम उठाने का विचार है; और

(ख) परियोजनाओं का पता लगाने सर्वेक्षणों के बारे में समुचित प्रचार करने और उद्यमियों की सलाह एवं सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए जाने है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) नागालैण्ड में तीन जिलों अर्थात् कोहिमा, मेकोकचंग तथा त्वेनसांग को औद्योगिक रूप से पिछड़ा तथा अखिल भारतीय सावधि ऋण देने वाले संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएं प्राप्त करने तथा केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना दोनों के लिए पात्र माना गया है। केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के आरंभ से 31-3-1981 तक राज्य में पता लगाए गए जिलों/क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक एककों को वितरण करने के लिए राज्य सरकार को 53.37 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की गई है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहनों के अलावा पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार भी परिवहन राजसहायता, करों में रियायत लघु उद्योगों द्वारा मशीनों की किराया-खरीद, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श, ब्याज राजसहायता कच्चे माल का आयात करने के लिए विशेष सुविधाएं, ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम, ग्रामीण कारीगर कार्यक्रम, जिला उद्योग केन्द्र तथा मूल/मार्जिन धनराशि सहायता जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है।

राज्य सरकार के कथन पर केन्द्रस्थ संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत दो जिलों अर्थात् मोन तथा त्वेनसांग को गहन समेकित औद्योगिक विकास एवं उनके सम्भव आनुषंगीकरण के लिए स्वीकार किया गया है। इन स्वीकृत जिलों के औद्योगिक विकास की परियोजना सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिए एक कृतिक बल की स्थापना की गई है। वर्तमान में कृतिक बल कार्यरत है।

छठी पंचवर्षीय योजना में बड़े और मझोले उद्योगों तथा लघु व ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन हेतु क्रमशः 440 लाख रुपये और 500 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

नागालैण्ड में वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से युवाओं को सुविधाएं

5313. **श्री चिंगवांग कोन्यक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र का नागालैण्ड में युवाओं को उद्योगों को प्रायोजित करने व विकसित करने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से धनराशि एवं सुविधाएं देने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : नागालैण्ड सहित उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के गतिशील औद्योगिकरण के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

लघु उद्योग बोर्ड द्वारा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के बारे में स्थापित विशेष समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार ने 1 मार्च, 1981 को या उसके पश्चात् स्थापित औद्योगिक एककों के लिये केन्द्रीय निवेश राजसहायता की राशि अचल पूंजी निवेश पर या अतिरिक्त किए गए कुल अचल पूंजी निवेश पर, यथाप्रकरण, 15 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत कर दी है जो अधिकतम 20 लाख रुपये तक हो सकती है।

नागालैण्ड के सभी जिले जिला उद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं, इसके अधीन अर्ध-नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे और ग्रामीण लघु उद्योगों के लिए मूल (सीड) राशि सीमान्त (मार्जिन) राशि की सहायता दी जाती है।

अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड ने उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया है। इस समिति में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के सभी उद्योग मंत्री हैं यह समिति क्षेत्र के प्रभावी विकास के लिए समन्वित योजना की सिफारिश करेगी।

टोबु इन्टरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली द्वारा श्रमिकों कानूनों का उल्लंघन

5314. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि टोबु इन्टरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड, कीर्तिनगर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में श्रमिक कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कानूनों का उल्लंघन करने के लिए इस कम्पनी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए जो समयोपरि से सम्बन्धित है, प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध अभियोजन चलाया गया है, दिल्ली प्रशासन द्वारा

कारखाना अधिनियम के सुरक्षा, कल्याण और अन्य उपबन्धों के उल्लंघन के लिए प्रबन्धतंत्र पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

5115. **श्री आर० आर० भोले** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अवगत है कि नियोजकों द्वारा कर्मचारियों को देय बोनस निर्धारित तिथि से देय कर्मचारियों की धनराशि होती है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को बोनस देय होने की तिथि से सात-आठ महीने के पश्चात् क्यों दिया जाता है; और

(ग) क्या सरकार निदेश जारी करेगी कि कर्मचारियों को उचित समय के अंदर बोनस के भुगतान न किए जाने पर जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार उन्हें देय धनराशि पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाए ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) बोनस संदाय अधिनियम की धारा 19 के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को बोनस के रूप में देय सभी राशियों का भुगतान 8 महीनों की अवधि के अन्दर कर दिया जाए, सिवाय उन मामलों के जहां कोई विवाद हो वहां यह उस तारीख से एक माह के अन्दर भुगतान कर दिया जाए जब से ऐसे विवाद के बारे में पंचाट लागू हो जाता है या समझौता लागू हो जाता है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सूचना प्रक्रिया में नवीनतम तकनीकी का अपनाया जाना

5316. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूचना विज्ञान सम्बन्धी सोसाइटी ने 25 नवम्बर, 1981 को हैदराबाद में हुये सम्मेलन में सरकार से अनुरोध किया है कि सूचना प्रक्रिया के लिये उपलब्ध नवीनतम तकनीकी अपनाई जाए;

(ख) क्या सम्मेलन में यह भी इच्छा व्यक्त की गई है कि सरकार लोगों की सूचनाओं के प्रति जागरूक रखने के लिये कदम उठाए; और

(ग) यदि हां, तो सरकार, सूचना कार्यों में गतिशील लाने के लिये क्या कदम उठाना चाहती है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) सरकार को सम्मेलन की कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) भारत सरकार ने सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों के विविध पहलुओं पर सूचना जुटाने और सभी सरकारों तथा सम्बद्ध अधिकरणों को सेवाएं प्रदान करने के लिये एक आंकड़ा नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन० आई० सी०) नामक केन्द्र को स्थापना पहले ही की है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने पट्टे पर ली गई भूमि पर पहले ही एक नेटवर्क कायम किया है। यह नेटवर्क भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र (इन्सडांक) (इण्डियन नेशनल साईंटिफिक डाक्यूमेन्टेशन सेन्टर) को भी जो ग्रंथविज्ञान सम्बन्धी जानकारी के लिए उत्तरदायी है, अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। ग्रंथविज्ञान सम्बन्धी सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने "इलैक्ट्रानिको विषय पर तकनीकी एवं आर्थिक सूचना" सम्बन्धी एक ग्रंथविज्ञान सूचना प्रणाली स्थापित की है, जो कार्य कर रही है। भारत में इस संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उक्त केन्द्र इन्सडॉक तथा अन्य पुस्तकालयों के सहयोग से कार्य कर रहा है।

बाल कल्याण

5317. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :**

श्री गुलाम मोहम्मद खां : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या भारत को बाल कल्याण के लिए गल्फ अरब फाउंडेशन से कुछ सहायता मिलेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): योजना मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के निमंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात् निधि के अवैतनिक सहायक महा सचिव और विशेष दूत महामहिम प्रिन्स तलाल बिन अब्दुल अज़ीज अलसाउद की हाल की यात्रा में यह उल्लेख किया गया था कि भारत को सात राष्ट्रों के खाड़ी अरब प्रतिष्ठान द्वारा दी जाने वाली सहायता का लगभग 30 प्रतिशत भाग प्राप्त हो सकता है।

पंजाब में दास व्यापार

5318. **श्री चित वसु :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पंजाब के विभिन्न भागों में हाल ही में दास व्यापार चल रहा है और यह अब भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के परिणामों का ब्योरा क्या है और इस बारे के की गई अनुवर्ती कार्यवाही क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) पंजाब सरकार की सूचना के अनुसार पंजाब राज्य में कभी भी दास व्यापार नहीं था। तथापि, प्रवासी श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। पंजाब सरकार ने इन शिकायतों की जांच करवाई लेकिन इनमें कोई भी शिकायत तथ्यों द्वारा साबित नहीं हो सकी।

घोषित भगोड़ों को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेन्शन देने के बारे में शिकायतें

5319. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घोषित भगोड़ों से स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेन्शन के लिए मंत्रालय को प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या कैद भोगे हुए स्वाधीनता सैनानियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको शिकायतें मिली हैं कि उनमें से अधिकतर आवेदक प्रामाणिक नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों का ब्योरा क्या है; और

(घ) शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) भूमिगत यातनाओं के आधार पर मांगी गई पेंशन के आवेदकों के कोई अलग रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं। उदार बनाई गई पेंशन योजना के अन्तर्गत दी गई छूट के बाद कुछ स्वाधीनता सैनानियों द्वारा अन्धाधुन्ध दिए जा रहे कथित झूठे प्रमाणपत्रों के आधार पर फर्जी और जाली सम्मान पेंशन के दावेदारों के कथित आविर्भाव के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों को जांच और रिपोर्ट करने के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया गया है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भी ऐसे दावों की जांच और सत्यापित करते समय सतर्क रहने के लिए सावधान कर दिया गया है।

सोवियत संघ का कम्प्यूटरों तथा मैनीपुलेटरों के निर्माण का प्रस्ताव

5320. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने कम्प्यूटरों तथा रोबट मैनीपुलेटर के निर्माण के क्षेत्र में भारतीय निजी क्षेत्र को अरबों रूबल के दो सौदों का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सोवियत संघ ने प्रलेखन तथा कुछ मशीनी पुर्जों के संबंध में प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने की इच्छा व्यक्त की है और करार के अंतिम रूप दिए जाने पर भारत उनके बदले तैयार माल देगा;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में करार हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, इलैक्ट्रानिक्स तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

गरीबी हटाने के लिए कार्यक्रम

5321. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी हटाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को अध्ययन करने हेतु नियुक्त किए गए परियोजना मूल्यांकन संगठन ने यह कहा हैं कि ग्रामीण निर्धन लोगों को उनके लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन को ध्यान में रखकर सरकार क्या उपाय कर रही हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

तमिलनाडु में धर्म परिवर्तन

5322. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई से प्रकाशित एक दैनिक पत्र के 17 नवम्बर, 1981 के अंक में "कनवर्जेन्स टी० एन० कोन्ट्राडिक्ट्स होम मिनिस्टरी रिपोर्ट टारगेट : 80 मिलियन हरिजन्स" शीर्षक से मुख पृष्ठ पर प्रकाशित रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उपरोक्त समाचार में उल्लिखित इस तरह की कोई रिपोर्ट तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) उपरोक्त समाचार पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या सरकार को हरिजनों द्वारा इस्लाम धर्म अपनाने के बारे में तमिलनाडु सरकार से कोई रिपोर्ट मिली है; और

(च) यदि हां, तो तमिलनाडु सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजी गई मुख्य टिप्पणियां और निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) गृह मंत्रालय ने इस मामले में कोई औपचारिक जांच नहीं की है। इसलिए, कोई रिपोर्ट तैयार करने या समाचार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) से (च) तमिलनाडु सरकार ने इस मामले के बारे में एक पत्र भेजा है जिसमें उन्होंने मोटे तौर पर यह कहा है :—

(i) ऐसी धारणा है कि यद्यपि आर्थिक दृष्टि से उन्होंने उन्नति कर ली हो, पूरी तरह से सामाजिक दर्जा प्राप्त करने में अभी वे पिछड़े हुए हैं, इसलिए यह धारणा अनुसूचित जातियों के कुछ लोगों में क्षोभ का कारण बनी हुई है।

(ii) इस बात का भी बहुत उल्लेख किया गया है कि पैसे ने धर्म परिवर्तन में अपनी भूमिका निभायी है। परन्तु यह ठीक-ठीक कहना कठिन है कि पैसे ने किस हद तक विभिन्न परिवारों के निर्णय को प्रभावित किया है।

(iii) जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में, यदि कोई मामला ध्यान में लाया जाए तो संगत कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

बाल विकास योजना का प्रस्ताव

5323. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में योजना आयोग द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि समेकित बाल विकास कार्यक्रम की विभिन्न सेवाओं का प्रभाव कहीं-कहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग के कार्यक्रय निर्धारण संगठन (प्रोग्राम एवाल्यूएशन आर्गेनाईजेशन) द्वारा किए गए सर्वेक्षण ने व्यापक शिक्षा देने और अधिक लोगों द्वारा इन सेवाओं का लाभ उठाए जाने के संबंध में प्रयत्न करने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ग) यदि हां, तो बाल विकास योजनाओं के कम प्रभाव होने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) क्या योजना आयोग की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सरकार का विचार ठोस उपाय करने का है जिससे कि ये कार्यक्रम पुर्णरूपेण कार्यान्वित हो सकें और इसका प्रभाव बाल विकास पर अधिक हो ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन के अन्तर्गत आने वाले 19 राज्यों में गुजरात और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली का सर्वेक्षण शामिल है। एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।

(ख) से (घ) रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

हिन्द महासागर आयोग का गठन

5324. **श्री एच० एन० गन्जे गौडा** :

श्री जनार्दन पुजारी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार हिन्द महासागर आयोग का गठन करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्र ने इस संबंध में विज्ञान और औद्योगिकी के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो इस हिन्द महासागर आयोग के प्रमुख कार्य क्या होंगे; और

(घ) क्या इसके निदेश पद तथा गठन के बारे में निर्णय ले लिया गया है; और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) हिन्द महासागर आयोग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) इस सम्बन्ध में समुद्री विकास विभाग द्वारा नीति तैयार की जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी दान पाने वाले मिशनी

5325. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्यरत कुछ मिशनरियों को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा दान में मिलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह दान भारत सरकार अनुमति से मिल रहा है;

(ग) क्या विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत धन पाने वाले संगठनों को प्रति छः माही वित्त मंत्रालय को विवरणिका प्रस्तुत करनी होती है;

(घ) क्या इन विवरणियों को, यदि वे प्रस्तुत की जाएं, तो जांच करने और पैसा न करने वाले संगठनों को स्मरण दिलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

(ङ) क्या कतिपय दूतावासों द्वारा स्थानीय छापाखानों को छपाई तथा दूतावास के प्रकाशनों में काम आने वाले कागज के लिये वास्तविक राशि से अधिक राशि के बिलों का भुगतान किए जाने पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन विदेशी अभिदान प्राप्त कर रही सभी संस्थाओं/संगठनों को राशि की छः माही विवरणिका, उनके द्वारा इसके प्राप्त होने के स्रोतों और राशि के उपयोग किए जाने की वार्षिक लेखा रिपोर्ट गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करनी आवश्यक होती है। कुछ मिशनरी विदेशी अभिदान प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) ऐसे मामलों में सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(ग) विवरणियां गृह मंत्रालय में फाइल की जाती हैं।

(घ) ऐसी विवरणिकाओं की जांच की जाती है और विवरणिका का फाइल करना सांविधिक आवश्यकता है।

(ङ) और (च) इस सम्बन्ध में विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी इस पहलू की तरफ सरकार ध्यान दे रही है।

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ द्वारा परामर्श दात्री सेवाएँ

5326. **श्री चित्त महाटा :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चण्डीगढ़ वित्तीय लाभ कमाने के लिए विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों को प्रौद्योगिकीय तथा तकनीकी सहायता के लिए स्पानसरशिप की अपेक्षा परामर्श देने की वरीयता देता रहा है;

(ख) उन सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की संख्या क्या है; जिसे इस संगठन ने वर्ष 1980-81 में परामर्शदायी सेवाएं प्रदान की हैं;

(ग) उसी अवधि में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को परामर्शदायी सेवाएं प्रदान करने में संगठन-वार कितना खर्च हुआ है; और

(घ) उसी अवधि में सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों से संगठन-वार कितनी आय हुई ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : जी, नहीं।

(ख) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सी० एस० आई० ओ०) चण्डीगढ़ ने वर्ष 1980-81 के दौरान अपनी परामर्शीय सेवाएं केवल एक बार एक प्राइवेट फर्म को दीं।

(ग) और (घ) संगठन ने 17,500 रुपये व्यय किए और उसे फर्म से 35,000 रुपये प्राप्त हुए।

आर्थिक प्रगति के सुधार के लिए झा-आयोग की सिफारिशें

5327. **श्री भीकू राज जैन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या आयोग ने इस संबंध में कोई सिफारिशें की है कि आर्थिक प्रगति के सुधार के लिए क्या किया जाना अपेक्षित है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसने क्या-क्या सुझाव विशेष रूप से दिए हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी : (क) और (ख) आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग ने अभी तक एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें औद्योगिक अनुमोदनों से संबंधित कार्यविधि को सरल बनाने के बारे में सिफारिशें की गई हैं। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं।

औद्योगिक तथा घरलू उपयोग के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की योजना

5328. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक एककों में बिजली संकट पर काबू पाने और घरेलू प्रयोजनों के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे जापान, दक्षिण कोरिया तथा अन्य देशों की तकनीक का अध्ययन करने का कोई प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) सरकार द्वारा पहले से ही नए और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के विकास और उपयोग के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में प्रयोग के लिए विभिन्न युक्तियों और प्रणालियों को विकसित किया गया है। देश में वाणिज्यिक आधार पर औद्योगिक और घरेलू आवश्यकताओं के लिए सौर जल और वायु तापक प्रणालियों का भी अब निर्माण किया जा रहा है। सौर कुकरों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक स्कीम को हाथ में लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त देश में उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा युक्तियों और प्रणालियों में जैव गैस संयंत्र, बायो गैस द्वारा चालित इंजिन, सौर शुष्कक और सौर आसवन यूनिट हैं। इन प्रणालियों में सुधार करने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यों तथा नवीन युक्तियों के विकास में प्रगति हो रही है।

सरकार लगातार अन्य देशों में इस क्षेत्र में हो रहे विकास का अनुसरण कर रही है।

दिल्ली में कांस्टेबलों की पदोन्नति हेतु

5330. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में कांस्टेबलों की पदोन्नति के लिए एक परीक्षा हुई थी;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबलों द्वारा इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का आरोप लगाया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) एक परीक्षा 30 जून को हुई थी और दूसरी परीक्षा 22 नवम्बर, 1981 को की गई थी।

(ख) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्टोवों का उत्पादन

5331. **श्री डी० एम० पुत्तेगौडा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन० एस० आई० सी०) नई दिल्ली ने लघु उद्योग क्षेत्र में स्टोवों के उत्पादन के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर अनेक एकक स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नई दिल्ली द्वारा निर्मित वस्तुओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या ये वस्तुएं खुले बाजार में सुगमता से उपलब्ध है; और

(घ) यदि हां, तो खुले बाजार में प्रत्येक वस्तु का मूल्य क्या है और दिल्ली ऐसे कौन से व्यापारी हैं जिनसे यह वस्तुएं उचित दर पर खरीदी जा सकती हैं।

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा स्टोवों के उत्पादन के लिए लघु उद्योग क्षेत्र में कोई भी एकक स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

"दिल्ली डायरी—एच० ए० एल० चीफ अण्डर ए क्लाउड" शीर्षक से समाचार

5332. श्री राम सिंह शाक्य :

श्री धर्मदास शास्त्री :

श्री त्रिलोक चन्द :

श्रीमती प्रमिला दण्डवते :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 अक्तूबर, 1981 को कलकत्ता की एक साप्ताहिक पत्रिका "सन्डे" में दिल्ली डायरी—एच० ए० एल० चीफ अन्डर ए क्लाउड" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें चेयर मैन, एच० ए० एल० और यूरेखा सेल्स कार्पोरेशन के बीच सम्बन्ध, यूरेखा को विमान की सहायक सामग्री की सप्लाई के ठेके दिए जाने, एच० ए० एल० के कारोबार के बारे में यूरेखा को सूचना देने तथा यूरेखा का मिराज के फ्रांसीसी निर्माताओं का एजेन्ट बनने के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया था;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही गई है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) उल्लिखित लेख में कोई विशेष आरोप नहीं लगाए गए हैं। यहां यह भी बताया जाता है कि अगर कोई विशिष्ट आरोप सरकार के ध्यान में आएगा तो उसकी उचित जांच की जाएगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जासूसी कार्य में रक्षा कर्मचारियों का हाथ होना

5333. श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री चिन्ता मणि जेना :
श्री जनार्दन पुजारी :
श्री बी० वी० देसाई :
श्री हरिनाथ मिश्र :
श्री माधव राव सिंधिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्याय में यह बात आई है कि कुछ रक्षा कर्मचारी देश में स्थित कुछ विदेशी दूतावासों से सम्बन्ध बनाए हुए थे और वे उनको रक्षा सम्बन्धी गोपनीय जानकारी देते रहे थे; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का विवरण क्या है और भविष्य में इस तरह की बातें पुनः न हों इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) उपबन्ध सूचना के अनुसार नई दिल्ली नौसेना मुख्यालय में कार्यरत और एक अन्य व्यक्ति को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख के साथ पठित सरकारी गोपनीय अधिनियम की धारा 3, 5 और 9 के अधीन पुलिस स्टेशन, दरियागंज दिल्ली में दर्ज एक मामले के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच पतड़ाल की जा रही है।

सरकार राष्ट्र की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सतत सतर्कता बरत रही है और जासूसी और अन्य ऐसी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के किसी प्रयत्न का पता लगाने, ढूंढ निकालने और उसके विरुद्ध अन्य कार्यवाही करने के लिए गंभीर प्रयत्न किए जाते हैं।

"इल्लीगल डिटेंशन आफ II इयर ओल्ड" शीर्षक समाचार

5334. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अक्तूबर, 1981 के इण्डियन एक्सप्रेस में "इल्लीगल डिटेंशन आफ II इयर ओल्ड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इस सुनिश्चिय के साथ कि देश के किसी जेल में इस प्रकार कोई नजरबन्द व्यक्ति नहीं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। चण्डीगढ़ प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, 26 अगस्त, 1981 को चण्डीगढ़ में एक आन्दोलन हुआ था। जिसमें पी० सी० आई० के 52 कार्यकर्ताओं और एक श्री मोहिन्द्र लाल को गैर-कानूनी जमाव करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने किसी बच्चे को गिरफ्तार नहीं किया। परन्तु, श्री मोहिन्द्र लाल ने आग्रह किया कि उनके पुत्र विजय कुमार को भी, जो आन्दोलन में मौजूद था, जेल ले जाया जाए। श्री विजय कुमार को उसके पिता के साथ लगातार जेल में रखे रहने की जरूरत पड़ गई, क्योंकि उन्होंने जमानत पर रिहा होने से इंकार कर दिया था।

चण्डीगढ़ में पूर्वी पंजाब बाल अधिनियम, 1949 लागू है, न कि बाल अधिनियम, 1960। इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, 16 वर्ष से कम उम्र के उस बच्चे को जिसे जमानत पर रिहा न किया गया हो, किसी प्रमाणित स्कूल या सुरक्षित स्थान पर रखा जाना होता है। यदि ऐसा कोई स्कूल या सुरक्षित स्थान उपलब्ध न हो तो बच्चे को थाने में रखा जा सकता है किन्तु उसे व्यस्क कैदियों से दूर रखना होता है। श्री विजय कुमार को खतरनाक तथा अपराधी किस्म के कैदियों से दूर रखा गया था। वह जेल में अपने पिता के चार्ज में रहा। इसे देखते हुए, इस बारे में कानून के उपबन्धों का कोई उल्लंघन नहीं किया है।

जी० आर० ई० एफ० यूनिट, पठानकोट के नैमित्तिक कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना

5335. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पठानकोट के निम्नलिखित जी० आर० ई० एफ० यूनिटों में गत कई वर्षों से काम कर रहे उन नैमित्तिक कर्मचानियों की सेवाओं को, जिनकी सेवा में एक दिन की अनुपस्थिति मात्र सेवा-विच्छिन्न करने के लिए दर्शायी जाती है, अन्यथा वे सतत रूप से काम कर रहे हैं, नियमित करने के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम हैं :

(एक) वेस्टर्न बेस वर्कशाप (जी० आर० ई० एफ०)

(दो) वेस्टर्न स्टोर डिवीजन (जी० आर० ई० एफ०)

(तीन) डिटेचमेण्ट आफ 52 आर० सी० सी० (जी० आर० ई० एफ०)

(चार) 1326 बेस डिपो (जी० आर० ई० एफ०) ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं बनाया गया है। सीमा सड़क संगठन में नैमित्तिक कार्मिकों को नियमित करने से संबंधित प्रतिबन्धों के बारे में लोक सभा में 11 मार्च, 1981 को उत्तर के लिए पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3186 और 3187 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी। इस प्रश्न में उल्लिखित जनरल रिजर्व इंजीनियर्स फोर्स यूनिटों के नैमित्तिक कर्मचारियों के मामले पर अलग से विचार करना व्यावहारिक नहीं होगा।

सरकारी अधिकारियों की सेवा-निवृत्ति आयु

5336. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री स्कारिया थोमस :
श्री मनोहर लाल सैनी :
श्री के० लकप्पा :
श्री धर्म दास शास्त्री :

श्री सतीश प्रसाद सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी सरकारी अधिकारियों की सेवा-निवृत्ति आयु बिना किसी भेदभाव के 58 वर्ष है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ अधिकारियों को 60 वर्ष की आयु तक छूट दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और चतुर्थ श्रेणी से प्रथम श्रेणी के सभी सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में इतनी ही आयु लागू क्यों नहीं की जानी चाहिए।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सामान्यतः प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को उस महीने के अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवा निवृत्त कर दिया जाता है जिसमें वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है। किन्तु, निम्नलिखित प्रवर्गों के कर्मचारी उस महीने के अन्तिम दिन के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो जाते हैं जिसमें वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं :—

(i) कर्मकार अर्थात् किसी औद्योगिक निर्माण-कार्य ,प्रभारित प्रतिष्ठान में मासिक वेतन दर पर रोजगार में लगा कोई अति कुशल, कुशल, अर्द्ध-कुशल अथवा अकुशल कारीगर।

(ii) ऐसा अनुसचिवीय सरकारी कर्मचारी जिसने 31 मार्च, 1938 को अथवा उससे पूर्व सरकारी सेवा में प्रवेश किया था और उस तारीख को (क) किसी स्थायी पद पर उसका धारणाधिकार (लियन) या निलंबित लियन था, अथवा (ख) उसने किसी स्थायी पद पर अनन्तिम रूप में मूल हैसियत में काम किया था और उक्त पद पर स्थायी किए जाने तक के किसी व्यवधान के बिना उस पद पर कार्य करता रहा था।

(iii) सचिवालय सुरक्षा बल के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर, चतुर्थ श्रेणी (समूह "घ") सेवा अथवा पद पर कोई सरकारी, जिसने 15 सितम्बर, 1969 को अथवा उसके पश्चात् प्रारम्भिक रूप से सरकारी सेवा में प्रवेश किया था।

(ख) जी हां।

(ग) आपवादिक परिस्थितियों में उपयुक्त प्राधिकारी की स्वीकृति से सरकारी कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवा-वृद्धि की मंजूरी की जा सकती है, बशर्ते कि ऐसी सेवा-वृद्धि लोक हित में हो और उनके कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड किया गया हो। इसके अतिरिक्त कर्मकारों और चतुर्थ श्रेणी (समूह "घ") कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष रखी गई है क्योंकि उनके कार्य के लिए अधिक मानसिक अथवा शारीरिक तनाव की आवश्यकता नही पड़ती है। 31-3-38 को अथवा उसके पहले सहकारी सेवा में आए अनुसचिवीय सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पर सेवा निवृत्त होते हैं क्योंकि उनकी नियुक्ति के समय सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी। इस प्रकार यह संभव नहीं समझा गया है कि सभी प्रवर्गों के सरकारी अधिकारियों के मामले में सेवा निवृत्ति की आयु एक समान निर्धारित की जाए।

सांख्यिकी संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव

5337. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नीति संबंधी मामलों में जिनमें सांख्यिकी का विकास अन्तर्ग्रस्त होता है, तकनीकी मार्ग-दर्शन उपलब्ध कराने के लिए एक सांख्यिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

योजना मंत्री (श्री बी० एस० चव्हाण) : सांख्यिकी विषयक राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड के गठन तथा विस्तृत कार्य प्रणाली के संबंध में सुझाव देने के लिए विशेष रूप से गठित दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कार्यवाही की जायेगी।

"डिफेंस शॉकर" शीर्षक समाचार

5338. श्री बाल कृष्ण राम चन्द्र वासनिक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दिनांक 21 नवम्बर, 1981 के ब्लिट्ज में "डिफेन्स शॉकर" शीर्षक समाचार देखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट में दी गई सूचना इस मामले में कोई कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त नहीं समझी गयी।

मधुमेह के रोगियों के लिए विशेष चाकलेट के उत्पादन के लिए जानकारी देने के लिए सोवियत रूस की पेशकश

5339. श्री आर० एन० राकेश :
श्री डी० एम० पुत्तेगौडा :
श्री के० मालन्ना :
श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मधुमेह के रोगियों के लिए विशेष चाकलेट बनाने की तकनीक की जानकारी के लिए भारत को सोवियत रूस की पेशकश प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत में इसके प्रयोगों और कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सशस्त्र सेनाओं के लिए ऊनी कम्बलों की खरीद

5340. श्री रतन सिंह राजदा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना, सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य अर्द्ध-सैनिक बलों के लिए वर्ष 1979, 1980 तथा 1981 के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितने कम्बलों (बैटक्स) खरीद की गई; उनमें किस किस्म की तथा कितनी-कितनी ऊन का प्रयोग किया गया और उनका औसतन क्रय मूल्य कितना रहा;

(ख) वर्ष 1979, 1980 तथा 1981 के दौरान निरीक्षण के पश्चात् कितने कम्बल अस्वीकृत किए गए और उन सप्लायरों के नाम क्या हैं जिनके कम्बल अस्वीकृत किए गए तथा उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने कम्बल समय पर सप्लाई नहीं किए और उनमें से प्रत्येक को और अधिक समय दिया गया, और सप्लायरों द्वारा निर्धारित किस्म के सैम्पलों के समक्ष, बाद में, वस्तुतः भिन्न किस्म के कम्बल सप्लाई करने सम्बन्धी कदाचारों का ब्योरा क्या है और निरीक्षण पद्धति/तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि रद्दी ऊन (शोडी) उद्योग ने बंगलादेश सम्बन्धी भारत-पाक युद्ध के दौरान अल्प सूचना पर ही लगभग 5 लाख कम्बल सप्लाई कर दिए थे और क्या यह भी सच है कि उत्पादकों ने ये कम्बल "ब्लैक आऊट" के दिनों में ही तैयार किए थे और अत्यन्त आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सप्लाइयां पूरी की थीं; क्या यह सच है कि "सी" वर्ग के कम्बलों की सप्लाई के लिए अब शोडी उद्योग को इस आधार पर क्रयादेश नहीं दिए जाते हैं कि इन कम्बलों में ऊष्णता निर्धारित मापदण्डों से अपेक्षतया कम है; और क्या इन कम्बलों के विशिष्ट विवरणों में इनकी ऊष्मा का कोई उल्लेख किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) से (ग) विभिन्न संगठनों से सूचना एकत्रित की जा रही हैं और यथासमय सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नागालैण्ड मंत्रालय के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

5341. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री चिगवाक कोन्यक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार को नागालैण्ड मंत्रालय के भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) नागालैण्ड मंत्रिमण्डल के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन पर मंत्रियों के लिए आचरण संहिता के अधीन स्थापित प्रक्रिया तथा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार कार्यवाही की गई है/की जा रही है।

रक्षा मंत्रालय में उम्मीदवारों का साक्षात्कार

5342. श्री चित्त बसु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय में नौकरियों के लिए साक्षात्कार के फार्म में उम्मीदवारों से पूछा गया है कि क्या वे केरल और पश्चिम बंगाल में कभी एक वर्ष से अधिक रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) जी, नहीं। जहां तक रक्षा मंत्रालय सचिवालय का सम्बन्ध है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देवलाली मिलिट्री कैम्प के सैनिक क्षेत्र तथा रेंज का विस्तार

5343. डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नासिक के समीप देवलाली में मिलिट्री कैम्प के सैनिक क्षेत्र तथा रेंज का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका सही-सही ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने क्षेत्र का अधिग्रहण किया जाएगा तथा इस विस्तार के लिए अधिग्रहण की जाने वाली सीमाओं और गांवों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) जी हां। देवलाली में चांदमारी क्षेत्र के विस्तार का एक प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) 30.922 एकड़ का अतिरिक्त क्षेत्र, जो अधिकतर ऊंची पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ है, अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है। इस चांदमारी क्षेत्र के विस्तार से उत्तर में गांव वाढोल और जाटे गांव, पूर्व में बम्बई-आगरा रोड, दक्षिण में गांव मुरूम्बी और राजूर गडगडा और पश्चिम में गांव पाहिने सहित आसपास के 18 गांव प्रभावित होंगे।

ई० एस० आई० अस्पताल, पांडूनगर, कानपुर

5344. श्री के० ए० राजन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 19 अक्तूबर, 1981 के साप्ताहिक "जनयुद्ध" में ई० एस० आई० हस्पताल, पाण्डूनगर, कानपुर, यू० पी० तथा स्टोरकीपर और अन्यों की गतिविधियां शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य में चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है, सूचित किया है कि जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) जब जांच-पड़ताल की रिपोर्ट उपलब्ध हो जाएगी, तो सूचना सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र

5345. श्री ए० के० राय : क्या श्रम मंत्री भारत सरकार के श्रम राज्य मंत्री के दिनांक 23-3-81 के डी० ओ० पत्र संख्या एल—41025(3)/81-डी-11 बी० जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र रेलवे के किसी भी उस विवाद में हस्तक्षेप करता है यदि उसमें हड़ताल का नोटिस दिया गया हो, के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह नीति अब भी लागू है अथवा आवश्यक सेवा अधिनियम के अधिनियमन के बाद बदल गई है; और

(ख) क्या बदली हुई परिस्थितियों में उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र को यह परामर्श दिया है कि वह औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के लिए रेलवे में पंजीकृत मजदूर संघों द्वारा उठाए गए विवादों का निपटारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अन्तर्गत करें ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन नहीं है ।

आधुनिक मालवाहक विमान प्राप्त करना

5346. श्री जनार्दन पुजारी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सोवियत रूस द्वारा बनाए गए विमानों के अपने वर्तमान विमान बेड़े को प्रतिस्थापित करने के लिए विस्तृत आकार वाले आधुनिक मालवाहक विमान प्राप्त करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने विमान खरीदे जाएंगे;

(ग) क्या सरकार ने प्राप्त किए जाने वाले विमानों के माडल के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) भारतीय वायु सेना के भारी परिवहन विमान के वर्तमान बेड़े को यथासमय पुनः लैस करने के लिए उपयुक्त विमान का पता लगाने के लिए प्रारम्भिक रूप से विचार किया जा रहा है ।

(ख) से (घ) विमान की तादाद और किस्म के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्रमिकों में एस्बेस्टोसिस रोग

5347. श्री माधव राव सिंधिया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विजनेस इण्डिया पत्रिका के उसे 16 अगस्त, 1981 के अंक में "ए किलर इण्डस्ट्रीयल डिजीज" एक घातक औद्योगिक रोग शीर्षक एक लेख

प्रकाशित हुआ था जिसमें कहा गया है कि बम्बई स्थित एक फैक्टरी के श्रमिकों के स्वास्थ्य की जांच करने पर पाया गया कि बड़ी संख्या में श्रमिक एस्बेस्टोसिस नामक घातक रोग से ग्रस्त थे;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि यह रोग सरकार द्वारा 1948 में ही एक व्यावायिक रोग के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, तथापि अधिकांश निर्माता इस रोग के बारे में सूचना दबा देते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने सुरक्षा के मानदण्ड निर्धारित किए हैं और एस्बेस्टोस फैक्टरियों द्वारा उनका कठोरता से पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) यह सूचित किया गया है कि राज्य चिकित्सा निदेशालय को सुरक्षित तथा उचित कार्य करने की परिस्थितियों का सुनिश्चिय करने हेतु नियमित रूप से मुआइना करने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चिकित्सा निरीक्षक इन फैक्टरियों में कार्यरत श्रमिकों की अलग से चिकित्सकीय जांच करते हैं। बम्बई में स्थित एस्बेस्टोस के उत्पादन में लगी दो फैक्टरियों के सूचना के अनुसार फैक्टरियों के चिकित्सा निरीक्षक ने एस्बेस्टसिस को किसी भी मामले की सूचना नहीं दी है।

(ग) और (घ) फैक्टरी अधिनियम, 1948 का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जिसमें एंकटकारक उद्योगों तथा प्रक्रियाओं के लिए सुरक्षा के मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा धारा 87 के अन्तर्गत विशेष नियम निर्धारित किए गए हैं। महाराष्ट्र फैक्टरी नियम के नियम 117 की अनुसूची सं० 17 के अन्तर्गत एस्बेस्टस से होने वाली स्वास्थ्य हानि के लिए सुरक्षा के विशेष उपाय निर्धारित किए गए हैं। कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर हानिप्रद प्रभाव डालने वाले विभिन्न रसायनों की अनुमत सीमा विहित करते हुए जिनके साथ एसबेस्टस भी शामिल है केन्द्र सरकार ने आदर्श नियम (मोडल रूल्स) राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने के लिए भेज दिए हैं।

निरीक्षण महानिदेशालय द्वारा गैर-सैनिक प्रतिष्ठानों के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए सैनिक अधिकारी

5348. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या रक्षा मंत्री निरीक्षक महानिदेशालय के विभिन्न प्रतिष्ठानों में सेना अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में 16 सितम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4429 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में प्रयोक्ताज्ञान (यूजर्स नालिज) के नाम से स्थायी रूप से सम्बद्ध सैनिक अधिकारियों को इस महानिदेशालय द्वारा आगे अन्य प्रतिष्ठानों/उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर क्यों भेजा जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि मई, 81 में "वाहन सेवा" में स्थायी रूप से सम्बद्ध किए गए एक मेजर को निरीक्षण महानिदेशालय से बाहर नियुक्ति पर भेजा जा रहा है जबकि उसने अभी तक इस संगठन में कोई भी उल्लेखनीय निरीक्षण कार्य नहीं किया है;

(ग) क्या मंत्रालय को पता है कि इस निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में स्थायी रूप से सम्बद्ध किए गए मेजर पर उसके सैनिक प्रशिक्षण पर खर्च हुए एक लाख रुपये से अधिक की राशि के अतिरिक्त सरकारी खजाने से 4,000 रु० प्रतिमास से भी अधिक का खर्च होता है;

(घ) यदि निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में स्थायी रूप से सम्बद्ध किए गए सैनिक अधिकारी इतने फालतू हैं कि उन्हें अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है, तो सेना से अधिक संख्या में सैनिक अधिकारी इधर लगातार क्यों बुलाए जाते रहते हैं; और

(ङ) क्या इस कार्य के करने से निरीक्षण महानिदेशालय एक ऐसी एजेन्सी मात्र नहीं बन गया है जो सैनिक अधिकारियों के लिए असैनिक रोजगारों की व्यवस्था करती हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में स्थायी रूप से उपनियुक्त सैनिक अफसरों को सिविल स्थापनाओं/उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने की अनुमति केवल विशेष मामलों में पूरी तरह से लोकहित में दी जाती है। इस समय केवल एक ही अफसर रक्षा विभाग को सामान सप्लाई करने वाले सिविल क्षेत्र के एक सार्वजनिक उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर है।

(ख) जी नहीं। सम्बन्धित अफसर ने नवम्बर, 81 में एक रक्षा उपक्रम में प्रतिनियुक्ति पर जाने से पूर्व निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में चार वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा की थी।

(ग) से (ङ) निरीक्षण महानिदेशालय में स्थायी रूप से उपनियुक्त सैनिक अफसर सिविल या रक्षा स्थापनाओं/उपक्रमों में सम्बन्धित स्थापना/उपक्रम द्वारा चुने जाने पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने के लिए हकदार हैं। जब भी किसी अफसर को निरीक्षण महानिदेशालय से बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है तो सेना से उसका एवजी निर्धारित समय में प्राप्त कर लिया जाता है। कुछ सैनिक अफसरों को निरीक्षण महानिदेशालय से सिविल स्थापनाओं/सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने से निरीक्षण महानिदेशालय सैनिक अफसरों के लिए सिविल नौकरियों की व्यवस्था करने वाली एजेंसी नहीं बन जाता है।

निरीक्षण महानिदेशालय में सैनिक नियुक्तियों का सृजन और दुरुपयोग

5349. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निरीक्षण महानिदेशालय में बिना किसी वास्तविक जरूरत के, भारी संख्या में सैनिक नियुक्तियों का सृजन किया जाता है और उनका दुरुपयोग होता है;

(ख) निरीक्षण महानिदेशालय द्वारा एक लैफ्टिनेंट कर्नल को किस प्रकार स्टाफ-आफीसर के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और एक अन्य लैफ्टिनेंट कर्नल को बंगलौर व्हीकल इन्सपैक्शन

आफिस में अनावश्यक रूप से तैनात किया हुआ है, जबकि वहां इस प्रकार के पदों की कोई स्वीकृति नहीं है;

(ग) निरीक्षण महानिदेशालय के मुख्यालय में स्टाफ-आफिसर, पी० एण्ड सी० आफिसरों जैसी नियुक्तियों को निरपवाद रूप से सैनिक अधिकारियों की तैनाती से ही क्यों भरा हुआ है जबकि इन पदों पर कम वेतन पाने वाले गैर-सैनिक अधिकारी काम कर सकते हैं;

(घ) जब कोई पद किसी विशेष प्रतिष्ठान/यूनिट के लिए स्वीकृत है तो सरकार की अनुमति लिए बिना किस प्रकार निरीक्षण महानिदेशालय उस पद को अन्य प्रतिष्ठानों में अन्तरित कर रहा है; और

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए मंत्री जी का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) जी नहीं। निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में सभी पदों का सृजन इस प्रकार के पदों की आवश्यकता साबित होने पर रक्षा मंत्रालय की प्रशासकीय और वित्त शाखाओं द्वारा पूरी तरह से विचार करने के बाद किया जाता है।

(ख) निरीक्षण महानिदेशालय संगठन में स्टाफ अफसर का कोई पद नहीं है लेकिन प्राविकृत नौकरी में से एक लैफ्टीनेंट कर्नल, महानिदेशक, निरीक्षण को उसके कार्य-निष्पादन में उनकी सहायता कर रहा है। बंगलौर वाहन निरीक्षण कार्यालय के लैफ्टीनेंट कर्नल को प्रशासकीय आधार पर अस्थायी तौर पर इसके साथ सम्बद्ध किया गया है; यद्यपि वह निरीक्षण निदेशालय (वाहन) के मुख्यालय में स्वीकृत पदों में से एक पद को धारण किए हुए हैं।

(ग) निरीक्षण महानिदेशालय मुख्यालय के लिए स्टाफ अफसर या योजना और समन्वय अफसर का कोई पद स्वीकृत नहीं है। फिर भी तकनीकी अफसर (सिविलियन और सेना दोनों) अपने सामान्य कार्यों के अलावा तकनीकी निदेशालय में उपरोक्त काम भी देखते हैं।

(घ) एक स्थापना/यूनिट से पदों का अन्तरण सरकार की पूर्व स्वीकृति के किया जाता है। फिर भी, महानिदेशक, निरीक्षण लोकहित में प्रशासकीय कारणों से किसी सेना अफसर को एक स्थापना से दूसरी स्थापना में अधिक से अधिक 6 महीने की अवधि के लिए नियुक्त करने के लिए सक्षम है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रंगीन टेलीविजन सैट की लागत

5350. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या टेलीविजन के मूल्य को कम करने के लिए कोई प्रस्ताव है या नहीं है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न किस्मों के टेलीविजन सैट बाजार में वास्तव में न्यूनतम दरों पर बेचे जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो देश में रंगीन टेलीविजन सैट और रंगीन टेलिकास्टिंग की लागत क्या होगा; और

(ङ) क्या हमारे विशेषज्ञों ने विद्यमान टेलीविजन सैटों को रंगीन टेलीविजन सैटों में बदलने की कोई तकनीक सुझाई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। 51 सेंटीमीटर स्क्रीन आकार के पर्दे के आम श्याम और श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूर-दर्शन रिसीवरों का ग्राहकों से लिया जाने वाला मूल्य वर्ष 1975 के 2900 रुपये के विशिष्ट मूल्य से घटकर वर्ष 1976 में 2200 रुपये हो गया और फिर वर्ष 1977 में और आगे घटकर 2000 रुपये हो गया। यह कमी दूरदर्शन सैटों पर लगाए जाने वाले उत्पादन शुल्क की विभेदी दर के कारण हुई जिसे सरकार ने पहले वर्ष 1976-77 के केन्द्रीय बजट के माध्यम से लागू किया और जो अब भी जारी है। किन्तु वर्ष 1977 से 51 सेंटीमीटर के विशिष्ट दूरदर्शन सैट के मूल्य के स्तर में वृद्धि हुई है और इसका मूल्य 2300 रुपये तक पहुंच गया है। यह वृद्धि इस तथ्य के बावजूद है कि सरकार ने इसी अवधि में (क) इलैक्ट्रॉन ट्यूबों, दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों, सेमीकंडक्टर युक्तियों, प्रतिरोधकों (रेसिस्टरों), संधारित्रों (कैपेसिटरों), लाउडस्पीकरों, दूरदर्शन-विक्षेपण (डिफ्लेक्शन) संघटक-पुर्जों, फेराइट्स आदि के लिए अपेक्षित अनेकानेक कच्ची सामग्रियों पर पहले लगने वाले 211 प्रतिशत के ऊंचे स्तर से घटाकर आयात-शुल्क 45% की एक समान दर पर कर दिया है, और (ख) अनेक दूरदर्शन परीक्षण-उपकरणों, जैसे दूरदर्शन सिंक जेनरेटर, परीक्षण पैटर्न जेनरेटर, पोलोस्वीय और स्वीय जेनरेटर पर पहले जहां 89 प्रतिशत का ऊंचा आयात शुल्क लगता था उसे घटाकर अब 25 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1881-82 के केन्द्रीय बजट में आयकर अधिनियम की 11वीं अनुसूची से दूरदर्शन रिसीवर उद्योग को हटा दिया गया है जिसके फलस्वरूप अब दूरदर्शन रिसीवर के निर्माताओं को आयकर सम्बन्धी लाभ भी प्राप्त होने लगे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) रंगीन दूरदर्शन पर गठित कार्यकारी दल (जिसने अपनी रिपोर्ट जून, 1980 में प्रस्तुत की) द्वारा 51 सेंटीमीटर के रंगीन दूरदर्शन रिसीवर के मूल्य का अनुमान 8300 रुपये लगाया गया (जिसमें सभी शुल्क तथा कर शामिल हैं)। रंगीन दूरदर्शन केन्द्र पर अनुमानत: 6 करोड़ रुपये की लागत आती है जबकि इसके मुकाबले श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन सम्प्रेषण केन्द्र पर अनुमानत: 5 करोड़ रुपये की लागत आती है। श्याम तथा श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) दूरदर्शन केन्द्र के प्रचालन पर प्रति घंटे 8000 रुपये की लागत आती है जबकि इसकी तुलना में रंगीन दूरदर्शन केन्द्र की प्रचालन लागत प्रति घण्टा 9,500 रु० होगी।

(ङ) जी, नहीं।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ को मान्यता देना

5351. **श्री दया राम शाक्य** : क्या रक्षा मंत्री रक्षा कर्मचारियों को अखिल भारतीय एसोसिएशन के बारे में 1 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न प्रश्न संख्या 6001 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की एक लाख से अधिक सदस्य संख्या है और इसमें लगभग 90 पंजीकृत कार्मिक संघ सम्बद्ध हैं जैसा कि फैडरेशन द्वारा दावा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे अभी तक मान्यता नहीं दी है हालांकि फैडरेशन ने मान्यता देने के लिए आवेदन पत्र दिया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि कोई समिति इस पर विचार कर रही है तो कितनी बैठकें हुई हैं और इस समिति के निष्कर्ष क्या रहे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) इसे सत्यापित नहीं किया गया है ।

(ख) फिलहाल कर्मचारियों के किसी भी नए फैडरेशन को जे० सी० एम० परिषदों में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दी जा रही है । इस फैडरेशन को जे० सी० एम० योजना में भाग लेने की सुविधा दिए बिना उसकी मान्यता का कोई फायदा नहीं है । फिलहाल मामले को चालू रखा जा रहा है ।

(ग) रक्षा मंत्रालय में ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गई है ।

एच० एम० टी० घड़ी संयंत्र

6352. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में घड़ियां बनाने वाले एच० एम० टी० संयंत्रों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) एच० एम० टी० घड़ियों के कितने ब्रांड हैं और प्रत्येक ब्रांड की प्रतिवर्ष कितनी घड़ियां बनाई जाती हैं;

(ग) क्या यह सच है कि एच० एम० टी० घड़ियों का निर्यात किया जा रहा है और यदि हां, तो किस-किस देश को;

(घ) कौन-कौन से ब्रांड विदेशों में अधिक लोकप्रिय हैं; और

(ङ) घड़ियों का निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशों में एच० एम० टी० घड़ियों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एच० एम० टी० के चार निर्माण एकक हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है—

एकक	स्थापना स्थल
घड़ी कारखाना I और II	बंगलौर (कर्नाटक)
घड़ी कारखाना III	श्रीनगर (जम्मू और काश्मीर)
घड़ी कारखाना IV	तुमकुर (कर्नाटक)

(ख) एच० एम० टी० की सभी घड़ियों पर "एच० एम० टी०" ब्रांड नाम अंकित होता है। 1979-80 तथा 1980-81 में क्रमश: 31.25 लाख तथा 35.13 लाख एच० एम० टी० घड़ियों का निर्माण किया गया था।

(ग) जी, हां। एच० एम० टी० घड़ियों का भूटान, संयुक्त अरब अमीरात कुवैत, दोहा, सिंगापुर, हांगकांग तथा स्विटजरलैंड को निर्यात किया गया है।

(घ) अब तक हाथ से चाबी दी जाने वाली जेन्ट्स और लेडीज घड़ियों का निर्यात किया गया है।

(ङ) यद्यपि एच० एम० टी० घड़ियों का उत्पादन मुख्यत: घरेलू मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों तथा सम्भाव्य बाजारों में प्रत्यक्ष सम्पर्क के जरिए बढ़ावा देकर निर्यात किया जा रहा है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

5353. **श्री गुलाम मोहम्मद खान :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन सोसायटी आफ एक्सटेंशन एजुकेशन द्वारा आयोजित एक गोष्ठी (सेमिनार) में यह सुझाव दिया गया था कि समेकित विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक गांव में एक विकास मंच होना चाहिए;

(ख) क्या इण्डियन सोसायटी आफ एक्सटेंशन एजुकेशन द्वारा की गई सिफारिशों को योजना आयोग के पास अग्रसरित कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और उस पर क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विदेशी मुद्रा के अन्तर्गत सीमेंट की सप्लाई

5354. **श्री टी० नागरत्नम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा के कोटे के अन्तर्गत सीमेंट की सप्लाई शुरू करने और इसमें वृद्धि करने के पीछे औचित्य क्या है;

(ख) क्या इसका प्रयोजन अधिकाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करना है अथवा आय के सभी ग्रुपों से विदेशों में रह रहे भारतीय प्रवासियों की आवश्यकता पूरी करना है;

(ग) उपरोक्त कोटे के अन्तर्गत राशि की निर्धारित सीमा पूरी न कर सकने वाले व्यक्तियों के लिए क्या प्रावधान है;

(घ) क्या सीमेंट की सप्लाई के लिए विदेशी मुद्रा कोटे के अन्तर्गत वर्तमान नीति असफल सिद्ध हुई है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार या तो पिछली नीति पर पुनः चलने अथवा कमजोर वर्गों को अधिक उदार शर्तों पर सीमेंट उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है; तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) देश में विदेशी मुद्रा के प्रेषण को आकर्षित करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा भेजने पर प्राथमिकता के आधार पर सीमेंट के आबंटन करने सम्बन्धी एक योजना आरम्भ की गई थी। योजना में 6 अक्तूबर, 1981 के प्रेस टिप्पण के द्वारा संशोधन किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ यह निर्धारण किया गया था कि इस योजना के अन्तर्गत केवल उन मामलों में सीमेंट का आवंटन किया जाएगा जिनमें वैगन के लदान में सीमेंट की सुगम आपूर्ति सम्बन्धी सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए 500 बोरी अथवा इससे अधिक सीमेंट की आवश्यकता होगी। पहली योजना के अन्तर्गत छोटी मात्रा के परमिटधारी थोड़ी मात्रा में सीमेंट की आपूर्ति प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो विदेशी मुद्रा भेज कर प्राथमिकता के आधार पर सीमेंट का आबंटन करने विषयक योजना में निर्धारित शर्तों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं, राज्य सरकारों की सामान्य वितरण पद्धति के अन्तर्गत अपनी आवश्यकता का सीमेंट प्राप्त कर सकते हैं। 15 अक्तूबर, 1981 से सीमेंट के प्रति मी० टन पर विदेशी मुद्रा भेजने की राशि में वृद्धि करके योजना में संशोधन कर दिया गया है। अतः संशोधित मानदण्डों के अन्तर्गत योजना के कार्य निष्पादन का अनुमान लगाना समयपूर्व होगा।

जहांगीर वकील मिल, भावनगर

5355. **श्री नवीन रवाणी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भावनगर (गुजरात) की जहांगीर वकील मिल से बन्द पड़ी हुई है;

(ख) इसके बन्द होने के क्या कारण हैं;

(ग) इसके बन्द होने के कारण महीनेवार, कितने उत्पादन की क्षति हुई है;

(घ) सरकार द्वारा उपरोक्त मिल कब तक अपने अधिकार में लिए जाने की सम्भावना है;

(ङ) इसके बन्द होने से श्रमिकों और कर्मचारियों को कितनी जबरन छुट्टी, भविष्य निधि, उपदान, निर्वाह भत्ता दिया गया है;

(च) विभिन्न ग्रेडों में कितने श्रमिक और कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं;

(छ) क्या यह सच है कि लगभग 47 श्रमिक, कर्मचारी अथवा उनके परिवार के सदस्य भुखमरी अथवा अर्द्ध भुखमरी के कारण मर गए हैं और लगभग 10 श्रमिक और/अथवा उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी की स्थिति के कारण पागल हो गए हैं; और

(ज) यदि हां, तो उन्हें कितना मुआवजा दिया गया है अथवा दिए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ज) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा किए गए मकानों के वार्षिक मूल्यांकन में अनियमितताएं

5356. श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा किए गए हाल ही के मकानों के वार्षिक मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं;

(ख) क्या छावनी बोर्ड द्वारा किए गए वार्षिक मूल्यांकन में होल्डिंग संख्या 46 मोहाल संख्या 1, बार्ड संख्या 4 का गलत ढंग से 150 रुपये से 1500 रुपये तथा 1500 रुपये से 6000 रुपये मूल्यांकन किए हुए हैं;

(ग) क्या होल्डिंग संख्या 46 लगभग 150 वर्ग फुट क्षेत्र में बना हुआ है और केवल पांच व्यक्ति रह रहे हैं और क्या मकान-मालिक ने सभी विवरण प्रस्तुत कर दिए हैं तथा छावनी कार्यकारी अधिकारी, दानापुर और उप-निदेशक, लखनऊ को बहुत अधिक राशि के मूल्यांकन का पुनर्विलोकन करने का अनुरोध किया है;

(घ) क्या लोक सभा के किसी सदस्य ने अधिक राशि के किए गए मूल्यांकन का पुनर्विलोकन करने तथा उस पर निर्णय लेने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र लिखा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रचलित बाजार दरों तथा पुराने और पैत्रिक मकान के भागों पर किए गए अधिक राशि के अभूतपूर्व मूल्यांकन की जांच के लिए उच्चस्तरीय जांच का आदेश देने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा हाल ही में किए गए मकानों के वार्षिक मूल्यांकन में बड़े पैमाने पर हुए अनियमितताओं की जानकारी सरकार को नहीं है।

(ख) मालिक द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद बोर्ड की मूल्यांकन समिति द्वारा 1976 में होल्डिंग नं० 46, मोहाल नं० 1, वार्ड नं० 4 का मूल्यांकन 150 रुपये से संशोधित करके 1500 रुपये कर दिया गया था। हाल के मूल्यांकन में मूल्यांकन समिति ने इसे संशोधित करके 6000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इस संशोधित मूल्यांकन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) निर्धारिती ने इस सम्बन्ध में उप-निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियों, मध्य कमान, लखनऊ छावनी को कुछ कागज भेजे हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

केरल के लिए सीमेंट का कोटा

5357. श्री के० ए० राजन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष की प्रत्येक तिमाही में केरल को आवंटित की गई सीमेंट की मात्रा क्या थी;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमेंट की कमी के कारण समस्त केरल में निर्माण कार्य रुक गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य को शीघ्र पर्याप्त सीमेंट का आबंटन करेगी।

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) चालू वर्ष में केरल राज्य को किया गया सीमेंट का आबंटन निम्नलिखित है :—

(हजार टन में)

तिमाही	आधारिक आबंटन	तदर्थ अतिरिक्त आबंटन	योग
1/81 (जनवरी से मार्च)	169.3	174.0	343.3
2/81 (अप्रैल से जून)	169.3	168.0	337.3
3/81 (जुलाई से सितम्बर)	169.3	—	169.3
4/81 (अक्तूबर से नवम्बर)	169.3	26.00	195.3

(ख) केरल सहित देश में सीमेंट की सामान्य कमी है। इस हद तक कुछ सम्भव है कि निर्माण कार्यों पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

(ग) देश में सीमेंट की सामान्य कमी होने के कारण राज्यों की सीमेंट की मांगों को पूर्णतः पूरा कर पाना सम्भव नहीं हो सका है। राज्यों के जिनमें केरल भी सम्मिलित है सीमेंट के आवंटन को बढ़ाना तभी सम्वभ हो सकेगा जब कि सीमेंट की उपलब्धता स्थिति सुधर जाएगी, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब

5358. श्री के० पी० सिंह देव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजनाओं की लागत में भारी वृद्धि तथा उनके पूरा होने में विलम्ब का प्रमुख कारण प्रभावी परियोजना निर्माण प्रबन्ध व्यवस्था का न होना था;

(ख) क्या मूल्यों में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप हुए विलम्ब के कारण केन्द्रीय परियोजनाओं में हुई हानियों का पता लगाने तथा जो परियोजनाएं समय पर पूरी की जा सकती थीं उनका पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कोई एजेंसी स्थापित करने का है कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों तथा देश को भारी अतिरिक्त व्यय से बचाया जा सके।

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) लागत बढ़ने और परियोजना के पूरा होने में विलम्ब के बहुत से कारण हैं। सुप्रभावी परियोजना निर्माण व्यवस्था की कमी कुछ प्रकरणों में एक कारण रही है।

(ख) जी, हां। जहां कहीं आवश्यकता होती है ऐसे मूल्यांकन किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं। किन्तु निर्माणाधीन परियोजनाओं के संदर्भ में लागत के बढ़ जाने और भूलचूक की समस्या पर रोक लगाने के लिए और परियोजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए सरकार तथा परियोजना अधिकारियों द्वारा बहुत से कदम उठाए गए हैं।

"इन्फ्रा रेड डिटेक्टरों" का आयात

5359. श्री के० पी० सिंह देव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "इन्फ्रा रेड डिटेक्टरों" जो महत्वपूर्ण मशीनरी है और जिनके बिना मिसाइल बेकार होते हैं तथा जिन्हें बार-बार बदला जाता है, मामले में हमारा देश विदेशों से आयात पर बहुत अधिक निर्भर है;

(ख) क्या यह सच है कि सोलिड स्टेट फिजीकल लैबोरेटरी, दिल्ली ने ऐसे डिटेक्टर विकसित किए हैं और "फ्लैश इवैपोरेशन सिस्टम" भी विकसित किया है जिसे यदि वाणिज्यिक उपयोग में लाया जाए तो भारी बचत होगी और विदेशों से होने वाले आयात में भारी कमी हो जाएगी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसका वाणिज्यिक रूप से निर्माण करने का है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि किसी विश्व-विख्यात वैज्ञानिक, जिसने इस डिटेक्टर का आविष्कार करने में सहायता की थी, की सेवाएं अब सरकार को उपलब्ध नहीं हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) इन्फ्रा रेड डिटेक्टर कोई मशीनरी नहीं है किन्तु कुछ प्रक्षेपास्त्र तंत्रों का केवल एक छोटा उपकरण है। इस समय यह उपकरण आयात किया जा रहा है।

(ख) यह प्रयोगशाला अनेक प्रकार के इन्फ्रा रेड डिटेक्टरों को विकसित करने के कार्य में लगी हुई है ऐसे डिटेक्टरों की एक किस्म को, विकासाधीन एक उपस्कर की विशेष जरूरत को पूरा करने के लिए, विकसित किया गया था, किन्तु अब इसकी जरूरत नहीं रही है। जहां तक फ्लैश इवैपोरेशन मद का सम्बन्ध है यह एस० एस० पी० एल० में एक प्रयोगशाला उपस्कर वैकुअम एवापोरेशन यूनिट में प्रयोग करने के लिए कम लागत पर विकसित किया गया था। एस० एस० पी० एल० द्वारा इस मद का किसी संभावित वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी।

(ग) ऊपर "ख" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एस० एस० पी० एल० में इन्फ्रा रेड डिटेक्टरों को विकसित करने के लिए कोई भी विश्व विख्यात वैज्ञानिक कार्य नहीं कर रहा है। इन्फ्रा रेड डिटेक्टरों को विकसित करने के कार्य में लगे हुए अनेक वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक को इस वर्ष अनुशासनिक आधार पर बरखास्त कर दिया गया है।

उड़ीसा के क्रोमाइट खानों के मजदूरों का कल्याण

5360. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की क्रोमाइट खानों से क्रोमाइट के निर्यात के जरिए केन्द्रीय सरकार ने 1979-80 और 1980-81 के दौरान कुल कितनी धनराशि एकत्रित की और इसी रूप में 1981-82 में कितनी धनराशि एकत्रित किए जाने का अनुमान है;

(ख) क्या इसमें से कोई धनराशि उड़ीसा के क्रोमाइट खान मजदूरों के कल्याण के लिए खर्च की गई है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार उड़ीसा के क्रोमाइट खान मजदूरों के कल्याण कार्यों हेतु इस आय का एक भाग अलग से सुनिश्चित करेगी; और

(घ) क्या देशभर में क्रोमाइट मजदूरों के लिए अस्पताल, स्कूल आदि का निर्माण करने के लिए उपस्कर के भाग का उपयोग करने हेतु एक केन्द्रीय कानून लाया जाएगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) क्रोमाइट खानों को कल्याण उपकर निधि के अन्तर्गत अभी तक नहीं लाया गया है; अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा 1979-80, 1980-81 के दौरान धनराशि एकत्र करने तथा 1981-82 के लिए प्रयोजना और कल्याण कार्यकलापों पर व्यय करने का प्रश्न नहीं उठता। क्रोमाइट खानों के अन्तर्गत लाने सम्बन्धी केन्द्रीय विधान विचाराधीन है।

केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनबाद के निर्माण कार्य के बारे में शिकायतें

5361. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनबाद के एक अभियन्ता के विरुद्ध, जलाशय के निर्माण कार्य में घपला करने, निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य को निष्पादित न

कराने और उसकी योजना और डिजाइन में अनधिकृत रूप से रद्दोबदल करने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन शिकायतों की जांच-पड़ताल की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्योरा क्या है और उनके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही कब तक किए जाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) केन्द्रीय कोयला खान बचाव केन्द्र समिति, धनबाद के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कतिपय आरोपों सम्बन्धी सूची प्राप्त हो गई है। इसमें रामगढ़ में पानी की टंकी के निर्माण में अधिकथित अनियमितताओं से सम्बन्धित आरोप भी हैं। आवश्यक समझी गई जांचों के पूर्ण होने के पश्चात सम्बद्ध नियमों के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना

5362. डा० प्रताप बांध : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायु सेना का एक विमान 4 दिसम्बर, 1981 को उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के बाजीपुर गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना में जान-माल की भी क्षति हुई;

(ग) क्या इस दुर्घटना में किसी हरिजन परिवार को जान-माल की हानि हुई;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या शोक संतप्त परिवार को पर्याप्त मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और कब तक इस क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाएगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। 4 सितम्बर, 1981 को विमान दुर्घटना के कारण दो बच्चों की मृत्यु हो गई थी। विमान दुर्घटना के कारण आई चोटों के फलस्वरूप 9 सितम्बर, 1981 को एक और बच्चे की मृत्यु गाजियाबाद सिविल अस्पताल में हो गई थी। कुछ मकानों और अन्य सम्पत्तियों की भी क्षति हुई थी।

(ग) जी हां।

(घ) इस उत्तर के अनुबंध में दिए गए विवरण में ब्यौरे दिए गए हैं।

(ङ) और (च) 14 वर्षीय सुनील और 17 वर्षीय सुनीता, जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, के पिता श्री गांधीला को विमान दुर्घटना के ही दिन 300 रुपये भारतीय वायु सेना के नान पब्लिक फंड से तत्काल दे दिए गए थे। बाद में 14 सितम्बर, 1981 को श्री गांधीला को 10,000 रुपये की अनुग्रह पूर्वक अदायगी की गई थी।

दो वर्षीय श्री वेद प्रकाश, जिनकी विमान दुर्घटना के कारण जख्मी हो जाने से 9 सितम्बर, 1981 को मृत्यु हो गई थी, के पिता श्री मोहर सिंह को 5000 रुपये की अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गई है ।

जान की क्षति के लिए मुआवजे की शेष राशि और माल क्षति के लिए मुआवजे का भुगतान जांच अदालत का निर्णय प्राप्त होने पर अदा किया जाएगा । मुआवजे की अन्तिम अदायगी शीघ्र करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

विवरण

(क) जन-हानि

1. सुनील, लड़का उम्र 14 वर्ष, पुत्र श्री गांधीला
2. सुनीता, लड़की उम्र 17 वर्ष, पुत्री श्री गांधीला
3. वेद प्रकाश, लड़का उम्र लगभग 2 वर्ष, पुत्र श्री मोहर सिंह

(ख) चोटें

श्री नानक चन्द के हाथ में मामूली चोट आई

(ग) सम्पत्ति की हानि

	ब्यौरे
1. श्री गांधीला	भैंस मारी गई, बछड़ा मारा गया हैंड पम्प को नुकसान पहुंचा, नकदी गुम हो गई, बर्तन नष्ट हो गए 4 चारपाइयां टूट गईं मकान गिर गया कपड़े क्षतिग्रस्त/नष्ट हो गए ।
2. श्री मोहर सिंह	1 प्लांट कटिंग मशीन टूट गई (चारा काटने की मशीन) 1 चारपाई (बहुत अच्छी किस्म की) टूट गई 1 हैंड पम्प टूट गया कपड़े और बिस्तर इत्यादि, जेवर गुम गए मकान गिर गया ।

3.	श्री भगवती	1 प्लांट कटिंग मशीन टूट गई नकदी गुम हो गई तीन चारपाइयां टूट गईं, चार मन अनाज, कपड़े तथा बिस्तर की क्षति मकान गिर गया आभूषण गुम हो गए बर्तन नष्ट हो गए।
4.	श्री राम पाल सिंह	मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई।
5.	श्री मसियों	मकान की दीवार में दरार आ गई।
6.	श्री मनफूल	एक छप्पर की छत को क्षति तीन दीवारें जो 36" लम्बी, 24" लम्बी और 24" लम्बी है, टूट गई। 60 फुट छप्पर की छत को क्षति पहुंची।

आदिवासी उपयोजना और विशेष संघटक योजना के बारे में मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदन में नया अध्याय

5363. **श्री गिरधर गोमांगो :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनका मन्त्रालय वर्ष 1981-82 और 1982-83 तथा इसके आगे आदिवासी उपयोजना और विशेष संघटक योजना के बारे में मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में नया अध्याय जोड़ने पर विचार कर रहा है ?

गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को यह सलाह दे दी गई है कि वे अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में आदिवासी उपयोजना और अनुसूची जाति से सम्बन्धित विशेष संघटक योजना के बारे में सामग्री शामिल करें।

राज्यवार आदिवासी विकास ब्लाक

5364. **श्री गिरधर गोमांगो :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के प्रखण्ड (ब्लाक) विशेष आदिवासी लोगों के विकास के लिए कितने आदिवासी विकास प्रखण्ड कार्य कर रहे हैं;

(ख) आदिवासी विकास प्रखण्डों के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है और इसके लिए पृथक् प्रखण्ड बनाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) प्रखण्डों के कार्य शुरू किए जाने से लेकर अब तक आदिवासी विकास प्रखण्डों के लक्ष्यों और उद्देश्यों को कहां तक पूरा किया गया है और आदिवासी विकास प्रखण्ड सामुदायिक विकास प्रखण्डों से किस क्षेत्र में भिन्न हैं;

(घ) छठी योजना की मध्याविध योजना और वार्षिक योजनाओं में आदि वासी विकास प्रखण्डों में राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) उनके मन्त्रालय द्वारा राज्यों की आदिवासी विकास प्रखण्डों के लिए वर्ष 1980-81 और 1981-82 में कौन सी योजनाएं व कार्यक्रम हैं और कितनी धनराशि दी गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क), (घ) और (ङ) जनजाति क्षेत्रों और जनजाति लोगों के समग्र जनजाति विकास के लिए 1974-75 में जनजाति उप-योजना नीति को आरम्भ करने के साथ पांचवीं योजना अवधि में जनजाति विकास प्रखण्ड योजना को समाप्त कर दिया गया है। जनजाति उप-योजना क्षेत्रों को समग्र जनजाति विकास परि-योजनाओं (आई० टी० डी० पी०) में विभाजित किया गया है और प्रत्येक समग्र जनजाति विकास परियोजना में स्थानीय स्थिति की आवश्यकता के अनुसार एक या अधिक विकास खण्ड होते हैं। इस प्रकार समग्र जनजाति विकास परियोजनाओं में भूतपूर्व जनजाति विकास प्रखंड और सामु-दायिक विकास प्रखंड दोनों ही हैं। गृह मन्त्रालय ने जनजाति विकास के लिए 1980-81 के दौरान राज्यों को 70 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी है और 1981-82 के दौरान 85 करोड़ रुपये दिए हैं।

(ख) और (ग) जनजाति विकास प्रखंडों का सृजन अतिरिक्त वित्तीय आवंटन से आदि-वासियों के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू करने के लिए किया गया था। चूंकि इसके उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूर्ण रूप से पूर्ति नहीं की गई इसलिए जनजाति उपयोजना नीति अपनाई गई थी।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

5365. **श्री हन्नात मोल्लाह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनी लीवर, यू० के० की उप कम्पनी हिन्दुस्तान लीवर ने पुनः वितरण करने वाले स्टाकिस्टों के रूप में जाने वाले अपने वितरकों के गोदामों में हाल ही में साबुनों तथा डिटर्जेन्टों की अनचाही और, क्रयादेश न दी गई मात्रा दी है;

(ख) क्या कम्पनी ने इस प्रयोजन के लिए नियम के रूप में अपने वितरक से अग्रिम रूप में लिए गए राशि के खाली चैकों का उपयोग किया है;

(ग) क्या इस प्रकार की कार्रवाई एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के विपरीत हैं, यदि हां तो क्या सरकार का विचार स्वतः इस प्रकार की स्थिति की जांच करने का है;

(घ) क्या बड़े पैमाने पर इस प्रकार माल फेंका जाना 31 दिसम्बर, 1981 को अपने तुलन-पत्र में अपनी बिक्री के अधिक आंकड़े बताने की दृष्टि से है; और

(ङ) क्या इससे कम्पनी को अपनी विदेशी अधिकांश साम्य पूंजी बनाए रखने के लिए अभ्यावेदन देने का एक अन्य अवसर प्राप्त होगा ?

उद्योग और श्रम मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) सरकार को मैसर्स यूनीलीवर यू० के० की उप कम्पनी मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर द्वारा पुनः विवरण करने वाले स्टाकिस्टों के रूप में आने वाले अपने विवरणों के गोदामों में साबुनों और डिटर्जेन्टों को जमा कर देने सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 1976 में एकाधिकार अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने एक आरोप की जांच की थी कि कम्पनी में कम्पनी के हक में प्रत्येक वितरक और थोक विक्रेता द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित और रेखांकित पूर्ण चैक बुकों को रखने की पद्धति लागू थी तथा इन चैकों का उपयोग वितरकों को समय-समय पर मनमाने ढंग से माल प्रेषण करने के लिए किया जा रहा था। कम्पनी की बात सुनने के बाद आयोग ने निर्णय लिया कि इस प्रकार का अभ्यास प्रतिबन्धात्मक व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत नहीं आता है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उद्देश्यों के लिए तथा गैर भारतीय इक्विटी के अनुमत स्तर का निर्धारण करने में अन्य बातों के साथ-साथ "कारखाना बाह्य लागत" पर ही अधिक बल दिया जाता है न कि "बिक्री मूल्य" पर। इस प्रकार कोई भी कम्पनी अपना बिक्री मूल्य बढ़ाकर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है।

औरंगाबाद का बी-2 सिटी के रूप में दर्जा बढ़ाया जाना

5366. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा विभाग के रिकार्ड कार्यालयों के असैनिक लिपिकों ने मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूर्ति भत्ता के प्रयोजनों के लिए औरंगाबाद (महाराष्ट्र) का बी-2 सिटी के रूप में दर्जा बढ़ाए जाने के बारे में मांग की है और भवन निर्माण हेतु ऋण के बारे में भी मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की गई मांगों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : (क) से (ग) औरंगाबाद (महाराष्ट्र) का दर्जा बढ़ा कर उसे बी-2 श्रेणी का नगर का दर्जा दिए जाने के लिए एक मांग प्राप्त हुई है। इसकी जांच की गई है, किन्तु इस नगर का दर्जा बढ़ाना सम्भव नहीं है क्योंकि मकान किराया भत्ता और नगर प्रतिकर भत्तों के प्रयोजन के लिए नगरों का दर्जा बढ़ाने के लिए जो मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं वे पूरे नहीं होते हैं।

मकान निर्माण अग्रिम के लिए कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

गूजर सभा दिल्ली का ज्ञापन

5376. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अखिल भारतीय गूजर सभा दिल्ली का कोई ज्ञापन मिला है जिसमें पुलिस द्वारा उन पर ढाए गए जुल्मों का ब्यौरा है; और

(ख) सरकार ने उन्हें राहत देने के लिए क्या कार्यवाही की ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) पुरानी भट्टी खानों में एक मजदूर की मृत्यु होने के परिणामस्वरूप दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने खानों को जाने वाली सड़क को बन्द कर दिया है । पड़ोसी गांव के निवासियों ने, जो प्रधानतया गूजर हैं सम्पर्क सड़क के बन्द करने पर विरोध प्रकट किया ।

परिणामस्वरूप गूजरों ने ओढ़ों पर हमला किया जो नई भट्टी खानों में काम कर रहे हैं । स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा । ओढ़ों की शिकायत पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/436/332/353/186/307/323 में अन्तर्गत पुलिस स्टेशन महरौली में 24-10-1981 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 296-ब के तहत एक मामला दर्ज किया गया । ओढ़ दल के एक व्यक्ति की बाद में जख्मों के कारण मृत्यु हो गई और मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 को भी जोड़ दिया ।

इस बात से इन्कार किया जाता है कि दिल्ली पुलिस किसी दल को तंग कर रही है ।

औद्योगिक रुग्णता के नए तरीके के रूप में चोरे समिति की रिपोर्ट

5368. **श्री गदाधर साहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को औद्योगिक रुग्णता के रूप में चोरे समिति रिपोर्ट के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, उसकी जानकारी है;

(ख) इंजीनियरी सामान के उत्पादन में कमी और कपड़ा उत्पादन में गिरावट तथा सिले-सिलाए वस्त्रों (फिनिश्ड टैक्सटाईल प्रोडक्टस) और रुग्णता के अवसरों में वृद्धि के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार हैं; और

(ग) संकट से उभरने के लिए कौन सी कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है ?

उद्योग और श्रम मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां । उद्योग के कुछ लोगों ने इस प्रकार का विचार प्रकट किया है ।

(ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय के उद्योगों के औद्योगिक उत्पादन के वर्गवार सूचकांक के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, 1980 की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 1980 की अवधि में मूल धातु उद्योगों, मशीनों और परिवहन के उपकरणों को छोड़कर धातु उत्पादों, विद्युत, विद्युत उपकरणों और सहायक सामान को छोड़कर मशीनों तथा परिवहन उपकरणों के उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है ।

किन्तु, इस अवधि में सभी प्रकार के धागों और कपड़ों (मिल क्षेत्र) के उत्पादन में मामूली गिरावट आई है और इनके भण्डार में वृद्धि हुई है । सामान्य मूल्य स्तर की अपेक्षा सूत के उत्पादन में गिरावट आने, कपड़े की उत्पादन लागत में वृद्धि होने, कपड़े के मूल्य अधिक बढ़ने की सूचना

मिली है। इस समय बोनस विवाद और वित्तीय कठिनाइयों उद्योग की या पर्याप्त वित्त या चोरे समिति की रिपोर्ट से उत्पन्न मुख्य कठिनाई नहीं लगती है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद ऋण प्रणाली (चोरे समिति) की संवीक्षा करने के लिए कार्य दल की रिपोर्ट का कार्यान्वयन करने के बारे में वाणिज्यिक बैंकों को 8 दिसम्बर, 1980 को जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार ऐसे मामलों में जिनमें ऋणी अधिकतम अनुमति योग्य बैंक वित्त के सम्बन्ध में संशोधित मापदण्डों का पालन करने की स्थिति में नहीं थे, अतिरिक्त उधारी अलग कर दी जानी चाहिए और उसे कार्यकारी पूंजीगत सावधिक ऋण समझा जायेगा जिसे 5 वर्ष से अनीधक की अवधि में छमाही किश्तों में अदा किया जा सकेगा। इसके अलावा ये संशोधित मापदण्ड पोषण कार्यक्रम के अधीन आने वाले रूग्ण एककों या ऐसे एककों पर लागू नहीं होते थे जिनके लिए पुर्नस्थापन अभ्युपायों पर बैंकों द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 अक्तूबर, 1981 को इस बारे में अग्रेतर अनुदेश जारी किए हैं कि कुछ श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले ऐसे ऋणी जिनमें ऐसी कम्पनियां भी शामिल हैं जिनमें किसी प्रकार के आरम्भिक रूग्णता संकेत मिले हैं तथा जो संशोधित मापदण्डों को तुरन्त ही कार्यान्वित करने की स्थिति में नहीं हो सकते, इनके मामले में बैंकों की स्थिति की ध्यानपूर्वक जांच करनी होगी तथा यदि वे मामले के गुणावगुणों से संतुष्ट नहीं हैं तो वे तीन वर्ष तक की अवधि के लिए संशोधित मापदण्डों को लागू किए बिना ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाएं।

उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में हुई एक बैठक में उद्योग के लिए आवश्यक निधि आने पर चोरे समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विचार-विमर्श किया गया था।

ग्रामीण शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए संस्थान

5369. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ग्रामीण शिक्षकों (एजुकेटर) को प्रशिक्षण देने हेतु एक संस्थान की स्थापना के निर्णय को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो किस स्थान को चुना गया है और इस संस्थान के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान में चूजों और अंडों के "प्रोसेसिंग" प्रयोग

5370. **श्री ओस्कर फर्नान्डीज** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर में चूजों और अंडों के "प्रासेसिंग" के प्रयोग किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहें ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी तथा पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर ने कुक्कुट-मांस पर आधारित खाद्य-उत्पाद जैसे चिकन के सासेज, करीड-चिकन, तन्दूरी-चिकन, स्मोक-क्योर्ड-चिकन, बाल आहार, मिन्स इत्यादि की विधियां विकसित की हैं, संस्थान अंडे के फलेक्स अंडे का पाउडर, अंडा संरक्षण की प्रौद्योगिकियां भी प्रदान करता है और लघु उद्योगों के स्तर पर कुक्कुट ड्रेसिंग के लिए उपस्कर अभिकल्प भी प्रदान करता है।

"विजिलेंस प्रोब इन्टू कम्पलेंट अगेन्स्ट पुलिस" शीर्षक समाचार

5371. **श्री रीत लाल प्रसाद शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 अक्तूबर, 1981 के टाइम्स आफ इण्डिया में "विजिलेंस प्रोब इन्टू कम्प्लेंट अगेनस्ट पुलिस" (पुलिस के विरुद्ध शिकायतों की सतर्कता द्वारा जांच) शीर्षक के अन्तर्गत समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) श्री अश्वनी कुमार से 1950 रु० के ठगने के बारे में पुलिस स्टेशन सिविल लाईन में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत 26-10-1981 जो प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 898 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार करने और पुलिस स्टेशन सिविल लाईन के पुलिस कर्मचारियों द्वारा पीटे जाने के समाचार के विषय में भी श्री अश्वनी कुमार की शिकायत की छानबीन दिल्ली पुलिस की सतर्कता शाखा द्वारा की जा रही है। जांच प्रभारी, उप निरीक्षक को निलम्बित कर दिया है। मामले अन्तर्ग्रस्त पुलिस स्टेशन के हैड-कांस्टेबल और कांस्टेबल के तबादले के आदेश दे दिए गए हैं।

विवादों, आंदोलनों तथा वित्तीय हानियों के कारण समाचारपत्रों का बन्द होना

5371-क. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अनेक समाचार पत्र प्रतिष्ठानों को विवादों, आन्दोलनों तथा वित्तीय हानियों के कारण अपने प्रकाशनों को जारी रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो बन्द किए गए अथवा किए जाने वाले समाचारपत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) देश में कुछ समाचारपत्र प्रतिष्धानों को धन की कमी, अलाभकर कार्य परिस्थितियों और आन्दोलनों के कारण अपने प्रकाशनों को जारी रखने में कठिनाईयां पेश आई हैं। राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, दो समाचार पत्र (पंजाब और दिल्ली में एक-एक) बन्द हो गए हैं। बम्बई में समाचारपत्र प्रतिष्ठान के ग्रुप से संबंधित नीन समाचारपत्रों ने उन्हें बन्द करने के नोटिस जारी कर दिए हैं। असम राज्य सरकार के अनुसार, उक्त राज्य में एक साप्ताहिक समाचारपत्र का वित्तीय कारणों से 27 मार्च, 1981 से प्रकाशन नहीं हुआ है। गोवा संघ राज्यक्षेत्र में 12 अगस्त, 1981 से एक समाचारपत्र का प्रकाशन स्थगित कर दिया गया।

(ग) समाचारपत्रों को बन्द कर देने से उत्पन्न विवादों पर राज्य सरकारें विचार कर रही हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : क्या मैं यह जान सकता हूं कि मैंने आपको जो सूचना दी थी, उसका क्या हुआ ?

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री मधु दंडवते : मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह अध्ययन आश्चर्यजनक बात है कि महाराष्ट्र विभानसभा ने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। उन्होंने आपको एक संदेश भेजा है। परन्तु मुझे विशेषाधिकार भंग के बारे में न तो कोई सूचना मिली है और न ही कोई पृष्ठाधार दस्तावेज जबकि मैं इस प्रस्ताव से सम्बद्ध हूं। जबकि आपको यह सूचना मिल चुकी है आपने मुझे इससे अवगत कराने का कष्ट नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : एक बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए। जैसा कि 1954 के मामले में हुआ था, जिसे आपने शायद पढ़ा हो, यदि यह आपके पास था, उन्हें आपके पास सीधे उक्त दस्तावेज भेजने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते। केवल यही सभा इस मामले को निपटाने में समक्ष है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं कुछ और कह रहा हूं। वे सीधे ही नहीं भेज सकते और उन्होंने आपके पास ही उक्त सूचना भेजी है। परन्तु इस सदन की यह परम्परा रही है कि आपके सचिवालय के पास यदि किसी सदस्य के लिए कोई पत्र भेजा जाता है तो उस पत्र की सूचना प्रथम उपलब्ध अवसर पर ही सम्बन्धित सदस्य या सभा को दे दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, ऐसा नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : उदाहरण के तौर पर, यदि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जैसे ही आपको इस बारे में सूचना मिलती है आज सभा को सूचित करेंगे....

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसे देख चुका हूं।

प्रो० मधु दंडवते : जैसे ही आपको कोई पत्र प्राप्त होता है, आपको सभा को सूचित करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह भेजना होगा। वे केवल मेरे पास ही ये मामला भेज सकते है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपके विनिर्णय के संबंध में यह नहीं कह रहा हूं। वह तो बाद में भी दिया जा सकता है। लोक सभा का सत्रावसान होने में केवल एक ही दिन शेष रह गया है और विशेषाधिकार प्रस्ताव के पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : श्री अन्तुले के खिलाफ मैंने अदालत में मामला चला रखा है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, जी नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : वे कार्यवाही में बाधा डालना चाहते हैं, और इसलिए यह एक स्पष्ट प्रश्न है.....

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : कम से कम मुझे यह तो बता दीजिए कि पत्र में क्या लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको संदेश भेज चुका हूं।

प्रो० मधु दंडवते : परन्तु सभा को भी तो इससे अवगत कराइए क्योंकि यह सभा पर लांछन लगाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। जी नहीं। मैं मान्य परम्पराओं, पद्धतियों एवं पूर्व उदाहरणों का अनुकरण कर रहा हूं। एक इंच भी उनके इधर-उधर नहीं जा रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं जो कुछ आपने कहा है उसके संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइए। मैं आपको दिखाऊंगा या आप मुझे संतुष्ट कीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : क्या ऐसा नहीं होता रहा है...

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : आप मुझे जो कुछ आप कह रहें हैं उसके बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करने की अनुमति क्यों नहीं देते ? मैं जनना चाहता हूं...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। आपका सदैव स्वागत है। में सभी रिकार्ड देख चुका हूं और मैं प्रक्रिया और नियमों के अनुसार कार्य कर रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : बिल्कुल यही मैं आपको बताना चाहता हूं जबकि मुझे अभी कोई सूचना नहीं मिली है और जबकि सभा इस मामले से सम्बद्ध है...

अध्यक्ष महोदय : यह सब केवल मेरे माध्यम से होगा।

प्रो० मधु दंडवते : आप सभा को सूचना से अवगत क्यों नहीं करा देते ?

अध्यक्ष महोदय : पहले आप मुझे उत्तर दें। तब मैं आगे कार्यवाही करूंगा। मुझे यह मालूम है कि मुझे यह मामला सभा के समक्ष रखना है या इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजना है या इसे रद्द कर देना है।

प्रो० मधु दंडवते : मामला सभा के सामने है। उन्होंने यह मामला आपके पास भेजा है क्योंकि आप सौभाग्यवश सभा के अध्यक्ष हैं।

अध्यक्ष महोदय : केवल आपके उत्तर के बाद ही मुझे इस मामले को रद्द करना होगा या स्वीकार करना होगा या इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजना होगा।

प्रो० मधु दंडवते : यह सूचना श्री बलराम जाखड़ को नहीं भेजी गई है बल्कि लोक सभा के अध्यक्ष को भेजी गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री बलराम जाखड़ को नहीं यह तो अध्यक्ष को भेजी गई है।

प्रो० मधु दंडवते : यही तो मैं कह रहा हूं। जब यह अध्यक्ष को भेजी गई है तो यह अपेक्षा की जाती है कि सभा को इस सूचना से अवगत कराया जाए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपकी बात सुनने के बाद ही हम यह देखेंगे कि इस बारे में हम क्या कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : वह चाल चल रहे हैं। लोक सभा के सत्रावधान में केवल एक दिन शेष है।

अध्यक महोदय : नहीं। इस बारे में कुछ भी कहने की अनुमति नहीं है। अब आप कृपा करके बैठ जाइए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। जी नहीं, जी नहीं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट लिखा हुआ है। जी नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : केवल एक दिन शेष है। मुझे केन्द्रीय विधि मंत्री के खिलाफ एक ओर विशेषाधिकार प्रस्ताव रखना है। मैं इस मामले को आज नहीं उठा सकता, क्योंकि दो मामले एक साथ नहीं उठाए जा सकते।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात शीघ्र पूरी कीजिए। तत्पश्चात् मैं अविलम्ब इस मामले पर कार्यवाही करूंगा।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दंडवते : आप मुझे सूचना नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सूचना भेज चुका हूं। कल सांयकाल आपको उक्त सूचना भेज दी गई थी।

प्रो० मधु दंडवते : सूचना के बारे में आप क्या कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : किस सूचना के बारे में ?

प्रो० मधु दंडवते : वह सूचना जो आपको महाराष्ट्र विधानसभा सचिवालय से प्राप्त हुई है। यह मुझे प्राप्त नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय : हम कल उक्त सूचना आपके पास भेज चुके हैं। हम दिखा देंगे। हमारे पास उस दस्तावेज की प्रतिलिपि है जो आपके घर भेजा गया था। सब कुछ हमारे पास है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह महाराष्ट्र सचिवालय है···

अध्यक्ष महोदय : हां।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : इसे क्या पढ़ने में आपको क्या आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमानुसार चल रहा हूं। मैं कोई अन्य उदाहरण पैदा नहीं करना चाहता हूं। मैं कोई परम्परा कायम नहीं करना चाहता। मैं वही कर रहा हूं जो कुछ पुस्तकों में लिखा हैं और जो कुछ मेरे लिए निर्धारित है।

प्रो० मधु दंडवते : लोकसभा स्थगित होने में केवल एक दिन शेष है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो। मैं तो नियमानुसार कार्य कर रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह आरोप नहीं लगाना चाहता हूं कि आप मामले को लटकाने वाली नीतियों पर क्यों चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा क्यों करूंगा ? मुझे वह सूचना प्राप्त हुई, मैंने आपके पास भेज दी। आपने मुझे सूचना दी। मैं उस पर कल कार्यवाही करूंगा।

प्रो मधु दंडवते : आप जानते हैं कि मेरा एक और विशेषाधिकार प्रस्ताव आपके पास पड़ा है। मैंने उसमें लिखिय प्रमाण दिए हैं। मैं रिपोर्ट भी आपको दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दीजिए, मैं इस पर कार्यवाही करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैं कल भी केन्द्रीय विधि मंत्री के विरुद्ध एक अन्य विशेषाधिकार प्रस्ताव दे चुका हूं जिसमें चुनाव आयोग के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए भी आप मेरे पास आइएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब यह मेरे पास आएगा मैं इस बारे में निर्णय लूंगा। मेरे निर्णय के बिना यह मामला कैसे लाया जा सकता है; जब तक मैं अपना विनिर्णय नहीं दूंगा कि मैं इसे स्वीकार करता हूं या नहीं ? यह बहुत आसान है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह निर्णय लेना है कि क्या यह मामला स्वीकार्य हैं या नहीं, क्या मुझे इसे परामर्श के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेजना है या मुझे इसे विशेषाधिकार समिति के पास ही भेजना है अथवा नहीं भेजना, यह सब निर्भर करता है···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : जिस मुद्दे की मैंने व्याख्या नहीं की वह विधि मंत्री के विरुद्ध है। परन्तु आप उस विशेषाधिकार के मामले के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं जो मैंने आपको विधि मंत्री के विरुद्ध दिया था। विधि मंत्री के खिलाफ में सभी दस्तावेज भेज चुका हूं। चुनाव आयोग का कहना है कि हमने गृह मंत्रालय से परामर्श किया था और गृह मंत्रालय कहता है कि हमने रिकार्ड देख लिए हैं और चुनाव आयोग से किसी प्रकार का कोई परामर्श नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको लिख दिया है और मैं उन्हें भी तथ्य मालूम करने के लिए लिख चुका हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मेरे विचार में अगली लोक सभा में।

अध्यक्ष महोदय : हम सब यहां हैं। आप भी यहीं रहेंगे और मैं भी।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने ब्लिट्ज के सम्पादक के खिलाफ एक विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है। हमारा अनिष्ट करने के लिए एक भारी षडयंत्र रचा गया है ताकि हम श्री अन्तुले के खिलाफ कोई मुद्दा न उठा सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें पहले ही लिख चुका हूं। मै उन्हें पहले ही याद दिला चुका हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : आपने रिकार्ड से पड़ताल कर ली है। यह सब मनघड़त कहानी है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैं दो बार इस बारे में लिख चुका हूं। इसमें कुछ कठिनाई थी। संबंधित व्यक्ति बाहर गया हुआ था। मैं उन्हें दो बार लिख चुका हूं कि वे इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करें। मैं इस मामले में पूरी सावधानी बरतना चाहूंगा।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही कर रहा हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपसे भी अधिक जल्दी है।

श्री सतीश अग्रवाल : 15 दिन बीत चुके हैं। उन्होंने उत्तर क्यों नहीं भेजा। आप संसद् के रिकार्ड से देख चुके हैं। सभा के कार्यवाही वृत्तांत में इस बारे में कोई भी शब्द शामिल नहीं है। यह मनघड़त कहानी है जो हमारा अनिष्ट करने और हम पर श्री अन्तुले के खिलाफ कोई मुद्दा न उठाने के लिए दबाव डालने के लिए तैयार की गई है।

अध्यक्ष महोदय : नियम आपने ही निर्धारित किए हैं। मुझे नियमों के अनुसार ही कार्य करना है।

(व्यवधान)

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैंने श्री मुरासोली सेल्वम नामक पत्रकार की गिरफ्तारी के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

अध्यक्ष महोदय : नही, यह राज्य का विषय है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता।

श्री सी० टी० दंडपाणि : समाचारपत्रों में कोई समाचार छपा था। तिरुचेन्डल मन्दिर के न्यास बोर्ड के चेयरमैन ने किसी जांच-अधिकारी की हत्या कर दी थी। श्री सेल्वम मेरे नेता श्री करुणानिधि का दामाद (सन-इन-ला) है। उन्हें अपने दैनिक समाचारपत्र में पॉल आयोग की रिपोर्ट छापने के लिए गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु के सभी दैनिक समाचारपत्रों ने यही रिपोर्ट छापी थी परन्तु अकेले श्री सेल्वम को ही गिरफ्तार किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है इसलिये मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता।

श्री सी० टी० दंडपाणि : कई बार आपने राज्यों से संबंधित विषयों को स्वीकार किया है। उदाहरण के तौर पर अन्तुले का मामला।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है ?

श्री सी० टी० दंडपाणि : अन्तुले के मामले के सम्बन्ध में आपने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किया था उनमें दो बातें थीं : (1) न्यास की स्थापना के बारे में (2) राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण। आवश्यक वस्तुओं के वितरण का मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। आपने इस विषय को चर्चा के लिए स्वीकार किया था। आप हमारे स्थगन प्रस्ताव को क्यों स्वीकार नहीं करते जो कि किसी व्यक्ति की और प्रैस की स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाये जाने के बारे में हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भी बोल रहे हैं। आपके नेता भी बोल रहे हैं। आप जो कुछ भी कहेंगे वह रिकार्ड नहीं किया जाएगा। आप अपने ही नेता का अनादर कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सून लिया है श्री दण्डपाणि।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको कम से कम अपने नेता को सुनने का धैर्य तो होना चाहिए। आप अनावश्यक ही उन्हें उग्र कर रहे हैं।

(व्यवधान)**

श्री के० मायातेवर (डिंडीगल) : आप कृपया उन्हें सुने। वह पूरा मामला स्पष्ट करना चाहते है। कृपया उन्हें विस्तार से बताने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इसे स्पष्ट कर दिया है। मेरी समझ से आप इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकलवाना चाहते हैं। आप यही प्रयास कर रहे हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सुन लिया है श्री दण्डपाणि।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप किस तरह के सदस्य हैं ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप खड़े क्यों हैं ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : समर्थन का कोई प्रश्न ही नहीं है। उसे पहले ही समर्थन मिल चुका है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री दंडपाणि, आप व्यवधान क्यों डाल रहे हैं ? आप यह भली-भांति जानते हैं और मैं जानता हूं कि नियामानुसार में इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

मैं आपकी तरफ बात करूं और कोई दूसरा बात करने लगे तो आपको नाराजगी होगी या नहीं ?

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : आपने हमें यह कहने देने की अनुमति देनी चाहिए कि मामला क्या है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे बताएं कि किस नियम के अधीन में आपको अनुमति दे सकता हूं तो मैं आपको अनुमति दे दूंगा।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं जानना चाहता हूं कि किस नियम के अधीन आप इसे अस्वीकार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके द्वारा जोर डालने पर मैंने पहले ही स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु गृह मंत्रालय को लिख दिया है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : नही, नहीं। यह दूसरी बात है। वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह इसी के बारे में है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : वह पॉल आयोग की रिपोर्ट के बारे में है। मैं पत्रकार की गिरफ्तारी के बारे में बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : पत्रकार का मामला राज्य का विषय है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : उसकी स्वतन्त्रता कम कर दी गई है। उसे स्वतन्त्र रूप से कार्य करने नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ? यह राज्य का विषय है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : हमें इस मामले पर विचार करना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता। यह राज्य का विषय है। यदि मैं पश्चिमी बंगाल के लिए अनुमति नहीं दे सकता तो मैं तमिलनाडु अथवा किसी अन्य राज्य से लिए भी अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : पत्रकारों को हर जगह उत्पीड़न हो रहा है। देश में हर जगह पत्रकारों को दबाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप यहां बैठ कर करेंगे ? आप मेरी जगह बैठकर करेंगे ?

श्री सतीश अग्रवाल : जी नहीं, श्रीमान्। किन्तु यह चिंता पैदा करने वाला प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री सतीश अग्रवाल : प्रैस को देश भर में परेशान किया जा रहा है केवल तमिलनाडु में ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : नियमों को बदल दो।

(व्यवधान)

श्री सी० टी० दण्डपाणि : अन्य मामलों में आपने अनुमति दी है।

अध्यक्ष महोदय : कहीं भी नहीं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : यहां इस पर विचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नियमों में परिवर्तन कर दें तो मैं आपको अनुमति दे दूंगा।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं आपसे असहमत हूं।

अध्यक्ष महोदय : असहमति का कोई प्रश्न ही नहीं। अनुमति नहीं।

(व्यवधान)

मैंने आपको काफी सुन लिया है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : बहुत से अवसरों पर आपने राज्यों की समस्याओं से सम्बन्धित मामले स्वीकार किए हैं। अन्तुले के मामले में क्या था ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं। मैं कभी स्वीकार नहीं किया।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : आपने राज्य के विषयों को स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय : कभी नहीं। कृपया मुझे देखने दें; यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : क्या आप मुझे वक्तव्य देने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : अन्तुले के मामले में आपने राज्य के विषय पर विचार करने अनुमति दी थी।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, श्रीमान्, आप मेरा गलत उद्धरण क्यों दे रहे हैं ?

श्री सी० टी० दण्डपाणि : अन्तुले के मामले से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में दो विषय थे। एक तो ट्रस्टों के बारे में था। दूसरा सीमेंट वितरण के बारे में। सीमेंट वितरण का मामला राज्य की शक्तियों में आता हैं।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं। कोई वाद-विवाद नहीं। बहुत हो चुका। डा० स्वामी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : दो मदें हैं। एक तो यह कि छठी लोक सभा के सदस्य महंत श्याम सुन्दर दास का स्वर्गवास हो गया है.....

अध्यक्ष महोदय : यदि हमें इसकी पुष्टि प्राप्त हो जाएगी हम तत्काल ही इसे करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, हम गलत काम नहीं करते हैं। एक दफा प्रधान मंत्री जी पकड़े गए, मुझें तो पकड़ा नहीं जाना है। (व्यवधान) जब तक वहां से, डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट लिख कर नहीं भेजते·····

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जब मैंने संसद् का रिकार्ड देखा तो मैंने श्री वेंकटरामन के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का एक मौखिक नोटिस देखा। मैं मौखिक रूप से दिए गए नोटिस का महत्व जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मौखिक का कोई प्रश्न नहीं; हम केवल लिखित के बारे में बात करते हैं। संसद् में कोई मौखिक बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मेरे द्वारा नियम 222 के अधीन नोटिस दिए जाने के 20 दिन बाद भी, इस सदन म एक माननीय सदस्य, डा० स्वामी पर कलंक अभी भी लगा है···

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं; अनुमति नहीं। इस पर मैं विचार कर रहा हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : मेरे नोटिस का क्या हुआ ?

अध्यक महोदय : इस पर मैं विचार कर रहा हूं।

(व्यवधान)

कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता देता, अगर होता कुछ तो।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह क्या नोटिस है। क्या मैं जान सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महाराष्ट्र सरकार से जो पत्र आपको प्राप्त हुआ है, उसे आप सदन को सूचित कर दें।

अध्यक्ष महोदय : वह तो कर दिया। हरिकेश बहादुर आप तो समझदार हैं। प्रोफेसर साहब से इतनी बात करता रहा, कहते हैं कि सारी रात रोए, एक मरा, वह भी सुबह उठ कर भाग गया।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जाने दीजिए राकेश जी, जिस बात का पता नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए—पकड़े जाएंगे आप ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक तो संवाद समिति के संबंध में बताना चाहता हूं कि उन लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : टाइम ही नहीं मिला । दैट इज अण्डर कंसीडरेशन ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ही लोगों ने टाइम नहीं लेने दिया । आपने स्वयं ही समय रोक दिया है ।

श्री रामविलास पासवान : दूसरा अध्यक्ष महोदय, मेनपुरी की स्थिति के सम्बन्ध में प्रिवलेज मोशन दिया था कि कमेटी के····।

अध्यक्ष महोदय : वह मैं कर रहा हूं । मैं उस पर आ रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री नीरेन घोष : खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको वहां खड़े हुए देखा ही नहीं, श्रीमान जी । मैं समझा ही नहीं कि आप बैठे हैं या खड़े हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुरा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत आदमी मार डाले गए हैं···।

अध्यक्ष महोदय : नहीं—नहीं, नो क्वश्चन, नाट अलाउड ।

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : आप डिस-अलाउ कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कल डिसकस कर रहे हैं । कल शाम को डिसकशन हो रहा है ।

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, वहां पर एन-काउन्टर के नाम पर लोगों को मार रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह आप कहते हैं न, ऐसी बात नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, बोट क्लब पर तीन दिन से श्री राजनारायण जी भूख हड़ताल पर हैं····।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले कह दिया है, अब आपको यह बात नहीं करनी चाहिए। मैंने बता दिया है। नाट अलाउड। क्वश्चन आवर में डिसकस हो चुका है।

(व्यवधान)

श्री ऐ० के० बालम (ओट्टाबालम) : अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका 377 में अलाउ कर दिया है। आप बैठ जाइए।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, जत्थेदार सन्तोख सिंह के कत्ल के मामले को आप मामूली बात समझ कर मत चलना....।

अध्यक्ष महोदय : किसने समझा है ?

श्री मनीराम बागड़ी : आप लोगों ने और सारे सदन ने।

अध्यक्ष महोदय : आपने ही समझा होगा शायद। कल अगर शोर नहीं होता तो वह बात भी आती।

श्री मनीराम बागड़ी : आप पंजाब में रहते हैं। पंजाब और दिल्ली की अखबारों को पढ़िए कि क्या स्थिति है। यह "प्रताप" का एडीटोरियल है, यह "तेज" है, यह "ट्रिब्यून" है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिए। होम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है।

श्री मनीराम बागडी : क्या खाक दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं, आप पूरी बात तो सुनते ही नहीं हैं। आप तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह चल रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप नोटिस दो कि यह स्टेटमेंट है मिनिस्टर का, इसको डिसकशन के लिए अलाउ किया जाए। दैट इज दी प्रापर मैथड।

(व्यवधान)

श्री निरेन घोष (दमदम) : जेसम एण्ड कम्पनी में विस्फोट हुआ था। चार कामगार मारे गए और वहां कोई मशीनरी नहीं थी.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दो, मोशन दो कोई और पिच देखेंगे।

सभापटल पर रखे गए पत्र

वर्ष 1979-80 के लिए भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड, बोकारो स्टीलसिटी के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड, बोकारो स्टील सिटी (धनबाद) तथा उसके सहायक संगठन अर्थात् इण्डिया फायरब्रिक्स एण्ड इन्सुलेशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत रिफ्रेक्टरीज लिमिटेड, बोकारो स्टील सिटी (धनबाद) और उसके सहायक संगठन अर्थात् इण्डिया फायरब्रिक्स एण्ड इन्सुलेशन कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपरोक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय के रखे गए। देखिए—एल० टी० संख्या 3167/81]

पर्यटन और नागरिक विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं। वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत वायुयान संशोधन नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 25 जुलाई, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 699 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए—एल० टी० संख्या 3168/81]

राजघाट समाधि समिति का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा

संसदीय कार्य और निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राजघाट समाधि समिति के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राजघाट समाधि समिति के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए—एल० टी० संख्या 3169/81]

नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा, इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा के बारे में विवरण आदि, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 आदि।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : मैं श्री नारायण दत्त तिवारी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थागार में रखे गए। देखिए—एल० टी० संख्या 3170/81]

(ख) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थागार में रखे गए। देखिए—एल० टी० संख्या 3171/81]

(ग) (एक) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थागार में रखे गए। देखिए—एल० टी० संख्या 3172/81]

(घ) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थागार में रखे गए। देखिए—एल० टी० संख्या 3173/81]

(ङ) (एक) लगन जूट मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) लगन जूट मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथागार में रखे गए । देखिए—एल० टी० संख्या 3174/81]

(च) (एक) रिचार्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड, बम्बई के 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) रिचार्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थागार में रखे गए । देखिए—एल० टी० संख्या 3175/81]

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) का० आ० 377 (ङ) जो दिनांक 21 मई, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जो मैसर्स ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी, कलकत्ता के प्रबन्धग्रहण की अवधि को 5 वर्ष से आगे बढ़ाए जाने के बारे में है ।

(दो) का० आ० 704 (ङ) जो दिनांक 17 सितम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जो मैसर्स इण्डियन रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्धग्रहण की अवधि को पांच वर्ष से आगे बढ़ाए जाने के बारे में है ।

(तीन) का० आ० 575 (ङ) जो दिनांक 20 जुलाई, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जो मैसर्स ग्लुकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्धग्रहण की अवधि को पांच वर्ष से आगे बढ़ाए जाने के बारे में है ।

[ग्रंथागार में रखीं गईं । देखिए—एल० टी० संख्या 3176/81]

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण, केन्द्रीय टूल रूम, लुधियाना और लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

[ग्रंथागार में रखे गए । देखिए—एल० टी० संख्या 3177/81]

(2) सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथागार में रखे गए । देखिए—एल० टी० संख्या 3178/81]

(3) लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथागार में रखे गए । देखिए—एल० टी० संख्या 3179/81]

(4) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथागार में रखे गए । देखिए—एल० टी० संख्या 3180/81]

(5) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रंथागार में रखे गए । देखिए—एल० टी० संख्या 3181/81]

(6) विद्युत माप उपकरण डिजाइन संस्थान, बम्बई के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(7) सेन्ट्रल टूल रूम, लुधियाना, लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद, सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, कलकत्ता, केन्द्रीय टूल डिजाइन संस्थान, बम्बई के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथागार में रखे गए । देखिए—एल० टी० संख्या 3182/81]

(8) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अन्तर्गत, पैटेन्ट, डिजाइन और व्यापार चिह्नों के महानियंत्रक के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथागार में रखे गए । देखिए—एल० टी० संख्या 3183/81]

(तब श्री जयपाल सिंह कश्यप और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठकर चले गए)

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा, पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, शिलांग का 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसकी समीक्षा

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति :—

(एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि०, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि०, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथागार में रखी गई। देखिए—एल० टी० संख्या 3186/81]

(ख) (एक) पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लि०, शिलांग का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथागार में रखी गई। देखिए—एल० टी० संख्या 3187/81]

(ग) (एक) राष्ट्रीय ताप बिजली निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय ताप बिजली निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपरोक्त मद (1) के (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथागार में रखे गए। देखिए—एल० टी० संख्या 3188/81]

(3) (एक) कोयला खान श्रम कल्याण संगठन, धनबाद के वर्ष 1979-80 के क्रियाकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) उपरोक्त मद (3) के (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) कोयला खान, श्रम कल्याण संगठन, धनबाद के वर्ष 1980-81 के क्रियाकलापों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथागार में रखे गए । देखिए—एल० टी० संख्या 3189/81]

तट रक्षक अधिनियम के अधीन अधिसूचना तथा कम्पनी अधिनियम के अधीन पत्र
(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं उड़ीसा में आदिवासी विकास एजेंसियों द्वारा एकीकृत आवास योजना के कार्यान्वयन के बारे में श्री हरिहर सोरेन, संसद् सदस्य के 25 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 483 के उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथागार में रखा गया । देखिए—एल० टी० संख्या 3190/81]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वि० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तट रक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 123 की उपधारा (2) (ख) के अन्तर्गत, तट रक्षक अभ्यावेशिक अनुचर भर्ती नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 12 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 301 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

[ग्रंथागार में रखे गए । देखिए—एल० टी० संख्या 3191/81]

(क) (एक) मजगांव डॉक लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) मजगांव डॉक लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक, महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथागार में रखे गए । देखिए—एल० टी० संख्या 3192/81]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथागार में रखे गए। देखिए—एल० टी० संख्या 3193/81]

(ग) (एक) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्कोडीगामा, गोवा, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्कोडीगामा, गोवा, का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथागार में रखे गए। देखिए—एल० टी० संख्या 3194/81]

(घ) (एक) भारत इलैक्ट्रानिक लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि०, बंगलौर का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथागार में रखा गया। देखिए—एल० टी० संख्या 3195/81]

भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद का वर्ष 1980-81 का तथा साहा परमाणु भौतिकी संस्थान, कलकत्ता का 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन और उन पर समीक्षा के बारे में विवरण आदि

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स और पर्यावरण विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथागार में रखे गए। देखिए—एल० टी० संख्या 3196/81]

(2) (एक) साहा परमाणु भौतिक संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा परमाणु भौतिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथागार में रखे गए। देखिए—एल० टी० संख्या 3197/81]

(3) (एक) टाटा मेमोरियल सेन्टर, बम्बई के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मेमोरियल सेन्टर, बम्बई के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथागार में रखे गए। देखिए—एल० टी० संख्या 3198/81]

(4) (एक) टाटा इंस्टीट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च, बम्बई के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टीट्यूट आफ फन्डामेंटल रिसर्च, बम्बई के वर्ष 1968-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथागार में रखे गए। देखिए—एल० टी० संख्या 3199/81]

(5) (एक) महाराष्ट्र एसोसिएशन फार दि कल्टीवेशन आफ साइंस, पूणे के वर्ष 1980-81 के संक्षिप्त वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र एसोसिएशन फार दि कल्टीवेशन आफ साइंस, पूणे के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथागार में रखे गए। देखिए—एल० टी० संख्या 3200/81]

(6) (एक) पदमजा नायडू हिमालय चिड़ियाघर, दार्जिलिंग के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पदमजा नायडू हिमालय चिड़ियाघर दार्जिलिंग के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए—एल० टी० संख्या 3201/81]

(7) (एक) वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालय जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) वाडिया इंस्टीट्यूट आफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए—एल० टी० संख्या 3202/81]

(8) (एक) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आफ पालिएबोटेनी, लखनऊ के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आफ पालिएबोटेनी, लखनऊ के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए—एल० टी० संख्या 3203/81]

(9) (एक) बोस इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) बोस इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए—एल० टी० संख्या 3204/81]

(10) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) कम्पयूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) कम्पयूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, सिकन्दराबाद का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए—एल० टी० संख्या 3205/81]

(ख) (एक) सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।

(दो) सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए—एल० टी० संख्या 3206/81]

प्राशिक्षु अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबन्ध अधिनियम, आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

11. **श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत, शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1037 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए—संख्या एल० टी० 3207/81]

(2) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० का० नि० 611(ङ) जो दिनांक 23 नवम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिनके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 को जहाजों पर माल लादने और उतारने तथा नौभरण में लगे प्रतिष्ठानों पर लागू किया गया है ।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (छठा संशोधन) स्कीम 1981, जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना, संख्या सा० का० नि० 625(ङ) में प्रकाशित हुई थी ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए—संख्या एल० टी० 3208/81]

(3) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए—संख्या एल० टी० 3209/81]

(4) राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए—संख्या एल० टी० संख्या 3210/81]

(5) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए—संख्या एल० टी० 3211/81]

(6) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए—संख्या एल० टी० 3212/81]

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचना

12. **गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य-विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (पहला संशोधन) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1049 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए—संख्या एल० टी० 3213/81]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 1981 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 651(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1981 जो दिनांक 10 दिसम्बर के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का नि० 652 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीत वन सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) नवां संशोधन विनियम, 1981 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 653(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय वन सेवा (वेतन) दसवां संशोधन नियम, 1981 जो दिनांक 10 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 654(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय वन सेवा (कर्नाटक की काडर सदस्य संख्या का नियतन) नियम, 1981 जो दिनांक 11 दिसम्बर, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 657(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए—एल० टी० संख्या 3214/81]

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम बम्बई के 30 जून, 1981 को समाप्त हुए वर्ष की सरकार द्वारा समीक्षा

13. **वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगनभाई बारोट)** : मैं कृषि पुनर्वित्त, और विकास निगम बम्बई के 30 जून, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए—संख्या एल० टी० 3215/81]

———

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम(6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 6 विधेयक, 1981 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 15 दिसम्बर, 1981 को हुई बैठक में पारित किया गया था, और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को वापिस लौटाने का निदेश हुआ है और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) संख्यांक 7 विधेयक, 1981 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 15 दिसम्बर, 1981 को हुई बैठक में पारित किया गया था, और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, को वापिस लौटाने का निदेश हुआ है, और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

———

* कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, बम्बई के 30 जून, 1981 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन 18 दिसम्बर, 1981 को सभा पटल पर रखा गया था।

लोक लेखा समिति

पैंसठवां और छियासठवां प्रतिवेदन

श्री सतीश अग्रवाल : मैं, लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) सलालपन बिजली परियोजना के बारे में समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही सम्बन्धी पैंसठवां प्रतिवेदन ।

(2) एक वायुयान के निर्माण हेतु खरीदी सामग्रियों की निरर्थकता सम्बन्धी छियासठवां प्रतिवेदन ।

———

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

सत्ताईसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं, हिन्दुस्तान टेली प्रिन्टर्स लिमिटेड, नई परियोजनाओं के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का सत्ताईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूँ ।

———

सदस्यों की सभा से अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

छठा प्रतिवेदन

श्री पी० वी० जी० राजू : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

मध्य प्रदेश में कोटना कोयला खान में एक बकंर के गिर जाने का समाचार

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : मैं, ऊर्जा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ, और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कोटना कोयला खान में एक बंकर के गिर जाने के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने और कई अन्य व्यक्तियों के घायल हो जाने का समाचार"।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मुझे इस सदन को सूचित करते हुए दुख हो रहा है कि 10 दिसम्बर, 1981 को लगभग 5-30 बजे अपराह्न में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में वेस्टर्न

कोलफील्ड्स लि० की कोटमा कोलियरी में लगाए जाने वाले कोयला रखरखाव संयंत्र के संबंध में जो ओवरहैड बंकर बनाए जा रहे थे उनसे सम्बद्ध सिविल निर्माण कार्य में एक दुर्घटना हो गई। यह निर्माण कार्य वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की ओर से मैसर्स धनजाल ब्रदर्स कर रहे हैं जो कि सिविल कन्ट्रेक्टर हैं। इस समय 4 ओवर-हैड बंकरों के सम्बन्ध में निर्माण कार्य चल रहा है—इन बंकरों में से प्रत्येक की क्षमता 1500 टन है। घटना के समय जब इन बंकरों में से एक के हापर भाग में कंकरीट रखने का काम चल रहा था। तब हापर के जिस भाग में कंकरीट रखा जा चुका था वह गिर गया—उसके गिरने का कारण स्पष्ट ही शटरिंग को सहारा देने के लिए जो लकड़ी के सहारे सीधे लगाए गए थे उनमें से कुछ खिसक गए थे।

2. घटना के समय ठेकेदार के लगभग 40 कामगार निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य में लगे हुए थे और इनमें से केवल चार कामगार ही कंकरीट मिश्रण को उठाने के लिए बंकर के नीचे थे। जिस समय कंकरीट चढ़ा हुआ भाग गिरा उस समय यह व्यक्ति ऊपर से गिरने वाले मलवे के नीचे कुचल गए जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों की तत्काल मृत्यु हो गई। अन्य दो गम्भीर रूप से घायल हो गए और बाद में चोटों के कारण उनकी भी मृत्यु हो गई। अन्य आठ कामगारों को मामूली चोटें आई उन्हें प्राथमिक चिकित्सा सहायता के बाद छुट्टी दे दी गई।

3. कोलियरी प्रबन्धमंडल ने घायल व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सा सहायता देने के लिए तुरन्त कार्रवाई की। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने मृतकों में से प्रत्येक के परिवार के लिए रु० 1000 की अनुग्रह राशि मंजूर की है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और ठेकेदार के बीच हुए समझौते के अनुसार ठेकेदार को कामगार मुआवजा अधिनियम के अधीन मृतकों के बिल्कुल नजदीकी परिवार–सदस्य को मुआवजा देना है। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर रहा है कि मुआवजे की राशि नजदीकतम परिवार—सदस्य को शीघ्र ही दे दी जाए—मुआवजे की राशि प्रत्येक मृतक के मामले में लगभग रु० 18,000 बनती है।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के वरिष्ठ अधिकारी दुर्घटना स्थल पर गए हैं और दुर्घटना के सम्बन्ध में वे० को० लि० के आंतरिक सुरक्षा संगठन ने एक जांच पूरी कर ली है। इस जांच की रिपोर्ट हमें अभी ही प्राप्त हुई है और उस पर विचार किया जा रहा है। निदेशक, खान सुरक्षा, जबलपुर—जो खान सुरक्षा महा-निदेशक के अधीन हैं—भी दुर्घटना स्थल पर गए हैं और उन्होंने भी जांच की है। इस दुर्घटना की सारी परिस्थितियों का पता लगाने की दृष्टि से दो सदस्यों की एक स्वतंत्र तकनीकी टीम दुर्घटना की जांच करने के लिए नियुक्त की गई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाएगी।

5. सरकार और कोल इंडिया लि० का प्रबन्धमंडल कोयला खानों में सुरक्षा के प्रबन्ध अधिक मजबूत करने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह सजग हैं और सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि कुछ समाचारपत्रों में, एक एजेंसी द्वारा प्रसारित अप्रमाणित रिपोर्ट के आधार पर, इस दुर्घटना का वर्णन कुछ बढ़ाचढ़ाकर प्रकाशित कर दिया। यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई कि इस दुर्घटना में

थोड़े नहीं बल्कि 30 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है किन्तु, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है, यह रिपोर्ट सत्य और वास्तविकता से बहुत दूर है।

6. अन्त में मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हम अपनी कोयला खानों में सुरक्षा के उपाय लागू करने को अधिकतम महत्व देते रहे हैं और इन उपायों को लागू किए जाने के फलस्वरूप कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद दुर्घटनाओं की दर में निश्चित रूप से बहुत कमी हुई है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में 1973 में मृत्यु दर एक मिलियन टन पर 2.66 थी किन्तु वह अब घटकर इस वर्ष जनवरी से नवम्बर, 1981 की अवधि में केवल 1.12 प्रति मिलियन टन रह गई है। वास्तव में तो कोयला खानों में सुरक्षा सम्बन्धी समिति ने लक्ष्य यह रखा था कि 1983 तक मृत्यु दर एक मिलियन टन पर दो हो जाए किन्तु अब वास्तविकता यह है कि न केरल वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने बल्कि सारे कोल इंडिया लि० ने उपर्युक्त लक्ष्य से कहीं कम मृत्यु दर का स्तर पहले ही प्राप्त किया जा चुका है और वास्तविक मृत्यु दर इस लक्ष्य से भी कहीं कम हो गई है।

श्री उत्तम राठौर : मैंने माननीय मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को पढ़ा है। मैंने उन्हें सुना भी है। यह बताया गया है कि ओवरहैड बंकर बनाए जा रहे थे।

यहां यह कहानी सुनाई जा रही है कि एक आधार के लिए इस्तेमाल की जा रही लकड़ी की नीम अपनी जगह से हट और परिणामस्वरूप आर० सी० सी० की छत गिर गई। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कार्य के प्रभारी सिविल प्राधिकारियों ने यह नहीं देखा और न ही इसे प्रमाणित किया कि ढूले (सेंटरिंग) के लिए उपयोग में लायी जाने वाली सामग्री ठीक थी या नहीं और वह उस पर जमाई जाने वाली सामग्री का बोझ सह सकेगी या नहीं ?

मंत्री ने बताया है कि 40 कामगार इस दुर्दटना के शिकार हुए थे, एफ० आई० आर० के अनुसार लगभग 45 कामगार काम कर रहे थे। यहां 5 आदमियों का अंतर क्यों है ?

जो वक्तव्य हमें दिया गया है उस के अनुसार यह लक्षित होता है कि सांय 5.30 बजे दुर्घटना हुई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि मलवे को हटाने का काम कब शुरू हुआ था ? क्या यह सही है कि स्थानीय प्राधिकारी नागपुर कार्यालय से अनुदेशों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे ?

मंत्री ने बताया है कि जांच के लिए आदेश दिए जा चुके हैं। उन्होंने पहले ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। यह आदिवासियों का इलाका है। जिन चार की मृत्यु हुई है, वे सभी आदिवासी हैं। आप जानते ही हैं कि जहां तक सुरक्षात्मक उपाय का सम्बन्ध है ये ठेकेदार बहुत उदासीन हैं।

इसीलिए मैं इस सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि यह मालूम करने के लिए न्यायिक जांच करवाई जाए कि सुरक्षात्मक उपाय किए गए थे या नहीं और वह भी मालूम किया जाए कि घटना के तुरन्त बाद मलवा हटाया गया था या नहीं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : महोदय, सामग्री ठीक थी या नहां यह तो स्वतन्त्र तकनीकी दल द्वारा जांच किए जाने के बाद ही पता चलेगा। जैसाकि मैंने बताया कि इस मामले

की जांच करने के लिए हमने एक स्वतन्त्र तकनीकी दल गठित किया है। हम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब वे दुर्घटना-स्थल पर जाएंगे और परीक्षा करेंगे तो वे शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस रिपोर्ट से ही सारी बातों का पता चलेगा। इस समय जो कुछ भी हुआ है वह यह कि विभागीय जांच की गई थी। हमें अभी ही रिपोर्ट मिली है। किन्तु हम विभागीय जांच के भरोसे नहीं रहे हैं। हमने एक तकनीकी दल गठित किया है और वे जल्दी ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

मुझे खेद है कि मैं न्यायिक जांच की बात को मंजूर नहीं कर सकता, क्योंकि यहां तकनीकी समिति अधिक महत्वपूर्ण है। ये लोग कोयला कम्पनी में नहीं है बल्कि यह एक स्वतन्त्र तकनीकी समिति हैं। यह दल राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम से है जो कि निर्माण कार्य के विशेषज्ञ हैं और इस विभाग के ही कुछ लोग हैं जो इसकी जांच कर रहे हैं।

जहां तक "पांच व्यक्तियों" का संबंध है मेरे पास अभी रिपोर्ट नहीं आई है। मैं मामले की जांच करूंगा और आपको बता दूंगा। हमारा यह भी अनुभव रहा है कि ठेके के कामों में ठेकेदार अपने कामगारों के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय नहीं करते हैं। हम इसे विभागीय तौर पर करेंगे।

श्री उत्तम राठौर : मलवा हटाना काम शुरू किया गया। मैंने यह प्रश्न विशेष रूप से पूछा है। परन्तु उन्होंने नहीं.....

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह सूचना मेरे पास नहीं है। मैंने बताया है कि मलवा हटा लिया गया था।

श्री उत्तम राठौर : अन्तिम पैरा में, मंत्री महोदय ने 1973 की दुर्घटनाओं आदि की दर के बारे में बताया है। यहां पर, वह यह बता रहे हैं कि यह दर 2.63 प्रति दस लाख टन से कम होकर 1.1 प्रति दस लाख रह गई हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि कोयला खानों में दुर्घटनाएं कम करने या समाप्त करने के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में हमारे पास समितियों की बहुत सी सिफारिशें हैं। हमारे पास 66 मुख्य शिफारिशें हैं। उनमें से कुछ सिफारिशें, लगभग 15 सिफारशें पहले से ही कार्यान्वित की गई हैं। शेष सिफारिशें, चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएंगी। यदि आप सभी दुर्घटवाएं समाप्त करना चाहते हैं तो इसका एक ही जवाब है और वह इसका मशीनीकरण करना।

श्री कृपासिन्धु मोई (सम्बलपुर) : मंत्री महोदय ने सभा में विस्तृत जानकारी, जो अधिकारियों से प्राप्त हुई है, दी है। जो जानकारी दी गई है इसके बारे में मुझे भारी शकाएं हैं। कोयला लदान संयंत्र की आधारभूत सामग्री का भाग जो बन्द हो गया है, उसका ऊपरी खदान या भूगत खदान से कोई सम्बन्ध नहीं है। विभिन्न वैगनों में कोयले के लदान की शीघ्रता से क्रियान्वित के लिए इस विशेष बंकर की बहुत आवश्यकता थी। खानों के मुहानों के उन विभिन्न स्थानों तक, जहां पर कोयले का प्रयोग किया जाता है, तेजी से कोयले को पहुंचाने के लिए वैगन

बहुत महत्वपूर्ण है । यह आधारभूत सामग्री का यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है जिससे कोयले का लदान तेजी से मशीनीकृत तरीके से किया जा सकता है ताकि उत्पादन और उपभोग के अन्तराल को कम किया जा सके ।

हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, ने ऊर्जा पर बहुत अधिक बल दिया है। छठी पंचवर्षीय योजना में, कुल सरकारी उपक्रम योजना परिव्यय का 27 प्रतिशत से भी अधिक ऊर्जा पर खर्च किया जाना है । छठी योजना के ऊर्जा परिव्यय में बढ़ोतरी की गई है । वे कीनिया और अन्य देशों में बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में शामिल हुई हैं और उन्होंने इस बारे में कुछ दिशा-निर्देश भी दिए हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों पर विशेष रूप से, ऊर्जा विभाग कार्य कर रहा है या नहीं ।

खदान सुरक्षा का मामला जो कि यहां उठाया गया है, इसका कोयला क्षेत्र में प्रमुख महत्व है । देश में 500 से भी अधिक कोयला खानें हैं । खदान सुरक्षा प्रमुख मसला है । माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि अब दुर्घटनाएं कम हो रही हैं । मेरे पास यहां 'कोलडफील्ड ट्रिब्युनल' पत्रिका है जिसमें 'कोयले की खानों में घातक दुर्घटनाओं में वृद्धि' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ है । यह लेख, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर के बिल्कुल विपरीत है । इसमें लिखा है ।

> "महानिदेशालय खान सुरक्षा द्वारा गत वर्ष इसी अवधि के दौरान रिकार्ड की कई दुर्घटनाओं की तुलना में इस वर्ष जनवरी से सितम्बर तक की अवधि में भारत की कोयला खानों में घातक दुर्घटनाओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई है ।"

महानिदेशालय खान सुरक्षा की यह रिपोर्ट है । कम क्या हुआ है ? केवल गम्भीर दुर्घटनाओं में थोड़ी-सी कमी हुई है । इसमें कहा गया कि गत वर्ष गम्भीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों की संख्या 1280 थी जबकि, इस वर्ष यह संख्या 1258 थी । यह तो केवल सीमान्त कमी है । इसी आधार पर हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि दुर्घटनाओं में कमी हुई है ।

अन्य देशों की बहुत विकसित खानों में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं इनका अन्तर्राष्ट्रीय दुर्घटना स्तर क्या है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के अनुसंधान और विकास स्कंध और भारत कोल इण्डिया लि० सुरक्षा के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पालन कर रहा है। चीन में, यद्यपि विकासशील देश है, तथापि उसका स्तर बढ़ गया है । चीन में ओ० एम० एस० 1.5 है जबकि भारत में यह 0.75 है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां तक खदान सुरक्षा का सम्बन्ध है और जहां तक कोयले की खानों में उत्पादन का सम्बन्ध है क्या हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर अपना रहे हैं । यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पालन नहीं कर रहे हैं, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि हम अनुसंधान और विकास स्कंध विशेषकर कोयला क्षेत्र, पर कितनी धनराशि खर्च कर रहे हैं । जब तक इस आधारभूत परिमाप का पता नहीं चल जाता, यह कहना बहुत कठिन है कि उपयुक्त सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं या नहीं । बीमारी का मूल कारण जाने बिना और बीमारी की विकृत-विज्ञान जाने बिना, आप उसका इलाज कैसे कर सकते है ?

विशेषकर बंकर जैसी आधारभूत सामग्री जो झुकाव खानों में कोयले के शीघ्रता से लदान और परिवहन के लिए प्रमुख है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस आधारभूत उपस्कर

को खान सुरक्षा महानिदेशक के अधीन लाई है और यदि नहीं, तो क्या वह इसे अपने क्षेत्राधिकार में शामिल कर रही है। अपने वक्तव्य में माननीय मंत्री ने ऐसा कहा है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह आधारभूत ढांचा जोकि कोयला ले जाने के लिए महत्वपूर्ण है इसे खान सुरक्षा महानिदेशक के क्षेत्राधिकार में रखा गया है।

500 से भी अधिक कोयला खानें हैं और 3600 अन्य खानें भी हैं। खान सुरक्षा महानिदेशक का क्या कार्य है ? उन्हें प्रत्येक खान का तीन महीने बाद निरीक्षण करना चाहिए। खान सुरक्षा महानिदेशालय में विद्यमान संगठन क्या है ? इस संगठन में प्रथम श्रेणी अधिकारी 100, द्वितीय श्रेणी अधिकारी 12, तृतीय श्रेणी कर्मचारी 501 और चतुर्थ श्रेणी के 281 कर्मचारी हैं क्या यह संगठन विभिन्न खानों की, जो कि 4000 से भी अधिक है, निरीक्षण आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ है और इस बात की स्वीकृति देगा कि कौन-सी विशेष खान मजदूरों के काम के लिए सुरक्षित है ? इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विशेष बंकर के मामले में, जो निर्माणाधीन है, यद्यपि यह सिविल निर्माण (इंजीनियरी) के क्षेत्राधिकार में है, इसके डिजाइन पैरामीटर के हिस्सों का, जो मजदूरों के लिए काम करने हेतु सुविधाजनक हैं, और बाक्स-वैगनों में लदान कार्य की शीघ्र प्रगति के लिए सर्वोत्तम हैं, खान निदेशालय ने उस विशेष तिमाही में निरीक्षण किया था और यदि नहीं किया, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री दलबीर सिंह ने उस विशेष स्थल का निरीक्षण किया है यह उनके ही निर्वाचन-क्षेत्र में है और उन्होंने वहां कुछ बातों पर ध्यान दिया है.....

उपाध्यक्ष महोदय : यहां उनका नाम भी है। यह बात उन्हीं पर छोड़ दें।

डा० कृपासिंधु भोई : मैं यह बात उन्हीं पर ही छोड़ता हूं। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस ठेकेदार ने देश में पहले भी कभी ऐसे अन्य बंकरों का निर्माण किया है और यदि वह नया ठेकेदार है, तो उसे यह ठेका क्यों दिया गया। मंत्री महोदय ने बहुत अच्छे ढंग से उत्तर दिया है कि उस कोयला-क्षेत्र में ठेका-पद्धति समाप्त कर दी जाएगी। इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए और इस निर्णय पर मैं उनको बधाई देता हूं।

मैं तो भारी लापरवाही, जो वहां हुई, उसका उल्लेख करना चाहता हूं। उनकी रिपोर्ट के अनुसार; खम्बा गली लकड़ी का बना हुआ था और इसलिए वह टूट गया, शहतीर लड़खड़ा गयी और इस पर फैली हुई 200 टन भार भी गिर गया। मलबा अभी उठाया जाना है। मुख्य राज का अभी तक पता नहीं चला। सूचना के अनुसार चार व्यक्ति मारे गए और 11 व्यक्ति घायल हुए। स्थानीय लोग बताते हैं कि 55 आदमी काम कर रहे थे। जो लोग मर गए, निस्संदेह, उन्हें कोई जीवित नहीं कर सकता। परन्तु एक सही रिपोर्ट दी जानी चाहिए ताकि विपदग्रस्त व्यक्तियों को उचित मुआवजा दिया जा सके।

अन्ततः चासनाला से अब तक, गत पांच वर्षों के दौरान बहुत-सी समितियां गठित की गई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो समितियां पहले गठित की गईं थीं क्या सरकार ने उनकी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। यदि सरकार ने सभी सिफारिशें स्वीकार नहीं कीं और उन्हें क्रियान्वित नहीं किया है, तो अभी तक क्रियान्वित न की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ? मैं

यह भी जानना चाहता हूं कि देश के विभिन्न भागों में इस कोल इण्डिया संगठन में उचित सुरक्षा उपायों के उद्देश्य से क्या इस संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर सेवानिवृत्त सेना के कार्मिकों को नियुक्त किया जाएगा ताकि छठी पंचवर्षीय योजना में 20000 मेगावाट क्षमता के प्रतिष्ठापित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : कोयला खान सुरक्षा सम्बन्धी समिति की सिफारिशें 1979 में प्राप्त हुई थीं और सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया था और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है। समिति द्वारा की गई 66 मुख्य सिफारिशों में से, 15 सिफारिशों को पहले ही क्रियान्वित किया गया है और 43 सिफारिशें सतत कार्यान्वयन के अन्तर्गत हैं। जहां तक शेष 8 सिफारिशों का सम्बन्ध है, अधिकांश सिफारिशों को पूरा करने के लिए कोयला सुरक्षा समिति द्वारा निर्धारित समयावधि में क्रियान्वन किया जा रहा है। सभी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है। सरकार ने कोयला-खान सुरक्षा के लिए की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और हम उन सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहे हैं।

जो प्रतिवेदन मैंने दिया है उसके सम्बन्ध में, श्री उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कुछ शंकाएं हैं। मैं इन शंकाओं को दूर नहीं कर सकता। मुझे अधिकृत रूप से जो भी प्रतिवेदन दिया गया है, मैं उसे सभा पटल पर रख रहा हूँ। जब तक मुझे डी० डी० एम० की रिपोर्ट नहीं मिल जाता तब तक मैं यह नहीं कह सकता कि यह केवल एक खदान दुर्घटना है या नहीं। प्रथम दृष्टि से यह लगता है कि यह खदान दुर्घटना नहीं है। समस्त देश में लगभग 100 कोयला लदान संयंत्र बहुत जल्दी लगाए जाएंगे ताकि बिजली घरों को बेहतर किस्म का कोयला प्राप्त हो सके। अब, जब हमें वह रिपोर्ट मिल जाएगी तभी हम यह बता पाएंगे कि यह खदान दुर्घटना थी या ठेकेदार की लापरवाही थी या कुछ अन्य बात थी। परन्तु मुझे यह बताया गया है कि इस प्रकार के कार्य के लिए यह ठेकेदार एक योग्यता प्राप्त ठेकेदार था परन्तु, जैसा कि मैंने कहा है, वह योग्यता प्राप्त व्यक्ति है अथवा नहीं है, यह बेकार है क्योंकि हम ठेकेदारों की सेवाएं समाप्त करने जा रहे हैं।

माननीय सदस्य ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में अनुरूपता लाने का प्रयत्न किया है आज आप अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बारे में कैसे सोच सकते हैं ? अभी बहुत कुछ किया जाना है और हम वो सब कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण बात मशीनीकरण की है और अब हम मशीनीकरण कर रहे हैं। उदाहरणस्वरूप, गहरे खदान में लम्बी दिवार सुरक्षा उपाय के लिए बहुत जरूरी है और हम फ्रांस से इसके लिए बात कर रहे हैं। तकनीकी व्यक्ति आ गए हैं। हम ब्रिटेन से भी बात कर रहे हैं। हम यह प्रौद्योगिकी प्राप्त कर रहे हैं और खदान के तरीके में भी सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं।

पश्चिम कोयलाक्षेत्र में दुर्घटना के बारे में मेरी यह दृढ़ राय है कि दुर्घटनाओं में कमी आई हैं।चाहे मेरे माननीय मित्र मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, यह मैं नहीं जानता। मेरे पास आंकड़े हैं। मैं ये आंकड़े पहले ही दे चुका हूं और मैं उन्हें दोहरा रहा हूं। 1980 में कोल इंडिया में घातक दुर्घटनाओं की संख्या 128 थी और घातक दुर्घटनाओं की 1075 1 1981 में केवल

114 घातक दुर्घटनाएं हुईं। ये बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। प्रति दस लाख टन के खनन पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में, महानिदेशालय खनन के लोगों के स्तर के अनुसार यदि प्रति दस लाख टन के खनन पर केवल एक दुर्घटना होती है तो यह विशेष उपलब्धि होगी। हम इसे पहले ही प्राप्त कर चुके हैं।

श्री दलबीर सिंह : (शहडोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस दुर्घटना के सम्बन्ध में जो उत्तर प्रस्तुत किया है मैं उस से सन्तुष्ट नहीं हूँ। मैं स्वयं उस क्षेत्र से आता हूं—यह दुर्घटना 10-12-1981 को घटित हुई, 15-12-81 को मैं स्वयं दुर्घटना स्थल पर गया था। वहां पर उस दिन फुटबाल का फाईनल मैच हो रहा था। सभी अधिकारी वहां उपस्थित थे। वह हिन्दुस्तान में अपने नमूने का एक बड़ा बंकर बन रहा था, लेकिन दुर्घटना के बाद उस को देखने के लिए कोई मौजूद नहीं था। शहडोल जिले में 16-17 कोयले की खदानें चलती हैं, जिनमें ये खदान अपने आप में एक बहुत बड़ी खदान है और यह बंकर 1500 टन क्षमता वाला बन रहा था। न वहां सिविल इन्जीनियर मौजूद था न सब-एरिया मैनेजर मौजूद था, अपने आप में कोई भी रेस्पोंसिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। आप ने इस सम्बन्ध में जो रिप्लाई दिया है, वह भी बहुत डिफर करता है। घटन एफ० आई० आर० के मुताबिक 5 बजे बतलाई जाती है, उसमें 22 पुरुष 23 महिलाएं बतलाई जाती हैं, दो माइनर बच्चे-मुन्नी और श्यामकली भी थे। जब घटना घटी तो उसके बाद सबके ब्यान लिये जा रहे थे। कान्ट्रैक्टर ने उनको भगा दिया और उन लड़कियों का ब्यान अभी तक नहीं हुआ है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी भी वहां जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनमें से लगभग आधे लोगों की लाशें अभी भी मलवे के नीचे दबी हैं, हापड़ के नीचे दबी हुई हैं। मैं स्वयं वहां गया था और मैंने वहां की हालत को देखा है। यह कहना काफी नहीं होगा कि मलवा हटा दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि अभी पूरा मलवा नहीं हटाया गया है और मैं जानना चाहता हूं कि इस के बारे में आप क्या कार्यवाही करेंगे। आप क्या कोई एप्रोक्सीमेट डेट बताएगें, जिस डेट तक यह मलवा हटा दिया जाएगा। वहां पर अधिकारियों से पूछने पर पता चला कि जब नागपुर से आदेश आएगा, तब यह मलवा हटाया जाएगा।

एक बात यह और बताना चाहता हूं कि 80 फीट की हाईट से 200 टन वजन बीम सहित का मलवा गिरा और वह 5 फीट नीचे जमीन में चला गया। आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें केवल 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। वहां पर एक दर्दनाक दुर्घटना हुई है और मैंने स्वयं वहां के अधिकारियों से चर्चा की। वहां का जो जनरल मैनेजर, सुहागपुर एरिया का है, वे दुर्घटना होने के काफी दिन बाद वहाँ जाते हैं। दुर्घटना 10 तारिख को हुई और वे 13 तारीख को वहां पर जाते हैं।

मैं आप से यह भी निवेदन करूंगा कि 18 हजार रुपये प्रति व्यक्ति मुआविजा देने की जो बात आपने कही है, यह बहुत ही कम है। आप इसको इस दृष्टिकोण से देखें कि जो मृतक हैं, उनकी उम्र कितनी कम थी। मैं इसको पढ़ देता हूं। छोटे लाल—25 वर्ष, सुन्दर सिंह—25 वर्ष, श्रीमती फूल कुंवर—22 वर्ष और श्रीमती सुमुद्राबाई—30 वर्ष। सुमुद्रावाई की

मृत्यु 16 तारीख को अस्पताल में हुई है। इस तरह से आप देखें कि 30 वर्ष तक की आयु के ये मृतक थे और उन के लिए 18 हजार रुपये मुआविजे के रूप में देने का आप वायदा कर रहें है। यह काफी नहीं होगा।

इस के साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि सारे के सारे ड्राइवल लोग थे और मेरा कहना यह है कि इन परिवारों के कम से कम एक सदस्य को आप खदानों में नौकरी पर लगावें।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस कांट्रेक्टर ने यह ठेका ले रखा है, हुकुम सिंह ने धेजल एण्ड ब्रादर्स के नाम से जो यह ठेका ले रखा है, उससे जब बात हुई तो ऐसी सरल भाषा में वह कहने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने कहा ऐसी घटनाएं तो रोजाना होती रहती हैं। क्या इस तरह की बातों से उन लोगों की क्षतिपूर्ति हो सकती है। इतनी बड़ी यह कोलमाइन है और वहां पर ठेकेदार इस तरह की बातें कहता है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां पर जो मलवा पड़ा हुआ है, उसको हटाया जाए। यह कहना कि मलवा हट चुका है, मैं इसको मुनासिब बात नहीं समझता। इसके साथ ही साथ जो बीम गिरा है, उसका एक सैम्पिल में लाया हूं और यदि माननीय उपाध्यक्ष महोदय परमिट करते हैं, तो मैं संसद् के समक्ष इसको प्रस्तुत करूंगा। आप इस की जांच करें कि यह कैसी लकड़ी है। आप स्वयं मौके पर जा कर देखें कि किस तरह की सड़ी हुई लकड़ी की सेंटरिंग हुई है और वहां पर जो सीमेंट वगैरह जिस मात्रा में मिलाया गया है वह पर्याप्त नहीं है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की जनता में इस पर काफ़ी रोष है। मैं सिर्फ यही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मलवा किस तारीख तक आप हटवा देंगे और दूसरा यह कि मुआविजा देने की जो घोषणा आपने की है, उसको बढ़ाया जाए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े आपने दिए हैं और जो रिपोर्ट पुलिस ने दी है, उससे वे भिन्न हैं। पुलिस रिपोर्ट कुछ और कहती है। आप 40 कहते हैं, इसमें मुझे शंका है और मैं समझता हूं कि मलवे के नीचे अभी भी लाशें होंगी। जब इतना मलवा गिरा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मलवे के नीचे और आदमी नहीं है। मैं पुनः मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मुआवजे की राशि है उस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, हम डी० जी० एम० एस० की रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं। मुझे यह मालूम नहीं कि इस बड़ी मात्रा में पड़े कचरे को क्यों नहीं हटाया जा रहा है। शायद डी० जी० एम० एस० के लोग इस पर काम कर रहे हैं। स्वीकृति मिलने पर इसे हटा दिया जाएगा।

जहां तक मुआवजे का संबंध है, वह कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार ठेकेदार द्वारा अदा किया जाता है। मृतक के परिवार में से किसी को रोजगार देने के संबन्ध में यदि हमें उपयुक्त व्यक्ति मिलते है तो हम इस पर आवश्यक विचार करेंगे।

———

रक्षा सम्बन्धी उप-समिति के कतिपय गुप्त प्रतिवेदनों में दी गई सिफारिशों, आदि पर की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले सरकार के उत्तरों को सभापति, प्राक्कलन समिति (1978-79) द्वारा स्वीकार करने के बारे में घोषणा

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि प्राक्कलन समिति के सभापति ने अध्यक्ष को सूचित किया है कि उन्होंने रक्षा के आधुनिकीकरण विषय पर प्राक्कलन समिति, 1978-79 की रक्षा उप-समिति के पांच तदर्थ गुप्त प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों और निष्कर्षों पर जो तत्कालीन उप-प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री को अप्रैल—मई, 1979 में भेजे गए थे, की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले सरकार के उत्तर स्वीकार कर लिए हैं।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बम्बई नगर निगम द्वारा मकान बनाए जाने के लिए नमक आयुक्त द्वारा अप्रयुक्त भूमि शीघ्र दिए जाने की मांग

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, बम्बई नगर का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा है। इसलिए, गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों के आवास के लिए भूमि की तत्काल आवश्यकता है। वह भूमि जो मूलतः नमक बनाने के लिए निर्धारित थी, अब अप्रयुक्त पड़ी है किन्तु केन्द्र सरकार की अधीन नमक आयुक्त इस प्रकार की भूमि बम्बई नगर निगम को नहीं दे रहा है। नमक बनाने वाले प्राधिकारियों के पास अभी तक प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं, जिनकी भूमि की आवश्यकता निगम को, उसकी विकास योजना में किए आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए है।

मैं सम्बन्धित मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह नमक बनाने वाले प्राधिकारियों को यह भूमि निगम को विकास प्रयोजन के लिए यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दें।

(दो) विकलांग लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए विधान बनाने की मांग

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विकलांग वर्ष समाप्त होने जा रहा है, लेकिन विकलांगों की समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। 24 जनवरी, 1981 को श्रम मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि 31 दिसम्बर, 81 तक जितने विकलांगों का नाम निगोजनालयों में दर्ज है, उनको रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस आश्वासन का पालन नगण्य है। संविधान की धारा 47 के अनुसार राज्य सरकार का दायित्व हो जाता है कि वह ऐसे लोगों के लिए रोजगार का अवसर मुहैया करे। इस सम्बन्ध में विकलांगों के प्रतिनिधि समय-समय पर सरकार एवं विभिन्न मन्त्रालयों से बातचीत करते आ रहे हैं, लेकिन उसका भी नतीजा कुछ नहीं निकला। विकलांगों ने अपने दो दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन में पिछले दिन एक प्रस्ताव पास कर नौकरी में 3 प्रतिशत का आरक्षण, छात्रवृत्ति में वृद्धि, विकलांगों के लिए अलग निदेशालय, रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत विकलांगों को अविलम्ब सेवा प्रदान करने आदि महत्वपूर्ण मांगें रखीं। विकलांग वर्ष की शुरूआत अंधों पर लाठी चार्ज से हुई थी, और सरकार ने उस समय आश्वासन दिया था कि

विकलांगों की समस्याओं के सम्बन्ध में एक विधेयक सरकार द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन अभी तक उस विधेयक का कोई पता नहीं है, जबकि 31 दिसम्बर 81 को अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष समाप्त होने जा रहा है।

अतः सरकार से मांग है कि सरकार अविलम्ब विकलांगों के सम्बन्ध में एक विधेयक सदन में उपस्थित करे और उनकी मांगों को अविलम्ब विचार कर आवश्यक कार्यवाही करे।

(तीन) प्राचीन स्मारकों के समुचित रख-रखाव के लिए उड़ीसा के लिए एक पृथक पुरातत्वीय मंडल बनाने की मांग

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामले को उठाना चाहती हूँ। उड़ीसा में किसी पुरातत्व मण्डल के अभाव में वहां के बहुत ही प्राचीन स्मारकों का समुचित रखरखाव असम्भव हो गया है। कोर्णाक के सूर्य मन्दिर, पुरी के भगवान जगन्नाथ मन्दिर, भुवनेश्वर के लिंगराज मन्दिर तथा ललित गिरी, उदयगिरी तथा रत्नागिरी के बौद्ध मन्दिरों जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण प्राचीन स्मारकों के लिए उड़ीसा, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में मशहूर है। भगवान जगन्नाथ कम्पलेक्स तथा भगवान लिंगराज कम्लेक्स सहित उड़ीसा में एक सौ से अधिक केन्द्र संरक्षित स्मारक हैं।

इन प्राचीन स्मारकों को देखने के लिए भारत और विदेशों से हजारों पर्यटक प्रतिदिन उड़ीसा आते हैं।

कटक, भुवनेश्वर और पुरी में कार्य कर रहे पुरातत्व विभाग के तीन उप-मण्डलों के पास इन स्मारकों के संरक्षण कार्य के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं है। छोटे-मोटे मामलों के लिए भी उन्हें पुरातत्व मण्डल, कलकत्ता के अधीक्षक से अनुमति लेनी पड़ती है। इसलिए प्रलेखीकरण, सर्वेक्षण तथा उत्खनन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की ओर, जिसकी आवश्यकता है, उतना शायद ही ध्यान दिया जाता हो। यहां तक कि रोजमर्रा के संरक्षण कार्यों की ओर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है।

उड़ीसा सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को उपर्युक्त कठिनाइयों से अवगत कराया है तथा उड़ीसा के लिए पृथक पुरातत्व मण्डल बनाने तथा उसे प्राचीन स्मारकों के समुचित संरक्षण के लिए वित्तीय अधिकार प्रदत्त करने का अनुरोध किया है।

इस बात को देखते हुए मैं यह मांग करती हूं कि उड़ीसा के लिए एक पृथक पुरातत्व मण्डल, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में हो, की स्थापना के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कारगर तथा तुरन्त कदम उठाए जाएं।

(चार) उत्तर प्रदेश के सीमेंट कारखानों के लिए कोयले की पर्याप्त सप्लाई

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : वर्तमान समय में सीमेंट के विकास कार्यों में अत्यधिक महत्व होता जा रहा है। सीमेंट की कमी के कारण सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत क्षेत्रों में अनेक निर्माण के कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं।

इतने पर भी उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित तीन में से दो सीमेंट फैक्टरी डाला एवं चुर्क काफी दिनों से बन्द हैं तथा तीसरी फैक्टरी चुनार भी बन्द होने की स्थिति में है। उपरोक्त दोनों फैक्टरी कोयल न होने से बन्द है तथा तीसरी फैक्टरी चुनार भी कोयला न होने से बन्द होने जा रही है। इन तीनों कारखानों में कोयला रेल वैगन न मिलने से नहीं पहुंच पाया है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि अविलम्ब कोयले का प्रबन्ध कराए तथा भविष्य में भी यह सुनिश्चित करे कि कभी भी कोयले की कमी से कोई कारखाने बन्द न हों तथा कोयला पहुंचाने के लिए समुचित रेल वैगनों की व्यवस्था करे।

(पांच) दक्षिण दिल्ली के बेगमपुर गांव में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति के कुछ परिवारों के मकानों का गिराया जाना

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अनुसूचित जाति के एक दर्जन परिवारों की दिल दहला देने वाली कहानी सुन कर भारी धक्का लगा। इन लोगों के मकानों को दि० वि० प्रा० द्वारा सम्बन्धित लोगों को बिना कोई सूचना दिए अथवा बिना कोई वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए, गिरा दिया गया।

यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना 14 दिसम्बर, 1981 को दक्षिण दिल्ली में मालवीय नगर के निकट बेगमपुर गांव में घटी।

मुझे वह कागजात दिखाए गए हैं जिनके अनुसार ये परिवार 1936 से इन मकानों में रह रहे हैं और निगम को गृह-कर अदा कर रहे हैं। उनके पास वे कागजात भी हैं जिनसे यह पता चलता है कि यह जमीन उनको चौथे दशक में गांव के जमींदारों द्वारा दान में दी गई थी। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने सरकारी जमीन पर मकानों का अनधिकृत निर्माण किया हुआ है।

ये परिवार और बच्चे इस कड़कती सर्दी में रातोंरात बेघर हो गए हैं और उनके पास सिर छुपाने की कोई जगह नहीं है। जिस समय यह गिराने का कार्य आरम्भ हुआ सभी मर्द बाहर काम पर गए हुए थे। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि इन परिवारों को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था ताकि वे अधिकारियों को कम से कम इस बात का प्रमाण दिखा सकते कि इन मकानों पर उनका 1936 से कब्जा है।

सरकार से निवेदन है कि वह इस मामले की तुरन्त जांच करे तथा यह सुनिश्चित करे कि इन परिवारों को वही भूमि तथा उस पर मकान बनाने के लिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाए।

इसके पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोकसभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बज कर सात मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : महोदय, इससे पूर्व कि आप आरम्भ करें मैं यह कहना चाहता हूं कि आज की कार्यवाही की सूची में छठी योजना पर बहस को शामिल हुआ है। किन्तु, इससे पहले और बहुत से विधेयक हैं। कल सत्रावसान होने जा रहा है। अतः छठी योजना पर बहस के लिए समय नहीं है। इसीलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि इसे अगले सत्र तक के लिए स्थगित कर दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह संसदीय मामलों के मंत्री पर निर्भर करता है। अब नियम 377 के अन्तर्गत आने वाले मामले की चर्चा हो रही है। श्री लक्ष्मण मलिक।

(छः) पारादीप पत्तन के लिए अधिक रेलगाड़ियों की मांग

श्री लक्ष्मण मलिक (जगत सिंह पुर) : *पारादीप भारत के मुख्य पत्तनों में से एक है। केन्द्र सरकार ने पारादीप पत्तन पर दो कारगो बर्थ तथा एक तेल टर्मिनल की मंजूरी दी है। केन्द्र सरकार के पारादीप में एक इस्पात संयंत्र तथा एक फास्फेटी उर्वरक संयंत्र की स्थापना के निर्णय से पारादीप पत्तन और अधिक अच्छी रेल यातायात की सुविधाओं का पात्र हो जाता है।

इस तथ्य के बावजूद कि पारादीप पतन अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है, यह वह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि पारादीप पत्तन के लिए पर्याप्त रेल गाड़ियां नहीं हैं। पत्तन पर काम करने वाले कर्मचारियों को कटक और पारादीप के बीच चलने वाली केवल एक रेलगाड़ी पर निर्भर रहना पड़ता है। यह समस्या इस तथ्य से और गम्भीर हो जाती है कि इस गाड़ी में केवल दो सवारी डिब्बे है तथा बाकी के सभी डिब्बे मालवाही के हैं।

पारादीप पत्तन के लोग कई वर्षों से यह मांग कर रहे हैं कि पारादीप पत्तन के लिए और दो रेल गाड़ियां चलाई जाएं। नई गाड़ियों में से एक गाड़ी कलकत्ता की ओर से आने वाली पुरी एक्सप्रेस, श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस तथा मद्रास मेल के सवारियों को लेकर कटक से सुबह चले तथा पारादीप सुबह 9.30 बजे तक ठीक समय पर पहुंच जाए। इसी प्रकार, दूसरी नई गाड़ी पारादीप से सांय 5.30 बजे चल कर आठ बजे तक कटक पहुंच जाए ताकि पुरी एक्सप्रेस, श्री जगन्नाथ एक्सप्रेस और मद्रास मेल से कलकत्ता की ओर जाने वाली सवारियों को ले सके। मैं यह मांग करता हूं कि ये दो गाड़ियां अविलम्ब चलाई जाएं। पारादीप और कटक के बीच अतिरिक्त स्टेशन भी खोले जाने हैं। इसके साथ ही मैं यह सुझाव दूंगा कि माल एवं यात्री गाड़ी के स्थान पर एक पूर्ण सवारी गाड़ी तुरंत चलाई जाए ताकि पारादीप के लोगों तथा पारादीप पत्तन के हजारों कर्मचारियों की वास्तविक तकलीफों का समाधान किया जा सके।

(सात) प्रधानमंत्री के बारे में की गई कथित भविष्यवाणियों के बारे में गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री का वक्तव्य

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : गृह राज्यमंत्री श्री पी० वेंकटसुब्बया ने 21 दिसम्बर, 1981 को सदन में एक वक्तव्य दिया था कि एक तथाकथित तांत्रिक श्री रत्नानन्द शास्त्री,

*उड़िया में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

रामावतार ने गोरखपुर में प्रधानमंत्री की निन्दा करने से संबंधित कोई बात कही है तथा श्री शास्त्री, श्री एच० एन० बहुगुणा के कट्टर समर्थक हैं। यह कहना बिल्कुल गलत और निराधार है कि इस प्रकार के लोगों का श्री बहुगुणा अथवा उनकी पार्टी से कोई संबंध है। इस वक्तव्य से श्री बहुगुणा की छवि धूमिल हुई है इस प्रकार के मामलों में कोई भी वक्तव्य देने से पहले सरकार को पूरी छानबीन करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के गृह सचिव ने कहा है कि वह तांत्रिक घोषित धोखेबाज था।

28 अक्तूबर, 1981 के स्टेटस्मैन में जब यह खबर छपी थी कि अपराधी इतिहास वाले श्री राजू भटनागर ने यह स्वीकार किया है कि उसे श्री एच० एन० बहुगुणा की हत्या करने के लिए कहा गया है तो हमारी मांग के बावजूद सरकार ने उस संबंध में सदन में कोई वक्तव्य नहीं दिया था। किन्तु, इस मामले में सरकार ने श्री बहुगुणा के विरुद्ध श्री शास्त्री द्वारा कही बातों का अपनी सुविधानुसार दुरुपयोग करने का प्रयास किया है।

इसलिए, मैं यह मांग करता हूं कि इन दोनों मामलों की पूर्ण छानबीन की जाए तथा इस सदन में उस पर पूर्ण बहस हो।

(आठ) कुमबुन टेलीफोन केन्द्र, मदुरै मंडल में असंतोषजनक टेलीफोन सेवा

श्री कुमबुम एन. नटराजन (पेरियाकुलम) : मैं संचार मंत्री महोदय का ध्यान मदुरै सर्किल के कुमबुम टेलीफोन एक्सचेंज के टेलीफोन प्रयोक्ताओं की दयनीय दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। कुमबुम टेलीफोन एक्सचेंज प्राय: सभी दिनों खराब रहता है। टेलीफोन के खराब होने पर भी इसकी रिपोर्ट करने के लिए एक्सचेंज में कोई व्यवस्था नहीं है। इस खराबी का मुख्य कारण "सिलेक्टर" का ठीक प्रकार रख-रखाव न होना है।"

अन्तर-डायलिंग प्रक्रिया कभी-कभी ही काम करती है और जब कभी यह काम करती है तो गलत नम्बर मिल जाते हैं। मीटर सुविधा की शुरूआत करने के इसके फलस्वरूप प्रयोक्ताओं को आर्थिक हानि होती है और इस कारण उनके निशुल्क कालों में कमी हो जाती है। प्रयोक्ताओं को उनके बिना किसी अपराध के जुर्माना भरना पड़ता है।

यह एक साधारण नियम है कि टेलीफोन सेवा को चौबीस घंटे काम करना चाहिए। लेकिन कुमबुम एक्सचेंज इस नियम का अपवाद प्रतीत होता है। जनता इस बात से बहुत दुखी है कि 6 और 10 बजे सायं के मध्य 200 नम्बर ट्रंक (ट्रंक मेंटीनेस) पर मुश्किल से कोई नम्बर मिलता है। ऐसा पता लगा है कि इन घंटों में उत्तर देने के लिए वहां कोई तकनीकी कर्मचारी नहीं होते हैं।

कुमबुम कस्बे में रोजाना बिजली चला जाना आम बात है। टेलीफोन संचार प्रतिदिन 5 से 6 घंटे तक बंद रहता है। कुमबुम कस्बे में बैटरी सुविधा या जेनरेटर सेवा जैसी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। यहां पर नो ब्रेक पावर संयंत्र की व्यवस्था करना आवश्यक है।

कुमबुम टेलीफोन एक्सचेंज के प्रयोक्ता बागान के मालिक हैं और उनका केरल में बहुत मात्रा में धन जमा है। उन्हें कुमबुम से मुश्किल से 30 किलोमीटर की दूरी से कुमुली एक्सचेंज

(केरल) के माध्यम से एस्टेटों में अपने लोगों से बात करनी पड़ती है। पहाड़ी भूखण्ड से होकर जाने वाली टेलीफोन लाइनों के तेज हवा, वर्षा आदि से बार-बार खराब हो जाने के कारण महीने में 20 दिन बातचीत नहीं हो पाती है। अतः इस लाइन के अतिरिक्त एक और ट्रंक लाइन के निर्माण कराने की तत्काल आवश्यकता है और ये दोनों लाइनें ए० सी० एस० आर० (एलुमिनियम कण्डक्टर स्टील रिइन्फोर्स) तार की होनी चाहिए।

कुमबुम में इलायची उत्पादक रहते हैं और ये उत्पादक विदेशों में इलायची का निर्यात करके भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। अतः वहां निम्नलिखित सुविधाएं तत्काल आवश्यक हैं :—

(एक) कुमबुम थैवारम-अन्तर-डायलिंग।

(दो) कुमबुम-कोम्बाई-अन्तर-डायलिंग।

(तीन) कुमबुम-उथामापालयम-अन्तर-डायलिंग।

(चार) कुमबुम-मदुरै-मद्रास-नई दिल्ली-बम्बई एस० टी० डी० सुविधा।

(पांच) कुमबुम-थैनी, एस० टी० डी०।

(छः) कुमबुम के लिए टी० ए० एक्स सरकट।

(सात) कुमबुम ले कुमुली तक एक और ट्रंक लाइन।

(आठ) कुमबुम और थैनी के मध्य यू० एच० एस० प्रक्रिया की प्रतिस्थापना।

(नौ) केरल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक अनुमति।

श्री ए० के० बालन (ओट्टापालम) : केरल के राज्यपाल ने केरल विधान सभा द्वारा पारित एक विधेयक 30-4-1980 को भारत सरकार के पास इस विधेयक के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजा था। विधेयक में केरल भूमि-सुधार अधिनियम, 1963 की धारा 60 का लोप करने के लिए कहा गया है। अधिनियम में धारा 60 केरल भूमि-सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1979 (1979 का 27) द्वारा कुछ व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए अंतः स्थापित की गयी थी जिन्हें 1-4-1964 के बाद भूमि के पट्टे प्राप्त हुए हैं और उन्होंने उस भूमि में धारा 74 में अन्तर्विष्ट उपबंधों से जिनसे भूम्याधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, 1-4-1964 के बाद काफी सुधार किए हैं।

भारत सरकार गृह मंत्रालय ने विधेयक के सम्बन्ध में कुछ आपत्तियां उठायी थीं तथा केरल सरकार ने उन आपत्तियों के सम्बन्ध में उत्तर भेजा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कानून की आवश्यकता की स्पष्टीकरण दिया था तथा गृहमंत्री से अनुरोध किया था कि वह विधेयक के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। भारत सरकार ने यह सुझाव दिया था कि मामले पर पुनः विचार किया जाए क्योंकि विधेयक संविधान के अनुच्छेद 31-क तथा 14 के उपबंध के विरुद्ध है। सरकार की आपत्तियां केरल सरकार द्वारा दूर कर दी गयी थी। केरल भूमि सुधार अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त पट्टेदारों

की स्थिति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग करते हुए एक पत्र भारत सरकार से प्राप्त हुआ था तथा उस पत्र का उत्तर भारत सरकार को भेजा जा रहा है।

अनुरोध किया गया है कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करे, विधेयक की शीघ्रातिशीघ्र अनुमति मिल जाए।

(दस) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में केरल की नर्स की मृत्यु की जांच

श्री पी. के. कोडियन (अडूर) : मैं सरकार तथा सभा का ध्यान उन अत्यन्त संदेहास्पद परिस्थितियों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनमें 24 नवम्बर, 1981 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में लालगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात केरल की एक नर्स की मृत्यु हुई थी।

कहा जाता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का एक डाक्टर उसे बुरी नजर से देखता था तथा उसने डाक्टर द्वारा बलात्कार के सभी प्रयासों को नाकामयाब बना दिया था तथा उसे बतौर सजा के लालगंज से 15 किलोमीटर दूर भोगपुर गांव में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह भी कहा जाता है कि वह प्रतिदिन शाम को लालगंज के होस्टल में ही लौट आती थी हालांकि उसके ठहरने की व्यवस्था गांव के एक बदमाश के घर कर दी गयी थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि उसे होस्टल से निकालने तथा 24 नवम्बर को उसे गांव में ही जबरदस्ती ठहराने का प्रयास किया गया था। उस दिन जब उसकी सहेली काम से लौटी तो उसके (नर्स) के कमरे का दरवाजा आधा खुला देख। कमरे में प्रवेश करने पर सहेली ने मृतक को अचेतावस्था पाया। उसने प्रभारी डाक्टर तथा खण्ड विस्तार के शिक्षक को उसकी (नर्स की) दशा बतलाई।

कहा जाता है कि उसे केवल दो घंटे बाद ही प्रतापगढ़ के अस्पताल में भेजा गया। अर्धरात्रि को अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी।

यह भी कहा जाता है कि उसकी लाश का ठीक प्रकार से पोस्टमार्टम नहीं किया गया। प्रभारी डाक्टर तथा क्लर्क ने यह कहानी गढ़ने का प्रयास किया है कि उसने आत्महत्या की थी।

मामले को दबाने की कोशिशें की जा रही हैं।

श्रीमन इस जिले में संदेहास्पद परिस्थितियों में मरने वाली नर्सों की यह पांचवीं घटना है। इसी प्रकार की परिस्थितियों में पहली चार नर्सों के भी जीवन का अन्त हुआ था। विशेष तौर से वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी के केन्द्र का कार्य भार सम्भालने के पश्चात् पिछले कुछ महीनों में ही ये मौतें हुई हैं।

जिले के 15 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तैनात 200 नर्सों ने 6 दिसम्बर को प्रतापगढ़ में एक जुलूस निकाला तथा उन्होंने यह मांग की थी कि नर्स की मृत्यु की सी० आई० डी० द्वारा जांच करायी जाये तथा अपराधियों को सजा दी जाए।

जिले में कार्य करने वाली सुदूर केरल राज्य की नर्सें अपने जीवन असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सभी जानते हैं कि क्षेत्र में अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आस-पास

संगठित गुट सक्रिय है जो वहां काम करने वाली नर्सों तथा लड़कियों के लिए एक खतरा बन गया है।

मैं सरकार से नर्स की मृत्यु की उचित जांच कराने अपराधियों का यथाशीघ्र पता लगाने तथा प्रतापगढ़ और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाली नर्सों की जान तथा इज्जत को सुरक्षात को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

(ग्यारह) मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में गेहूं की फसल को कीड़ा लगना

डा० बंसत कुमार पांडित (राजगढ़) : गेहूं-उत्पादन क्षेत्रों के किसान एक गम्भीर समस्या का सामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में गेहूं की फसल को "करनाल बंट" नामक वायरल से होने वाले एक घातक रोग ने दूर-दूर तक प्रभावित किया है। इस मौसम में गेहूं की 40 प्रतिशत से भी ज्यादा फसल इस रोग से प्रभावित हो गयी है। इससे किसान क्षुब्ध हो उठे हैं तथा उन्हें भारी हानि की आशंका है।

यह रोग अन्य आठ-नौ राज्यों में भी फैल गया है। विशेष तौर से ये राज्य हैं : पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा बिहार, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर और दिल्ली के कुछ भाग। यह सच है कि गेहूं कि फसल को दूर-दूर तक नुकसान होने से कृषि अर्थव्यवस्था बुरी तरह से खतरे में पड़ जायेगी।

1968 तक यह "करताल बंट" नामक वायरल रोग एक मामूली रोग था, यह रोग अब देश के लगभग सभी गेहूं उत्पादन क्षेत्रों में फैल गया है। यहां तक कि कृषि वैज्ञानिकों को निराशा हो गयी है तथा उन्होंने देश के इस रोग के तेजी से फैलने से सावधान किया है। पिछले 10 वर्षों में इस रोग से केवल 30 से 35 प्रतिशत फसल ही प्रभावित हुई थी। लेकिन इस वर्ष ऐसा लगता है कि इस रोग से 10 से 15 प्रतिशत अधिक फसल प्रभावित होगी। "करनाल बंट" रोग के सम्बन्ध में गम्भीर बात यह है कि इससे फसल मनुष्य के उपयोग के योग्य नहीं रहती है। इस रोग से सड़ी हुई मछली जैसी दुर्गन्ध आती है जो सम्पूर्ण फसल में फैल जाती है जिससे गेहूं पीसने अथवा खाना बनाने के लायक नहीं रहता है। यह दो प्रकार से फैलता है प्रारम्भ में यह रोग मिट्टी से पैदा होता है और यह वायु से भी पैदा होता है। वास्तविकता यह है कि इस सम्बन्ध में जितना कार्य करना चाहिए था। सरकार ने, इस रोग को कम करने तथा किसानों को खरपतवार नाशक तथा क्रीट नाशक दवाओं की विधियों को प्रचारित करने की दिशा में उससे बहुत कम कार्य किया है। पिछले 10 वर्षों में गेहूं उत्पादकों के हितों की अवहेलना की जा रही है। सरकार को इस सम्बन्ध में सक्रिय रूप से तथा शीघ्र कार्य करना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों को तेजी से कार्य करना चाहिए। गेहूं पैदा करने वाले जिन किसानों की फसल इस रोग से प्रभावित हो गयी है उन्हें इस रोग से फसल को बचाने के लिए उपादान तथा सहायता दी जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इस रोग से गेहूँ की फसल बुरी तरह नष्ट हो जाएगी।

मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस रोग के फैलने तथा इस रोग की रोकथाम के तरीकों को खोजने इसका व्यापक प्रचार करने तथा प्रदर्शन करने का मूल्यांकन करने के लिए

तत्काल एक विशेषज्ञ दल नियुक्त करे। यदि इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कार्यवाही नहीं की जाती, तो संकट और गहरा हो जाएगा तथा छोटे-छोटे गेहूं उत्पादकों के साथ ही गेहूं के स्रोत भी नष्ट हो जाएंगे।

— ———

अफ्रीकी विकास निधि विधेयक

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटारमन) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि अफ्रीकी विकास निधि करार को क्रियान्वित करने और उससे सम्बांधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

माननीय सदस्यगण आप अफ्रीका के विकासशील देशों के साथ हमारे पुराने तथा घनिष्ठ राजनैतिक और आर्थिक सम्बन्धों के बारे में जानते हैं। विकासशील अफ्रीकी देशों की आकांक्षाओं का समर्थन व्यक्त करने के लिए अपने समिति साधनों में से हम उन्हें उन क्षेत्रों में आर्थिक सहायता तथा सहयोग देते आ रहे हैं जिनमें भारतीय अनुभव उनके लिए उपयोगी होता है। इन सहायता तथा सहयोग के सम्बन्धों को और मजबूत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि, कि एक बहु पक्षीय ढांचे के अन्तर्गत द्विपक्षीय सम्बन्धों को और अधिक दृढ़ बनाया जाए। इस प्रकार काम करने से सभी अफ्रीकी देशों के साथ यथा सम्भव अधिक से अधिक सम्बन्ध सुधारने में सहायता मिलेगी।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने का सम्भाव्य तरीका यह था कि भारत को अफ्रीकी के प्राइमर बहु पक्षीय विकास संस्थान लाभतः अफ्रीकी विकास बैंक तथा निधि का सदस्य होना चाहिए था।

अफ्रीकी विकास बैंक तथा निधि एक ऐसा संस्थान है जिसका गठन उन्हीं नीतियों तथा सिद्धांतों पर किया गया है जिन पर विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक तथा अन्तर अमेरिकन विकास बैंक का गठन किया गया हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को कम ब्याज पर ऋण के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध करके उनके आर्थिक तथा सामाजिक विकास में और अधिक सहयता पहुंचाना है। संस्था के दो अलग-अलग भाग हैं, लाभतः बैंक तथा निधि। बैंक से कुछ अधिक ब्याज की दर पर अधिक विकसित देशों को ऋण दिया जाता है। निधि अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की तरह ही एक कम ब्याज पर ऋण देने वाली संस्था है। अभी तक भारत ही अफ्रीकी विकास निधि का सदस्य बना है भविष्य में हम अफ्रीकी विकास बैंक के सदस्य होने के भी इच्छुक हैं, लेकिन बैंक को गैर-क्षेत्रीय देशों को सदस्य बनाने से पहले अभी कुछ संगठनात्मक परिवर्तन भी करने हैं। निधि का सदस्य बनाने के सम्बन्ध में इस प्रकार का क्षेत्रीय तथा गैर-क्षेत्रीय कोई मापदण्ड नहीं है।

विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग का एक अच्छा उदाहरण उनके मध्य व्यापार गठबंधन को मजबूत करके की हो सकता है। हमारा यह विचार है कि अफ्रीकी देशों के वर्तमान विकास की स्थिति में भारतीय माल तथा टेकनालॉजी विशेष उपयोगी होगी। बिजली-उत्पादन,

जल आपूर्ति, यातायात पद्धति, चीनी संयंत्रों सीमेन्ट संयंत्रों, के क्षेत्र में भारतीय उपकरण तथा सिंचाई जल प्रबन्ध, भौगोलिक सर्वेक्षण आदि के बारे में तकनीकी विशेषज्ञता तुलनात्मक रूप से महत्वपूर्ण है तथ उनको अफ्रीकी क्रेताओं ने भी पसन्द किया है।

तथापि; बैंक/फंड ग्रुप के जो सदस्य नहीं हैं, उन्हें अफ्रीकी विकास निधि से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए आवश्यक माल तथा सेवाएं प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। अतः यदि अफ्रीका के विकास में हम अपना योगदान और व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो अफ्रीकी विकास निधि में अभिदान करना और इसका सदस्य बनना हमारे लिए जरूरी हो जाता है।

इस निधि के प्रबन्धकों के साथ हमारी कई बार बातचीत हुई है। इस बातचीत के आधार पर हमारे प्रतिनिधिमंडल ने 11 मई, 1981 को लोमे में अफ्रीकी विकास निधि सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर किए। इस करार के उपबन्धों के अनुसार इस निधि को सदस्य देशों के क्षेत्रों में कतिपय स्तर, उन्मुक्तियां, छूट और विशेषाधिकार देने का उपबन्ध है। इन उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों के लिए संसद् की अनुमति अपेक्षित है। ऐसे उपबन्ध एशियाई विकास बैंक तथा विश्व बैंक की स्थापना सम्बन्धी करारों में भी अन्तर्विष्ट है और वर्तमान, प्रस्तावित विधान जैसा ही एक विधान पहले पारित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, इस निधि के गर्वनरों के बोर्ड के संकल्प के अनुसार निधि से सदस्य के रूप में भारत को इसकी सदस्यता का चंदा तथा निधि में जमा किए जाने वाली दूसरी और आगे की राशियों में अपना अंशदान करना होगा। अफ्रीकी विकास निधि में पहले 7 लाख एफ० यू० ए० के बराबर 660 लाख डालर एक-एक वर्ष बाद तीन समान किश्तों में अंशदान करना है। इसके अतिरिक्त, भारत को बैंक की निधि बढ़ाने के लिए दूसरी बार भी अंशदान देना होगा जिसकी राशि 30 लाख एफ० यू० ए० होगी। वित्तीय दायित्वों सम्बन्धी अन्य विवरण विधेयक के साथ संलग्न वित्तीय ज्ञापन में दिया गया है।

इस विधेयक का आशय भारत में निधि को उन्मुक्तियां, छूटें और विशेषाधिकार देने का उपबन्ध करने और सरकार को अभिदान तथा अन्य किसी अपेक्षित प्रभार की अदायगी करने के लिये प्राधिकृत करना है।

महोदय, मैं विधेयक पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर चर्चा करने तथा इसे पारित करने के लिए दो घंटे का समय नियत किया गया है। मैं आशा करता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य 5 से 7 मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे और मंत्री हमोदय 15.30 बजे उत्तर देंगे।

श्री सुधीर गिरि (कंटाई) : महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। वित्त मंत्री जो विधेयक लाये हैं वह भारत सरकार द्वारा किये गये समझौते के अनुसरण में है। यह समझौता अफ्रीकी विकास निधि से सम्बन्धित है। निधि का उद्देश्य समझौते में दिया गया है। अनुच्छेद दो में कहा गया है :

"निधि का उद्देश्य बैंक के सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास में बैंक को सक्रिय सहयोग देने तथा सहयोग को प्रोत्साहन देने (क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सहयोग सहित) तथा

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, में विशेषतः बैंक के सदस्यों के बीच, वृद्धि करने में बैंक की सहायता करना है। इस राशि से प्राथमिक महत्व के प्रयोजनों तथा इस प्रकार के विकास में सत्तामक कार्यों के लिए रियायती दर पर धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।"

इस समझौते का उद्देश्य भागीदार सदस्यों द्वारा निधि में अंशदान करना है। भागीदार सदस्य दो प्रकार के हैं। एक जिनके नाम मूल सूची में हैं और दूसरे 'स्टेट' भागीदार हैं। सदस्य देश जिनके नाम मूल सूची में हैं उनके नाम बैल्जियम, ब्राजील, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, नार्वे, स्पेन, स्वीटजरलैंड, ब्रिटेन, अमरीका तथा यूगोस्लाविया हैं। हमारा देश देश इसमें इसलिए शामिल न हुआ है ताकि यह अफ्रीकी देशों के विकास और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने से अपना योगदान दे सकें। यह हमारे संविधान में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार ही हैं। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस निधि में योगदान करने का उद्देश्य पूरा करें और उन देशों से साम्राज्यवादी शक्तियों को अलग कराएं। साम्राज्यवादी शक्तियां विश्व में विकासशील देशों का शोषण कर रही हैं। इस प्रकार इस निधि में योगदान करके हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारी इच्छा हो तो हम निश्चित रूप से अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है।

परन्तु, इस विधेयक का समर्थन करते हुए, ग्रंथालय द्वारा सप्लाई किए गए पत्रों से मुझे पता चला है कि अफ्रीकी विकास निधि विशेष रूप से कृषि, परिवहन, बिजली उद्योग तथा बैंक और अन्य सामाजिक विकास के कार्यों में लगे उद्योगों से सम्बन्धित प्रत्येक परियोजना और प्रत्येक कार्य का बराबर वित्त पोषण कर रही है। हम अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी इस निधि में अंशदान कर रहे हैं, हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे लोग जो पिछड़े हुए हैं तथा जिन्हें शिक्षा संस्थानों में अध्ययन करने का अवसर भी नहीं मिलता उनका भी बराबर विकास होता रहे। हमें अपने देश के ऐसे लोगों का अधिक ध्यान रखना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : हमारे लोग यहां हों अथवा वहां ?

श्री सुधीर गिरि : हम विकासशील अफ्रीकी देशों की सहायता कर रहे हैं और ये देश निसंदेह पिछड़े हुए देश हैं। उनके लोग भी पिछड़े हुए हैं। हमारा यह सुझाव है कि जब हम उन पिछड़े हुए देशों के लोगों के कल्याण पर ध्यान दे रहे हैं तो हमारी सरकार को अपने देश के पिछड़े हुए लोगों के कल्याण पर भी ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन देशों में रहने वाले लोगों के कल्याण पर नहीं ?

श्री सुधीर गिरि : मैं इस तथ्य की ओर संकेत कर रहा हूं कि हम विकासशील अफ्रीकी देशों में लोगों के कल्याण के उद्देश्य से इस निधि में अंशदान कर रहे हैं। हम इस विचार के समर्थक हैं। परन्तु साथ ही, मैं इस बात पर बल देता हूं कि हमारी सरकार को अपने देश के पिछड़े तथा अशिक्षित लोगों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए।

दूसरे, सदस्य देशों की मूल सूची से यह ज्ञात हुआ है कि अफ्रीका में विकासशील देशों का वित्त पोषण करने वाले पूंजीवादी देशों का प्रभुत्व हो जाएगा क्योंकि पूंजीवादी शक्तियां साथ-साथ कार्य कर रही हैं और विकासशील देशों के लोगों का शोषण कर रही हैं। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि हमें इस बात के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए कि अफ्रीका में विकासशील देशों के लोग साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण से मुक्त हो जाए।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ऐसी वित्तीय नीति का अनुसरण कर रही है जो विश्व की पूंजीवादी शक्तियों की नीति के समरूप है। हमारे संविधान का उद्देश्य भी देश में समाजवाद की स्थापना करना है। अपनी वित्तीय नीति में संशोधन किए बिना हम यह उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते और हम बराबर विश्व की पूंजीवादी प्रणाली का एक अंग बनते जा रहे हैं। इस प्रकार अफ्रीकी लोगों के कल्याण की सद्भावना के साथ हम पूंजीवादी शक्तियों के विचारों का ही समर्थन कर रहे हैं। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह देश तथा विदेश दोनों ही में समाजवाद का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करें। परन्तु वे ऐसा नहीं कर रहे हैं।

कराधान नीति विपरीत दिशा में चल रही है। 50 और 60 के दशक में कराधान नीति के अनुसार प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जानी थी। परन्तु हमारी सरकार प्रत्यक्ष करों में कमी कर रही है। सरकार अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाना चाहती है। अन्ततः अप्रत्यक्ष करों का भार जनसाधारण पर ही पड़ेगा। हम दूसरे पिछड़े देशों की सहायता कर रहे हैं परन्तु अपने लोगों के कल्याण की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही हमारी शिकायत है। मैंने माननीय वित्तमंत्री से भी इस बारे में कहा है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरे सुझाव का उत्तर देंगे।

एक बात और मैं सरकार से कहना चाहता हूं और वह यह है कि विकासशील देशों में साम्राज्यवादी शक्तियां, अर्थात् पूंजीवादी प्रणाली बराबर बढ़ती जा रही है और समाजवादी शक्तियां इसे रोकने के लिए बराबर प्रयत्न कर रही हैं। अतः मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि वर्तमान सरकार हमारे देश में पूंजीवादी शक्तियों को सुदृढ़ करना चाहती हैं तो समाजवादी शक्तियां भी इन्हें रोकने के लिए सामने आएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे सुझावों पर विचार करें।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में और मेरे माननीय मित्र श्री वेंकटरामन ने जो कुछ सदन में कहा है उसके अतिरिक्त कुछ और तथ्य जोड़ना चाहता हूं। वित्त मंत्री का सौभाग्य है कि वे देश के और सभी दलों की ओर से यह विधेयक लाए हैं जिसमें अफ्रीका के 40 से अधिक देशों को आश्वासन दिया जाएगा कि भारत उनके साथ है। भारत अफ्रीका के पूंजीवादी देशों के शोषण में भागीदार नहीं है। मैं अपने दल की ओर से अपने माननीय मित्र को आश्वस्त कराता हूं। महात्मा गांधी ने अफ्रीका के लोगों के रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था। जब भारत स्वतन्त्र हुआ हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी अफ्रीकी लोगों को तथा स्वतन्त्रा के लिए उनके संघर्ष

को अपना पूर्ण समर्थन दिया था। हमने ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, कीनिया तथा अन्य बहुत से देशों के उनके संघर्ष के लिए यहां आधार उपलब्ध कराया। हमने श्री जोमो कनायता के मामले की वकालत करने के लिए पंजाब से श्री चमनलाल सहित अपने कुशल वकील भेजे थे। मैं अपने माननीय मित्रों को आश्वस्त करा सकता हूं कि मैं 1922 में इंगलैंड में अध्ययन कर रहा था वहां बाद में हमने "कलोनियल पीपल्स फ्रन्ट" की स्थापना की, और 1930 में हमने कलोनियल एण्ड कल्र्ड पीपल्स फ्रंट की भी स्थापना की और महात्मा गांधी ने इन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। अतः इसमें डरने की कोई बात नहीं कि हम पूंजीवादी देशों के साथ हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं। सोवियत संघ तथा चीन के लिए यह दुर्भाग्य की बात है कि इस मामले में इस तरह से सहायता के लिए आगे नहीं आए, जिस प्रकार की हम, इस बैंक विशेष की स्थापना में योगदान करने वाले देशों के प्रयासों में योगदान देने के लिए आगे आए हैं।

मुझे खुशी है कि हम आगे आ चुके हैं। किसी प्रकार हमने पहल की है और मैं आशा करता हूं कि हम न केवल इस राशि के बारे में पता कर सकेंगे जो कि आज हमारे पास अतिरिक्त हैं बल्कि इसी प्रकार आने वाले समय में भी हम इसका पता लगा सकेंगे। हमारी रूचि इन देशों के अर्थात् लम्बे समय से शोषित अफ्रीकी देशों और अत्यन्त पिछड़े हुए देशों के विकास में हैं। यह सच है कि हमने पिछले 70-80 साल में अर्थात् उन दिनों में जबकि अंग्रेज हमारे लोगों को बन्धुआ मजदूरों के रूप में ले जाते थे, हमने उनके विकास में काफी योगदान दिया है। लेकिन हमने वह योगदान इसलिए नहीं किया कि हमें पता था कि हम क्या कर रहे हैं बल्कि इसलिए कि हमारे लोगों को वहां जबरदस्ती भेजा जाता था और इन देशों में ले जाकर छोड़ दिया जाता था। तथापि, हम इस नींव पर निर्माण करना चाहते हैं वह नींव बहुत मजबूत रही है। दुर्भाग्यवश हमारे लोग जो अफ्रीकी देशों में बहुत बड़ी संख्या में गए थे बाद में उन्होंने महात्मा गांधी के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। यह सच है कि उनमें से बहुत से व्यक्तियों ने शोषण की प्रक्रिया में अंग्रेज लोगों के साथ सहयोग किया। परन्तु पंडित जवाहर लाल नेहरू इसको समाप्त करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अफ्रीकी युवाओं को छात्रवृत्ति देने की प्रणाली आरम्भ की। उन्हें यहां लाया गया और हमने अपने विश्वविद्यालयों में उन्हें हर सम्भव सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया। उनमें से बहुत से यहां से वापस चले गए हैं और अनेक देशों में अत्यन्त महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर रहे हैं। अतः मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वे सभी यूरोपीय देश जिन्होंने इतने लम्बे समय तक अफ्रीका का शोषण किया, केवल उन्हीं देशों ने इस विकास नीति की स्थापना की पहल की है। चीन इसमें क्यों शामिल नहीं हुआ ? सोवियत संघ भी इसमें शामिल क्यों नहीं हुआ ? क्या यह उन लोगों और सरकारों का दुर्भाग्य नहीं है कि उन्होंने कानकुन सम्मेलन में भाग नहीं लिया और हमारे मित्र देशों में से एक देश प्रधान मन्त्री को दोषी ठहरा रहे हैं क्योंकि उपर्युक्त सम्मेलन में इस सम्बन्ध में खेद व्यक्त किया था कि सोवियत संघ ने भी इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी तथा जन साधारण की ओर से मैं इन देशों तथा उनके नेताओं से अपील करता हूं कि वे आगे आएं और अफ्रीका की जनता का अधिकतम विकास करने में हमारे साथ सहयोग करें। हम वहां उनका शोषण नहीं करने जा रहे हैं। हम अपने श्रमिकों या पूंजीपतियों को अफ्रीकीओं का शोषण नहीं करने दे रहे हैं। मैं यह जानता हूं कि क्योंकि मैं कई देशों में गया हूं इन देशों के नेता हमारे

प्रोद्योगिकीविदों और निर्माणकर्त्ताओं द्वारा इन देशों अर्थात् सूडान, सूरीनाम, केन्या, नाइजीरिया तथा अन्य कई देशों में किए जा रहे रचनात्मक योगदान की प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे चिकित्सा क्षेत्र के अनेक प्रशिक्षित व्यक्ति वहां गए हैं और इन देशों में इस ढंग से सेवा कर रहे हैं कि मेरी पार्टी यह चाहती है कि हम अपने युवा लोगों को यहां अपने देश में उन देशों के लिए कार्य करने और उनकी अपनी स्थिति के अनुसार उनकी सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करें। हम उनके ऊपर अपनी इच्छा बिल्कुल नहीं लादना चाहते और जो भी सेवा शर्तें वे निर्धारित करें तथा हम उन्हें जो पैसा दे रहे हैं उस पर वे जिस भी दर पर ब्याज देना चाहें हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मेरे माननीय मित्र को सम्भवत; यह आशंका थी कि क्योंकि हमारे देश में गरीब लोगों की संख्या बहुत अधिक है यह सच है कि हमारे 50 प्रतिशत से अधिक लोग गरीब हैं अतः हम इस निधि के कारण वहां जाने और पैसा खर्च करने के मामले में हो सकता है अपने ही लोगों की उपेक्षा कर रहे हों। नहीं, हम अपने लोगों की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। मेरे माननीय मित्र को पता है कि हम अपनी निर्धन जनता की सहायता के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें पता है। इसके साथ ही उन्हें अपने देश की परम्पराओं का भी पता होना चाहिए। जब दूसरे व्यक्तियों की जो कि हमसे बुरी स्थिति में हैं और अधिक दलित हैं, सहायता करने की बात आती है तो गरीबों में भी सबसे अधिक गरीब व्यक्ति, अमीरों में सबसे अधिक अमीर के मुकाबले में कहीं अधिक उदारता पूर्वक कार्य करता है। हालांकि हम गरीब हैं तथापि अफ्रीका में अपने भाइयों की सहायता करने के लिए हम जितना कुछ बचा सकते हैं बचा रहे हैं।

अफ्रीका के लोग अब नहीं चाहते कि उन्हें हबशी समझा जाए। उन्हें अश्वेत कहलाने में गर्व है। उन्हें अपने रंग में गर्व है। वे हमारे सभ्य समाज में चाहे संसार के किसी भी भाग में है इस रंग-भेद संबंधी पूर्वाग्रह के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार है। तथा मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र महोदय ने इस विधेयक का समर्थन किया है और मैं आशा करता हूँ कि यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सत्यसाधन चक्रवर्ती जी, आप उस समय पैदा नहीं हुए थे। प्रो० रंगा जी ने इतिहास बताया है.....

अब, श्री पलानी अप्पल..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी, आपका हमसे क्या सरोकार है। आप सोवियत संघ और चीन की तरफ से उत्तर नहीं दे सकती।

***श्री सी० पलानी अप्पन** (सलेम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी द्रविड मुनेत्र कषगम की ओर से अफ्रीकी विकास निधि विधेयक के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मैं इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं। यह विधेयक अफ्रीकी देशों के विकास के प्रति

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हमारे देश की वचनवद्धता का ज्वलंत प्रमाण है। हमने इस विधेयक के जरिए इस वचनवद्धता को कानूनी रूप दे दिया है। हमें लगभग 1 करोड़ डालर का योगदान देना है। यह इतनी बड़ी राशी नहीं है जिससे हमें कोई कठिनाई पैदा हो सके। हमारा देश अपनी उदारता और सहृदयता के लिए प्रसिद्ध है। मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि यह विधेयक कथनी-करनी के बीच की खाई को पाटता है और यह सभा आज इसको सर्वसम्मति से स्वीकृत करने जा रही है।

आदरणीय महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि अफ्रीका के देशों में हमारे प्रतिभावान प्रोद्योगिकीविद् अफ्रीकी उपमहाद्वीप के कई भागों में बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्य-निष्पादन कर रहे हैं। वे अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग करने की हमारे देश की अदम्य आकांशा के ज्वलंत प्रमाण बन गए हैं मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि कई अफ्रीकी देशों को लोहा तथा इस्पात पाइपों, निर्माण उपकरणों, भवन निर्माण उपस्करों की तरह के निर्मित सामान की आवश्यकता है। वे इन वस्तुओं की नकद भुगतान करके खरीद करने की स्थिति में नहीं हैं। वे इन वस्तुओं को आस्थगित भुगतान के आधार पर लेना चाहते हैं। सरकार को उनके इस अपरिहार्य स्थिति को समझना चाहिए अफ्रीकी देशों को अपेक्षित सभी सहायता प्रदान करनी चाहिए।

यूगांडा में ईदी अमीन के शासनकाल के दोरान उनके प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों को जिन्होंने यूगांडा के विकास में योगदान दिया था, वहां से निकाल दिया गया, परिणामस्वरूप यूगांडा का अर्थिक विकास रुक गया। मैं कहना चाहूंगा कि यूगांडा की अर्थव्यवस्था आज छिन्न-भिन्न हो गई है। यूगांडा के राष्ट्रपति मिल्टन ओबोटे जो ईदी अमीन के बाद सत्ता में आए हैं, हाल ही भारत आए थे और उन्होंने यह अपील की थी कि तभी भारतीय उद्योगपति यूगांडा वापस आएं। उन्होंने उन्हें अपने राज्य की ओर से सभी प्रकार के संरक्षण और सुरक्षा का आश्वासन दिया है। भारत सरकार को चाहिए कि भारतीय उद्योगपतियों को वापस जाने में जो कि भारत आ गए है और यहां अपना व्यापार स्थापित कर चुके हैं, जिस किसी सहायता की जरूरत है वह उन्हें दें।

कई अफ्रीकी देशों में हीरे की खानें हैं और अफ्रीका से जाने वाला हीरा सम्पूर्ण संसार में पुरुषों और महिलाओं की शोभा बढ़ा रहा है। आदरणीय महोदय सैकड़ों वर्षों से तामिलनाडु से जाने वाले भारतीय मजदूर हीरे की खानों में काम कर रहें हैं। निःसंदेह वे मजदूर बोलचाल वाली ऐसी तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं जिस पर अफ्रीकी भाषाओं का प्रभाव है लेकिन आज भी उनके नाम तमिल भाषा के हैं। वे वहां अपने परिवारों के साथ पीढ़ियों से रह रहे हैं। हालांकि हीरों के प्रकाश ने व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के जीवन को चमका दिया है। परन्तु इन हीरों की खानों में काम करने वाले मजदूरों के जीवन में अभी तक उनका प्रकाश नहीं आया है। भारत में कच्चे हीरों का आयात किया जाता है। यहां उनको तराश कर उन पर पोलिश की जाती है तथा यह रत्न ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों को निर्यात किए जाते हैं तथा बहुत ऊंचे दामों पर सारे संसार के देशों में बेचे जाते हैं। सूरत में हीरे के तरासने का कार्य बड़े जोरों पर है। जनता शासन में तमिलनाडु के तत्तकालीन राज्यपाल श्री प्रभुदास पटवारी अपने नजदीकी रिश्तेदारों को गुजरात से मद्रास ले गए और उन्होंने तिरूचरापल्ली के हीरा

तराशों की विशेषज्ञ सेवाओं का उपयोग किया। उन्होंने हीरे के व्यापार में टनों रुपया कमाया। वस्तुतः यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमिल मूल के भारतीय श्रमिक पृथ्वी के गहन गर्त में पड़े हुए हैं और जिस हीरे को वो पृथ्वी से निकालते हैं उससे उनके जीवन में चमक नहीं आई है। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफ्रीकी विकास निधि की सहायता से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार किया जाए।

मैं यह कहना चाहूँगा कि इन अफ्रीकी देशों जिनकी संख्या पहले से अधिक है के द्रुत-औद्योगिक विकास के लिए एशियाई विकास बैंक के समान ही अलग से एक अफ्रीकी औद्योगिक विकास बैंक स्थापित किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और अपना भाषण समाप्त करता वू।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय द्वारा जो अफ्रीकी विकास निधि विधेयक, 1981 पेश किया गया है, मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं। सदियों से गुलाम अफ्रीकन देश की मुक्ति के लिए भारत के नेताओं, श्री महात्मा गांधी व श्री जवाहर लाल नेहरू ने योगदान दिया है और उसके बाद इस समय अफ्रीकन देशों की प्रजा की खुशहाली के लिए हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिस सहानुभूति से कदम उठा रही हैं, सारे संसार ने उसकी प्रशंसा की है। इसका इतिहास हमारे प्रो० रंगा ने यहां पर सदन में प्रस्तुत किया है।

यह हकीकत है, उस गुलाम देश के विकास के ही सम्बन्ध में नहीं, बल्कि वहां के अशिक्षित छात्रों को भी इस देश में बुला कर भारत में उनको शिक्षा दी गई और आज हम इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं। कई डैप्यूटेशन्स कुछ समय पूर्व हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलने आए थे, उनसे हमें भी मिलने का मौका मिला। उसमें वहाँ के मंत्रिमंडल के बहुत से व्यक्ति थे। उन्होंने हमें बताया कि हम यहां से तैयार होकर, शिक्षा प्राप्त करके, अफ्रीका में गए हैं तथा इस समय हम मंत्रिमंडल में ही नहीं अपितु बड़े-बड़े पदों पर वहां विराजमान है।

विरोधी दल के सदस्य ने जो शंका खड़ी की है, उसके सम्बन्ध में मैं एक-दो बातें कहना चाहता हूं कि पूंजीवाद का प्रभुत्व बढ़ जाएगा और मुझे लगता है कि इसको ये भूल गए हैं और ये अफ्रीका घूमकर नहीं आए हैं और उसको इन्होंने देखा नही है। इसलिए यह शंका इन्होंने खड़ी कर दी और यह कहा कि अपने देश के लोगों की तरफ पहले ध्यान देना चाहिए। ये शायद इस बात को जानते नहीं हैं कि अफ्रीका के अन्दर मूल भारतीय व्यक्तियों की संख्या बहुत बड़ी है और वे अफ्रीका के विकास के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। वे जो मूल भारतीय व्यक्ति वहां रहते हैं, वे हमारे भाई हैं और वे काफी समय से वहां रह रहे हैं। यदि हम उन के प्रति सहानूभूति व्यक्त करते हैं और सहकार करते हैं, तो वहां की जो सरकार है और वहां जो परवासी भारतीय रहते हैं, उनके ऊपर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। वहां पर जो मूल भारतीय बैठे हुए हैं, उनकी प्रगति और विकास इससे जुड़ा हुआ है।

युगान्डा की सरकार का भी उल्लेख किया गया। ईदी अमीन के विभाग में एक शैतानियत आई और उस ने विकास का काम बिल्कुल नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। वहां के विकास के अन्दर परवासी भारतीय व्यक्तियों का बहुत बड़ा हाथ है और सब से बड़ी बात यह है कि वहां की प्रजा ने इस बात को महसूस किया है कि भारतीयों के साथ कोई अलगतावाद की बात रख कर हम चलेंगे, तो हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। उन्होंने इस को महसूस किया है, इसका इतिहास हमारे सामने है। इसलिए इस बात को सोचना कि अफ्रीकन लोगों की चिन्ता करने से पहले हमें अपने यहां के लोगों की चिन्ता करनी चाहिए, ठीक नहीं है क्योंकि वहां भी मूल भारतीय ही बैठे हैं, जिनकी चिन्ता भी हमारी सरकार को करनी पड़ती है। वहां के लोग और मूल भारतीय व्यक्तियों के बीच प्रेम और सहकार बढ़े, उन का भी भला हो, इस दृष्टि से कई योजनाओं को ले के चलना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए जो यह विधेयक हमारी सरकार ने पेश किया है, उन लोगों के प्रति जो सहानुभूति रखी है, उन लोगों की भलाई के लिए जो कदम उठाया जा रहा है, वह एक सराहनीय कदम है। आज वहां पर अनेक प्रकार की शक्तियाँ साम्राज्यवाद का पंजा फैलाने की जो कोशिश कर रही हैं, उसको रोकने के लिए और वहां की प्रजा की प्रगति के लिए, यह डैवलपमैंट फंड बहुत जरूरी है।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं।

और उन लोगों के लिए जितना भी हम काम कर सकते हैं, वह दिल खोल कर करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

जबकि सारी दुनिया बहुत नजदीक हो गई है और वसुधव कुटुम्बकम् की भावना पनप रही है, तो छोटे-छोटे देशों को विकास हो और खास कर अफ्रीका जो है, वह तो एक महादेश है, जिसमें 40 राष्ट्र अन्तर्निहित हैं और वह आज कल भी पिछड़ा हुआ है। वहां का आर्थिक, वैज्ञानिक और औद्योगिक दृष्टिकोण से वह अभी तक पिछड़ा हुआ है और सभी विकसित देशों ने उस का शोषण किया है। बहुत से विकसित देशों ने उस को अपना उपनिवेश बना रखा था। इसका सर्वांगीण विकास बिना एक निश्चित निधि के नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में जबकि भारत एक विकासशील देश है और वहां भी जो स्थिति है, उसके अनुसार भारत सरकार की सहानुभूति और संवेदना अगर अफ्रीका महादेश के वासियों के साथ हुई है, तो यह एक अच्छी बात कही जा सकती है। 11 मई को जो एक करार हुआ है, उसके अनुसार उस के अनुच्छेद 6, 7, 8 और 9 के अन्तर्गत जो निधि को संग्रह करने की विधि है, उसके अधीन 3 किस्तों में 60 लाख रुपये के बराबर 3 वर्ष में भारत चुकाएगा। जिन देशों ने अभी तक इस में हिस्सा लिया है, भाग लिया है, इन में विकसित देश और छोटे-छोटे विकासशील देश हैं। जितने देशों का नाम करारनामे में है, वे सब भी चाहते होंगे कि उस देश की भलाई के लिए अफ्रीका में जो अभी तक रंगभेद की नीति है, श्वेत-अश्वेत का जो सवाल बहुत दिनों से चलता आ रहा है, महात्मा गांधी जब थे, उस समय से वह चलता आ रहा है, वह खत्म हो। उस समय महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका जाकर ब्लैक लोगों के साथ संवेदना और सहानुभूति प्रकट की थी।

और उसके लिए भी लड़ाई करने का सुझाव दिया था। आज दुनियां के जो पांच-सात बड़े देश हैं उनमें भारत का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए अफ्रीका के इन 40 पिछड़े देशों के विकास के लिए भारत जो भाग ले रहा है और अफ्रीकी विकास विधि में जो अपना अंशदान देने के लिए यह बिल लाया है, यह एक सराहनीय और प्रशंसनीय कदम है।

इस निधि के द्वारा भारत का अफ्रीकी देशों के साथ एक अच्छा सम्बन्ध स्थापित होगा क्योंकि बोर्ड आफ गवर्नर्स का भारत भी एक सदस्य होगा। इस तरह से अफ्रीका के सारे अविकसित देशों के लिए भारत की टेक्नोलोजी का प्रयोग हो सकेगा और यहां के इंजीनियरों, डाक्टरों को, जो कि हमारे यहां सरपलस हैं, उनको उन देशों की सेवा में लगाया जा सकेगा। हमारे देश में जो बहुत से वैज्ञानिक हैं उनको भी वहाँ सेवा करने का अवसर मिल सकता हैं और वे उन देशों का विकास कर सकते हैं।

साथ ही साथ भारत में ऐसी सोफिस्टीकेटिड इन्डस्ट्रीज हैं जिनका तैयार इंजीनियरी गुड्स भी अफ्रीकी देशों को निर्यात किया जा सकता है। उससे भी उन देशों को मदद पहुंच सकती है और साथ ही साथ हम अपनी इण्डस्ट्री का भी डवलपमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से भी यह बिल सराहनीय है।

समुचय में यह ध्यान रखना चाहिए कि इस निधि में जितने देश आये हैं उनमें रूस और चीन जैसे देश नहीं आए हैं। ये दोनों देश साम्राज्यवाद के विरोधी देश माने जाते हैं। उनको तो इसमें अवश्य भाग लेना चाहिए था। उनके भाग लेने से अफ्रीका में पूंजीवादी देशों का शोषण करने का जो अल्टीरियर मोटिव रहता है उसका विरोध किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि भारत इस दिशा में प्रयास करेगा ताकि वहां के देशों का कोई शोषण नहीं किया जा सके और वहां के ब्लैक लोगों का निरन्तर विकास हो सके।

अफ्रीका के लोग भी विश्व समुदाय का अंग बन कर इस निधि से आगे बढ़ सकेगी। सारा संसार और उसके लोग आजकल नजदीक आ रहे हैं और एक विश्व परिवार जैसा बन रहा है। अफ्रीका के लोग भी उस विश्व परिवार के सदस्य होंगे और अपना समानान्तर विकास कर सकेंगे, इस निधि से अगर ऐसी अपेक्षाएं पूरी होती हैं और अफ्रीका के लोगों का विकास होता है तो मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : आदरणीय महोदय, यह महत्वपूर्ण विधेयक हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तावित किया गया हैं। इस विधेयक की मुख्य बातों का उल्लेख करते हुए उन्होंने उन लक्ष्यों का भी उल्लेख किया है। जिनके कारण यह विधेयक लाया गया है और उन्होंने इस विधेयक का प्रयोजन भी पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। तथा हमारे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ प्रो० रंगा ने उनका समुचित समर्थन किया है।

आदरणीय महोदय, यह एक अन्तरराष्ट्रीय दायित्व है और मेरे विचार से इस प्रकार के किसी कदम का विरोध करने से पहले दो बार सोचना पड़ता है। परन्तु फिर भी मुझे इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करना है।

सबसे पहले तो यह कि 11-5-81 को भारत इस अफ्रीकी विकास नीति का सदस्य बन गया है । उस समय संसद् का सत्र चल रहा था । यह अधिक उचित होता कि संसद् को भी विश्वास में लिया जाता है और सभा को यह बताने के लिए वक्तव्य दिया जाता कि भारत इस निधि का सदस्य बन गया है । लेकिन खैर, भारत सरकार ने संसद् की पूर्व स्वीकृति के बिना ही इस करार को कर लिया है और अब भारत सरकार ने इस निधि के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था के लिए संसद् के समक्ष प्रस्ताव रखा है । आदरणीय महोदय, क्या मैं वित्त मंत्री जी से कुछ प्रश्न कर सकता हूं ताकि वे हमें इस विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के बारे में पूरी तरह सन्तुष्ट कर सकें ।

कोई भी जन साधारण जो पहला प्रश्न पूछ सकता है, यह है, कि जब हमारे देश को अभी विकास करना है और उसमें उससे बहुत सी कठिनाईयां आ रही है तो अफ्रीका तथा अन्य कई देशों की सहायता करने का क्या अर्थ है तथा इसका क्या औचित्य है?

दूसरे क्या यह हमारे लिए लाभकर होगा ?

कौन से देश इस निधि के सदस्य बन चुके हैं ताकि हमें यह पता चल सके कि कौन हमारा मित्र हैं और कौन इसमें हमारा सहयोग करता है । यदि हमें यह पता हो तो बेहतर होगा कि कौन हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं ।

मैं स्वीकार करता हूं कि इस निधि का सदस्य बन कर हमें केवल अफ्रीकी देशों की सहायता करने का अवसर मिलेगा बल्कि साथ ही हम इन देशों के साथ अपने व्यापार तथा उद्योग और तकनीकी जानकारी में भी हिस्सा बंटा सकते हैं ।

परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक बर्मा तथा कुछ दक्षिण पूर्वी देशों का सम्बन्ध है, इस बारे में उनके साथ हमारे सम्बन्ध सन्तोषजनक नहीं है । हमारे देश के कई व्यक्ति वहां व्यापार तथा बागान कार्य के लिए गए और उनमें से अनेक को लूट लिया गया । कई व्यक्तियों का सब कुछ लूट लिया गया और वे उन दिनों में कंगाल बन कर वापस लौटे । हाल ही के दिनों में हम देखते हैं कि श्रीलंका में हमारे लोगों को बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । इसलिए हम इस बारे में बहुत अधिक चिन्तित हैं । ब्रिटेन में भी हमारे लोग स्थायी रूप से बस गए हैं । किन्तु अब हमें कोई समझौता करने अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य देशों के पास जाने के लिए दो बार सोचना होगा । इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब कभी कोई कठिनाई होती है या संकट आ जाता है तो हमें अपने आपको अलग करना पड़ता है तथा वापस आ जाना पड़ता है । यह उचित होगा, अगर हमें इस निधि में संचालन की अच्छी जानकारी हो ।

जैसा कि बताया जा चुका है, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय बाध्यता है तथा हमें आपस में मिलना है । इसका हमारी संस्कृति की संतुष्टि के लिए भी उपयोग किया जाता है । जब हम खाना खा रहे हों और कोई भूखा व्यक्ति हमारे पास आ जाए तो कम भोजन होते हुए भी हमें उस भोजन को उस व्यक्ति को देना चाहिए जो हमसे अधिक भूखा हैं । इस प्रकार, यह विधेयक भी हमारी संस्कृति को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है । किन्तु मैं इस बात के प्रति सचेत करना चाहता हूं कि कोई करार अथवा व्यापार समझौता करने में हमें यह सुनिश्चित करने के लिए

बहुत सावधान रहना चाहिए कि हमारे देश के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। कुछ मध्य पूर्व के देशों में हमारे कई लोग हालांकि सरकारी एजेंसी के माध्यम से गए हैं लेकिन उन्हें बाद में कड़वे अनुभव लेकर भारत में वापस आना होगा। मेरे विचार से भारत सरकार को इस सम्बन्ध में बहुत सावधान रहना चाहिए कि इस बारे में क्या कदम उठाए जाएं। इसी बात को देखते हुए, मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

अब मैं एक दो संशोधनों, जो पहले ही परिचालित किए जा चुके हैं, के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। एक संशोधन इस प्रकार है :—

"किन्तु करार के अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 13 और 16 के अधीन तथा (क), (ख) तथा(ग) के अनुसार निधि में किए गए भुगतान के बारे में संसद् में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।"

जब हम निधि स्वीकृत करते हैं तो यह उचित ही है कि हमें निधि के संचालन के बारे में सूचना अथवा रिपोर्ट दी जानी चाहिए। निधि के संचालन के बारे में एक रिपोर्ट दी जानी चाहिए।

मेरा दूसरा संशोधन उन देशों के साथ आयात तथा निर्यात व्यापार के सम्बन्ध में विधेयक के उपबन्ध में की गई व्यवस्था के बारे में है। कई मामलों में इसे कर से छूट होती है। यदि व्यापार सामान्य एजेंसी के माध्यम से किया जाता है तो छूट देने का प्रश्न नहीं उठता। यदि आप व्यावहारिक रूप में व्यापार करना चाहते हैं तो मेरे विचार से वहां छूट नहीं दी जाएगी।

अन्ततः जब निधि संचालित की जाए तो संसद् को विश्वास में लिया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है कि इस बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट दी जाए कि निधि का संचालन कैसे हुआ है, हमें कितना लाभ मिला है, लाभ प्राप्त कर्ताओं को कितना लाभ हुआ है तथा अन्य देशों ने कितनी सहायता दी है। यह रिपोर्ट यह समझने के लिए उपयोगी होगी कि निधि का उपयोग कैसे किया गया है।

मैंने मात्र संशोधन का प्रस्ताव किया है। लेकिन मैं इस पर बल नहीं देना चाहता।

श्री पी० के० कोडियन (अड़ूर) : इस उपाय का स्वागत करते हुए मुझे अधिक प्रसन्नता हो रही है। यह उपाय हमारे देश की परम्परा को ध्यान में रखकर किया गया है। जैसा कि प्रो० रंगा ने उल्लेख किया था, जब हम ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे तो उस समय भी हमने अफ्रीका और अन्य औपनिवेशिक देशों के लोगों को नहीं भुलाया। हमने उन संघर्षों को अपना प्रभावशाली नैतिक और राजनैतिक समर्थन दिया। इस प्रकार, इस अच्छी परम्परा को ध्यान में रखते हुए अब भारत ने इस अफ्रीकी विकास निधि के सम्बन्ध में एक समझौता किया है और वह इस निधि का एक सदस्य बन गया है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं।

अफ्रीका एक बहुत समृद्ध महाद्वीप है, जहां खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। लेकिन इन प्राकृतिक संसाधनों तथा सम्पति होने के बावजूद विश्व में ऐसा कोई

अन्य महाद्वीप तथा देश नहीं है जिसका इतना अधिक शोषण किया गया हो। इस शोषण के परिणामस्वरूप यहां के अधिकांश लोग अकिंचन हो गए हैं।

जहां तक मुझे जानकारी है, अफ्रीका में काम करने योग्य 45% व्यक्ति बेरोजगार हैं। वहां 10 करोड़ लोग भूख से पीड़ित हैं। आर्थिक वृद्धि अर्थात् कुल देशीय उत्पादन की सामान्य दर 5% से अधिक नहीं है। अफ्रीकी देशों का औद्योगिक उत्पादन विश्व के औद्योगिक उत्पादन का केवल 0.6% है। इस प्रकार हम अदाजा लगा सकते हैं कि भूतपूर्व औपनिवेशिक ताकतों ने इस समृद्ध महाद्वीप का कितना शोषण किया। राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त करने के पश्चात् आज भी अधिकांश अफ्रीकी देशों का भूतपूर्व औपनिवेशिक ताकतों द्वारा बहुराष्ट्रीय निगमों और अन्य संस्थाओं के माध्यम से शोषण किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के परिणामस्वरूप उनका लाभ आज भी अफ्रीकी देशों के लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए यह अच्छी बात है कि भारत सरकार इस निधि में सम्मिलित हुई है और अफ्रीकी देशों के विकास के लिए यथासंभव वित्तीय सहायता देने का प्रयास कर रही है। हमें अपने व्यापार सम्बन्ध सुदृढ़ करने होंगे। भारत अफ्रीकी देशों में भी व्यापार सम्बन्धी को बढ़ाने तथा विभिन्न परियोजनाओं के रूप में सहायता देने का प्रयास कर रहा है। यह अच्छी बात है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह हमारे व्यापार सम्बन्धों को सुदृढ़ करने तथा उन्हें अपनी तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के अलावा विश्व में विकसित और विकासशील देशों के बीच व्यापार सम्बन्धों में इस समय विद्यमान असमानता के महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करें तथा इस संदर्भ में एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के महत्व और अविलंबनीयता पर विचार करें ताकि विकसित देश व्यापार में असमानता तथा मुद्रा सम्बन्धी शर्तों आदि के रूप में विकासशील देशों का आसानी से शोषण न कर सकें। इसलिए अफ्रीकी देशों के साथ-साथ हमें एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए अपने संघर्ष को बल देने का प्रयास करना चाहिए।

ऋण देने वाली अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। चाहे वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक हो, अधिकांश संस्थाओं पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण है। वे विकासशील देशों को सहायता देने के लिए आगे नहीं आते वे केवल ऐसी शर्तों पर ऋण तथा अन्य सहायता देते हैं जो हाल ही में स्वाधीन हुए तथा विकासशील देशों की आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक विकास के लिए सहायक सिद्ध नहीं होती। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह विभिन्न क्षेत्रों में जहां विकासशील देश भाग ले सकें, क्षेत्रीय विकास निधि स्थापित करने की सम्भावना की जांच करें। इस निधि में पश्चिमी देशों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। विकासशील देशों को एक करार करना चाहिए ताकि वे अपने संसाधनों को एकत्र करके उन देशों की सहायता कर सकें जिन्हें भुगतान शेष की स्थिति में कुछ कठिनाई होती है।

विश्व के विभिन्न भागों में तीसरी दुनिया के देशों में 4-5 क्षेत्रीय विकास निधियां कार्य कर रही हैं। अरब देशों में कुछ व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ ने भी कुछ व्यवस्था की है। इसके अलावा लैटिन—अमरीकी देशों ने भी इस सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था की है। इसी प्रकार, भारत को तीसरी दुनिया की विकास निधि स्थापित करने के अन्तिम उद्देश्य के साथ ऐसी क्षेत्रीय निधि स्थापित करने की सम्भावना का पता लगाना चाहिए।

चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य संस्थाएं विकासशील देशों की सहायता नहीं कर रही हैं, इसलिए क्षेत्रीय विकास निधियों के माध्यम से विकासशील देश प्रगति कर सकेंगे। इसलिए तीसरी दुनिया के देशों को एक समानांतर अन्तर्राष्ट्रीय विकास निधि की स्थापना करनी चाहिए। अन्ततः इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं फिर इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अफ्रीकन डैवलपमेंट फंड बिल, 1981 का समर्थन करता हूं। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने अफ्रीकन कन्ट्रीज को अपने पांव पर खड़ा करना और कोलोनियल रूल से छुटकारा दिलाने के लिए कार्यवाही की थी उसी प्रकार से आज श्रीमती इन्दिरा गांधी इन पिछड़े हुए देशों के सम्बन्ध में, उनके डैवलपमेंट के संबंध में इस प्रकार से फंड्स क्रीएट कर के और उसमें पार्टिसिपेट कर के उनको ज्यादा से ज्यादा डैवलप करने की व्यवस्था कर रही हैं।हम अफ्रीका के देशों की जितनी ज्यादा मदद करें, उतना ही अच्छा है। मैं इस बिल को लाने के लिए माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता। इस कामून को लागू करने से अफ्रीकन कन्ट्रीज के साथ हमारे सम्बन्ध निश्चित रूप से बढ़ेंगे, हम एक दूसरे की व्यवस्थाओं को समझेंगे और हम एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर तीसरी दुनिया के डैवलपिंग कन्ट्रीज को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने में अपना योगदान करेंगे।

अभी एक माननीय मित्र ने यह सुझाव दिया है कि एक थर्ड वर्ल्ड डैवेलपमेंट फंड बनाया जाए। यह सुझाव वाकई बहुत अच्छा है। जिस प्रकार अफ्रीकन कन्ट्रीज के सम्बन्ध में यह डैवेलपमेंट फंड क्रीएट किया गया है, उसी प्रकार यदि तीसरी दुनिया के देशों को डैवेलप करने के लिए एक फंड क्रीएट किया जाए, तो वे एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सकेंगे और उनका आपस में बहुत ज्यादा तालमेल हो सकेगा।

इस बिल की क्लाज 5 में यह व्यवस्था की गई है :—

> "परन्तु करार के अनुच्छेद 49 की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह—(क) सीमाशुल्क से युक्त माल का भारत में आयात करने का हक, वहां उसके पश्चात्वर्ती विक्रय पर किसी निबंधन के बिना, निधि को देती है।"

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या डैवेलपमेंट फंड का कोई कर्मचारी या पदाधिकारी इस व्यवस्था का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। लोक जिस प्रकार कस्टम्ज ड्यूटी या अन्य प्रकार की बचत करने की कोशिश करते हैं, क्या जो कुछ सामान यहाँ आएगा, उसके सम्बन्ध में भी उसी प्रकार की स्थिति तो पैदा नहीं होगी ? इस सम्बन्ध में खास तौर से चौकसी करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी कोई गड़बड़ी न हो, और लोग-बाग इस व्यवस्था का गलत तरीके से उपयोग न करें, जिससे हमारे देश को नुकसान हो।

इस बिल के शिड्यूल में "प्राविजन्ज आफ दि एग्रीमेंट विच शैल हैव फार्स आफ ला" दिए गए हैं। उसमें चैप्टर 43 लीगल प्रासेस के बारे में है, जिसमें यह कहा गया है :—

"निधि को, उस दशा के सिवाए जिसमें की अनुच्छेद 8 के अनुसार उधार प्राप्त करने को उस शक्ति के प्रयोग करने या उसके सम्बन्ध में उत्पन्न होती है, किसी भी प्रकार की विधिक आदेशिका से उन्मुक्ति प्राप्त होगी। इन दशाओं में सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय की विधि के विरुद्ध कार्यवाही, उस देश के राज्य क्षेत्र में की जा सकती है जिसमें निधि का कार्यालय है या जिसमें निधि ने आदेशिका की तामील या आदेशिका को सूचना को ग्रहण करने के लिए कोई अभिकर्ता नियुक्त किया हो या वाद लाने के लिए अन्यथा करार किया हो।"

सवाल यह है कि यदि किसी कन्ट्री में कोई आपत्ति खड़ी की जाती है और लीगल एक्शन के संबंध में कोई व्यवस्था करनी है, तो वह व्यवस्था किस स्थान पर होगी। इस फंड का यहां भी आफिस या एजेंट होगा। हमारे देश और किसी अन्य देश के बीच में जो लीगल एक्शन होगा, क्या वह इस कन्ट्री में होगा, या जिसने पैसा लिया है, या जो अनुपालन नहीं कर रहा है, उस कन्ट्री में होगा ? इस बारे में कुछ न कुछ स्पष्टीकरण होना चाहिए, ताकि यह जानकारी हो सके कि लीगल एक्शन किस स्थान पर हो सकेगा और यह व्यवस्था किस प्रकार से होगी।

मंत्री महोदय ने कहा है कि बाय-लॉज बाद में बनाए जाएंगे। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बारे में विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस फंड के सम्बन्ध में जो एक्शन या डिसूपट होगा, तो कौन सा कन्ट्री किस स्थान पर किस कन्ट्री के खिलाफ एक्शन ले सकेगा, बाय-लाज में इसकी क्लीयर-कट व्यवस्था होनी चाहिए।

चैप्टर 43 के सैक्शन चार में कहा गया है :—

"जहां इस करार के किन्हीं उपबन्धों के आधार पर निधि को विधिक आदेशिका से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है, वह निधि और उसकी सम्पति और आस्तियां, जहां कहीं भी स्थित हो, और चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा धारित हों, निधि के विरुद्ध अन्तिम निर्णय के परिदान के पूर्व सभी प्रकार से अधिग्रहण कुर्कीया निष्पादन से उन्मुक्त रहेंगी।"

आपने इस प्रकार की व्यवस्था तो की है कि उस फण्ड के ऊपर उनकी प्रापर्टी के ऊपर या किसी अन्य चीज पर अटेचमेंट नहीं हो सकेगा। मगर उस फण्ड के खिलाफ जो लीगल एक्शन होगा, उसके बाद उसकी पूर्ति करने के लिए या उसका भुगतान कराने की क्या व्यवस्था की गई है ? इस व्यवस्था के बारे में निश्चित तरीके से कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। यदि लीगल ऐक्शन के दौरान इम्यून कर दिया; उस प्रापर्टी पर लीगल एक्शन समाप्त हो जाए, तो किस प्रकार की व्यवस्था होगी, इसके सम्बन्ध में बाय-लॉज में प्रबन्ध होना चाहिए। यह जो प्रबन्ध है, इस व्यवस्था के लिए नहीं बनाया गया है, इसलिए इस सम्बन्ध मे भी बाय-लॉज में निश्चित तरीके से कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

इसी तरीके से आर्टिकल, 44—

आस्तियों से उन्मुक्ति

निधि की सम्पत्ति और आस्तियां, जहां कहीं भी स्थित हों, और चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा धारित हों, तलाशी, अधिग्रहण, स्वत्वहरण या किसी अन्य प्रकार के कार्यपालिक या विधायी कार्रवाई द्वारा किए जाने या पुरोबन्ध से उन्मुक्ति प्राप्त होगी।"

यदि आप ने इसको इम्यून कर दिया, मगर इसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की है, डिक्री हो जाने के बाद उस प्रापर्टी के खिलाफ, उस फंड के खिलाफ क्या व्यवस्था की जाएगी ? इस सम्बन्ध में किसी प्रकारका प्रावधान नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी बाय-लॉज में कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

इसी प्रकार आर्टिकल, 46—

आस्तियों के निर्बन्धनों से मुक्ति

इस करार के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निधि की सभी सम्पत्ति और अन्य आस्तियां किसी भी वित्तीय नियंत्रण, विनियमों या किसी भी प्रकार के अधिस्थगनों से वहां तक मुक्त रहेंगी जहां तक निधि के प्रयोजन और कृत्यों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों। इसमें फण्ड को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देने के लिए व्यवस्था उचित है। इस को देनेकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

"संसूचनाओं के लिए विशेषाधिकार

प्रत्येक भाग लेने वाला राज्य निधि की शासकीय संसूचनाओं के प्रति ऐसे व्यवहार करेगा जो वह अन्य अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की शासकीय संसूचनाओं के प्रति करता है।" आपने यह व्यवस्था जिस प्रकार इन्टरनेशनल फाइनेशियल इन्स्टीचूशन को दी है, उसी प्रकार की व्यवस्था इनको भी दी है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए यह भी एक अच्छा कदम है। जिसकी तारीफ किए बिना मैं नहीं रह सकता हूं।

"पदधारियों और कार्मिकों की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार

निधि के लिए मिशन कार्य करने वाले सभी गवर्नरों और निदेशकों और उनके अनुकल्प, सभापति और कार्मिकों को—

(i) अपनी पदीय हैसियत से किए गए कार्यों के बारे में विधिक आदेशिका से उन्मुक्ति प्राप्त होगी।"

यह तो आपने दे दिया, मगर पर्सनल कैपेसिटी में किस प्रकार की व्यवस्था की है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही करके किस प्रकार की व्यवस्था होगी। इस सम्बन्ध में भी कोई न कोई व्यवस्था की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके नाम में कोई संशोधन नहीं है फिर भी आप कई संशोधनों का सुझाव दे रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अमैंडमैंट्स की जरूरत नहीं है। सुझाव दे रहा हूँ। यदि ठीक लगेंगे, तो वे मान लेंगे।

"(ii) जबकि वे स्थानीय नागरिक न हों, उत्प्रवास सम्बन्धी निर्बन्धनों, अन्य देशियों रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षाओं और राष्ट्रीय सेवाओं की बाध्यताओं से कम अनुकूल उन्मुक्ति के नहीं दी जाएगी जो सम्बन्धित भाग लेने वाले राज्य को दी जाती है....."

इसमें भी उनकी बहुत भारी फैसिलिटी दी है, जिससे हमारे आपस के सम्बन्ध अच्छे बनेंगे। यह भी एक काबिले अच्छा कदम है।

"(iii) यात्रा सुविधाओं के बारे में भी कम अनुकूल व्यवहार नहीं किया जाएगा जो सम्बन्धित भाग होने वाले राज्य के प्रतिनिधियों, पदधारियों और उसी के तुल्य पंक्ति वाले किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों, पदधारियों और कर्मचारियों के साथ किया जाता है, जिसका वह सदस्य है।"

आपने इस सम्बन्ध को भी उसी प्रकार का ट्रिटमेंट दिया है, जैसा कि अन्य दुनिया के फाइनेंशियल इन्स्टीचुशन्स में प्रावधान कर रखा है। यह भी एक स्वागत योग्य कदम है, जिसका मैं स्वागत करता हूं।

मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, आर्टिकल, 49 में—

"(3) पैरा 1 द्वारा जो छूट दी गई है, उसके अधीन आयात की गई वस्तुओं को मात्र लेने वाले ऐसे राज्य के जिसमें छूट की मंजूरी दी गई थी, राज्य क्षेत्र में बेची नहीं जाएगी, सिवाए उन दशाओं के अधीन जो भाग लेने वाले राज्य द्वारा तय की जाए।"

यहां पर किसी व्यक्ति द्वारा लाए गए सामान को बेचने का प्रावधान नहीं है। लेकिन यदि कोई आदमी सामान लाने के बाद उसका मिस-यूज करे, उसको बेच दे, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? इस सम्बन्ध में निश्चित तरीके से कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

आजकल स्मगलिंग या अन्य प्रकार के बहुत सारे काम बहुत से लोग आफिशियल कैपेसिटी में करते हैं। इन के बारे में भी कोई व्यवस्था कर दें। उनके सम्बन्ध में क्या एक्शन होगा, इसके बारे में कोई प्रावधान आपने इसमें नहीं किया है। इस बारे में कोई न कोई व्यवस्था निश्चित तरीके से होनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ जो कुछ सुझाव मैंने दिए हैं, मैं समझता हूं कि उनको अगर आप उचित समझें, तो स्वीकार करें। अफ्रीकन कन्ट्रीज के डैवलपमेंट के सम्बन्ध में जो फण्ड में आप ने मेम्बरशिप ली है, वह बहुत स्वागत योग्य है और मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीज के सम्बन्ध में भी होनी चाहिए और उनके लिए भी एक डैवलपमेंट फण्ड कायम होना चाहिए, जिससे इन कन्ट्रीज से हमारे जो सम्बन्ध हैं, वे सुधरें और आज की दुनिया में जितनी ज्यादा ताकत हम इनके जरिए प्राप्त कर सकते हैं, वह हमें प्राप्त करनी चाहिए और इन थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीज को ऊंचा उठाने में हम जितना सहयोग कर सकते हैं, उतना करें।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री खगपालसिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, अफ्रीका डैवलपमेंट फंड के सम्बन्ध में जो यहां बिल लाया गया है, क्लाज बाय-क्लाज पर मैं नहीं जाना चाहूंगा और मूलतः इसका स्वागत ही करूंगा क्योंकि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर श्री वैंकटारमन जी ने माओ-त्से-तुंग की इस भाषा के तौर पर, क्योंकि माओ-त्से-तुंग भी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को दुनिया का देहात

कहा करते थे, जिस तरीके से इस फण्ड का सदस्य बनने की कोशिश की है, उसका मैं थोड़ा-सा विरोध करता हूं। इसलिए विरोध करता हूं कि जिन मुल्कों के साथ मिलकर के वेंकटारमन जी ने या हमारी सरकार ने इस फंड को बनाया है, जिसमें यू० एस० ए०, यू० के०, जापान जो दुनिया के इम्पीरियलिस्ट कन्ट्रीज हैं और जो दुनिया को चूस-चूस कर सारी दुनिया की इकोनामी पर डोमीनेट कर रहे हैं, वह सही बात नहीं है। हमारी सरकार और वेंकटारमन जी दुनिया के अन्दर जैसा सोशेलिज्म का नारा लगा रहे हैं, उस सोशेलिज्म को इस्टाबिलिश करने के लिए वहां एजूकेशन के मामले में, मैडीकल में और दूसरी चीजों के बारे में कुछ करना चाहते थे, अगर वे सोशेलिस्ट फार्सेज के साथ इस फण्ड को बनाते, तो मैं समझता कि वे एक अच्छा काम करते लेकिन आज जिन फार्सेज के साथ मिलकर वेंकटारमन जी और हमारी सरकार ने इस को बनाया, मैं इसकी आइडियोलोजी का तो विरोध नहीं करता, लेकिन इसका विरोध करता हूं। जो बड़े-बड़े मुल्क हैं, जो इम्पीरियलिस्ट मुल्क हैं जैसे यू० के०, यू० एस० ए०, जापान, केनाडा, जो पूरी दुनिया की एकोनामी को डोमिनेट किए हुए हैं, उनके साथ मिल कर हिन्दुस्तान इस फंड को बना रहा है, तो जिस तरीके की सपोर्ट वेंकटारमन जी उन देशों की करना चाहते हैं, वह शायद न हो जाए और मैं ऐसा समझता हूं कि जो बड़े मुल्क इस फंड के सदस्य हैं, उनके द्वारा हम डोमीनेट होंगे। इसलिए मैं सुझाव के तोर पर यह कहना चाहता हूं कि एक वार हम मेम्बर बन चुके हैं, वह बात तो हो चुकी लेकिन भविष्य में हमें यह देखना चाहिए कि इम्पीरियलिस्ट फोर्सेज का जो ट्रेड रहा है, इकोनामिक सपोर्ट के द्वारा या बैंक साइड के द्वारा, वे हमेशा अन्डर-डैवलप्ड कन्ट्रीज का शोषण करते रहे हैं और कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में चल कर हमारा जो यह फण्ड है, जो इम्पीरियलिस्ट फोर्सेज हैं, जो बड़े-बड़े मुल्क हैं, वे अफ्रीकन कन्ट्रीज का शोषण न करें। इस के प्रेसर में वे दूसरे एग्रीमेंट न करें, जिनसे अफ्रीकन कन्ट्रीज का इकोनामिक एक्सप्लायटेशन हो या दूसरे तरीके से, बैंक साइड से वे कोई ऐसी एक्टिविटीज न करें चाहे वे किसी भी तरीके की हों, इस सब पर सरकार को नजर रखनी चाहिए। 1947 से पहले हमारा मुल्क भी इम्पीरियलिस्टों का शिकार रहा है और डैवलपमेंट के नाम पर अंग्रेज इस मुल्क के अन्दर सैकड़ों वर्षों तक राज करते रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये बड़ी ताकतें डैवलपमेंट के नाम पर दोबारा अपनी तानाशाही अफ्रीका के मुल्कों के अन्दर कायम करें। इसका हमें कटु अनुभव है और खास तौर से अफ्रीका के अन्दर, जहां पर गांधी जी ने अपने राजनीतिक जीवन का बलिदान दिया। अफ्रीका के डैवलपमेंट के लिए और साम्राज्यवादी मुल्कों से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने काम किया। वेंकटारमन जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमारी सरकार सोशेलिज्म की वाकायदा हामी है, इसलिए सोशेलिज्म को इस्टाबिलिश करने के लिए अगर वे उचित कदम नही उठायेंगे न केवल अफ्रीका के अन्दर बल्कि अपने मुल्क के अन्दर भी, तो स्थिति सुधरेगी नहीं। जो ताकतें, पूंजीवादी ताकतें या साम्राज्यवादी ताकतें, डैवलपमेंट के नाम पर अफ्रीका में अपनी तानाशाही लाना चाहती हैं, उनसे उन अफ्रीकन कन्ट्रीज को शिकार होने से बचाएं, यह मैं कहना चाहता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और उपाध्यक्ष जी, आप से भी उम्मीद करता हूं कि आप भी यह कहें कि जो अफ्रीकन, एशियन और लैटिन अमेरिका के कन्ट्रीज के लिए, उनके डैवलपमेंट के लिए जो स्कीम है, जो सोशलिस्ट्स और डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज हैं, या फोर्सिज हैं, उनके साथ मिल कर इस फण्ड को बनाने का कष्ट करें ताकि भविष्य में किसी भी

अण्डर डैवलप्ड कन्ट्री की इकोनोमिक फ्रीडम या दूसरी फ्रीडम के लिए कोई खतरा पैदा न हो सके, कोई साम्राज्यवादी ताकत कोई खतरा पैदा न कर सके।

मैं इतना कह कर अपनी बात समाप्त करता।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन प्रो० रंगाजी ने कहा है कि चीन और रूस इस फंड कोष के अभी तक सदस्य नहीं बने हैं। उन्होंने समाजवादी देशों के लिए कहा है। परन्तु उन्होंने अनुरोध किया है कि उन देशों को भी इसका सदस्य बनना चाहिए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागओ) : उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में कानकुन सम्मेलन में, हमारी प्रधान मंत्री जी ने अपने मुख्य भाषण में बलपूर्वक इस विषय को सामने रखा है कि नए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और अधिक युक्तिसंगत अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए हमारी मांग और हमारी लड़ाई न केवल हमारे हित के लिए नहीं (मुख्यत: हमारे हित में नहीं) बल्कि विशेषकर सभी विकासशील देशों के हित में है। विकासशील देशों में बहुत से अन्य देश ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति दुर्भाग्य से हमसे भी बदतर है। अत: उन्होंने इस देश का रूप न केवल अपने देश के हित के संरक्षक के रूप में बल्कि विश्व के सभी विकासशील देशों के लिए एक अधिक युक्तिसंगत आर्थिक व्यवस्था, अर्थिक युक्तिसंगत और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए एक संरक्षक अथवा प्रवक्ता अथवा निरीक्षक के रूप में रखा है। यह मानना पड़ेगा कि यदि हम और अधिक युक्तिसंगत अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था लाना चाहते हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का पुनर्गठन किया जाना चाहिये ताकि उन पर कुछ विकसित देशों का नियंत्रण न रहे और इस प्रकार संसार का विकास कुछ विकसित देशों के नियंत्रण में न हो। इस प्रकार अधिक संख्या में विकासशील देशों के लिये आवाज उठाई जानी चाहिए जिनका विश्व में बड़ा भाग है।

महोदय, इस संदर्भ में, अफ्रीकन डैवलेपमेंट फंड जैसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों और संस्थाओं का पुनर्गठन का वास्तव में स्वागत है। वे विकासशील देशों के एक बड़े भाग की देखभाल कर रहे हैं और अब इन स्वतंत्र विकासशील देशों की बात सुनी जा सकेगी। इस समय वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे संगठनों में शामिल हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि दक्षिण अफ्रीका में अब लड़ाई राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में हर जगह राजनैतिक स्वतंत्रता लगभग प्राप्त की जा चुकी है और अब संघर्ष दूसरे कदम के लिए है। यह कदम भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना स्वतन्त्रता अपूर्ण है। यह आर्थिक स्वतन्त्रता है। मैंने कहा है कि अफ्रीका लगभग स्वतन्त्र है। मैने 'लगभग' शब्द का प्रयोग सोच समझकर किया है क्योंकि मैं इस अवसर पर सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता था कि दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा है। अधिकांश जनसंख्या वाले लोग अभी तक औपनिवेशिक शासन के अधीन है और एक मनमाने औपनिवेशिक अभियान के अधीन हैं जो वादीया अफ्रीका द्वारा सभी अन्तर्राष्ट्रीय मापदंडों और संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों तथा अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन करके संचार माध्यमों पर चलाया जा रहा है। दुर्भाग्यवश दक्षिण अफ्रीका का अल्पसंख्यक जातिवादी शासन ही इस हमले में अकेला नहीं है। इसे पश्चिम के पूंजीवादी देशों, जिनका अपना हित है, और बहु-राष्ट्रीय निगमों जो अपनी सरकारों

को भी प्रभावित कर सकते हैं, चाहे यह अमरीका की सरकार है या इंगलैंड, फ्रांस या पश्चिम जर्मनी की सरकार है, जिन देशों में ये बहु-राष्ट्रीय निगम केन्द्रित हैं, का समर्थन प्राप्त है। अपनी सरकार की सहायता से ये निगम नियन्त्रण कर लेते हैं।

इस समय अमरीका की क्या नीति है ?

"राष्ट्रपति बनने के बाद, श्री रीगन ने खुले तौर से कहा था कि अमरीका को उस देश को नहीं छोड़ना चाहिए जो उनके साथ प्रत्येक लड़ाई में जो उन्होंने लड़ी, साथ रहा है" और "वह देश जो स्वतन्त्र विश्व को युद्ध की दृष्टि से जरूरी हो।"

इसलिए, दुर्भाग्य से वर्तमान अमरीकी प्रशासन दक्षिण अफ्रीकी अल्पसंख्यकों और जातिवादी एशियाई शासन को इस प्रकार स्वतन्त्र विश्व में उन्हें विडम्बना के रूप में लेता है।

मैं सदन का ध्यान दक्षिण अफ्रीका द्वारा केवल उस क्षेत्र के एक देश को तबाह करने के प्रयास की ओर दिलाऊंगा और यह राष्ट्र उन देशों के लिए आशा की किरण के समान है। यह देश है—अंगोला

अंगोला एक ऐसा देश है जो प्राकृति सम्पदा, खनिज सम्पदा और इस तरह के अन्य संसाधनों से सम्पन्न है। वहां संचार का भी जाल बिछा हुआ है। यह देश उस क्षेत्र के देशों के लिए वास्तव में ही आशा की किरण है क्योंकि यह देश यह दिखाता है कि अफ्रीकी देश अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, आत्म निर्भरता प्राप्त कर सकते हैं और दक्षिण अफ्रीका या उस क्षेत्र के श्वेत अवलम्ब साम्राज्य पर निर्भर रहे बिना अपना काम चला सकते हैं।

दक्षिण अफ्रीका क्या कर रहा है ? वह अंगोला पर धावा बोल देता है। वह अंगोला पर धावा बोलता रहा है। अंगोला पर आक्रमण अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने हो रहा है। इस हमले का स्पष्ट उद्देश्य डा० जोनस सविम्बी की कठपुतली सरकार को सहारा देना है। अंगोला में उसे समर्थन नहीं मिला है। वह यू० एन० आई० टी० ए० (यूनिटा) लोगों के समूह द्वारा वित्तीय और सैनिक रूप से समर्थित और हर प्रकार से पाश्चात्य पूंजीवादी स्वार्थों से समर्थित जनजातीय नेता हैं। वह वहां घुसपैठ का प्रयत्न कर रहा है और पश्चिमी सत्ता का श्वेत प्रशासन बनाने और पश्चिमी सत्ता को वहां जारी रखने का प्रयास कर रहा है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि हाल ही में अंगोला के विदेश मंत्री ने एक ब्यान दिया है कि दक्षिण अफ्रीका द्वारा किए गए सतत आक्रमण को देखते हुए—मैं उस ब्यान को कहता हूं—"हम केवल अपने सोवियत और क्यूबा मित्रों पर ही निर्भर नहीं रहेंगे और उन्हीं से ही सहायता नहीं लेंगे, बल्कि हम विश्व भर के अपने मित्रों का समर्थन लेंगे।" मैं भारत सरकार पर इस बात के लिए बल दूंगा कि वह अंगोला के लोगों और सरकार की न केवल वित्तीय रूप से सहायता करे बल्कि यदि आवश्यकता पड़े तो सैनिक सहायता भी दे।

मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं कि उसने एक करोड़ डालर की राशि जोकि बहुत बड़ी राशि है, दी है। इस सहायता के लिए इस देश में कोई भी व्यक्ति वित्त मंत्री से इसके लिए शिकायत नहीं करेगा। उन्हें हमारा समर्थन है और वह हमारे प्रशंसा के पात्र हैं, धन्यवाद।

श्री आर० वेंकटरामन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि इस बात के बावजूद कि सदन में विभिन्न राय हैं, परन्तु अफ्रीकी विकास कोष और सदस्य के रूप में इसमें शामिल होने के सम्बन्ध में सदन पूर्ण एक मत है।

मेरे माननीय मित्र, प्रो० रंगा द्वारा दिए गए बहुत प्रभावपूर्ण भाषण से मुझे बहुत सहायता मिली है। उन्होंने उन घटनाओं के बारे में अपनी निजी जानकारी दी जो लगभग अर्ध शताब्दी पूर्व हुई थीं जब हमने अफ्रीका में आजादी के आन्दोलन को तेज किया था। जब से भारत ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में भाग लेना शुरू किया, उसने हमेशा अफ्रीकी स्वतन्त्रता से मामले का समर्थन किया है और यह कोशिश की है कि अफ्रीका में उपनिवेशवादी प्रशासन उखाड़ फेंका जाए और उनको स्वतन्त्रता मिले।

अफ्रीकी विकास बैंक, अफ्रीकी राष्ट्रों के विकास की प्रक्रिया के लिए एक दूसरा कदम है। राजनैतिक स्वतन्त्रता का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक कि आर्थिक विकास और समाज कल्याण इसके साथ-साथ न हों। इस सामाजिक और आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश अनिवार्य है। विकासशील देशों में, एक चीज जो बहुत दुर्लभ, वह है—पूंजी। वे जितना फालतू भी कमाएं वह सब, जीवन के निम्न स्तर के कारण, उपयोग में चला जाता है। अतः, वहां फलतू पूंजी बहुत कम सुलभ होती है जिसका विकास के लिए फिर से निवेश किया जाए। यह अनिवार्य है कि यदि विकासशील देशों को प्रगति करनी है और आगे बढ़ना है जो उन्हें अन्य देशों की फालतू पूंजी सहायता के रूप में मिलनी चाहिए। मैं यह कहूंगा कि उन बड़े देशों द्वारा, जिनके बारे में हम यह कहते हैं कि उन्होंने इन देशों का शोषण किया अथवा अपना उपनिवेश बनाया, एशियाई विकास कोष अथवा अफ्रीकी विकास कोष जैसे कोषों में भाग लिया जाना अतीत में दिए गए शोषण का पश्चाताप है, उन्होंने जो इन देशों की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस किया था, उसे अब ठीक कर रहे हैं। एक तरह से यह कार्य अब कर रहे हैं, विश्वमत इतना जागरूक हो गया है कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें विश्व मत की नाराजी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए, जब मेरे कुछ मित्रों ने ऐसा कहा कि हम भी शोषणकर्ता दल का हिस्सा बन गए हैं, मैं बलपूर्वक यह कहना चाहता था कि अफ्रीकी विकास बैंक के माध्यम से शोषण की कोई गुंजाइश नहीं है और इससे अफ्रीका के लोगों को विकसित देशों में सुलभ साधनों का आपने आर्थिक विकास के लिए प्रयोग करने से प्रगति करने में मदद मिलेगी।

अफ्रीकी विकास कोष और बैंक द्वारा इस बात का ध्यान रखा गया है कि अंशदाता देशों का जो गैर-अफ्रीकी हैं उनको बैंक के मामलों में अधिक प्रभुत्व न रहे। वास्तव में इसका संविधान इस प्रकार बनाया गया है कि गैर-अफ्रीकी देशों का अफ्रीकी विकास बैंक के मतदान के अधिकार में 33$\frac{1}{3}$ प्रतिशत से अधिक भाग न रहे। अफ्रीकी देशों ने यह भी सुनिश्चित किया है उनका भाग 66-2/3 प्रतिशत रहे। अफ्रीकी देशों का स्वयं इस कोष में 50 प्रतिशत धन पर अधिकार रहेगा। अतः किसी के लिए भी शोषण करने का अवसर बिल्कुल नहीं है। जहां तक भारत का ताल्लुक है, मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि अफ्रीकी विकास बैंक में शामिल होकर, हम केवल अफ्रीकी लोगों की सहायता जो हमने बहुत पहले शुरू की है की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं। हम बहुत से अफ्रीकी देशों को सरकारी स्तर पर सहायता देते रहे हैं और हम बहुत से देशों को

वाणिज्यिक सहायता भी दे रहे हैं वास्तव में केन्या, उगांडा, तंजानिया, जाम्बिया तथा नाईजीरिया भी कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ प्रौद्योगिकी की सप्लाई, तकनीकी सहायता के रूप में आर्थिक विकास के मामले में भारत का अस्थगित अदायगी के आधार पर पूंजीगत माल की सप्लाई आदि के माध्यम से अच्छा सहयोग कार्य हो रहा है। इसलिए, हम तो इस दिशा में केवल एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं।

कुछ सदस्यों ने कहा कि हमें शीघ्र नई आर्थिक व्यवस्था स्थापना के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे मित्र श्री फैलीरो ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रधान मन्त्री ने कानून सम्मेलन में नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की पैरवी करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और मैं गर्व के साथ यह कहूंगा कि यदि प्रधान मन्त्री से कम महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति ने यह बात कही होती तो इस बात को इतना बल नहीं मिलता।

बहुत ही कम मुद्दे उठाए गए। उनमें से एक अफ्रीका के साथ व्यापार को विकसित करने के बारे में था व्यापार को विकसित करने के लिए पहली शर्त यह है कि वे वस्तुओं का उत्पादन करे तथा यह निधि, वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए वास्तव में सहायता करती है। हम अफ्रीकी देशों और भारत के बीच व्यापार में वस्तुओं के विनिमय के लिए इच्छुक हैं। हम इसमें बहुत रुचि ले रहे हैं। हमने अफ्रीकी देशों के साथ बहुत से संयुक्त आयोगों की स्थापना की है जो व्यापार को बढ़ा रहे हैं।

मुझे आशंका है कि मेरे आदरणीय मित्र श्री व्यास ने विधेयक की सम्पूर्ण स्कीम को गलत समझा है। विधेयक का वास्तविक उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को स्थानीय, सिविल, देशीय अदालतों में होने वाली मुकद्मेबाज़ी से उन्मुक्ति प्रदान करना है। उन्हें देशीय संस्थाओं और प्राधिकारियों द्वारा कर लगाए जाने से भी छूट प्राप्त है। यह कोई नई बात नहीं है। हमने इस प्रकार के अधिकार संयुक्त राष्ट्र को दिए हैं हमने इस प्रकार के अधिकार एशियाई विकास बैंक को दिए हैं, हमने इस प्रकार के अधिकार विश्व बैंक तथा इसकी सम्बन्ध संस्था अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भी दिए गए हैं। यह कोई नई बात नहीं है और उन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर किसी को अभियोग चलाने का प्रश्न ही नहीं है। दूसरी ओर इन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास स्वयं बातचीत के द्वारा अपने यहां के कानूनों के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए हमारी सरकार को कोई उप-नियम अथवा इस प्रकार की कोई अन्य चीज़ बनाने की आवश्यकता हो।

एक माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों में से एक सुझाव यह है कि अफ्रीकी विकास बैंक की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए।

महोदय, यह हमारा बैंक नहीं है। हम तो केवल कोष के स्रोतों को अभिदान दे रहे हैं। यह कोष अफ्रीकियों द्वारा प्रशासित है तथा वे लोग इसकी रिपोर्ट कोष प्राधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे। इसलिए, इसे इस संसद् के पटल पर रखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हमारी इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं है इस निधि के प्रयोग के मामले में हमें कुछ नहीं कहना होता है।

महोदय, मैं सदन को उसके द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री पी० के० कोबियन (अडूर) : तीसरे विश्व के देशों को क्षेयीय विकास कोष का क्या हुआ ?

श्री आर० वेंकटारमन : मेरा विचार है कि मैंने एक प्रकार से इसका उत्तर दे दिया है मैंने कहा है कि केवल वही देश इस प्रकार का कोष बना सकते हैं जिनके पास फालतू पूंजी है। विकासशील देश जिनके पास फालतू पूंजी नहीं है – इस प्रकार के कोष का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं। यह तो ऐसे होगा कि भिखारी एक दूसरे की मदद के लिए निगम की स्थापना कर रहे हैं, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। जिनके पास पूंजी अधिशेष है वे इस कोष में आएं। यही बात मैंने कही। मैंने इसे अधिक शब्दों में नहीं कहा लेकिन आपने मुझे यह कहने के लिए कहा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अफ्रीकी विकास निधि करार को क्रियान्वित करने और उससे संबन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड-वार विचार करते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शमन्ना, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री टी० आर० शमन्ना : मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 5 में श्री टी० आर० शमन्ना का संशोधन है।

श्री टी० आर० शमन्ना : मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री परुलेकर यहां उपस्थित नहीं हैं।

इसलिए, प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 5 विधेयक अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 7 में श्री शमन्ना एक संशोधन है। वह बाहर चले गए हैं।

अतः प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि विधेयक पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

बागान श्रम (संशोधन) विधेयक

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि बागान श्रम अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

बागान श्रम अधिनियम में मजदूरों के कल्याण की व्यवस्था तथा यह बागानों में काम करने की शर्तों का विनियमन करता है। यह विधेयक—(एक) स्वास्थ्य और कल्याण, (दो) काम के घंटे,

विश्राम, अवकाश आदि, (तीन) बच्चों और युवकों को रोजगार, (चार) छुट्टी और वेतन से संबंधित है।

बागान श्रम (संशोधन) विधेयक, 1973 राज्य सभा में 1973 में पुरःस्थापित किया गया था। यह विधेयक संसद् की संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा गया था समिति ने अपनी सिफारिशें, मार्च, 1975 को प्रस्तुत की थी।

इस संशोधन विधेयक के मुख्य उद्देश्य बड़ी संस्था में है। कामगरों को कल्याण व्यवस्थाओं का लाभ पहुंचाना, बागानों के अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था तथा वयस्कों और बच्चों के लिये सप्ताह में काम के घण्टे कम करना है। इस विधेयक में पहली बार यह व्यवस्था है कि, यदि मालिक द्वारा उपलब्ध कराए गए मकान के गिर जाने के परिणामस्वरूप किसी मजदूर या उसके परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है अथवा चोट लगती है तो उसे मुआवजा दिया जाएगा।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

यह अधिनियम अपने वर्तमान रूप में, चाय, काफी, रबड़ और सिनकोना के उन बागानों पर लागू होता है जो 10-117 हेक्टेयर अथवा उससे बड़े हैं तथा जिनमें 30 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। संशोधन विधेयक में यह व्यवस्था है यह अधिनियम उन बागानों पर भी लागू हो जो 5 हेक्टेयर के हैं और जिनमें 15 अथवा अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। 750 रुपए मासिक वेतन पाने वाले कामगरों को भी उसी प्रकार माना जाएगा जैसा आजकल 300 रुपए पाने वालों को माना जाता है। बागान मालिकों को न केवल बागन में रह रहे मजदूरों और उनके परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था करनी होगी बल्कि उनके लिए भी आवास की व्यवस्था करनी होगी जो बाहर रहते हैं किन्तु जिन्होंने बागान में लगातार 6 मास तक सेवा की है तथा लिखित रूप में बागान के अन्दर रहने की इच्छा व्यक्त की है। वयस्कों के लिए काम के घंटे, 54 घंटे प्रति सप्ताह से घटाकर 48 घण्टे प्रति सप्ताह तथा किशोरों और बच्चों के लिए 40 से घटाकर 27 घंटे प्रति सप्ताह किए जाने का भी प्रस्ताव है। विधेयक में पहली बार, निर्धारित समय के पश्चात् काम करने के लिए समयोपरि मजदूरी की व्यवस्था की गई है। विधेयक में न्यायालयों से वह समय निर्धारित करने की अपेक्षा की गई है जिसके अन्दर मालिकों को कानून और नियमों से संबंधित कमियों को दूर करने के लिए कहा जाए। अधिनियम में किए गए उपबन्धों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने की दृष्टि से विधेयक में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अदालत के इन आदेशों का पालन न करने के मामलों में 6 मास तक के लिए अनिवार्य कारावास तथा 300 रुपए प्रतिदिन तक का जुर्माना किया जायेगा।

सरकार ने संसद् की संयुक्त समिति की केवल एक सिफारिश, अर्थात् सेट्रोनेला ग्रास, इलायची, सुपारी, जड़ी बूटियां, केला, सेब, अन्नास, काजू, जैतून, कोका अथवा नारियल जैसी नई मदों के बागानों को भी अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाए, को छोड़ कर शेष सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। इलायची बागानों के संबंध में सरकार ने इस सिफारिश को केवल

उन्हीं बागानों के मामले में स्वीकार किया है जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है तथा काफी बड़े और भलीभांति सीमांकित है । अन्य बागानों को अधिनियम के अन्तर्गत इनकी अलग-अलग स्थिति तथा कार्यान्वयन में होने वाली समस्याओं के कारण नहीं लिया गया । प्रबन्धकों द्वारा कामगरों के दिए गए मकान के गिर जाने के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाने अथवा चोट लगने की स्थिति में मुआवजे की अदायगी से संबंधित समिति की सिफारिश में सरकार ने सुधार किया है । समिति ने मूल संशोधन विधेयक में बताई गई 10,000 रु० और 14,000 रु० की राशि के स्थान पर मृत्यु होने और चोट लगने पर क्रमश: 14,000 रु० और 20,000 रु० तक की क्षति पूर्ति राशि दिए जाने की सिफारिश की है । क्योंकि न तो संशोधन विधेयक में और न संयुक्त समिति ने ही श्रमिकों को देय क्षतिपूर्ति की राशि को मासिक वेतन सम्बद्ध किया और न हीं उन्होंने पूर्णतया पंगु हो जाने और थोड़े बहुत समय के लिये पंगु हो जाने के लिए पृथक-पृथक व्यवस्था ही की थी इसलिए सरकार ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के उपबन्धों के अनुसार, प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उपबन्धों में संशोधन करने का निश्चय किया है अर्थात् मृत्यु होने पर 24,000 रुपए तक और पंगु हो जाने के लिये 33,600 रु० की राशि दी जाएगी ।

दुर्भाग्य की बात है कि बागान मजदूरों के कल्याण संबंधी वह संशोधन विधेयक पिछले 8 वर्षों से विचाराधीन पड़ा है । यह विधेयक राज्य सभा द्वारा 3-9-1981 को पारित किया गया था । इस प्रस्तावित विधान द्वारा मजदूरों की एक बड़ी संख्या को मिलने वाले अतिरिक्त लाभों और कल्याणकारी उपायों को ध्यान में रखते हुए मैं यह आशा करता हूं कि यह सभा इस विधेयक को राज्यसभा के समान सर्वसम्मति से पास करेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :—

"कि बागान श्रम अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक, पर राज्यसभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए ।"

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय यह विधेयक यद्यपि व्यापक नहीं है, यह देर से और अधूरे मन से फिर भी मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इसका उद्देश्य मुख्य अधिनियम की कुछ कमियों को दूर करता है ।

यह खेद की बात है कि सरकार को इस बारे में सोचने में छः वर्ष का समय लगा और यह विधेयक सभा के समय 3 मार्च, 1981 को संयुक्त सीमति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् लाया गया ।

ब्रिटिश और भारतीय बागान-मालिकों द्वारा वर्षों तक बेरहमी से शोषण किए जाने, बागान श्रमिकों द्वारा अत्याधिक खून पसीना बहाए जाने तथा वर्षों तक संघर्ष किये जाने के बाद बागान श्रमिकों के लिए 1951 में बागान श्रम अधिनियम बनाया गया जो कि उनकी सेवा शर्तों को नियमित करने तथा उन्हें कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के बारे में पहला विधान था ।

महोदय, इससे पहले कोई कानून नहीं था, उन्हें जीवन की अत्यावश्यक जरूरतें जैसे पीने का पानी, आवास और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई नियम और विनियम नहीं है। बागान मजदूरों के जीवन को चलाने और उनकी सेवा शर्तों के बारे में कोई लिखित कानून न होने से ब्रिटिश और भारतीय बागान मालिक उनके साथ मनमाना व्यवहार करते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की नागरिक स्वतंत्रता, मजदूर संघ अधिकार प्राप्त नहीं थे तथा वे बागान से बाहर के लोगों से मिलझुल नहीं सकते थे। बागान मजदूरों के सम्बन्धी बागान क्षेत्रों में आकर अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं सकते थे। बागान मालिकों द्वारा आतंक का साम्राज्य फैलाया गया था। अपनी ऐस्टेट्स में वे ही सर्वोपरि थे।

महोदय, दुर्भाग्य से यह खेदजनक बात स्वतंत्रता के बाद और यहां तक कि 1951 के बागान श्रम जारी रही। अधिनियम के बनने के पश्चात् भी जारी रही। बागान मालिकों के कहने पर यह अधिनियम लागू नहीं किया गया तथा काफी समय तक इसे स्थगित रखा गया। इस अधिनियम के कल्याण के उपायों के विरोध में बागान मालिकों ने 1952 में चाय उद्योग में संकट का शोर मचाया और उन्होंने श्रमिकों के वेतन में कटौती की, रियायती-राशन के मूल्य में वृद्धि कर दी और कार्य-भार में वृद्धि कर दी तथा कुछ चाय बागानों को बंद कर दिया।

महोदय, जैसे ही बागान मालिकों ने अपना अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त किया और सरकार से ज्यादा रियायतें प्राप्त कीं, श्रमिकों को उनके न्यायसंगत अधिकारों और उनके द्वारा मेहनत से प्राप्त की गई उपलब्धियों से उन्हें वंचित कर दिया। चाय उद्योग में 1954 में और इसके पश्चात् अभूतपूर्व तेजी आई। घरेलू और विदेशी मंडियों मूल्यों में भारी उछाल आया। लाभ और लाभांश प्रतिशत में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार एक बार फिर बागान मालिकों ने श्रमिकों की कीमत पर भारी मुनाफा कमाया।

महोदय, इस प्रकार वे वर्षों तक करोड़ों रुपये प्राप्त करते रहे लेकिन उन्होंने कभी भी श्रमिकों के कल्याण और चाय उद्योग के विकास के लिए मुनाफे की राशि लगाने की परवाह नहीं की।

महोदय, इस पृष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले के चाय बागान श्रमिकों ने बागान श्रम अधिनियम लागू करने, भविष्य निधि योजना शुरू करने, बोनस दिए जाने तथा मूल्यों में कटौती को बहाल करने के लिए 1955 में अपना पहला संयुक्त संघर्ष आरम्भ किया तथा ऐतिहासिक हड़ताल की जो 15 दिन चली। पुलिस द्वारा गोली चलाई गई और इसमें 50 मासूम चाय बागान श्रमिक मारे गए। गोली-बारी में मारे गए श्रमिकों को मजदूर वर्ग ने शहीदों की उपाधि दी। इसी प्रकार असम, केरल, त्रिवेन्द्रम और अन्य स्थानों पर बागान मजदूरों ने उपरोक्त मांगों के समर्थन में अलग-अलग तरह से आन्दोलन किए।

महोदय, यह सब होने के पश्चात् ही 1956 में सरकार ने बागान श्रम अधिनियम के कुछ उपबन्धों को लागू किए जाने के लिए अधिसूचना जारी की लेकिन तब भी बहुत से उपबन्ध लागू नहीं किए गए। इस प्रकार चाय, काफी, रबड़ और अन्य बागानों में मजदूरों ने इस

अधिनियम के सभी कल्याणकारी उपायों को लागू करने तथा इसकी कमियों को दूर करने के लिए अपना आन्दोलन जारी रखा। आखिरकार, सरकार ने 6 मार्च, 1973 को राज्य सभा में बागान श्रम संशोधन विधेयक पुनः स्थापित किया। इसलिए यह विधेयक संयुक्त समिति को भेजा गया जिसने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। मैंने पहले ही इसके बारे में बताया है, माननीय मंत्री ने भी इसके बारे में कहा है इसलिए मुझे अब इसे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन महोदय, सरकार इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों की कमियों, विशेषरूप से संशोधन विधेयक में चिकित्सा सुविधा को सही करने में असफल रही है। महोदय, प्रमुख अधिनियम की कमी का लाभ उठाते हुए यह कि चाय बागार और अन्य बागानों के प्रबन्धकों ने श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की उन की जिम्मेदारी को पूरी तरह टाल दिया।

आप को यह जान कर हैरानी होगी कि इस समय भी बागान क्षेत्रों में दूरवर्ती इलाकों में श्रमिकों को कोई सुविधाएं नहीं दी जाती। मजदूर संघ वर्कर होने के कारण हमें यह बातें मालूम हैं। ये मैनेजमेंट केवल श्रमिकों को धोखा देते हैं, कुछ बोतलों में ये लाल रंग का पानी रखते हैं, कुछ में सादा पानी, कुछ ऐस्प्रो आदि रखते हैं और सोचते हैं कि इन से सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। यह हम देखते हैं और इस प्रकार की बात अभी हो रही है।

मै यह निवेदन करना चाहता हूं चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित उपबन्ध अधिक कठोर किए जाएं लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि इस संशोधन विधेयक में इस प्रकार का कुछ भी नहीं किया गया।

इसी प्रकार मुझे यह देखकर भी दुख हुआ है कि प्लांटेशन श्रमिकों के लिए 8 प्रतिशत पक्के घर बनाए जाने संबंधी उपबन्ध (जैसा कि अधिनियम में दिया गया है) भी पूरी तरह लागू नहीं किया गया। महोदय, बागान श्रम अधिनियम 1951 में बनाया गया था, 30 वर्ष बीत चुके है और यहां तक कि मजदूर के 50 प्रतिशत मकान भी पक्के नहीं दिए गए। हम यह देखते हैं कि विभिन्न प्लांटेशनों और चाय उद्योग में श्रमिक कच्ची झोंपड़ियों में रहते हैं और इसीलिए समिति को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियां देते हुए खेद हुआ। उन्होंने जो कुछ कहा, मैं यहां उद्धृत करता हूं।

"समिति ने बागान क्षेत्र में अपने दौरे के दौरान यह भी देखा कि बहुत से बागानों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं जैसे स्वच्छ पीने का पानी, शौचालय, प्रशिक्षित डाक्टरों और दवा की व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं कराई गई चाहे नियोजक द्वारा ये सुविधाएं अधिनियम के अधीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी।"

इसके अलावा महोदय, आवास के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है मैं संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में से उद्धृत करता हूं :—

> "बागान श्रम अधिनियम, 1951 की धारा 15 में दिए गए उपबन्ध के अनुसार प्लांटेशन में रह रहे प्रत्येक श्रमिक और उसके परिवार के लिए नियोजक को आवास उपबन्ध कराना होता है। इन मकानों को बनाने के लिए सरकार ऋण और राज

सहायता भी उपलब्ध कराती है। फिर भी, प्लांटेशनों में मकान बनाने की दिशा में बहुत ही असंतोषजनक रूप से प्रगति हुई और सच्चाई यह है कि मकान बनाने की दर में धीरे-धीरे कमी आई है। नियोजकों पर मुकदमा चलाए जाने से भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि मकान बनाने की जिम्मेदारी उठाने के लिए वह अधिक उत्सुक नहीं है।"

अतः, यह बहुत ही खेदजनक बात है। यह मैं नहीं कह रहा, यह स्वयं संयुक्त समिति कह रही है।

जब इन चाय बागानों के मैनेजमेंट और मालिकों को यह पता चला कि संयुक्त समिति बागान श्रमिकों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की सिफारिश करने वाली है, जब उन्हें यह पता चला कि संयुक्त समिति विभिन्न स्थानों का दौरा कर रही है, तो उन्होंने अपने इस्टेट्स को विभाजित करना शुरू कर दिया जिससे कि अधिनियम में दी गई उनकी जिम्मेदारियों को वह टाल सकें। उस लक्ष्य को ध्यान में रख कर, उन्होंने इस्टेट्स को छोटा बनाने के लिए विभाजित करना आरम्भ कर दिया ताकि उन्हें इन सब उपबन्धों को लागू नहीं करना पड़े।

मुझे इस बात की खुशी है कि इस क्षेत्र को कम किए जाने के लिए सरकार ने कार्यवाही की हैं। लेकिन, यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि वे विभाजित करते जाएंगे। इसलिए, इसे कम करके 2.5 एकड़ किए जाने के लिये मैंने संशोधन दिया है। मुझे आशा है कि, माननीय मंत्री मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह तो इस दिशा में एक सुधार ही है। आखिरकार यह एक वेल्फेयर स्टेट है। श्रमिकों को कल्याण के उपाय और सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने चाहिए। इसलिए, मैं अवश्य ही यह अनुभव करता हूं कि इन क्षेत्रों को कम करने के लिए सरकार को कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। श्रमिकों की संख्या 4 अथवा 5 अथवा 6 अथवा 7 कुछ भी हो सकती है, लेकिन वे कठिन परिश्रम कर रहे हैं, नियोजकों को लाभ देने के लिए वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए, मैं यह अनुरोध करता हूं कि सरकार इस बारे में मेरा संशोधन स्वीकार करें।

महोदय, आपको यह पता लगेगा कि ये नियोजक वर्षों से श्रमिकों के खून पसीने से भारी मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन, उन्होंने यह पैसा इस उद्योग के परिरक्षण, उत्थान और विकास के लिए नहीं लगाया। उन्होंने अन्य जगहों पर निधियां लगाईं रिप्लांटेशन कार्यक्रम को पूरा करने में वे असफल रहे हैं। अब भी, आप देखेंगे। कि 80, 90 और 100 साल पुराने चाय के पेड़ हैं। इसीलिए ज्यादातर चाय बागान कमजोर पड़ गए हैं चाहे घरेलू और विदेशी मंडियों में भारतीय चाय, काफी और अन्य वस्तुओं की मांगों में कमी नहीं आई। लालची मैनेजमेंट पैसा बटोर रहा है और इसे अन्य जगहों पर लगा रहा है तथा श्रमिकों और उद्योग को उन्हें मिलने वाले हक से वंचित कर रहा है। यह बहुत ही खेदजनक बात है।

ये बेइमान नियोजक, इतने बड़े उद्योग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसमें कि 20 लाख से भी अधिक श्रमिक अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं और जो हमारे देश के लिए 500 करोड़ रुपए

की अत्यावश्यक विदेशी मुद्रा हर साल उपलब्ध करा रहा है शुल्कों और करों के द्वारा, इससे सरकारी राजकोष में अन्य करोड़ों रुपए आएंगे। लेकिन वे श्रमिकों की अत्यावश्यक जरूरतें भी उपलब्ध नहीं करा रहे तथा दण्ड के अभाव में कानून का उल्लंघन कर रहे हैं।

इसलिए, मैं यह अनुरोध करता हूं कि देश के हित को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए तथा उद्योग के हित को ध्यान में रखते हुए इस विशाल बागान उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाए।

इसके सम्पूर्ण राष्ट्रीयकरण होने तक, मैं मांग करता हूँ कि इस समय कम से कम कुछ बांड और अन्यों जैसे बड़े व्यापारियों के एकाधिकार में चल रहे चाय व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और छोटे उत्पादकों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

हम इस समस्या पर उचित समय विचार करेंगे। अतः मैं स्वयं को बागान श्रम अधिनियम के संशोधन से सम्बन्धित मामलों तक ही सीमित रखता हूं।

यद्यपि मैंने 18 संशोधन दिए हैं, तथापि मैं यहां सभी संशोधनों पर विस्तार से नहीं बोलूंगा। मैं केवल कुछेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही जोर दूंगा। मैं माननीय, मंत्री महोदय से यह पुरजोर अपील करता हूँ कि वे हमारे श्रमिक वर्ग की उपेक्षित श्रेणी के बड़े हित में इन्हें स्वीकार करने की कृपा करें।

अब मैं अपने संशोधनों पर आता हूँ।

अधिनियम को लागू करने का सम्बन्ध है, मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इसके क्षेत्र को घटाकर 5 अथवा अधिक श्रमिकों के साथ 2.5 हैक्टेयर कर दिया है।

मैं चाहता हूँ कि अधिनियम के अधिकार क्षेत्र को अन्य बागानों में भी बढ़ा दिया जाना चाहिए और मैंने इस सम्बन्ध में अपना संशोधन दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा की गई बागान की परिभाषा में—कोई भी कार्य जिसमें नियमित रूप से भाड़े के श्रमिकों को रोजगार दिया जाता हो, चाहे वह उष्णकटिबन्धीय अथवा अर्ध-उष्णकटिबन्धीय क्षेत्र में स्थित हो और जो मुख्यतः वाणिज्यक उपज नामतः कॉफी, चाय, गन्ना, मूंगफली, कपास, तम्बाकू, तन्तु, पटसन, अनानास आदि से सम्बन्धित हो, शामिल है। इसमें मुख्यतः मेरे द्वारा दिए गए संशोधन को बल मिलता है।

तीसरे, मेरा विचार 1,500 रुपये मूल वेतन, निःशुल्क चाय आदि जैसी अन्य सुविधाओं को छोड़ कर, पाने वाले कर्मचारियों को इस प्रस्ताव के अन्तर्गत लाने का है।

मैं आशा करता हूँ कि बढ़ते हुए मूल्यों और संशोधित वेतनमानों को ध्यान में रखते हुए सरकार को इसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

शिशु सदनों की व्यवस्था के बारे में, मैं सुझाव दूंगा कि कार्य करने वाली महिलाओं की संख्या कुछ भी हो, यह व्यवस्था वहां होनी ही चाहिए। 50 महिलाओं के स्थान पर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यदि वहां 5 महिलाएं भी भाड़े के श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं तो वहां शिशु-सदन की व्यवस्था होनी चाहिए।

अब, मैं मकान के गिरने से घायल होने अथवा मृत्यु होने के लिए क्षतिपूर्ति के बारे में कुछ कहूंगा। इस सम्बन्ध में भी मैंने अपना संशोधन दिया है कि माननीय मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए संशोधन में जो उपबन्ध हैं, वह वहां नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मकान का गिरना मुख्यतया अथवा प्रत्यक्षतः उसमें रहने वाले की ही गलती से अथवा प्राकृतिक विपदा से सम्बन्धित नहीं है, और यदि ये शब्द रखे जाते हैं तो नियोक्ता सारहीन कारण देंगे तथा यह कहेंगे कि आपने ही यह किया है अथवा वे सफाई देंगे। इसलिए, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इसे हटा दें ताकि पीड़ित श्रमिकों को क्षतिपूर्ति मिल सके।

क्षतिपूर्ति का दावा करने का समय छः महीने दिया गया है। जब हमारे माननीय मंत्री जी यह कह ही चुके हैं कि वे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में निर्धारित पद्धति का अनुसरण करेंगे, मैंने पाया है कि दावा करने का समय एक वर्ष है और यह कहा गया है कि यदि कामगार एक वर्ष में अपना दावा दाखिल नहीं कर सकता/सकती है तो उसे एक वर्ष का समय और दिया गया है। इसलिए जब हम धन राशि और अन्य सब बातों के लिए उस पद्धति का अनुसरण कर रहे हैं, तो हम अवधि के लिए उस उपबन्ध को स्वीकार क्यों नहीं कर सकते। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे तथा इसे स्वीकार करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं, विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वी० के० नायर (क्विलोन) : हमारे देश में जनता के उपेक्षित वर्ग से सम्बन्धित चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर देने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। भारत में लगभग 12½ लाख एकड़ में बागान हैं जिनमें चाय, रबड़, इलायची और कॉफी आदि जैसी फसलें होती हैं। संशोधन विधेयक में इन उपबन्धों का स्वागत करते हुए, इन पद-दलित लोगों के लिए माननीय सदस्यों की गहरी सहानुभूति को मैं केवल संकेत के रूप में ही लेता हूं। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में वह और सहानुभूति प्रकट करते हुए जो कुछ रह गया होगा उसे पूरा करने के लिए और संशोधन करने हेतु एक व्यापक विधेयक लाएंगी।

अपने ही अनुभव से, मैं कुछ मुद्दों पर विचार का सुझाव दूंगा।

मूल बागान श्रम अधिनियम, जैसा कि यह सर्वप्रथम बनाया गया था, कुछ वैचारिक कमियों से ग्रस्त है। कमी यह है कि अधिकतम 25 एकड़ भूमि और 30 श्रमिक वाले बागानों को एक यूनिट माना गया है। किसी यूनिट का क्षेत्र उसमें कार्य करने वाले श्रमिकों से सम्बन्धित होना चाहिए। यदि एक कामगार 100 एकड़ के बागान में काम करता है और दूसरा 2 एकड़ के बागान में तो उनके बीच में क्या अन्तर हुआ। दोनों ही समान परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, यह भी उसी बाजार में बेचा जाता है। जहां तक कराधान का सम्बन्ध है, यह भी शामिल है। यही स्थिति रियायतों के मामले में है। उत्पादन और उत्पादक को समान व्यवहार मिलता है चाहे यह सरकार से हो या बाजार से। केवल कामगार को ही नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि वह थोड़े एकड़ वाले बागान में कार्य कर रहा है। दूसरी बात यह है कि बागान चार दीवारी द्वारा घेरा नहीं जाता है। इसके आकार का कोई निर्धारण नहीं है। इसे टुकड़ों में कभी भी काटा जा सकता है। 100 एकड़ के एक बागान

इसके मालिक की मर्जी से 10 टुकड़ों में काटा जा सकता है। वह इसे अपने बेटों अथवा अन्य आश्रितों में बांट सकता है। इसकी कृत्रिम बिक्री भी हो सकती है। वर्तमान विधेयक से भी इसके लिए व्यवस्था है।

यदि एक बागान पंजीकृत हो जाता है तो इसके कर्मचारी इस विधेयक के अधीन कुछ लाभ के हकदार हो जाते हैं। किन्तु एक पंजीकृत बागान का पंजीकरण निरस्त भी हो सकता है यदि पंजीकरण प्राधिकारी संतुष्ट हों कि पंजीकरण की शर्तें लागू नहीं होती। इसका अर्थ क्या हुआ। जिस बागान का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाता है उस बागान में कार्य करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों का क्या होगा? मान लो, कि वास्तविक विभाजन अथक कृत्रिम विभाजन के परिणामस्वरूप, एक यूनिट को 3-4 यूनिटों में बांट दिया जाए और ये यूनिटें गैर-पंजीकृत हो जायें। कामगारों के लाभों का क्या होगा? क्या उन्हें उनके घरों से निकाल दिया जाएगा और कानून के अनुसार दिए गए सभी लाभों से विमुक्त कर दिया जाएगा। पंजीकृत बागानों द्वारा नियुक्त कामगारों को ओवरटाइम भी दिया जाता है। कानून में इसकी व्यवस्था है। जब वे गैर-पंजीकृत हो जाते हैं, बागान मालिक इस कानूनी बन्धन से मुक्त हो जाते हैं। कामगारों को कोई संरक्षण नहीं है और पंजीकरण के निरस्त होने अथवा यूनिटों के गैर-पंजीकरण हो जाने पर कोई पाबन्दी नहीं है।

केरल में, जब इस कुव्यवस्था की ओर सरकार के ध्यान में दिलाया गया, तब, उन्होंने नियम में यह व्यवस्था की कि किसी निर्धारित तारीख के बाद पंजीकरण निरस्त होने अथवा किसी बागान के बंटवारा होने पर यह उपबन्ध लागू नहीं माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप तब से कामगार अपने लाभ उठा रहे हैं। अतः किसी यूनिट का पंजीकरण निरस्त करने के बाद भी, अथवा आकार के छोटे होने से बागान की परिभाषा से बाहर हो जाने पर भी कामगारों को उनके लाभ मिल रहे हैं।

30 कामगारों और 25 एकड़ की यह समता केवल चाय के मामलों में ही चल सकती है जबकि रबड़ के मामले में 30 कामगार लगाने के लिए 150 एकड़ भूमि चाहिए; इलायची के लिए लगभग 40 एकड़ और कॉफी के लिए लगभग 75 एकड़।

यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल विधेयक का प्रारूप बनाते समय, जो लोग जिम्मेदार थे उन्होंने केवल असम और बंगाल के बागानों की परिस्थितियों को ही ध्यान में रखा था; उन्होंने केरल जैसे राज्य में एक सामान्य बागान में विद्यमान परिस्थितियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जहां विभिन्न प्रकार की अन्य फसलें उगाई जाती हैं। हमारे यहां रबड़ बहुतायत में है। लगभग 90% रबड़ का उत्पादन केरल में होता है। और हम 75% इलायची का उत्पादन करते हैं। हम कॉफी उगाते हैं और लगभग 70,000 एकड़ में इन सभी प्रकार की फसलों के बागान हैं। केरल में आदर्श परिस्थितियां विद्यमान है। मूल विधेयक का प्रारूप तैयार करने वालों ने इन कारणों की ओर ध्यान नहीं दिया है और हम अब भी बोझा उठाये हुए हैं। अधिनियम की इन कमियों को दूर किया जाना चाहिए।

इन फसलों के उगाने वाले हजारों यूनिटों के सम्पूर्ण बागान उद्योग में अब भी 12 लाख से अधिक कामगार कार्यरत हैं। इनमें से 30% भी इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आते हैं चाहे इसका अधिकार क्षेत्र कितना ही अनेकार्थक क्यों न हो।

यदि बागान की परिभाषा में रबड़ अथवा इलायची को भी बागानों के रूप में शामिल करना है तो इनके यूनिट इतने बड़े होने चाहिए कि उनकी चाय उगाने वाले यूनिट से कोई तुलना ही नहीं की जा सके।

मैं महसूस करता हूं कि माननीय मंत्री इस सुझाव पर विचार करने के लिए तैयार होंगे कि एकड़ों और कामगारों के बीच कोई परस्पर सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। उसमें सुधार किया जाना चाहिए। तेज हवाओं के कारण पेड़ गिर सकते हैं। और प्राकृतिक विपदाओं के कारण मकान भी गिर सकते हैं। किन्तु क्या छोटे बागानों में काम करने वाले लोगों पर यह विपदाएं नहीं आतीं ? उनके लिए पक्के मकान होने चाहिए ताकि वे गिर नहीं सकें। यह एक व्यापक विपदा नहीं है, जैसे सांप का काटना आदि। निस्संदेह, इनके लिए भी उपबन्ध होना चाहिए। किन्तु कामगारों के साथ घटने वाली बहुत सी ऐसी ही घटनाओं में से एक है।

मूल अधिनियम में एक बागान के भीतर स्वर्ग बनाने की व्यवस्था है। स्कूल, चिकित्सा सहायता, अस्पताल, बिजली, पीने का पानी, आवास, मनोरंजन क्लब, शिशुसदन आदि जैसी प्रत्येक सुविधा की व्यवस्था थी। यह कहा जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार अपने उत्तरदायित्वों को बागान मालिकों पर लादकर स्वयं बच निकलने का प्रयास कर रही थी। किन्तु उनकी प्रतिक्रिया क्या थी ? उन्होंने इस कानून को क्रियान्वित करने और ये सुविधाएं देने से इनकार कर दिया। राज्य केवल कर एकत्र करने में ही दिलचस्पी रखता है। कराधान की दरों में वृद्धि के परिणामस्वरूप बागान मालिकों से काफी मात्रा में कर एकत्र किया जाता है। यदि बागान मालिक सुविधाएं देने पर पैसा खर्च करें और यदि परिस्थितियों में सुधार आ जाए तब कराधान के लिए अधिक गुंजाइश नहीं रहती। सरकार द्वारा इतने अधिक कर एकत्र किए जाते हैं। किन्तु उसने कामगारों को क्या दिया ? कुछ नहीं, कोई अस्पताल नहीं, कोई स्कूल नहीं, यहां तक कि बिजली का प्रकाश भी नहीं। राज्य ने यह कहकर कि यह कार्य बागान मालिकों का है, स्वयं को इस उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया। यह उत्तरदायित्व बागान मालिकों पर क्यों थोपा गया ?

राज्य को विद्यालय और अस्पताल खोलने तथा अन्य नागरिक जिन सुविधाओं के पात्र हैं वे सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निभानी है। बागान मजदूरों को दूसरे दर्जे का नागरिक क्यों समझा जाता है। वे करोड़ों रुपये मूल्य की चाय, रबड़, इलायची और कॉफी पैदा कर रहे हैं। मजदूर की उपेक्षा करके राज्य को कर क्यों एकत्रित करना चाहिए ?

कार्यान्वयन असम्भव है। पूरे राज्य में हमारे पास आधे दर्जन निरीक्षक होंगे। निरीक्षक कहां जाता और ठहरता है ? वह कैसे जाता है ? उसे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, कोई वाहन आदि उपलब्ध नहीं है। व्यवहार में, यह एक आडम्बरपूर्ण विधान है।

आवास की क्या स्थिति है ? अधिनियम में हम यह उपबन्ध करते हैं कि सभी के लिए 12 वर्ष के भीतर अर्थात् 8 प्रतिशत लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। तब से कितने

12 वर्ष बीत चुके हैं ? बागान मालिक कहते हैं कि मकानों के निर्माण के लिए उनके पास पैसा नहीं है । जब बजट में पैसे का प्रावधान किया जाता है तो वे कहते हैं कि सीमेंट उपलब्ध नहीं है अथवा निरीक्षक द्वारा जो योजना उपलब्ध कराई जानी है वह अभी तैयार नहीं है । ये सभी बहाने किए जाते हैं । और फिर, योजना बनाने में भी विलम्ब किया जाता है । एक ही आवास योजना को बनाने में अनेक वर्ष लग जाते हैं । अतः हमें इस आशा में इस सपनों की दुनिया में नहीं रखा जाना चाहिए कि इस विधान के पारित हो जाने मात्र से स्थिति सुधर जाएगी ।

मैं आपको इसके परिणामस्वरूप होने वाले एक खतरे के बारे में बताऊंगा । बिना कोई खर्च किए बागान मालिक कहेंगे कि हमने मकान और जल उपलब्ध करा दिए हैं । अतः इस विधान के किसी भी उद्देश्य को कार्यान्वित किए बिना वे उन सभी लाभों का दावा करेंगे जो उन्हें देय हैं, वे एक भी पैसा खर्च किए बिना इसे उत्पादन लागत में जोड़ देंगे । अतः यह विधान, उत्पादन लागत बढ़ाने और करों से बचने में बागान मालिकों की ही सहायता करता है, साथ ही, अपने सामाजिक दायित्वों से बचने में भी यह उनकी सहायता करता है ।

साथ ही, इस विधान के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रफल सम्बन्धी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए । उदाहरणार्थ, दुकानों और प्रतिष्ठानों के मामले में, इस विधान के कार्यान्वयन के लिए संख्या सम्बन्धी कोई सीमा नहीं है । इसी प्रकार, कॉफी, चाय, रबड़ और इलायची उत्पादक एककों में लगे हुए मजदूरों को पीने के पानी जैसी न्यूनतम सुविधाएं मिलनी चाहिएं । मान लीजिए कि एक बागान केवल दस एकड़ का है, तब भी मजदूरों को लगातार कई घण्टों तक धूप में काम करना पड़ता है । अतः पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ।

केरल राज्य सरकार ने मजदूरों के कल्याण तथा सुविधाओं के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति गठित की थी और उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । जब श्री रविन्द्र वर्मा श्रम मंत्री थे तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि वे उस रिपोर्ट का अध्ययन करें तथा एक आदर्श विधान प्रस्तुत करें लेकिन ऐसा नहीं किया गया । अतः अब भी इस विधेयक जो लगभग पारित किया जाने वाला है, को अपना पूरा समर्थन देते हुए मैं माननीय मंत्री से अपील करूंगा कि इस उद्योग में लगे गरीब और पिछड़े हुए लोगों के कष्टों का निवारण करने के विचार से इस पूर्ण प्रश्न की एक बार फिर जांच की जानी चाहिए । आइए हम उनकी सहायता करने का कोई रास्ता ढूंढें ।

मजदूरों के कल्याण का प्रश्न पूर्णतः निरीक्षकों पर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए । आखिर रबड़ बोर्ड, चाय बोर्ड, काफी बोर्ड, इलायची बोर्ड जैसे वस्तु बोर्ड विद्यमान हैं । वे इन वस्तुओं के उत्पादन पर उपकर वसूल करते हैं । इनसे सम्बन्धित अधिनियमों में यह उपबन्ध है कि उन समितियों में एक मजदूर प्रतिनिधि शामिल होगा । यद्यपि श्रम कल्याण इन बोर्डों के कार्यकलापों के क्षेत्राधिकार में है तथापि इस ओर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया जा रहा है । वे केवल कुछ मामलों में छात्रों को कुछ छात्रवृत्ति दे देते हैं । यदि आवश्यक हो, तो सरकार को उपकर की दर बढ़ानी चाहिए, लेकिन बोर्डों को कहा जाना चाहिए कि वे श्रम कल्याण कार्यकलापों को अधिक गम्भीरता तथा ईमानदारी से करें ।

बागान मालिकों को, चाहे वे छोटे ही हों, किसी न किसी दिन बोर्ड के पास आना है, क्योंकि बोर्ड उन्हें रियायती दरों पर उर्वरक, कीट नाशक दवाइयों आदि की सप्लाई जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। जहां तक काफी बोर्ड का सम्बन्ध है, यह विपणन कार्य की देखरेख भी करता है। बोर्ड का कार्य सभी जगह है। श्रम कल्याण उपायों के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में बोर्डों का भी सहयोग लिया जाना चाहिए बजाए इसके कि उन्हें पूर्णतः निरीक्षकों पर छोड़ा जाए। बोर्डों को कल्याण कार्य देखने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

पिछले दिनों मैंने रबड़ बोर्ड की एक बैठक में भाग लिया था और वहां मैंने एक सुझाव दिया था। अस्पताल उपलब्ध कराने के लिए बागान मालिकों पर निर्भर रहने की बजाए, रबड़ बोर्ड उस क्षेत्र में दो अथवा तीन अस्पताल बनाएं जहां रबड़ बागवानी के कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर उपचार प्रदान किया जा सकता है। वे आवासीय कालोनियों तथा अस्पतालों का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि बोर्डों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। बोर्डों को इस कार्य में शामिल किया जाए। उपकर की दर बढ़ाई जाए। पर्याप्त धन आबंटित किया जाए।

मकानों के निर्माण के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अधिनियम में एक उपबन्ध है कि यदि नियोक्ता मकानों का निर्माण करने में असफल रहता है तो सरकार स्वयं मकान बनाएगी और उन पर हुए खर्च को नियोक्ताओं से बकाया राजस्व के रूप में वसूल करेगी। वे इसे गम्भीरता से कार्यान्वित क्यों नहीं करते। सरकार को चाहिए कि वह भूमि का अधिग्रहण करे, मकान बनाए और उसकी लागत नियोक्ताओं से वसूल करे।

मैं इस विधेयक की सिफारिश करता हूं। साथ ही, मैं माननीय श्रम मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह मजदूरों के इस चिर उपेक्षित वर्ग को बेहतर सुविधाएं देने के लिये और व्यापक विधेयक लाने का प्रयत्न करें।

*श्री ईरा मोहन (कोयम्बटूर) : माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय श्रम मंत्री ने जो बागवानी श्रम (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है वह पूर्ण सदन द्वारा मतैक्य से प्रशंसा का पात्र है और मैं डी० एम० के० की ओर से कुछ शब्द कहना चाहता हूं। बागवानी श्रम अधिनियम 1951 में पारित किया गया था और 30 वर्ष के पश्चात् इस मूल अधिनियम का इस विधेयक के माध्यम से संशोधन करने का प्रस्ताव है। मैं इस विधेयक का तहे दिल से समर्थन करता हूं। मैं संक्षेप में यह बताऊंगा कि बागवानी मजदूरों की असंख्य समस्याएं क्या हैं और उन्हें इस संशोधनकारी विधेयक, जिसे कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, के माध्यम से किस प्रकार सुलझाने का प्रयास है।

अब तक, 10 हैक्टेयर क्षेत्रफल वाली बागवानी ही पंजीकृत की जानी होती थी, लेकिन अब 5 हैक्टेयर क्षेत्रफल वाली बागवानी भी पंजीकृत की जा सकती है। पंजीकार राज्य सरकार

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

द्वारा नियुक्त किया जाना है। इसी प्रकार, एक आयुक्त होगा जो यह पता लगायेगा कि बागवानी मजदूरों के मकानों को भारी वर्षा अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने के कारण कितनी क्षति पहुंची है और ऐसी क्षति के लिये उन्हें दिये जाने वाले मुआवजे की राशि की सिफारिश करेगा। आयुक्त भी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना है। निस्संदेह, वे प्रशंसनीय उद्देश्य हैं, जो लाखों बागवानी मजदूरों के हितों की देखरेख के लिये हैं। यहां उपस्थित हम सभी इन मजदूरों की कठिनाइयों से परिचित हैं।

मैं अपने शहर कोयम्बटूर के निकट उधगामण्डलम और कूनूर में तथा तमिल नाडु में गुडालूर, मुन्नार, कोलीमलाई, एकौंड, कोउईकनाल, कुमबुके और अन्नामलाई हिल्स जहां चाय, काफी, इलायची, रबड़ आदि के बागान हैं, में लाखों बागान-मजदूरों के कष्टों के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। इन मजदूरों के खून और पसीने से सरकारी खजाने में करोड़ों रुपया विदेशी मुद्रा के रूप में आता है जिसकी सहायता से समूचे राष्ट्र में औद्योगीकरण को ला रहे हैं। विडम्बना यह है कि मजदूर आदिम परिस्थितियों में रह रहे हैं और उन्हें प्रतिकूल मौसम का सामना करना पड़ता है तथा बागान मालिक उन पर मनमाना व्यवहार करते हैं। उनकी बस्तियों के आस-पास शिक्षा सुविधाओं, जन स्वास्थ्य सुविधाओं, आधारभूत न्यूनतम सफाई सुविधाओं की कमी है। जब भरपूर बरसात के मौसम से भूस्खलन होता है तो कई-कई दिनों तक वे अलग-थलग रहते हैं और देश के बाकी भागों से उनका कोई भी सम्पर्क नहीं रह जाता। मुझे वास्तव में खुशी है कि इस विधान के द्वारा इन अभागे लोगों को उनके मुसीबत के दिनों में सहायता देने की व्यवस्था की गई है। लेकिन यहां इस विधेयक के प्रभावी कार्यान्वयन का प्रश्न उत्पन्न होता है। राज्य सरकारों को बागवानी मजदूरों की वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने का एक भारी कार्य सौंपा गया है। मैं सोचता हूं कि वर्तमान तमिलनाडु सरकार के हाथों इस विधेयक की क्या दुरगति होगी, जहां से भारतीय प्रशासन सेवा के नौ वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने राजनैतिक आकाओं द्वारा निरन्तर और असह्य उत्पीड़ित किये जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया है और विदेशों को चले गये हैं।

तिरुचेंदुर में हिन्दू धार्मिक एवम् धर्मार्थ स्थायी निधि विभाग के एक अधिकारी की हत्या कर दी गई थी और इस मामले को पुलिस ने आत्महत्या का मामला करार देकर समाप्त कर दिया था। लेकिन निरन्तर जन आन्दोलन ने राज्य सरकार को पाल आयोग गठित करने के लिये बाध्य कर दिया। जबकि सरकार पाल आयोग की रिपोर्ट पर निष्क्रिय बैठी थी, एक साधन सम्पन्न विरोधी नेता ने इस रिपोर्ट को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दिया। तब राज्य सरकार का कोप श्री सदाशिवम नामक अधिकारी पर गिरा, जिसे अभी पिछले ही सप्ताह निराधार संदेह पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और तंग किया गया। एक लोकप्रिय तमिल दैनिक पत्र 'मुरोसोली' के सह सम्पादक, श्री सेल्वम तथा विपक्षी ने व्यक्तिगत सहायक के रूप में कार्य कर रहे एक सरकारी कर्मचारी श्री शानमुगम को कतिपय निराधार आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया है। आज पुलिस ने मद्रास में श्री मुरोसोली मरन, संसद् सदस्य (राज्य सभा) के मकान की जबरन तलाशी ली है। राजनैतिक नशे में चूर और शक्ति सम्पन्नता के कारण घमण्डी राज्य सरकार, जो हत्यारों को शरण देने से भी नहीं हिचकिचाती, को बागवानी मजदूरों के कल्याण के लिये इस विधेयक को कार्यान्वित करने की शक्ति दी जा रही है।

सभापति महोदय : इसका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री ईश मोहन : महोदय, इसका इस विधेयक से हर प्रकार का सम्बन्ध है। इस विधेयक के माध्यम से केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को इन सांविधिक उपबन्धों जो बागवानी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये बनाये गये हैं, के कार्यान्वयन की शक्ति दे रही है।

मैं इन बातों पर इसलिये जोर दे रहा हूं ताकि यह समझा सकूं कि यह एक अवश्यम्भावी आवश्यकता हो गई है कि केन्द्रीय सरकार इस तरह के कल्याणकारी उपाय पर प्रभावकारी सुरक्षा और अविलम्ब क्रियान्वयन को सुनिश्चित बनाने के लिये कोई संगठन बनाये, विशेषकर इसलिये कि इस तरह की जिम्मेदारी तमिलनाडु जैसी निर्दयी राज्य सरकार को सौंपी जा रही है।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि इस बात की आवश्यकता है कि बागान कर्मकारी उपकर को बागान मालिकों से एकत्र किया जाये ताकि इन लोगों को जीवनयापन की न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं देने के लिये आवश्यक धन मिल सके। बागान कर्मचारियों के कल्याण के लिये एक सामूहिक बीमा योजना भी चलाई जानी चाहिये। नई दिल्ली में संसद् सदस्यों के मकानों के लिये एक सामूहिक बीमा योजना बनाई गई है। बागान कर्मचारियों के हितलाभ के लिये भी ऐसी एक योजना तैयार की जानी चाहिये और उसे चलाया जाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि माननीय श्रम मंत्री इस विषय में आवश्यक पहल करेंगे। डी० एम० के० पार्टी की तरफ से मैं इस प्रशंसनीय विधान का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, प्लाटेशन लेबर (एमैंडमैंट) बिल, 1981 का मैं समर्थन करता हूं मगर इसमें जो सैक्शन हैं, उनमें कुछ सैक्शनों के बारे में जो क्लैरीफिकेशन की आवश्यकता है, उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

एक तो सैक्शन 3(बी)(1) है, जिसमें यह दिया हुआ है :—

> "ऐसे बागानों का, जो बागान श्रम (संशोधन) अधिनियम, 1981 के प्रारम्भ पर विद्यमान हों, प्रत्येक नियोजक ऐसे प्रारम्भ के साठ दिन की अवधि के भीतर और किसी अन्य ऐसे बागान का, जो ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् अस्तित्व में आए, प्रत्येक नियोजक ऐसे बागान के अस्तित्व में आने के साठ दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता, अधिकारी को ऐसे बागान के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।"

उसके बाद प्रोविजो है—

> "परन्तु रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ऐसे किसी आवेदन को उपरोक्त अवधि के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि आवेदक, ऐसी अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारण से निवारित था।"

इसमें एक तो यह कि रजिस्ट्रेशन 6 महीने के अन्दर-अन्दर नेसेसरी है। अगर वह नहीं करा पाता है तो बाद में आपने प्रोविजो में यह व्यवस्था कर दी है कि किसी प्रकार की गलती से अगर यह रह गया है तो उसका टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। जब आपने इसमें यह

प्रोविजो दे दिया है तो एम्प्लोयर जान बूझकर गलती करेगा। पिछले ही 6 महीने का समय बहुत ज्यादा है। अगर कोई 6 महीने के अन्दर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उसके खिलाफ पीनल एक्शन होना चाहिए। जुर्माना नहीं उसके खिलाफ सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेंगे तो ऐसे कानूनों की पालना लोग नहीं करेंगे। इसलिए व्यवस्था आवश्यक है।

आगे आपने इस बिल की क्लाज 3(बी) की सब क्लाज (5) में लिखा है—

"जहां इस धारा के अधीन किसी बागान के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् ऐसे बागान के स्वामित्व या प्रबन्ध में या क्षेत्रफल के विस्तार में या उसके बारे अन्य विहित विशिष्टियों में कोई परिवर्तन होता है, वहां ऐसे परिवर्तन के सम्बन्ध में विशिष्टियां नियोजक द्वारा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, सूचित की जाएगी।"

अब इसमें क्या व्यवस्था है कि मान लीजिए प्लान्टेशन के सम्बन्ध में इतने एकड़ जमीन रखने का जो नियम है अगर उसमें से वह जमीन बेच देता है और कानून से बचने के लिए बेच देता है और उसकी वह रजिस्ट्रेशन अथारिटी को भी सूचना नहीं देता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है ? वह भी इस कानून की अवहेलना करता है और वह व्यक्ति भी कानूनी तरीके से अपराधी है और उसे अपराधी मान कर सजा मिलनी चाहिए। इस बिल में इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। इसकी भी व्यवस्था इस बिल में की जानी चाहिए। जो भी प्लान्टेशन मालिक कानून से बचने की कोशिश करे, उसके खिलाफ कोई न कोई सख्त कानूनी व्यवस्था करना नितांत आवश्यक है।

इसी प्रकार इस अमैंडमैंट बिल की सेक्शन 6 और पुराने ऐक्ट की सेक्शन 12 में यह लिखा है—

6. मूल अधिनियम की धारा 12 में—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

(i) ऐसे प्रत्येक बागान में, जिसमें पचास या इससे अधिक स्त्री कर्मकार (जिनके अन्तर्गत किसी ठेकेदार द्वारा नियोजित स्त्री कर्मकार भी हैं) नियोजित है या पूर्ववर्ती बारह मास में किसी दिन नियोजित थीं या जहां स्त्री कर्मकारों के (जिनके अन्तर्गत किसी ठेकेदार द्वारा नियोजित स्त्री कर्मकार भी हैं) बालकों की संख्या बीस या इससे अधिक है वहां ऐसे स्त्री कर्मकारों के बालकों के उपयोग के लिए उपर्युक्त कमरे नियोजक द्वारा उपबन्धित किए जायेंगे और बनाए रखे जायेंगे।"

यह आपने इसमें प्रावधान किया है, लेकिन इसकी अवहेलना करने वाले के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी। इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्लांटेशन जंगलों में होता है और वहां पर लेबर-डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी नहीं जाता, इसलिए इन बातों की पालना नहीं होती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे इसकी पालना हो। जो छोटे बच्चे औरतों के साथ

आते हैं, उनके लिए केवल कमरे की व्यवस्था इसमें की गई है। वह कमरा भी नहीं बनाया जाएगा। मेरा कहना तो यह है कि वहां पर बच्चों के लिए खिलाने-पिलाने, नहलाने-धुलाने, दूध पिलाने और अन्य दूसरी आवश्यक चीजों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये व्यवस्थाएं नितांत आवश्यक हैं। बच्चों की देखभाल के लिए एक आदमी भी होना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट तो सब तबाह और बरबाद कर रही है। ये तो हमारी सरकार पालन-पोषण करती है वरना आपकी तरफ से तो···। (व्यवधान)

हाउसिंग फेसिलिटीज के बारे में कहा गया है कि वहां पर छोटे-छोटे झोंपड़े बना देंगे। क्या इनसे बरसात और सर्दी से मजदूर अपनी रक्षा कर सकेंगे ? इसलिए मेरा सुझाव यह है कि मजदूरों के लिए मकानों की व्यवस्था होनी चाहिए।

हाउस कोलेप्स के अन्दर जो आदमी मर जाता है या हाथ-पांव टूट जाते हैं तो कंपंसेशन के लिए इसमें कहा है। कितना कंपंसेशन मरने वाले को और कितना हाथ-पैर टूटने पर दिया जाएगा और कंपंसेशन देने की क्या व्यवस्था होगी ? क्या कंपंसेशन लेने के लिए दावा करना पड़ेगा या आपका अधिकारी उस सम्बन्ध में कोई एक्शन लेगा ? इस प्रकार की व्यवस्थाएं नितांत आवश्यक हैं। यदि प्रोसीजर लम्बा-चौड़ा कर दिया तो उसके फैसले में ही साल भर लग जाएगा और एक मजदूर इतनी लम्बी पैरवी नहीं कर सकता। इसलिए सरकारी अधिकारी के द्वारा कंपंसेशन की कुछ न कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए जब जाकर माकूल तरीके से मजदूरों का भला हो सकता है।

16(ई) में आपने चीफ कमिश्नर को कंपंसेशन का फैसला करने का अधिकार दिया है और उसके बाद अपील हाई-कोर्ट में रखी है। अगर एंप्लायर के खिलाफ फैसला होता है तो वह तो हाई-कोर्ट में जा सकता है, लेकिन यदि मजदूर के खिलाफ फैसला होता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए कोई लोकल व्यवस्था होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होना चाहिए, ताकि मजदूर कम पैसे में सारी व्यवस्था कर सके। यह आवश्यक है :—

> "किसी व्यक्ति का धाना 16क के अधीन प्रतिकर का दावा करने का अधिकार; तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संदेय प्रतिकर को वसूल करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा; किन्तु कोई भी व्यक्ति गृह के उसी ढह जाने की बाबत एक से अधिक बार प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।"

यदि एक घर से दो आदमी मर जाएं तो उनका डिपेंडेंट उन दोनों के लिए क्लेम नहीं कर सकता। यह आपने पाबंदी लगा दी है कि वह दो के लिए कंपंसेशन नहीं मांग सकता। इसी प्रकार यदि दो व्यक्तियों के हाथ-पैर टूट जाते हैं, तब भी उनका डिपेंडेंट कंपंसेशन क्लेम नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कानून के शिकंजे में गरीब आदमी न पिस जाए।

इसी प्रकार इसमें वेलफेयर एक्टीविटीज के बारे में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। शिक्षा, इंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन, मैडिकल फैसिलिटीज, आदि का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। ये सब व्यवस्थायें की जानी चाहिये।

इसी प्रकार से प्रावीडेंट फण्ड और ई० एस० आई० की भी व्यवस्था होनी चाहिये। जो बड़े प्लांटेशन हैं वहां पर ये व्यवस्थाये होनी चाहिये। इन दोनों कामों में आपके महकमें में ढील हो रही है। बड़े-बड़े एंप्लायर प्रावीडेंट फण्ड का पैसा खा कर बैठे हैं और आपका डिपार्टमेंट कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल का एंप्लायर 20 लाख रुपये खा कर बैठा है, लेकिन आपका विभाग चुपचाप है। ई० एस० आई० साढ़े तीन लाख रुपये और खाये बैठा है और आज मजदूरों को दवाई नहीं मिल रही है। कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इससे ज्यादा और क्या अन्याय हो सकता है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल के एंप्लायर सम्पत मल लोड़ा 20 लाख रुपये प्रावीडेंट फण्ड के और साढ़े लाख रुपये ई० एस० आई० के मजदूरों को नहीं दे रहे हैं। कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मजदूर पिस रहा है इसलिये इसको भी देखा जाये।

मिनिमम वेज जो आपने सोप स्टोन वर्कर के लिये निर्धारित की है वह बहुत कम है। उसके बारे में मेरा निवेदन है कि उसका रिविजन होना चाहिये। महंगाई भत्ता आप उनको देते नहीं है 16-65 में उनका गुजारा नहीं होता है। उसके रिविजन की आवश्यकता है। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसका आप रिविजन कराये।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

के० ए० राजन (त्रिचूर) : श्रीमान्, मुझे यह कहते हुये दुख होता है कि यह विधेयक देर से लगाया गया है। यदि आप मूल अधिनियम को देखें तो यह 1951 का है और उसको तीस वर्ष बाद ये विधेयक लाया गया है। यह विधेयक 1974 में प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद वह एक संयुक्त प्रवर समिति को गया जिसने दो वर्ष बाद 1975 में अपना प्रतिवेदन दिया। सात वर्ष बाद यह विधेयक सभा के सामने लाया गया इस बीच बहुत कुछ हो चुका है और आर्थिक स्थिति बदल गई है.....

श्री राम दुलारी सिन्हा : देर शायद दुरस्त शायद।

श्री के० ए० राजन : इस बीच काफी परिवर्तन हो चुके हैं यदि उनका ध्यान इसमें वहीं रखा गया है। यह बात है जो मैं कहना चाहता हूं। वास्तव में श्रीमान समय आ गया है जबकि बागान कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई विस्तृत विधेयक लाया जाए।

इस पर भी जो कुछ इस विधेयक में शामिल किया गया है उसका स्वागत है और कुछ बातें इसमें ऐसी हैं जिनका मैं स्वागत कर सकता हूं। एक बात का सम्बन्ध काम के घंटों से है। जिन्हें 64 से घटा कर 48 कर दिया गया है। कर्मकारों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के उपबन्धों लाभ भी दिया गया है।

इस मामले में मैं एक बात कहना चाहूंगा। बागान उद्योग के स्थान की बात हैं। यह उद्योग अलग-अलग जगहों में फैला हुआ है। और मैं कहूंगा कि यह उद्योग ऐसे क्षेत्रों में फैला है जहां कठिनाइयां हैं। अधिकांशतः महिलाएं इस उद्योग में कार्यरत हैं। दूरदराज जगहों में यह उद्योग फैला हुआ है। इस तरह इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए आंतरिक ढांचे की कमी

की समस्या है। इसमें बहुत कठिनाई होगी। उद्योग का जैसा विशेष ढांचा है और जिस तरह वह अवास्थित है उसके कारण इन चीजों को लागू करने वाली मशीनी और अधिकारीगण अपना काम नहीं कर सकते हैं। यह वास्तव में एक बड़ी समस्या है। आप समान पारिश्रमिक अधिनियम के कार्यकरण की देखिये वास्तव में उद्योग में इस अधिनियम पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। अधिकांश पुरुष और महिला कर्मकारों के वेतन भिन्न हैं। इस तरह क्रियान्वय और अन्य बातों की समस्या है।

प्रवर समिति को इन सब पहलुओं पर विचार करने की क्षमता प्राप्त नहीं थी फिर भी उसने इन समस्याओं पर ध्यान दिया और उन्होंने कुछ सामान्य बातें कही हैं। क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उनका कहना है :—

"समिति के सामने साक्ष्य के दौरान बागान में काम करने वाले कर्यकारों के प्रतिनिधियों ने बताया कि बागान श्रम अधिनियम, 1951 में जो उपबन्ध हैं, विशेष रूप से ऐसे उपबन्ध हैं जिनमें कर्मकारों के हितलाभ के लिए विभिन्न उपाय करने की व्यवस्था की गई है, उनका क्रियान्वयन बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं रहा है। उनका दावा था कि उन उपबन्धों के परिपालन की बजाय उनका उल्लंघन अधिक हुआ है। राज्य सरकारों के जिन पदाधिकारियों को इस अधिनियम के उपबन्ध लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई उन्होंने भी इस बात को माना कि निरीक्षण कर्मचारियों तथा परिवहन-सुविधाओं की कमी के कारण वे अपने अधीक्षण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बागान का निरीक्षण अपेक्षित सीमा तक नहीं कर पाए हैं। बागान क्षेत्रों के दौरे के समय भी समिति ने देखा कि कई बागान में शुद्ध पेय जल, शौचालय और मूत्रालय और योग्य चिकित्सक तथा दवाइयों के उपबन्ध जैसी न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं की हालांकि अधिनियम के अन्तर्गत यह अपेक्षा की गई है कि नियोक्ता इन सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे।"

यह विचार उन्होंने व्यक्त किया है। समिति ने पूरे देश का दौरा किया और साक्ष्य एकत्र किये। कल्याणकारी उपाय जो भी है उन पर किस तरह मालूम हो रहा है, इस बारे में संयुक्त प्रवर समिति के ये विचार हैं :—

अब जहां तक अधिनियम के उल्लंघन के लिए सजा देने सम्बन्धी उपबन्धों का सम्बन्ध है, यह बात समिति के सामने आई कि सजाएं अपर्याप्त हैं और समिति के सामने प्रार्थना की गई कि जब तक अधिनियम में न्यूनतम सजा विहित नहीं की जाती तब तक ऐसी सजा का निवारक प्रभाव नहीं होगा। समिति ने इस बारे में कहा है :—

"समिति इस विचार से सहमत है और केन्द्रीय सरकार से सिफारिश करती है कि बागार श्रम अधिनियम, 1951 की धारा 36 के वर्तमान उपबन्धों में इस आशय का संशोधन किया जाए कि बागान श्रम अधिनियम, 1951 के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन होने पर सक्षम न्यायालय द्वारा जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से नीचे के दर्जे का न हो प्रबन्धकों को कारावास की ऐसी सजा दी जाएगी जो 3 महीने से कम नहीं होनी चाहिए।"

मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं। आवास के सम्बन्ध में देखिए क्या हो रहा है। हम मकान बनाने के लिए इतनी सहायता देने और इतना अधिक ऋण देते हैं परन्तु आप देखें कि बागानों में आवास निर्माण का काम कहां तक संतोषजनक हैं। बेहतर यह होगा कि निर्माण का सारा कार्यक्रम राज्य सरकार को सौंप दिया जाए और सम्बन्धित राज्य सरकार यह काम करे और धनराशि बागान के लोगों से वसूल कर ली जाए.....

सभापति महोदय : पांच बज गए हैं। आप काम जारी रखेंगे ?

श्री के० ए० राजन : हां, श्रीमान्, मैं कल जारी रखूंगा।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : श्रीमान्, 5 बज गए हैं और अब मेरी बात पर विचार होगा। मेरा निवेदन यह है कि बागान श्रम संबंधी इस विधेयक पर आज ही विचार पूरा कर लें।

सभापति महोदय : कैसे ?

श्री पी० वेंकट सुब्बया : इसके बाद आध-घंटे की चर्चा है। आध-घंटे की चर्चा के बाद इस विधेयक को ले लिया जाए।

एक माननीय सदस्य : नहीं, श्रीमान् !

श्री पी० वेंकटसुब्बया : श्रीमान् समय कम है और विचारणीय विषय अधिक है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : हम इस विधेयक पर कल विचार कर लेंगे। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं।

अखिल भारतीय सेवाए (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं) संशोधन नियम, 1981 के निरसन के बारे में प्रस्ताव

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 24 को लेंगे। श्री रोजनालकर यहां नहीं है। श्री फूलचन्द वर्मा नहीं है। डा० बसन्त कुमार पंडित।

डा० बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"कि यह सभा संकल्प करती है कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसरण में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति प्रसुविधायें) संशोधन नियम, 1981 का, जो दिनांक 7 मार्च, 1981 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 248 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 15 अप्रैल, 1981 को सभा पटल पर रखे गये थे, निरसन किया जाये।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प से सहमत हो।"

श्रीमान्, सिद्धान्त के तौर पर मैंने इस प्रकार कहा है :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा इस संकल्प पर अपनी सहमति दे।"

मैं इस अधिसूचना को—अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति सुविधाएं) संशोधन नियम—को बातिल किए जाने का समर्थन करता हूं।

पहले भी इन नियमों का संशोधन हुआ है। इस तरह यह पहला संशोधन नहीं है। इससे पूर्व जो संशोधन हुए हैं उनमें आप देखेंगे कि उनमें एक फार्मूला निर्धारित था और सेवा की किसी एक श्रेणी में यह वृद्धि न्यूनधिक एक जैसी और नियमित थी। भेद की बात यह है। संशोधन नियमों और अधिसूचना से इसका स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस सिद्धान्त को एक जैसा रखने के सिद्धान्त को छोड़ दिया गया है। इससे पूर्व के भतों में पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया था। इसे 500 रुपये से बढ़ाकर 725 रुपये किया गया। अन्य सभी मामलों में 40 प्रतिशत वृद्धि की गई। जब तक यह वृद्धि बराबर रहती है तब तक मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु वर्तमान आदेश में ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई उद्देश्य है क्योंकि इसका संबंध पूरी तरह से एक विशेष पद से है—किसी एक वर्ग से नहीं—और वह है केबिनेट सैक्रेटरी का पद। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह प्रसुविधा केवल एक व्यक्ति विशेष को मिलेगी? क्या यह केवल केबिनेट सैक्रेटरी को मिलेगी जिसे आज हम मंत्री परिषद् का सचिव कहते हैं। वह भी प्रथम श्रेणी का अधिकारी होता है। जहां तक मेरी जानकारी है भारत सरकार के सभी मुख्य सचिव, सेना के जनरल और रेलवे बोर्ड का चेयरमैन भी इसी ग्रेड में आते हैं। परन्तु किन्हीं कारणों से, जो भारत सरकार को ही पता है, उन्हें इस वृद्धि से वंचित रखा गया है।

श्रीमान, अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या केबिनेट सेक्रेटरी के लिए, मंत्री-परिषद् के सचिव के लिए कोई विशेष वर्गीकरण है। मैं जानना चाहूंगा कि जो पदाधिकारी एक ही स्तर के हैं उन्हें इस वृद्धि का लाभ क्यों नहीं दिया गया? क्या कारण है कि नियमों के पूर्ववर्ती संशोधनों में समानता के जिस सिद्धांत का सभी जगह अमल हुआ है, उस पर इस नियम विशेष के मामले में क्यों अमल नहीं किया गया?

श्रीमान, इस पर किसी उचित तथा तर्कसंगत स्पष्टीकरण के अभाव में मुझे यही निष्कर्ष निकालना होगा कि इस संशोधन के कारण कटुता आएगी और भेदभाव होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार स्पष्ट करे कि जो लोग उसी स्तर, उसी ग्रेड के और उसी वर्गीकरण के अन्तर्गत आते हैं, उनके विरूद्ध भेदभाव करने किए जाने का क्या कारण है? किस कारण से सरकार ने यह विनियम लाना उचित समझा है?

श्रीमान्, मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि मुख्य सूचियों, बोर्डों के चेयरमैनों और सेना के जनरलों के पास कार्यभार समान ही होता है। क्या हम सचिवों तथा उस रैंक के अधिकारियों के कार्यभार में अन्तर करने का प्रयास कर रहे हैं? अतः क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं किन कारणों से यह संशोधनकारी नियम बनाए गए हैं और किस सिद्धांत को लेकर उन्होंने यह प्रसुविधाएं केवल केबिनेट सैक्रेटरी के पद को देने का निश्चय किया है।

गृह-कार्य मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बया): सभापति महोदय, मेरे मित्र डा० पंडित ने कुछ बातें उठाई हैं और उन्होंने केबिनेट सैक्रेटरी और उस वर्ग के अन्य अधिकारियों के बीच भेदभाव करने की सरकार की बुद्धिमता पर संदेह किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि क्या ऐसे और अधिकारी हैं जो केबिनेट सैक्रेटरी के स्तर के हैं और उन्हें वेतन और पैंशन की सुविधाएं मिल रही हैं।

श्रीमान, केबिनेट सैक्रेटरी की अपनी विशेष स्थिति है। वह सूचियों में सबसे ऊपर आता है और उसे अग्रता अधिपत्र में पूरे जनरल अथवा उसके समान पद वाले चीफ आफ स्टाफ के मुकाबले अधिक ऊंची पदस्थिति प्राप्त है। इस व्यक्ति का एक विशेष कार्य है। इसीलिए सरकार ने—हमारी सरकार ने नहीं—जब श्री चरण सिंह उपप्रधानमंत्री थे, इस सभा में स्लैबों पर आधारित पेंशन फार्मूला के बारे में कहा था। इस नए फार्मूले के अनुसार औसत मूल्य सूचकांक 328 रहने पर पैंशन तथा प्रसुविधा की कुल राशि पर अधिनियम सीमा—रुपये पर थी और केबिनेट सैक्रेटरी के मामले में यह निश्चय किया गया कि उसकी पैंशन चीफ आफ स्टाफ के बराबर होगी।

पूर्वउदाहरणों का स्थान सेवा अध्यक्षों से भी ऊंचा है। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री द्वारा संसद् के दोनों सदनों में दिए गए वचन को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अन्य अधिकारियों के लिए 1500 रुपये की सीमा है। पूर्वोदाहरण के क्रय में वह समकक्ष हैं या सेवा अध्यक्षों से भी बड़े पद पर हैं। चूंकि सेना अध्यक्षों को 1700 रुपये पैंशन मिलती है इसलिए केवल इसी मामले में ही ऐसा किया गया है। अतः इस मामले में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। और उस समय सभी सेवाओं के साथ कुछ तालमेल बैठाया गया था। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री के वक्तव्य में इस आशय की घोषणा की गई थी। इसलिए उसके अनुसरण में नियमों में संशोधनकारी इस अधिसूचना को जारी किया गया था। अतः कोई भेदभाव नहीं किया गया। यह एक साधारण सी बात है। और जैसा कि मैंने कहा, मंत्रिमण्डलीय सचिव का पद बहुत बड़ा है। इसके अतिरिक्त, उन्हें सेना अध्यक्षों के समकक्ष रखने के लिए यह व्यवस्था की गई थी। मैं नहीं समझता कि हमारे मित्र डा० बसन्त कुमार पंडित को इस प्रकार की बातों पर आपत्ति है। वह उस समय सत्तारूढ़ दल के सदस्य थे। मुझसे भी ज्यादा उन्हें इस संशोधन का समर्थन करना चाहिए जिसे एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री और एक भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री, श्री चरण सिंह ने किया था।

सभापति महोदय : आप केवल उनका काम ही कर रहे हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : जी हां, मैं उनका ही काम कर रहा हूं।

डा० वसंत कुमार पंडित : अप्रैल 1979 में तत्कालीन सरकार के गिर जाने पर अन्तरिम सरकार बनाई गई थी, यह मेरे दल की सरकार नहीं थी।

प्रो० एन० जी रंगा (गुन्दूर) : वह उप प्रधानमंत्री, श्री चरण सिंह थे।

डा० वसंत कुमार पंडित : उस समय हमारी पार्टी नहीं थी।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने यह वक्तव्य दिया था।

डा० बसंत कुमार पंडित : 1951 से 1979 तक सरकार ने मंत्रीमण्डलीय सचिव को अधिक ग्रेड देने या इस पद की वरिष्ठता के बारे में नहीं सोचा। इतने वर्षों तक यह तर्क कभी नहीं दिया गया।

श्री वी० वेंकटसुब्बया : मैं क्या कर सकता हूं। श्री चरण सिंह ने ही यह संशोधन पेश किया था।

डा० बसंत कुमार पंडित : हम तो इसे पहली बार ही देख रहे हैं। हमें यह जानकर खुशी हुई है। यह पहला अवसर है कि वे यह कह रहे हैं कि हमारे शासनकाल में कोई अच्छा कार्य किया गया था और वे इसे जारी रख रहे हैं, इसके बावजूद यदि हमारे शासनकाल के दौरान गलतियां की गई तो उन्हें उनको जारी नहीं रखना चाहिए...

प्रो० एन० जी० रंगा : इसमें भेदभाव का सवाल कहां उठता है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : बहुत ही कम ऐसे मामले हैं जिनमें उन्होंने कोई गलती नहीं की है। उनमें से एक मामला यह भी है।

सभापति महोदय : यह आपके लिये सम्मान की बात है।

डा० वसंत कुमार पंडित : डाकतार कर्मचारियों, विश्वविद्यालय के अध्यापकों आदि को बोनस देने के मामलों पर विचार करते समय, हर बार वे यही तर्क देते थे कि देखिये, हमें यह देखना है कि अन्य व्यक्तियों को भी लाभ दिया जा रहा है या किसी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव तो नहीं बढता जा रहा आदि। अतः मेरे विचार में इस विशिष्ठ मामले में जोकि श्रेणी I के अधिकारियों से सम्बन्ध है, इस प्रकार का भेदभाव नही किया जाना चाहिये था। तथापि, चूंकि मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दे दिया है, मैं अपने प्रस्ताव के लिये जोर नहीं दूंगा।

सभापति महोदय : क्या सभा इस बात से सहमत है कि डा० वसंत कुमार पंडित द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव को वापस ले लिया जाये ?

सभा की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।

आधे घण्टे की चर्चा
दिल्ली के स्कूलों में त्रि-भाषा का फार्मूला

श्री रामनाथ सोनकार शास्त्री (सैंदपुर) : सभापति महोदय, पहले तो मैं माननीय स्पीकर साहब को धन्यबाद देता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण सवाल पर आध घंटे की चर्चा स्वीकार की है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने उप शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं। उपशिक्षा मंत्री जी रेल मंत्री ज्यादा हैं और शिक्षा मंत्री कम हैं। मैं नहीं समझता कि क्या वह इन प्रश्नों का जवाब दे पायेंगे। वहरहाल, मैं आपके संरक्षण में चन्द शब्द इस सन्दर्भ में विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं।

मान्यवर, आज मुल्क में हिन्दी राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में मानी जा रही है। 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी कानून हमारे मुल्क में राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई। इसी के साथ-साथ हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा भी थी। हमारे शासकों ने हिन्दी की प्रगति के लिए इस हाऊस में और इस हाऊस के के बाहर बड़ी-बड़ी प्रतिज्ञायें की ओर बड़े-बड़े वायदे किए और एक बार नहीं सैकड़ों-हजारों बार उन्होंने हिन्दी की प्रगति के लिए पूरे मुल्क की शासन व्यवस्था को और शासन के जिम्मेदार लोगों को बड़े आवश्यक निर्देश दिए, लेकिन आज 34 वर्ष के बाद भी ये सारे के सारे निर्देश, सारी की सारी व्यवस्था कागज पर ही रह गई है।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क में हिन्दुस्तान के अन्दर हिन्दी को राजाभाषा स्वीकार करते समय' हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में होते हुए, जितना हिन्दी का अपमान हुआ है, उतना किसी भी भाषा का अपमान नहीं हुआ है। मान्यवर, मुझे यह कहने में जरा भी सकोच नहीं है कि इस मुल्क के अन्दर हिन्दी को मेहतरानी के रूप में स्वीकार किया गया है और अंग्रेजी को महारानी के रूप में स्वीकार किया गया है। यह सभी हमारे मुल्क के शासन की देन है··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अंग्रेजी विरासत में मिली हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मान्यवर, जैसा कि हमारे राय साहब ये कहा कि पैदा होते ही इस मुल्क को अंग्रेजी विरासत में मिली। मैं लोकसभा में बिल्कुल नया आया हूं इसके लिए पहले कभी मैंने लोकसभा की कल्पना तक नहीं की थी। मैंने यहां आकर देखा, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यहां भी अंग्रेजी के हिमायती बैठे हुए हैं···(व्यवधान)···हिन्दी के लिए इस मुल्क में कुछ विशेष प्रान्तों को लेकर आड़ में कहा जाता है कि ये प्रान्त हिन्दी नहीं चाहते हैं, जबकि मेरे पास इस बात के पूरे प्रमाण हैं कि हिन्दी के लिए काफी बलिदान हुए हैं। दस-बारह साल पहले आन्ध्र प्रदेश में एक आदमी ने हिन्दी के ही पक्ष में अपने बदन पर तेल छिड़कर आग लगाकर जिन्दा मर गया। तमिलनाडु में भी और मैसूर में भी तथा दक्षिण भारत के अन्य प्रान्तों में भी, हिन्दी के बारे में आज भी लोगों के अन्दर सम्मान है और मुल्क के सारे लोगों की आत्मा की आवाज है कि हिन्दी राष्ट्र भाषा के रूप में और साथ ही साथ राजभाषा के रूप में अवश्य प्रस्थापित की जाए।

जन संख्या की दृष्टि से भी यदि हम देखते हैं, तो हिन्दी का विश्व के अन्दर तीसरा स्थान है। इस संदर्भ में मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं—चाइनीज भाषा बोलने वाले 60 करोड़ लोग हैं, अंग्रेजी भाषा बोलने वाले 34 करोड़ लोग हैं, रशिया भाषा बोलने वाले 20 करोड़ 60 लाख हैं, स्पैनिश 15 करोड़ 20 लाख लोग हैं, अन्य भाषा बोलने वाले 12 करोड़ लोग हैं, जैपेनीज भाषा बोलने वाले 10 करोड़ लोग हैं, अरबी भाषा बोलने वाले 9 करोड़ लोग हैं, जबकि हिन्दी बोलने वालों की संख्या, यदि कुल टोटल किया जाए तो तीसरा नम्बर यानी 28 करोड़ लोग हैं।

इतनी बड़ी संख्या में बोलने वाले हिन्दी भाषी हैं।

सभापति महोदय : यह तो दिल्ली स्कूलों के बारे में है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : दोनों के बारे में है, उसमें पहला यह है और उसके बाद वह है। मैं 5-5 मिनट ही दोनों पर लूंगा।

मान्यवर, इस प्रकार से 28 करोड़ हिन्दी वाले जो लोग हैं, उनकी आज यहां पर उपेक्षा है। वर्तमान शासन के छः महीने के अन्दर हिन्दी बोलने वालों के साथ क्या व्यवहार किया गया है, उसे बता देना चाहता हूं। डब्ल्यू० एस० पाल नाम का एक व्यक्ति है, जो एन० सी० ई० आर० टी० में फोटोग्राफर के पद पर कार्यरत है। वह हिन्दी बोलता है और अपना सारा काम हिन्दी में करता है। उसका अधिकारी कोई मित्रा है। वह उससे इसलिये दुःखी है कि वह हिन्दी में क्यों बात करता है और हिन्दी में क्यों अपना काम करता है। तरह-तरह की तिगड़म लगाकर उसने 28 साल से सेवा करने वाले कर्मचारी को अभी-अभी मुअत्तल किया है। मैंने शिक्षा मंत्री जी से कहा, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बुला रहा हूं और अभी उसकी फाइल देखता हूं लेकिन आज तक हिन्दी के नाम पर बलिदान हुए उस आदमी की फाइल नहीं देखी गई।

इतना ही नहीं, इसी संदर्भ में एक और अत्यन्त शर्मनाक चीज बता दूं। उस कर्मचारी ने अपने जी० पी० एफ० से, जब वह भूखा मरने लगा, हिन्दी में पैसा निकालने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया। उसी अधिकारी ने बुलाकर उससे कहा कि तुम अपना प्रार्थना-पत्र अंग्रेजी में लाओ लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मैं हिन्दी में ही यह प्रार्थना-पत्र दूंगा और उसका परिणाम यह हुआ कि उसकी कमाई का पैसा सारा जमा है लेकिन आज तक जी० पी० एफ० का पैसा उसे वापस नहीं किया गया और उसे अंग्रेजी में प्रार्थना-पत्र देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इससे बढ़कर लज्जा की बात हम लोगों के लिये और नहीं हो सकती। आज हिन्दी की हत्या हमारे ही लोगों के द्वारा की जा रही है। मैं यह नहीं कहता कि हिन्दी को ही अपनाया जाये और अपने देश की दूसरी मातृभाषाओं को आदर न दिया जाए। मैं इस बात का हिमायती हूं कि हिन्दी के साथ और दूसरी मातृभाषाओं जैसे बंगला, तमिल, तेलगु वगैरह-वगैरह को भी आदर दिया जाए। आज हमारी प्रधान मंत्री जी बाहर जाकर अंग्रेजी में बोलती हैं और जब उनको वहां कुछ कहना होता है, तो हिन्दी की हिमायती होती है और हिन्दी की वकालत करती हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह डबल नीति क्यों है और यह कैसे आगे चलेगी।

मान्यवर, हिन्दी के विकास के लिए एक हिन्दी निदेशालय की स्थापना की गई है। हिन्दी निदेशालय का तो कुछ कहना ही नहीं। यहां जितने काम हो रहे हैं, सब धीमी गति से हो रहे हैं। चार-चार और पांच-पांच साल से पुस्तकें यहां पर पड़ी हुई हैं और आज तक उन पुस्तकों के प्रकाशन का फैसला नहीं हुआ। जो वहां से पुस्तकें छपती हैं, उनको पाठ्यक्रम में नहीं लगाया जाता है। जो विशेषज्ञ नियुक्त किए गए हैं, वह भी उतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते जितना उनका कर्त्तव्य है और आश्चर्य की बात मैं यह बता रहा हूं कि—मैं हिन्दी का लेखक हूं और जानता हूं—इसी दिल्ली के अन्दर हिन्दी लेखकों के नाम का ट्रेड मार्क चलाया जा रहा है और उनके नाम से किताबें बिकती हैं। राजवंश, रति मोहन, सुरेश और शेखर ऐसे-ऐसे नामों से किताबें बिकती हैं और पता नहीं कि वह आदमी आज जिन्दा भी है और वह इस दुनिया में कभी पैदा भी हुआ है। ऐसे लेखकों के नाम से धड़ल्ले से किताबें बिक रही हैं। सरकार अश्लीलता के नाम पर और गलत लेखकों के नाम पर और किताबें छपती हैं, तो उसके लिए दण्ड लगाने की बात तो करती है लेकिन सरकार के दिमाग में यह बात नहीं है कि इस प्रकार फर्जी लेखकों, जाली लेखकों को ट्रेड मार्क के रूप में जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं। मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षा मंत्री जी ऐसे प्रकाशकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना चाहती है या भविष्य में करेंगे, जो ट्रेड मार्क के नाम से किताबें छाप कर बेच रहे हैं।

सभापति महोदय : स्कूलों के बारे में कहिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : प्रौढ़ शिक्षा पर और हिन्दी के विकास के लिए बहुत रुपया खर्च किया जा रहा है, करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है लेकिन मैं यह देखता हूं कि 100 आदमी भी देहातों में हिन्दी नहीं सीख सके हैं। इसका मेरे पास बहुत गहरा प्रमाण है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अब तक जो हिन्दी के हत्यारे लोग रहे हैं, क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

आपने स्कूलों के बारे में कहा। मान्यवर, हिन्दी के विकास के लिए, हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए दिल्ली के स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूला लागू किया गया था। डा० सुनीति कुमार चटर्जी जो कि राजभाषा आयोग के चेयरमैन थे, उन्होंने 1956 में त्रिभाषा फार्मूले का प्रस्ताव रखा था। दिल्ली एजुकेशन ऐक्ट 1973 में बहुत अच्छे ढंग से स्वीकार किया गया और कक्षा 6 से कक्षा 10 तक तीन भाषाएं पढ़ाने की केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दी। अब जैसा कि हम देख रहे हैं और मेरे जिस प्रश्न पर आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार की गई, इसका उत्तर देते हुए बताया गया कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक त्रिभाषा फार्मूला लागू है, उसके बाद लागू नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह हिन्दी का भयंकर रूप से अवरोध करने का तरीका नहीं है ?

मान्यवर, एक वर्ष पहले हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य रूप से पढ़ायी जा रही थीं। सेन्ट्रल बोर्ड ने एक भाषा अनिवार्य करके हिन्दी की हत्या कर दी। शिक्षा मंत्री ने 27-11-81 को राज्य सभा में प्रश्न संख्या 712 के उत्तर में बताया कि 56 हजार 351 छात्रों में से, 50 हजार

83 छात्रों ने अंग्रेजी में परीक्षा दी तथा कक्षा आठ तक त्रिभाषा फार्मूला लागू है। कक्षा 9-10 में त्रिभाषा फार्मूला क्यों नहीं लागू है यह मैं जानना चाहता हूं ?

मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि हिन्दी को नेस्तोनाबूद करने के लिए तथाकथित अंग्रेजी से प्रभावित लोग एक साजिश कर रहे हैं। 10+12 योजना में भी सभी छात्र हिन्दी और अंग्रेजी अनिवार्य रूप से पढ़ते थे। लेकिन अब हिन्दी और त्रिभाषा फार्मूला को हटा कर आपने उनमें केवल एक भाषा लगाई है। इस तरह से उन कक्षाओं में भी आपने हिन्दी का कोई भविष्य नहीं रखा है।

शिक्षा उपमन्त्री ने लोक सभा में प्रश्न संख्या 1986 के उत्तर में बताया था कि विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में 183 छात्र हिन्दी पढ़ते हैं और 6 हजार 322 छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सब कैसे हो रहा है ? क्या इस मुल्क में हिन्दी का इससे बढ़ कर कोई अपमान किया जा सकता है ? क्या इसका और कोई दूसरा उदाहरण मिल सकता है ?

मान्यवर, मैं अपने वक्तव्य को, लम्बा नहीं बढ़ाना चाहता। और लोग भी प्रश्न पूछेंगे और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे इस सवाल पर पूछें। मैं अब केवल दो-तीन प्रश्न माननीय शिक्षा मन्त्री जी से पूछूंगा—

जब सैन्ट्रल बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में त्रिभाषा फार्मूला लागू करने के लिए दिल्ली के स्कूलों को कानून के खिलाफ करने को कहा तो दिल्ली प्रशासन ने कानून का पालन करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की थी ?

क्या यह भी सत्य है कि इस त्रिभाषा फार्मूला करने से अंग्रेजी भाषा ने दिल्ली के स्कूलों में अनिवार्य रूप धारण कर लिया है और राजभाषा हिन्दी तथा क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में ऐच्छिकता आने से छात्र 8वीं कक्षा के बाद राजभाषा नहीं पढ़ पाता है ? जबकि हायर सेकेंडरी योजना में विज्ञान के छात्र 10वीं कक्षा तक अनिवार्य हिन्दी और शेष छात्र 11वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी पढ़ते थे ?

क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली के कुछ सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में—जैसे रायसीना बंगाली, फतहपुरी मुस्लिम तथा कमर्शियल स्कूल में हिन्दी की सुविधा विज्ञान और वाणिज्य पढ़ने वाले छात्रों को नहीं है ?

क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली के अनुदान प्राप्त विद्यालयों में विज्ञान पढ़ने वाले 183 छात्र हिन्दी पढ़ रहे हैं और 6 हजार 322 छात्र अंग्रेजी पढ़ रहे हैं जबकि शिक्षा अधिनियम एवं नियमावली के नियम 8 में शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना चाहिए। जैसा कि मेरे प्रश्न 1986 के उत्तर में उपशिक्षा मन्त्री ने 3-12-81 को लोकसभा में बताया था; इस नियम का पालन क्यों नहीं हो रहा है ?

शिक्षा-मन्त्रालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा दिल्ली शिक्षा निदेशालय को त्रिभाषा फार्मूला और हिन्दी की उपेक्षा के सम्बन्ध में किन-किन से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। उन संस्थाओं और

व्यक्तियो के नाम क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है और जैसा कि मैंने पहले पूछा था कि क्या सरकार हिन्दी की हत्या करने वाले अफसरों, प्रशासनिक तन्त्र और अन्य जिम्मेदार लोगों जैसे—प्रकाशक वगैरह के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी और कब तक की जाएगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा रेल मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जन) : मान्यवर, यह गलत कल्पना है कि भारत देश मे जिसने जन्म लिया, ऐसा कोई भी व्यक्ति हिन्दी भाषा की हत्या करना चाहता है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : डब्ल्यू० एस० पाल नाम के कर्मचारी के साथ ऐसा किया गया है ।

श्री मल्लिकार्जन : हिन्दी भाषा का अपमान कोई नहीं करना चाहता । हिन्दी की प्रगति सरकार चाहती है और समाज में जिस ढंग से सरकार द्वारा सहयोग दिया जाना चाहिए, वह दिया जा रहा है ।

मान्यवर यह कोई भाषा के बारे में बहस नहीं है, बल्कि त्रिभाषा फार्मूले के बारे में बात हो रही है । यह फार्मूला सम्पूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है, किन्तु कुछ लोगों को, इससे सन्तुष्टि नहीं है, अगर वे लोग शांति से बैठें तो मैं उनको बता दूंगा ।

त्रिभाषा फार्मूला लागू करने के बारे में सरकार की इच्छा यह थी कि विद्यार्थी कम से कम तीन भाषाएं जो वे चाहते हैं वे उनको पढ़नी चाहिएं और हिन्दी जरूर पढ़नी चाहिए—एज ए कंपलसरी, लेकिन जो हमारा एजूकेशन कमीशन है, उसकी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यदि कोई विद्यार्थी 3 साल तक कोई भाषा पढ़ता है तो रोज के व्यवहार के लिए और जरूरत के मुताबिक उसे उस भाषा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है । इस प्रकार मान्यवर 6 से 8 क्लास तक यह त्रिभाषा फार्मूला लागू है । जैसा कि माननीय सदस्य पूछ रहें हैं, इसमें हिन्दी कम्पलसरी है फिर इसके अलावा चाहें हम इंगलिश लें या अपनी मातृभाषा लें या कोई रीजनल भाषा ले सकते हैं । आठवीं क्लास में जब तीन भाषाओं में पास हो जाते हैं तो 9 वीं और दसवीं क्लास में कोई दो भाषाओं को अन्य विषयों के साथ ले सकते हैं । दो भाषाओं में हिन्दी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं या बंगाली, कन्नड़, तेलगू इत्यादि जो विद्यार्थी चाहते हैं वह ले सकते हैं ।

मान्यवर, यह गलत कल्पना है कि त्रिभाषा फार्मूला लाग नहीं हो रहा । जब 11वीं 12वीं क्लास में जाएंगे तो जो साइंस लेते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई डाक्टर बनना चाहते हैं, या स्कालर बनना चाहते हैं, कोई ड्यूमिनिटीज लेते हैं, इन विषयों के साथ भी एक भाषा लेना बहुत जरूरी है । जो वह चाहता है ले सकता है, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत या कोई और भाषा जो वह चाहता है ले सकता । अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ हिन्दी पढने की आकांक्षा रखता है और 6 क्लास से 12 क्लास तक वही लैंगुएज पढ़ना चाहता है तो वह ऐसा भी कर सकता है । ऐसी बात नहीं है कि आठवीं में हिन्दी पढ़े और पास करे और फिर नवीं में जाकर नहीं ले सकता दसवीं में नहीं ले सकता है । ऐसी बात नहीं है । इस तरह से त्रिभाषा फार्मूला लागू है । नवीं दसवीं में तीन भाषाएं क्यों नहीं हैं ? तीन भाषायें आप चूज कर लें । एडीशनल भी एक्चूज करने की सुविधा है ।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि एडिड स्कूल्स में साइंस में हिन्दी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या सिर्फ 186 है और अंग्रेजी में पढ़ने वालों की 6322 के करीब है, ऐसा क्यों है। यह विद्यार्थी की रुचि पर निर्भर करता है। विद्यार्थी साइंस अंग्रेजी में पढ़ता है तो उसको शायद सहूलियत होती है, इस वास्ते पढ़ता है। समझ बूझ कर खुद अंग्रेजी लेता है। नवीं, दसवीं में भी अंग्रेजी लेता है। हिन्दी भी लेते हैं। अंग्रेजी भी लेते हैं। 11वीं 12वीं में आते हैं तो साइंस लेते हैं और तब कोई हिन्दी लेता है और कोई अंग्रेजी। ज्यादातर अंग्रेजी ले रहे हैं, यह सही है। ऐसा शायद इसलिए है कि उनको सहूलियत होती है। सरकार का बिल्कुल विचार नहीं है कि हिन्दी की प्रगति रुके या हिन्दी की प्रगति न हो। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि हिन्दी की हत्या हो।

माननीय सदस्य ने दो तीन स्कूलों के नाम लिए हैं। उन्होंने सायसीना, बंगाली स्कूल का नाम लिया है और कहा है कि वहां हिन्दी की सुविधा नहीं है। इसका कारण यह है कि वहां कम से कम बारह विद्यार्थी नहीं थे जिन्होंने इस भाषा को आप्ट कर दिया। अगर बारह विद्यार्थी आप्ट नही करते हैं तो वह भाषा पढ़ाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। फिर चाहे कोई भी स्कूल हो या कोई भी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी, बंगला, मराठी कोई भी हो। विनियम बारह विद्यार्थी उस भाषा को पढ़ने वाले होने चाहियें। वह रिजनल लैंगुएज का स्कूल है। मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन वहां बंगला में है। इसी तरह से—

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : 122 हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : अगर हैं तो वहां कल ही हिन्दी को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, यह मैं वादा करता हूं।

इसी तरह का फतहपुर मुस्लिम स्कूल है। वहां भी नहीं है। उर्दू वहां का मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन है। कमर्शियल हायर सैकेंडरी स्कूल जो दरिया गंज में है वहां हिन्दी की सुविधा है क्योंकि वहां बारह विद्यार्थी थे जिन्होंने हिन्दी को आप्ट किया।

त्रिभाषा फार्मूला सैकेण्डरी बोर्ड, एजूकेशन और रूल 9 जो दिल्ली एजुकेशन स्कूल एक्ट का है, वह पूरे तरीके से लागू किया जा रहा है।

श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : मेरे दो प्रश्न रह गए हैं जिनका उत्तर नहीं आया है। एक पब्लिशर्ज वाला और दूसरा हिन्दी निदेशालय वाला। इस पर आपने कोई विचार नहीं दिया।

श्री मल्लिकार्जुन : जो पब्लिशर्स धोखा देते हैं उनको दफा 240 में गिरफ्तार करते हैं। अगर माननीय सदस्य जब नाम के साथ जानते हैं तो थोड़ा ढंग से बतायेंगे तो धोखा करने वालों को माफ नहीं करेगी। अगर कोई किसी का ट्रेडमार्क ले कर, लेखक कोई दूसरा है, उनके नाम पर किताब छाप रहे हैं और बेच रहें हैं तो आप ही बताए उनका कानून के तहत प्रबन्ध किया जाएगा।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : मुझे एक प्रश्न पूछना है। मैं इस प्रश्न को दो भागों में बांट रहा हूं।

(क) क्या सरकार इस फार्मूले से सहमत है कि प्राथमिक शिक्षा अर्थात् पांचवी कक्षा तक शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप से मातृ-भाषा ही होना चाहिए ?

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से सहमत है कि एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग पनप रहा है ? इस विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को अंग्रेजी से स्नेह है और वे अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा रहे हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लड़के और लड़कियां प्रतियोगिताओं में उन लड़के-लड़कियों का मुकाबला नहीं कर सकते जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ताकि राष्ट भाषा और क्षेत्रीय भाषा का इस प्रकार से विकास किया जाए कि अंग्रेजी भाषा की महत्ता धीरे-धीरे समाप्त हो जाए ?

श्री त्रिलोक चन्द्र (खुर्जा) : अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह एक बहुत साधारण सा उत्तर है, उसके कोई त्रिभाषा फारमूला का क्लेरिफिकेशन नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने बताया है कि आज छठी से आठवीं तक त्रिभाषा फारमूला लागू है। उससे पहले पहली से छठी तक कोई प्रतिबन्ध लागू नहीं है। न छठी पास करना जरूरी है। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़े, प्राइवेट तरीके से करके या म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़े, और अंग्रेजी न भी पढ़े तब भी छठी में दाखिला ले सकता है। यह हमारा नियम है। तो अगर 5 वीं तक पढ़ ले अंग्रेजी और छठी में जाकर उसका दाखिला हो स्कूल में तो वह सैकेन्डरी लेंगुएज की तरह हिन्दी को पढ़ेगा तीन साल तक, यानी छठी, 7वीं और 8वीं तक। क्योंकि मेन उसका हो गई इंगलिश, शुरू से उसने अंग्रेजी पढ़ी और छठी में जाकर सैकेन्ड लेगुएज के रूप में उसने ले ली हिन्दी। 8 वीं, 9 वीं और 10 वीं तक उसको कुछ लेना नहीं है। तो उसको तीन साल ऐजु सैकेन्डरी लैंगुएज पढ़ता है, न कि कम्पलसरी लैंगुएज की तरह पढ़ता है। हिन्दी हमारी राज भाषा है इस दृष्टिकोण से दिल्ली में नहीं पढ़ता है। इस दृष्टिकोण से दिल्ली में पढ़ाई नहीं होती है।

इसके अलावा दूसरी बात यह कि आपके दिल्ली ऐजूकेशन ऐक्ट में साफ लिखा हुआ है कि अपढ़ 10 वीं जो त्रिभाषा फारमूला है वह लागू रहेगा। तो 8 वीं तक कैसे ऐजूकेशन बोर्ड ने कर दिया जब तक कि ऐक्ट में संशोधन न हो जाए ? क्या बोर्ड के नियम ऐक्ट से ऊपर हैं ? या तो ऐक्ट में संशोधन होना चाहिए कि 8 वीं तक त्रिभाषा फारमूला लागू रहेगा, या फिर यह करना चाहिए था कि उसको 9 वीं और 10 वीं तक पढ़ना चाहिए। मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूं कि आपने कहा त्रिभाषा फारमूला लागू है दिल्ली में छठी से 8 वीं तक। लेकिन आपके ऐक्ट में 10 वीं तक है। तो ऐक्ट सुप्रीम है या ऐजूकेशन बोर्ड सुप्रीम है ?

इतना ही फर्क नहीं है, मंत्री जी को यह मामूली बात लग रही होगी, लेकिन दिल्ली में अगर अंग्रेजी को इतना महत्व दिया गया तो मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दी भाषी जो प्रान्त हैं जिसमें अंग्रेजी सैकेन्डरी लैंगुएज की तरह पढ़ाई जाती है चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, इन लोगों का क्या होगा कम्पटीशन में ? कभी वह लड़के आयेंगे ?

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : वे लोग कौन हैं ? महाराष्ट्र के लोग तेलगु सीखना चाहेंगे। तेलगु लोग कन्नड़ सीखना चाहेंगे। फिर भी वे ऐसा नहीं कर रहे हैं।

श्री त्रिलोक चन्द्र : हिन्दी भाषा राष्ट्रभाषा महाराष्ट्र में है, ऐसा नहीं है कि वह तेलगु में ही बोलते हैं। बोलते सभी जगह हैं, लेकिन अगर यह व्यवहार में रहा है, जैसा कि इस प्रश्न के द्वारा इगित कराया गया है शास्त्री जी ने आंकड़े दिए हैं। मेरा कहना है। कि या तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों में परिवर्तन करें या दिल्ली एजूकेशन एक्ट में चेंज करें। यह जो कंट्रोवर्शिमल है, यह नहीं रहना चाहिए। इन सवालों का जवाब मैं चाहता हूं ताकि लोगों को पता लग जाए कि दिल्ली में हिन्दी नहीं पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, माननीय सदस्य, श्री सुधीर गिरि ने दो प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न प्राथमिक स्कूलों के बारे में है, और दूसरा अंग्रेजी पढ़ाए जाने को कम करने के बारे में। प्राथमिक स्कूलों में पहली से पांचवी कक्षा तक मातृ-भाषा को प्राथमिकता दी जाती है। यह मुख्यत: त्रिभाषा फार्मूले से संबद्ध है। उन्होंने पूछा है कि क्या अंग्रेजी शिक्षा कम होगी या नहीं ? विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय में भी छठी से आठवीं कक्षाओं में पढ़ रहे बच्चों, चाहे वे देश के किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हों, त्रि-भाषायी सूत्र का पालन किया जा रहा है। अत: इस सम्बन्ध में मैं और कुछ नहीं कहूंगा।

सभापति महोदय : फिलहाल, द्विभाषा फार्मूले का पालन किया जा रहा है।

श्री मल्लिकार्जुन : अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए, त्रि-भाषायी सूत्र को ही ध्यान में रखा जायेगा। शिक्षा आयोग ने इस बात को देखते हुए यह सिफारिश की है कि दसवीं कक्षा में पहुंचने तक विद्यार्थियों को कम से कम तीन भाषायें सीख लेनी चाहिए। यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के लिए तीन वर्ष की अवधि पर्याप्त है। स्थिति यह है कि कम आयु में विद्यार्थियों में विषय को समझने की अधिक क्षमता होती है। मान लो कोई विद्यार्थी आठवीं कक्षा तक तीनों भाषाओं की परीक्षाए पास कर लेता है तो हमें यह कहने की क्या आवश्यकता है कि "आप आठवीं कक्षा में क्यों पास कर रहें हैं, आप दसवीं कक्षा तक पास कीजिए ?" हम ऐसा क्यों करें ? आखिरकार त्रि-भाषा फार्मूले के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी को तीन भाषाए सिखाना ही तो है।

उच्च शिक्षा एक अलग तरीके से चलती है। यदि कोई विद्यार्थी 12वीं कक्षा तक हिन्दी लेना चाहे तो वह ले सकता है। नवीं और दसवीं कक्षा में भी वह हिन्दी या कोई अन्य भाषा ले सकता है। 11वीं और 12वीं कक्षा में भी वह ऐच्छिक विषयों के साथ-साथ हिन्दी या कोई अन्य भाषा ले सकता है। 24 भाषायें निर्धारित की गई हैं। क्योंकि भारत में विभिन्न भाषा-भाषी लोग रहते हैं इसलिए हम समूचे राष्ट्र की भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते।

श्री त्रिलोक चन्द्र : एक्ट में तरमीम क्यों नहीं करना चाहते आप ? यह हमें बता दें।

श्री मल्लिकार्जुन : क्यों करना चाहिए, जब जरूरत रहेगी तो किया जा सकता है। आवश्यकता नहीं है ?

श्री त्रिलोक चन्द्र : आवश्यकता है, तभी कहा गया है। उसे चेंज करने के लिए आपको कौन मना करता है ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सभापति जी, आधे घंटे की चर्चा इसलिए स्वीकार की गई थी कि इस विषय पर काफी प्रकाश पड़ सके।

सभापति महोदय : आपने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब उन्होंने दिया।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपने प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर नहीं दिया।

सभापति महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है।

सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई

सभापति महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि अध्यक्ष को पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली के दिनांक 23 दिसम्बर, 1981 के निम्नलिखित आशय के संदेश प्राप्त हुए हैं :—

(एक)

मुझे आपको सादर सूचित करना है कि अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने चौधरी मुलतान सिंह, लोक सभा सदस्य को, जिन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत लागू निषेधाज्ञा का अपने दल के अन्य 22 कार्यकर्ताओं के साथ राजपथ, रफी मार्ग चौराहे पर लगभग 2.30 म० प० स्वेच्छापूर्वक उल्लंघन किया, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत पुलिस थाना, संसद् मार्ग, नई दिल्ली के मामला प्रथम सूचना रपट संख्या 659 दिनांक 23-12-81 के सम्बन्ध में गिरफ्तार किए जाने का आदेश देना अपना कर्त्तव्य समझा। उन्हें क्षेत्री जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा रहा है।

(दो)

कृपया इस कार्यालय का दिनांक 23-12-81 का पत्र देखें, जिसके द्वारा आपको सूचित किया गया था कि चौधरी मुलतान सिंह, लोक सभा सदस्य को पुलिस थाना, संसद् मार्ग, नई दिल्ली मामला प्रथम सूचना रपट संख्या 659 दिनांक 23-12-81 के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था।

उक्त संसद् सदस्य को उनके दल के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, पटियाला हाउस, नई दिल्ली, के न्यायालय में 15.45 बजे पेश किया गया। न्यायालय ने उनकी तथा लोक सभा के सदस्य की भर्त्सना की और उन्हें रिहा कर दिया। 5.51 म० पू० अब सभा की बैठक कल 11 म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

(इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 24 दिसम्बर, 1981 3 पौष, 1903 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।